(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 29 वां दिवस [संख्या 13

शुक्रवार

दिनांक 1 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 251। श्री चुन्नी लाल।

खण्डार तहसील में बनास नदी से सम्बद्ध लिफ्ट सिचाई योजना

251. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील खण्डार में बनास नदी पर लिफ्ट सिचाई योजना के लिए किये गये सर्वेक्षण की क्या रिपोर्ट रही ? इस लिफ्ट सिचाई योजना से खण्डार तहसील की कितने एकड़ भूमि की सिचाई की जा सकेगी एवं इस योजना पर कितना खर्चा आवेगा ? काश्तकारों से वसूल की जाने वाली सिचाई दर कितने रुपये प्रति एकड़ रखी जावेगी ?

उप मंत्री, सिचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी): सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है और तखमीना बनाया जा रहा है। इस योजना से खण्डार तहसील की 5947 हैक्टेयर एवं सपोटरा तहसील की 177 हैक्टेयर भूमि में सिचाई की जा सकेगी। खर्च की राशि तखमीना बनने पर ही बताई जा सकेगी। काश्तकारों से वसूल की जाने वाली दरें साधारण सिचाई की दरों से दुगुनी तक होंगी।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि तखमीना कब तक बन कर तैयार हो जाएगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जितना जल्दी होगा बनाया जाएगा।

श्री घनश्याम : क्या इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसका सर्वे पूरा हो चुका है। अभी इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है।

श्री घनश्याम : प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है इससे क्या तात्पर्य है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : आपने क्या सवाल पूछा है ? दुबारा कहिये।

Page No 2

श्री घनश्याम : आपने अभी कहा है कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई हैं, इस से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : एस्टीमेट तैयार हो चुका है और तखमीना बनेगा उसके बाद काम चालू होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दी जाएगी।

श्री घनश्याम : काम चालू तो तब होगा जब इसकी वित्तीय सैंक्शन होगी। मैं प्रशासनिक स्वीकृति की बात कर रहा हूं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : यह तो केवल आपका वहम है।

श्री घनश्याम : क्या आप वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक स्वीकृति में अन्तर नहीं समझते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम : अध्यक्ष महोदय, इनको समय दे दिया जाए ताकि पूरी जानकारी कर लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। कृपया शान्त रहें। बैठे बैठे बात न करें।

श्री घनश्याम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय मंत्री महोदय जब सदन में प्रश्नों का उत्तर दें तो कम से कम तैयार होकर आवें। मामूली जानकारी भी नहीं है कि प्रशासनिक स्वीकृति क्या होती है।

श्री अध्यक्ष : आपका फर्माना ठीक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और फाइनेन्शियल सैंक्शन काम शुरू किया जाता है तब दी जाती है। यह रिप्लाई दिया गया है। आप समझ ही नहीं रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या माननीय खेतसिंह जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न का उत्तर आ गया है।

अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य।

प्लान्टेशन क्षेत्र को किसानों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराना

252. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र पापड़ा, बलवन, डीपरी तथा किशनवास के प्लान्टेशन के वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को उनके दैनिक उपयोग की लकड़ी लाने तथा उनके पशुओं को प्लान्टेशन क्षेत्र में जाने से भारी जुर्माना करने से इन प्लान्टेशन के आस-पास के किसान बड़े दुखी हैं जिसकी सूचना समय-समय पर वन अधिकारियों को देते रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त प्लान्टेशन में से जो पेड़ बहुत बड़े-बड़े हो गए हैं किसानों को उनके उपयोग की लकड़ी लाने देने तथा जानवरों को चराने देने की अनुमति प्रदान करेगी ?

Page No 3

(3)

वन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) नये विकसित किये जा रहे प्लान्टेशन होने के कारण इन क्षेत्रों में मवेशी चराना एवं पेड़ काटना वर्जित है इसलिए अवैध कार्य होने पर नियमानुसार वन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। बलबन प्लान्टेशन नहीं है सिर्फ क्लोजर है।

(3) विभागीय प्लान्टेशन में पेड़ काटने की स्वीकृति किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। कार्यकारी योजना, अनुसार पेड़ बड़े हो जाने के उपरान्त ही विभाग द्वारा काटे जाते हैं। अलबत्ता, धरती पर गिरी, पड़ी सूखी लकड़ी ग्रामवासियों को नियमानुसार निकास करने की इजाजत उपलब्धता के आधार पर दी जाती है। इसी तरह इन प्लान्टेशनों से घास निकासी की स्वीकृति सिर पर बोझ द्वारा दी जाती है। चराई की इजाजत क्षेत्र विकसित होने के पश्चात दी जाती है।

श्री हीरालाल आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह प्लान्टेशन कब लगा था और पेड़ कितने बड़े हो गये हैं ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, डीपरी प्लान्टेशन 1971-72 में शुरू हुआ था। लगभग दस वर्ष बाद प्लान्टेशन आम चराई के लिए खोला जाता है। इसमें एक साल बाकी है। बाकी जितने भी प्लान्टेशन लगाये हैं वे इससे बाद के हैं। नं. 1. 1974-75, नं. 2. 1975-76 और नं. 3. 1976-77, किशनवास प्लान्टेशन 1974-75 में और बीमड़ी प्लान्टेशन 1978-79 मे लगाये गये हैं। दस साल पूरे होने के बाद ही इन प्लान्टेशन को खोला जा सकता है। इसमें एक प्लान्टेशन को दस साल पूरे होने में एक वर्ष बाकी है।

श्री हीरालाल आर्य : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि इन प्लान्टेशन में किस-किस किस्म के कितने-कितने पेड़ हैं ?

श्रीमती कमला : यह कोई सवाल है ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, सवाल क्यों नहीं है ? इनके पास आंकड़े नहीं हैं। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदया को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्लान्टेशन है यह क्लोजर है। इसने बड़े बड़े पेड़ हो गये हैं कि इसमें पशुओं की चराई की आसानी से इजाजत दी जा सकती है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, रेवाइन्स को रिक्लेम करने के बाद में वहां पर फारेस्ट प्लान्टेशन किए जाने की स्कीम्स होती हैं। हो सकता है कि कुछ पौधे पहले से ही हों और वे बड़े हो गये हों। परन्तु जो आम प्लान्टेशन किया जाता है वह डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। एक आध पेड़ बहुत बड़ा हो गया हो इसलिये सारे प्लान्टेशन को खोल दिया जाए यह सम्भव नहीं है। किसके कितने पेड़ लगे, यह कोई प्रश्न है। डीपरी प्लान्टेशन में कुल 250 हैक्टेयर में प्लान्टेशन है। डीपरी प्लान्टेशन नम्बर वन में 125 हैक्टेयर में है। डीपरी प्लान्टेशन नं. टू में 100 हैक्टेयर में किया है और डीपरी प्लान्टेशन नं. 3 में 75 हैक्टेयर में किया गया है। बलबन में 70 हैक्टेयर में है और पापड़ा 100 हैक्टेयर में किया गया है।

श्री हीरालाल आर्य : प्लान्टेशन में किसानों के पशु घुस जाते हैं तो उन पर जुर्माना कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, उनसे जो जुर्माना वसूल किया गया है वह

(श्री हीरालाल आर्य)

अब तक कितना वसूल किया गया है ? इसका हिसाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वन कर्मचारी किसानों को परेशान करते हैं। इस बात से वहां का किसान बहुत दुखी है। अगर उसका पशु गलती से घुस भी जाता है, चरता नहीं है तो भी उस पर जुर्माना कर देते हैं। अगर वे गलती करते हैं, नुकसान करते हैं तब जुर्माना करते हैं तब तो ठीक है पर ऐसा नहीं होता है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों को मालूम है कि इस प्लान्टेशन में चराई की इजाजत नहीं है। उनके आस-पास किनारों पर निशान या इसी प्रकार से कोई दूसरी चीज की हुई है। उनको पता है फिर भी उस क्षेत्र में चराई करायें, अगर कानून के अन्तर्गत अवैध चराई करायें या कराते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है और लगाया भी गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही की जाय अगर इस प्रकार से····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जुर्माने से कितनी रकम प्राप्त हुई इसका कोई हिसाब नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, जुर्माना वसूल करके उसकी रसीद नहीं दी जाती है इसलिये वन कर्मचारियों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। अतः किसानों को काम की लकड़ी क्लोजर तथा प्लान्टेशन में से काटने देनी चाहिये तथा इनमें पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं अतः पशुओं को चराने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न आप अन्य किसी तरह से पूछ सकते हैं। अभी मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न 253। श्री जगदीश।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 253।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं····

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह अलाऊ नहीं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : कल आपने अलाऊ किया था।

श्री अध्यक्ष : कल मैंने जो काम कर दिया वह आज नहीं करूंगा। आप उनसे इजाजत ले लेते।

(व्यवधान)

श्री मन्थलाल मीणा : उनके पास भी इजाजत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं होगा।

अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

जनाना अस्पताल, जयपुर में मरीज शैयाएं

254. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनाना अस्पताल, जयपुर में मरीजों के लिये कुल कितनी शैयाएं स्वीकृत हैं तथा क्या जयपुर की जनसंख्या को देखते हुए उक्त शैयाएं पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार शैयाएं बढ़ाने का विचार रखती है?, यदि हां, तो कब तक?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): 416 शैयाएं स्वीकृत हैं। आबादी को देखते हुए ये शैयाएं कम हैं। वर्तमान भवन में शैयाएं बढ़ाने का स्थान नहीं है। वित्तीय साधन उपलब्ध होते ही समस्या का हल हो सकता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितनी कम हैं आपके हिसाब से?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : कोई नार्म नहीं है। हम चाहते हैं कि जितनी हो जायें उतनी हम करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जनसंख्या के अनुपात से कितनी हों, यह पूछा है?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितनी कम हैं?

श्री रामनारायण डूडी : ढ़ाई साल में कितनी बढ़ायीं?

एक माननीय सदस्य : जनसंख्या के आधार पर कितनी शैयाएं चाहिये?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत न करें।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : जयपुर नगर की जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुये पहले से बढ़ गयी है। यह निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। 416 के अतिरिक्त शहर के अन्दर हमारे यहां पर और भी शैयाएं प्राप्त हैं। रामगंज बाजार में 11 शैयाएं हैं, चौड़ा रास्ता में 11 हैं और पुरानी बस्ती में शैयाएं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

Page No 6

(6)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, क्या उनको ज्ञान है कि यहां पर जयपुर शहर के आसपास के ही नहीं बल्कि राजस्थान भर के विशेष बिगड़े हुये केसेज जो होते हैं वह दर्ज होते हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हरएक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर की यही हालत है। एस.एम.एस. एच. में भी बाहर से आते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगी कि अस्पताल में महिलाओं के कितने रजिस्ट्रेशन दैनिक रूप से होते हैं और शैयायें कितनी कम पड़ती हैं ?

(व्यवधान)

दूसरा, क्या कोई दूसरा महिला हास्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया था ? क्या सरकार ने उसको नहीं माना ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी. स्पष्ट मेरा प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर शैयायें कम पड़ती हैं तो क्या मंत्री महोदय दूसरा अस्पताल बनाने या बराबर में जगह लेकर हास्पिटल का विस्तार करने पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर राजस्थान की कैपीटल है। इसकी इम्पोर्टेंस को हर एक आदमी समझता है। यहां पर हास्पिटल हो, यह हम भी चाहते हैं। इसके लिये इस बात पर विचार हुआ था कि नया जनाना हास्पिटल यहां बनाया जाये। उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि नया अस्पताल बने।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि पिछले मंत्री महोदय ने इस हास्पिटल को बढ़ाने के लिये कोई स्थान लेने के लिये फाइल चालू की थी, प्रयास किया था ? क्या आप उस प्रयास को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैं फाइल मंगाकर देखूंगा, अगर उसमें ऐसा हुआ तो....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुलिस लाइन, जो अभी वहां है, को शहर के सेन्टर से हटा कर बनीपार्क में ले जाने की और उस स्थान को इस अस्पताल में लेने के लिये कार्यवाही की गयी थी। इसलिये मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उस स्थान को शीघ्र उपलब्ध करा कर यह जो समस्या है इसका निराकरण कराने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर आने दीजिये।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी हम यह चाहते हैं कि यहां पर हास्पिटल अच्छा हो। सारे एम. एल. ए.

Page No 7

(7)

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
यहां रहते हैं, सारे आफिसर्स यहां पर रहते हैं, इसलिये ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या सारे सदस्य जनाना हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : आप सुन रहे हैं या मजाक कर रहे हैं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय यह कह दें कि मैं प्रयास करूंगा तो मैं उनको अग्रिम धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महिलाओं का मामला है ...

श्री अध्यक्ष : आपको भी मैं समय दूंगा। एक एक करके माननीय सदस्य बोलें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में मेरा निवेदन है ...

(व्यवधान)

पहले 250 बैड्स की आफिसियल घोषणा की गई थी। लगता यह है कि आउट-डोर भर गये हैं। कुछ बाहर शैयाएं पड़ी हुई हैं। क्या मन्त्री महोदय अस्पताल में जो बैड्स हैं, उन के आधार पर बोल रहे हैं ? जैसा कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और जयपुर, ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा ....

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण नहीं करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जनाना अस्पताल बनाया गया था, उसको बदलने की योजना थी। राज्य सरकार उसको बदलने की योजना रखती थी। जिस बिल्डिंग में जनाना हास्पिटल है, वह बोर्ड की पुरानी बिल्डिंग है। यह सैण्टर में भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने कहा है कि बाहर से भी लोग आते हैं : ...

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जो जनाना अस्पताल बनाया था, वह बच्चों का अस्पताल बना दिया है। हम यह सोचते हैं कि नयी बिल्डिंग बनाई जाये। मैंने यह निवेदन किया है कि हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बजारी जी।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1977 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय से जब जनता गवर्नमेंट आयी उस समय तक कितनी शैयाएं थीं ? उसके बाद जनता सरकार ने अपने शासन काल में कितनी शैयाएं बढ़ाई हैं ?

Page No 8

(8)

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कोई भवन आदि बनवा दें तो क्या मन्त्री महोदय, शैयाओं को बढ़ाने को तैयार हैं? एक तो उसी स्थान पर और दूसरे किसी नजदीक के स्थान पर अस्पताल के लिए अगर कोई बिल्डिंग बनवा दें तो सरकार शैयाएं बढ़ाने के लिए तैयार है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अगर ऐसा किया तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जयपुर के लिए व्यवस्था है और पूरे राजस्थान के लिए, खास तौर से गांवों के लिए...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : सवाल यह है कि यह आम आदमी की हिफाजत और तन्दरुस्ती का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री त्रिलोक सिंह : क्या मन्त्री महोदय इस बारे में बतायेंगे।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जयपुर सिटी के अलावा बाहर से जो यहां आते हैं उनको भी देखना होता है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : मेरा सवाल था...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उत्तर नहीं आयेगा।

श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि भवन के अभाव में शैयाएं नहीं बढ़ायेंगे। यह ऐसा है कि स्वास्थ्य एण्ड स्पेस के हिसाब से सम्भावना वहां पर भी नहीं है और उसका औचित्य भी नहीं है। परन्तु मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि महाराजा कालेज की जगह जनाना हास्पिटल बनाया जाएगा क्योंकि वहां मेडिकल कालेज व होस्टल हैं।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैने निवेदन किया है, वह नहीं हो सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो तुगलकी योजनाएं थीं। उनमें कुछ नहीं धरा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो आपकी व्यवस्था का सवाल है, इसका उत्तर मिल जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

Page No 9

(9)

राजस्थान राज्य बीज निगम

255. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बीज निगम खरीफ बीज की व्यवस्था करने में असफल रहा है ?

(2) सवाई माधोपुर जिले के लिये वर्ष 1979–80 में किस किस किस्म का बीज आवण्टित किया गया था और कितना बीज पहुंचाया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि 10 रु. प्रति किलोग्राम की कीमत चुकाने पर भी कृषकों को संकर बाजरे का विश्वसनीय बीज नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त हिण्डौन व गंगापुर में संकर बाजरे का बीज नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि निजी विक्रेताओं ने गुजरात राज्य बीज निगम का बीज बेचान किया है ? यदि हां, तो राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से क्यों नहीं क्रय किया गया ?

(6) क्या राज्य सरकार अध्यक्ष व प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य बीज निगम के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं।

(2) सवाई माधोपुर जिले को खरीफ 1979–80 में निम्नलिखित तालिका के अनुसार बीज उपलब्ध कराया गया।

नाम बीज	आवण्टित मात्रा	(क्वि. में) उपलब्ध कराई गई मात्रा
अरहर यूपीएएस-120	60	60
मूंगफली एम-13	52	72
मूंग पूसा बैसाखी	15	13-50
उर्द टी–9	10	9-60
संकर बाजरा	500	158-16
धान रत्ना	–	4-80
ज्वार सीएसएच-5	–	15-00

(3) ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) हिण्डौन को 37.56 क्विंटल संकर बाजरा उपलब्ध कराया गया। गंगापुर को बाजरे का कोई बीज नहीं भेजा गया क्योंकि इसकी कुल उपलब्धि लक्ष्यों से बहुत कम थी।

(5) बीज के विक्रय पर कोई पाबन्दी नहीं है। निजी विक्रेता बीज किसी भी स्रोत से लाकर बेच सकते हैं जबकि राजस्थान बीज निगम केवल राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त बीज का विक्रय कर सकता है।

(6) बीज व्यवस्था में सुधार किये जाने पर विचार किया जाएगा।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हिण्डोन और सवाई माधोपुर के लिए जो

(श्री हंसराज शर्मा)
लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह कितना था ? क्या लक्ष्य के बराबर कोई डिमाण्ड दी गई थी ? उस डिमाण्ड के आधार पर सहकारी विभाग ने कार्यवाही की थी या नहीं ?

श्रीमती कमला : मैंने क्रम संख्या (4) के उत्तर में निवेदन किया है, हिण्डौन को 37.56 क्विण्टल तक उपलब्ध कराया। गंगापुर को नहीं दिया जा सका।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गंगापुर में बाजरे की काश्तकारों की डिमाण्ड थी। जमीन तैयार की गई थी फिर भी उनको अच्छे बाजरे का बीज नहीं मिला। ऐसे कितने काश्तकार हैं, उनकी कितनी क्षति हुई है ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला : गंगापुर कितना मांगता है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती कमला : यह भी मैंने निवेदन किया है। उतनी मात्रा में राजस्थान में बाजरा उपलब्ध नहीं हो सका है। जो राष्ट्रीय बीज निगम है, उसके तहत राजस्थान बीज को उपलब्ध करता है। राजस्थान ने 1979 में ही मांग भेज दी थी। तकाजा करने पर यह कहा गया कि जिन जिन बीजों की आपकी मांग है, उसकी पूर्ति करेंगे। जिस समय बिजाई का वक्त आने वाला था उसके एक सवा महीने पहले उन्होंने कहा था कि इतनी मात्रा में दे सकेंगे इतनी मात्रा में नहीं दे सकेंगे। उस स्थिति में हमने निजी व्यापारियों, जो कर्नाटक और तमिलनाडू के थे, से बात की, लेकिन उस वक्त तक निजी व्यापारी उनसे बीज ले जा चुके थे, इसलिए राजस्थान के बीज निगम को बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो सका था। यही कारण है कि बाजरे के बीज की कमी हमारे राज्य में पड़ी।

एक माननीय सदस्य : क्या कोई भी किसी प्रकार का बीज लेकर बेच सकता है?

श्रीमती कमला : बेचने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या इस सम्बन्ध में लाइसेंस जरूरी नहीं है ?

श्रीमती कमला : अधिकृत बीज बेचने के बजाय अनधिकृत बीज बेचे तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान बीज निगम राजस्थान की आवश्यकता के अनुसार कितने पर्सेन्ट बाजरे की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है और कितना बाहर से मंगाना पड़ता है ? क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में जब बुवाई होती है उस समय जो डिमाण्ड होती है वह बहुत बाद में उपलब्ध होती है और किसानों को परेशानी होती है ? क्या राज्य सरकार इतना बीज उत्पादन करने में समर्थ है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ हद तक माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि सोइंग सीजन माथे पर एक-

(श्रीमती कमला)
दम आ जाने से बीज उपलब्ध नहीं होता है. इससे प्रोडक्शन का नुकसान होता है और किसानों को तकलीफ होती है। इसीलिए राजस्थान में हमने राजस्थान बीज निगम बनाया। भारतीय बीज निगम ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपकी जरूरत पूरी करेंगे। लेकिन अब इस वर्ष के अनुभव को देखते हुए और माननीय सदस्य की बात को निगाह में रखते हुए हम राष्ट्रीय बीज निगम से बात करेंगे और दूसरे राज्यों से भी बीज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, सहकारी समितियों से और दूसरे स्थानों से भी कोशिश करेंगे जिससे किसानों को दिक्कत नहीं होवे।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा एक सवाल है। जब से निगम का बीज, संकर बाजरा सप्लाई किया जाने लगा है, उस बीज में पोइजन पदा हो जाता है?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : बाजरे की फसल बर्बाद हो जाती है। किसान तबाह हो गये। क्या आप इससे बचाने के लिए उपाय कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अनंगकुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों को बीज नहीं मिलने के कारण नुकसान हुआ है क्या राज्य सरकार उनकी क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ?

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या माननीय मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि अजमेर के पास तबीजी में एक फार्म है संकर बाजरे का उस से राज्य सरकार को कितना बीज प्राप्त हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

इतने प्रश्न अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

इस तरह से अलाऊ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का खयाल कीजिये।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न संख्या 256, श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

Page No 12

(१२)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री हंसराज शर्मा : XXX

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, अगला प्रश्न।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (तारां) : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रोडक्शन खतम हो गया है, किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है, इसका कोई जवाब नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : 25 प्रश्न 60 मिनट में होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। मैं प्रश्नकर्ता महोदय को दो-तीन प्रश्न पूछने का अवसर देता हूं, दूसरे माननीय सदस्यों को भी देता हूं। कई लोग एक साथ इस तरह से बोलें इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्या ने बड़ी आशा के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस तरह से एक साथ बोलना एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है, सुनाई भी नहीं देता। दो-तीन प्रश्न प्रश्नकर्ता पूछ सकते हैं। दो-तीन प्रश्न माननीय सदस्य, जिनकी जानकारी है या जो इससे सम्बन्धित हैं, पूछ लें। मैं समझता हूं यह प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर मिल सके।

श्रीमती विद्या पाठक।

(व्यवधान)

मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक।

सांगानेर पंचायत समिति में अस्थायी अध्यापकों की पुनः नियुक्ति

256. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर पंचायत समिति में जनवरी, 1980 में रखे गये अस्थायी अध्यापकों को कुछ समय पश्चात् हटा दिया गया था?

(2) क्या जिलाधीश द्वारा इस प्रकार हटाये गये शिक्षकों की पुनः नियुक्ति हेतु आदेश जून, 1980 में प्रसारित किये गये?

(3) उक्त आदेशों के अन्तर्गत उन हटाये गये अध्यापकों में से कितनों को पुनः नियुक्ति दी गई?

(4) ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्हें नियत समय रहते सम्पर्क करने पर भी विकास अधिकारी द्वारा पुनः नियुक्ति देने से मना कर दिया गया और क्यों?

(5) इस प्रकार आदेशों की अवहेलना पर क्या सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी?

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

पंचायत एवं विकास मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) जी नहीं, जनवरी, 1980 में कोई अस्थाई अध्यापक नहीं रखे गये ।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) आदेशों की अवहेलना करने पर निश्चित प्रक्रिया के द्वारा कार्यवाही की जाती है ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जनवरी में कुछ टेम्प्रेरी टीचर्स को रखा गया था, फरवरी, 80 में उनको अपाइन्टमेन्ट दिया गया और उसके बाद 15-5-80 को सबको एक ही आर्डर से हटा दिया गया। उसके बाद उनको रीएम्प्लायमेंट दिया गया और उनको आर्डर भेज दिये गये। जो टीचर पहले रह रहे थे, उनको अपाइन्टमेंट लैटर दे दिया। यह 30-6-80 तक प्रक्रिया हुई । मैं समझती हुई कि इसका नोटिफिकेशन या सूचना इस सन्दर्भ में सम्बन्धित बी. डी. ओ. को भी अवश्य दे दी होगी। उनको अपाइन्टमेंट मिल गया, लेकिन इसके पहले ही बी. डी. ओ. नया सलेक्शन कर चुके थे और कुछ टीचर्स को अपाइन्टमेंट नहीं दिया। उनमें एक उल्लेखनीय नाम है, मैं आपको बता दूं, राधेश्याम शर्मा जिन्होंने मेरे को बताया, क्यों उनको अपाइन्टमेंट नहीं दिया जा सकता था ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने आप से निवेदन किया था कि उनको नियुक्ति 12-2-80 को दी गई। आपके समय में दी गई थी। इसका अर्थ यह है कि फरवरी में नियुक्ति दी गई थी। यह सही है कि 12-2-80 को सत्र तक के लिए रखा गया था। उसके बाद जब सत्र समाप्त हुआ तो स्वाभाविक है कि स्कूल नहीं खुला होगा। 23 मई से एक अध्यापक को आयुर्वेदिक का होने के कारण नहीं रखा गया। उसका विषय लिमिटेड था। इसलिये उसको नहीं रखा गया। पहले जो 23 अध्यापक रखे गये थे उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई नहीं था जब कि 2 या 3 का कोटा होना चाहिए था। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे वाले को रखा गया है। इसलिए 3 का नहीं हो सका है, एक ओवरएज होने के कारण और 2 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अपाइन्टमेंट हुआ। यह अनिवार्यतः होना चाहिए था, इसलिए नहीं हुआ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बता रहे हैं कि 2 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लिया गया है इसलिए पहले वाले टीचर्स को अपाइन्टमेंट नहीं दिया गया। यह बात पहले क्यों नहीं सोची थी, जब जनवरी-फरवरी में अपाइन्टमेंट दिया गया था ?

दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि माननीय मंत्री महोदय ने उन टीचर्स को फिर अपाइन्टमेंट दे दिया है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

Page No 14

(14)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नियुक्ति क्यों नहीं हुई इसका उत्तर तो आपकी पार्टी के लोग दे सकते हैं। मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है मैंने तीन बिन्दु स्पष्ट कर दिये हैं। एक आयुर्वेदिक होने के कारण और दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के होने के कारण। पहले जो गलती हो वह दुबारा की जाये मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। ऐसी नियुक्ति हुई है कोई तो मेरी जानकारी में नहीं है। हो सकता है, कि कोई स्थान पर रखा हुआ हो, मैं नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती थी कि नये टीचर्स को अपाइन्टमेन्ट दे दिया गया है, पुराने टीचर्स को अपाइन्टमेंट नहीं दिया। फिर नये टीचर्स को जब रखा गया तो उस कोटे में शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई नहीं था। उसके अलावा भी कई नये टीचर्स लिए गये। अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पुरानी सूची के आधार पर टीचर्स लिए गये। दूसरी बात है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की, मान लीजिये, हमारी सरकार के समय में नहीं हुआ तो क्या आप···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : ···माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह सही है तो जनता सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ जाति की उपेक्षा करने के लिए कार्यवाही नहीं की तो क्या आप भी ऐसा ही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इतने लम्बे प्रश्न को मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

भाषण अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या आप अपने आपको कार्यवाही करने में सक्षम मानते हैं ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : अधिक समय न लें।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने जो नियुक्तियां दी हैं या जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के कोटे के अन्दर दी गई हैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मैं ज्यादा अलाऊ नहीं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह पूरे राजस्थान का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह कृपया बता दीजिये कि सवाल कहां का है ?

एक माननीय सदस्य : मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिना समझे आप आपत्ति उत्पन्न करें, यह अच्छा नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप एक प्रश्न और पूछें।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने एक प्रश्न पूछा है, उसका जवाब तो आने दीजिये · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हंसते रहते हैं, सुनते तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने निवेदन किया था कि इसके अलावा टीचर्स रखे गये हैं। जो पिछली 12 जनवरी-फरवरी में रखे गये, उनके अलावा भी टीचर्स लिये गये हैं, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को क्यों नहीं एडजेस्ट किया गया।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अलग प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं· · · ·

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्या, आप स्थान-ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बार-बार आपत्ति उपस्थित कर रहे हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नियमों का पालन कीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न का उतर तो आया नहीं· · ·

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : उसका जवाब तो अभी आया नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे ऊपर बहुत ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : मैंने 15 मिनट का अवसर दिया है।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री मानसिंह देवड़ा।

जोधपुर डेयरी के व्यवस्थापक द्वारा अवकाश सम्बन्धी आदेश की अवहेलना

257. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर डेयरी के प्रधान व्यवस्थापक, श्री एस. के. ककड़ ने भूतपूर्व, राष्ट्रपति, श्री वी. वी. गिरि के अचानक निधन पर अवकाश नहीं रखा जब कि सरकार ने आदेश निकाल कर अवकाश की घोषणा कर दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि युवा सांसद श्री संजय गांधी के निधन पर 23 जून, 1980 को समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी

(श्री मानसिंह देवड़ा)
कार्यालय बन्द रहने के आदेश की भी अवहेलना प्रधान व्यवस्थापक ने करते हुए जोधपुर डेयरी में अवकाश नहीं रखा ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, डेयरी के अधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना की। जो यह सूचना माननीय मंत्री महोदय ने दी है सदन में उसको मैं चैलेन्ज करता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि वहां पर अवकाश घोषित नहीं किया।

श्रीमती कमला : जहां तक भाग (2) का सवाल है, मैंने "जी नहीं" इसलिए कहा है कि जैसे ही वहां पर राज्य सरकार द्वारा छुट्टी घोषित किए जाने की सूचना पहुंची, उसी वक्त उन्होंने वहां पर छुट्टी कर दी।

जहां तक भाग (1) का सवाल है, श्री वी.वी. गिरि, भूतपूर्व राष्ट्रपति के निधन पर छुट्टी का सवाल है, उस दिन छुट्टी न करके जिस दिन उनका क्रिमेशन होता है उस दिन छुट्टी की जाती है आम तौर पर, इसलिए उस दिन उन्होंने छुट्टी रखी है। अगर इन तथ्यों के विपरीत माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो उसकी अवश्य जांच कराई जाएगी और जिस अधिकारी ने गलत सूचना दी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

नागौर तहसील के ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

258. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नागौर तहसील के कितने ग्रामों में पेयजल उपलब्ध है और किस किस माध्यम से ? जिन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध नहीं है उन ग्रामों के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय)–नागौर तहसील में इस समय कुल 27 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध है। उनमें से 12 ग्रामों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से, तीन ग्रामों को विस्तार जल प्रदाय योजना नागौर से, सात ग्रामों को पाइप्ड जल योजनाओं से, दो ग्रामों को पम्प व टैंक जल योजनाओं से एवं तीन ग्रामों को पारम्परिक जल स्रोत योजनाओं द्वारा जल वितरण किया जा रहा है।

स्वीकृत योजनाओं में से इस समय 10 ग्रामों की योजनाओं हेतु कार्य प्रगति पर है जिनमें से आठ ग्रामों को मार्च, 1981 के अन्त तक पेयजल सुलभ करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित 8 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त सभी ग्राम पम्प व टैंक योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं।

(1) कुमार जिसकी जनसंख्या 2356 है, (2) बिरलोका जिसकी जनसंख्या 2864 है, कुरची, मोडपुरा, रुण, खजवाणा, संख्वास व कडलू।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

तहसील के शेष ग्रामों को राज्य के अन्य ग्रामों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल व सैनिटेशन दशक के अन्तर्गत पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव हैं।

श्री महाराम चौधरी : जो गांव ढाणियों में बसे हुए हैं, उन गांवों के पेयजल की व्यवस्था के लिए आपके पास क्या योजना है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर चुका हूं कि पारम्परिक योजनाओं के द्वारा जल वितरण किया जा रहा है। जो छोटी-छोटी ढाणियां हैं उनको पानी देने के लिए कई तरह के प्रस्ताव हैं, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

प्रश्न संख्या 259

श्री अध्यक्ष : श्री सुखलाल सेंगवा। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री चन्द्रवीर सिंह !

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

260. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में सन् 1971 में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्रीमती कमला) : राज्य सरकार द्वारा 1971 में भारत पाक संघर्ष में आये शरणार्थियों को कृषि एवं पशु पालन योजना के अन्तर्गत 4059 एवं लघु व्यवसाय योजना के अन्तर्गत 89 का पुनर्वास किया गया है। बाकी विस्थापितों का भी पुनर्वास किया जा रहा है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक व्यवस्था हो जाएगी ?

श्रीमती कमला : भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बातचीत जारी है। जिन शेष शरणार्थियों को जमीनों पर बसाया जाता है, उनके मुआवजे और खर्चे के बारे में बहुत बार बातचीत की जा चुकी है; रीसेंटली भी बातचीत की जा चुकी है। मुझे आशा है कि हमारे प्रयास जल्दी सफल होंगे और हम इसकी क्रियान्विति कर सकेंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह : निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

श्रीमती कमला : निश्चित अवधि देना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह, डिवीजन संख्या 193।

कृषि भूमि पर किसानों द्वारा निर्मित आवासों का नियमन

261. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने कृषि भूमि पर नगरपालिका क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने आवास हेतु बिना स्वीकृति बनाये गए मकानों का नियमन किया है ? यदि हां, तो भरतपुर जिले में इस नीति का अनुसरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(18)

नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है "क्या सरकार ने कृषि भूमि पर नगरपालिका क्षेत्रों में किसानों द्वारा अपने आवास हेतु बिना स्वीकृति बनाए गए मकानों का नियमन किया है ?" इसका संबंध नगर आयोजना से नहीं है, यह प्रश्न रेवेन्यू से सम्बन्धित है, क्योंकि कृषि भूमि का सम्बन्ध किसानों से है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बंशीलाल पटवा।

आवासीय बस्तियां बसाने के प्रयोजन से भीलवाड़ा में कृषि भूमि की अवाप्ति

262. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा नगर परिषद् सीमा के भीतर पड़ने वाली कृषि भूमि को विभिन्न बस्तियां बसाने हेतु नगर परिषद् तथा नगर विकास न्यास ने पिछले 5 वर्षों में किन किन व्यक्तियों से किन किन शर्तों पर अवाप्त किया है ?

(2) क्या इनमें कोई ऐसी भूमि भी है जो 1/6 हिस्सा देकर अवाप्त की गई ? यदि हां, तो शेष के सम्बन्ध में यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) गत पांच वर्षों में कृषि भूमि जो अवाप्त की गई उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। सामान्यतया भूमि अवाप्ति के मामलों में नकद मुआवजा ही दिया जाता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह प्रक्रिया सभी मामलों में अपनाई जावे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा मूल प्रश्न यह है कि जो लैंड अवाप्त की गई उसमें दो तरह का प्रोसीजर अडाप्ट किया गया है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि नियमों के अन्तर्गत जो लैंड अवाप्त की जाती है वह नगर परिषद् और यू.आई.टी. द्वारा की जाती है दूसरी जो परम्परा अपनाई गई उसमें 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे 1/6 हिस्सा देकर भूमि अवाप्त की गई। क्या 1/6 के हिसाब से अवाप्त करने के सरकार के कोई नियम हैं?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जी हां। अब तक कुल 7 व्यक्तियों की जमीनें 1/6 के आधार पर लेने का प्रस्ताव था। उसमें से दो व्यक्तियों की भूमि का कब्जा ले लिया गया, 5 व्यक्तियों की भूमि का कब्जा अभी तक नहीं लिया गया है। म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत आपसी समझौते के अनुसार 1/6 हिस्सा देकर अवाप्त राज्य सरकार की स्वीकृति से होता रहा है प्रारम्भ से यह प्रक्रिया आज तक चालू है।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा मूल प्रश्न था कि राज्य सरकार की स्वीकृति से तो हुआ है लेकिन इस तरह के कोई नियम हैं क्या ? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन तो ले ली होगी लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं इस तरह के नियम नहीं हैं, एक कन्वेन्शन से अवाप्त की गई है। 181 लोगों की जो भूमि अवाप्त की गई है जिन जिन तारीखों में, उस लैंड का कम्पेन्सेशन जो दिया गया

(श्री बंशीलाल पटवा)
वह बिल्कुल मामूली हजारों रुपये में मार्केट वैल्यू थी वह भी नहीं दी गई और अन्य 7 को इतना नाजायज लाभ क्यों दिया गया ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यू. आई. टी. एक्ट की धारा 51 देखें। उसमें प्रावधान है कि आपसी समझौते द्वारा मुआवजे के आधार पर जमीन ली जा सकती है।

श्री बंशीलाल पटवा : मूल प्रश्न यह है कि जब इस तरह के नियम हैं जिनके अन्तर्गत 7 व्यक्तियों की आपसी समझौते के आधार पर जिस लैंड की बहुत वैल्यू है, भीलवाड़ा के बीच में है वह ली गई। इस तरह से नगरपालिका व यू.आई.टी. को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और घाटा हुआ है, यह एक तरह से चीट किया गया। यह प्रोसीजर 181 लोगों के साथ आपने क्यों नहीं अपनाया ? यह दोहरी नीति सरकार की ओर से क्यों अपनाई गई ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : दोहरी नीति अपनाने का प्रश्न नहीं है। दो व्यक्तियों की भूमि 1/6 हिस्से के आधार पर अवाप्त की गई, दो की पहले अवाप्त की गई है उसके बाद 5 व्यक्तियों की। 1/6 हिस्से के आधार पर भूमि अवाप्ति का प्रश्न है उसके आदेश 1979 में जनता पार्टी ने दिये हैं कि इन 5 व्यक्तियों से 1/6 के आधार पर समझौता किया जाए।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि इस बारे में जब कोई प्रोविजन ही नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया गया है ? सरकार चाहे पहले जनता पार्टी की थी उसने अगर गलत काम किया तो फिर उसके पहले की और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा ऐसे निर्णय क्यों लिये गये ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि एक्ट में दोनों ही प्रोविजन हैं राज्य सरकार परिस्थितियों के अनुसार चाहे जो निर्णय ले सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यह नहीं हो तो आप एक्ट में संशोधन करवा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वह कौनसे प्रोविजन के तहत आदेश दें। यह राज्य सरकार का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री देवेन्द्रसिंह (चनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में एक राधाकृष्ण कालोनी बनायी गई थी वहां पर प्लाट्स काटे गये, वह जमीन जनता सरकार के राज में लोगों को वन सिक्स्थ हिस्सा देकर क्यों अवाप्त की गई ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह अलग से प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

माननीय सदस्यों को मैंने प्रश्नकाल चल रहा था तब कहा था कि माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें। समय का ध्यान नहीं रखने की वजह से हर प्रश्न में ज्यादा समय समाप्त हो जाता है। इस कारण से कई महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर! कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। आर्डर, आर्डर प्लीज! प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा चिकित्सालयों को रेफरल अस्पतालों में क्रमोन्नति

253. श्री घनश्याम (बेगूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार इस वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या राजकीय चिकित्सालयों को रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को?

(2) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में बेगूं के चिकित्सालय को भी रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। आदिवासी क्षेत्र के दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। किन केन्द्रों को क्रमोन्नत करेंगे यह निर्णय लेना शेष है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है। जन सहयोग से भवन व्यवस्था करवाने पर, एवं चालू करने के लिये वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत करने का विचार है

फसल बीमा योजना

259. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार का फसल बीमा योजना लागू करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

झुंझुनूं जिले के औद्योगिक क्षेत्र

235. श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झुंझुनूं जिले में कौन-कौन से स्थान सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये हैं? क्या उनमें नवलगढ़ क्षेत्र को भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री भंवर सिंह)

(2) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किस वर्ष में दी गई तथा कार्य कब तक पूरा होना था ? अभी कार्य की क्या प्रगति है ?

(3) आज तक इस सम्बन्ध में कितने प्लाट अलाट किये गये हैं तथा कितने लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में निम्नलिखित क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये हैं:–

1. चिड़ावा
2. पिलानी
3. खेतड़ी

नवलगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना है एवं इस क्षेत्र के लिए निजी एवं सरकारी भूमि का चयन किया जा चुका है, जिसकी अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है। भूमि अवाप्त होने के उपरान्त नवलगढ़ क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जायेगा।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पंचायत समिति अलसीसर के ग्रामों का विद्युतीकरण

236. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुन्झुनूं में किन-किन ग्रामों को वर्ष 1980-81 में बिजली दे दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति अलसीसर के ग्राम सोनासर को विद्युत से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो कुओं पर कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) अभी तक स्वीकृत योजनाओं के अनुसार पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनूं के निम्न 10 गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1980-81 में प्रस्तावित है.–

1. निरादना, 2. कांट, 3. हरिपुरा 4. रामपुरा, 5. घनुरी, 6. बासड़ी, 7. लादूसर, 8. हनुमानपुरा उर्फ तिलोका का बास, 9. सोनासर, 10. कांकरेड़ा कलां इनमें से ग्राम घनुरी, बासड़ी लादूसर व सोनासर को माह जून; 1980 के अन्त तक विद्युतीकृत किया जा चुका है।

(2) जी हां। कुओं के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन देने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार की जायेगी।

नागौर जिले में सड़कों का निर्माण

238. श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूंडवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नागौर जिले में किन-किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हैं ? क्या भविष्य के लिये भी सड़क निर्माण की कोई योजनाएं विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कृपया रूपरेखा बतायें।

उत्तर

नागौर जिले की संलग्न सूची "अ" की सड़कें स्वीकृत हैं, जी हां।

Page No 22

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

छठी पंचवर्षीय योजना में संलग्न सूची 'ब" की सड़कें विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

राजकीय लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय, चौथवाड़ी

240. श्री तेजपाल (चौमू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय, चौथवाड़ी की स्थापना कब हुई? वहां वर्तमान स्टाफ एवं छात्र संख्या कितनी है? प्रवेशिका में गत वर्ष कितने छात्र थे और वर्तमान में कितने हैं?

(2) क्या विद्यालय में उपाध्याय कक्षा खोलने हेतु छात्र संख्या पर्याप्त है? क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(3) क्या सरकार चालू शैक्षिक वर्ष में उक्त विद्यालय में उपाध्याय कक्षा खोलने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) इस विद्यालय की स्थापना सन् 1944 में हुई। स्टाफ व छात्र संख्या के विवरण की वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। इस वर्ष बजट में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नागौर जिले को आवंटित सीमेन्ट

241. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आम तौर पर सीमेन्ट वितरण करने का क्या आधार है?

(2) नागौर जिले के अप्रेल, 1980 से 30 जून, 1980 तक कितनी सीमेन्ट प्राप्त हुई? किस-किस पंचायत समिति को कितना-कितना सीमेन्ट आवंटित किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति मूंडवा व नागौर को जितना सीमेन्ट आवंटित हुआ उसमें से किसानों को कृषि कार्य के लिये कितना सीमेन्ट दिया गया व अन्य कार्य के लिए कितना? किसानों के नाम मय वल्दियत व ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) प्रत्येक जिले में सीमेन्ट वितरण का आधार वहां की आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्न भिन्न है फिर भी मोटे रूप से राज्य में सीमेन्ट वितरण का आधार निम्न रूपेण है :—

(क) प्रमाणीकरण के आधार पर मरम्मत कार्य हेतु 3 से 5 कट्टे तक।

(ख) नगरपालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य हेतु नगरपालिका के द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर।

(ग) नगर विकास न्यास क्षेत्रों में वहां के अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर।

(आपूर्ति मंत्री)

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत कार्य हेतु पटवारी, ग्राम सेवक अथवा सरपंच के प्रमाणीकरण के आधार पर 5 कट्टे तक।

(ङ) कृषि कार्य हेतु प्रमाणीकरण के आधार पर प्राथमिकता से दिये जाने के निर्देश हैं।

(2) अप्रेल, 1970 से जून, 1980 तक नागौर जिले के लिए निम्नांकित मात्रा में सीमेन्ट प्राप्त हुआ है:—

1. प्रथम तिमाही, 80 976-7 टन

2. द्वितीय तिमाही, 80 70-0 टन

द्वितीय तिमाही, 80 (अप्रेल से जून, 80) में आवंटित 1250 टन सीमेंट का पंचायत समिति वार निम्न प्रकार से आवंटन किया गया:—

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	आवंटन मात्रा टनों में
1.	नागौर	370
2.	मुण्डवा	104
3.	जायल	56
4.	लाडनूं	90
5.	डीडवाना	126
6.	कुचामन सिटी	126
7.	परबतसर	98
8.	मकराना	70
9.	डेगाना	98
10.	मेडता	70
11.	रीयां	42
	योग:	1250

(3) पंचायत समिति मुण्डवा व नागौर को सीमेन्ट का आवंटन एवं प्राप्ति निम्न-रूपेण है:—

नाम पं.स.	कुल आवंटन	प्राप्त मात्रा कृषि कार्य हेतु	प्राप्त मात्रा अन्य कार्य हेतु	योग
मुण्डवा	104	30-4	16-4	46-8
नागौर	370	117-3	43-0	160-3

ग्रामवार सूची मय नाम वल्दियत सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्वामी का गांव सहकारी समिति (बाड़मेर) में गबन

242. श्री अमीन खां (शिव) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाड़मेर जिले की शिव पंचायत समिति की स्वामीका गांव सेवा सहकारी समिति में कोई गबन हुआ है? यदि हां, तो उसमें कितने खाते फर्जी पाये गये हैं और गबन किन पदाधिकारियों ने किया है?

(2) इस सहकारी समिति के गबन की जांच में जो भ्रष्ट पाये गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है?

(3) अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने के प्रयोजन से, क्या कोई आवश्यक कदम उठाये गये?

(सहकारिता मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां विभागीय जांच अनुसार 7052.52 रुपये की राशि का गबन हुआ। जांच में यह गबन श्री मूलदान, अध्यक्ष द्वारा किया गया सिद्ध हुआ।

(2) श्री मूलदान के विरुद्ध राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 जी धारा 74 के तहत मामला दिनांक 19-8-79 को दर्ज किया गया जिसके अनुसार उन्हें 7052.52 रुपये का दोषी पाया जाकर निर्णय दिनांक 30-6-80 को दिया गया व राशि की डिक्री जारी की गई। 500 रुपये का अधिभार भी निश्चित किया गया है। वसूली की कार्यवाही जारी है।

(3) श्री मूलदान के विरुद्ध विभाग ने दिनांक 6-3-80 को मामला पुलिस में दर्ज करा दिया है जिसकी पुलिस में जांच जारी है।

ग्राम पंचायत बिजरोल (सांचोर) का मुख्यालय बदलना

243. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील सांचोर की ग्राम पंचायत बिजरोल का मुख्यावास बिजरोल से पमाजा स्थानान्तरित करने की कार्यवाही लगभग डेढ़ वर्ष से चल रही है? यदि हां, तो निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं व अब कब तक इसका निर्णय ले लिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। यह मामला पुनर्सीमा निर्धारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

रानीवाड़ा (जालौर) में बस स्टेण्ड बनाना

244. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा जिला जालौर में बस स्टेशन हेतु उपयुक्त स्थल नहीं है जिस कारण बसेज के ग्राम सड़क पर खड़े होने से दुर्घटना की आशंका रहती है?

(2) ऐसी स्थिति में और गत निर्णयों के सन्दर्भ में क्या सरकार का रानीवाड़ा में शीघ्र बस स्टेशन बनाने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा में वर्तमान बस स्टेण्ड स्थल पर्याप्त नहीं है परन्तु निगम की गाड़ियां सुरक्षात्मक तरीके से खड़ी की जाती हैं।

(2) जी हां मामला राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां व जाहिरा को दिया गया गेहूं व राशि

245. श्री भरत लाल (गंगापुर): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां व ग्राम पंचायत जाहिरा को कब-कब कितना-कितना

(श्री भरत लाल)

गेहूं कब-कब कितनी-कितनी राशि नकद किन-किन कार्यों के लिए दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इन दोनों पंचायतों के सरपंचों द्वारा अधिकांश धनराशि निजी खातेदारी के तालाबों व कुओं के निर्माण कार्य पर व्यय कर दी गई है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां व ग्राम पंचायत जाहिरा को कब-कब कितनी-कितनी राशि नकद किन-किन कार्यों के लिए दी गई है की सूची संलग्न है।

(2) जिलाधीश सवाईमाधोपुर को ग्राम पंचायतों द्वारा निजी खातेदारी में तालाब व कुओं पर निर्माण की कोई जानकारी नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

चावंड के मंड से नायला सडक निर्माण

246. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :–क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चावंड के मंड से जाने वाली नायला तक की सड़क के निर्माण की क्या प्रगति है ? यह कार्य कब स्वीकृत हुआ था तथा कब प्रारम्भ हुआ ?

उत्तर

चावण्ड के मंड से नायला तक की सड़क दिनांक 22-1-78 को स्वीकृत हुई थी। यह कार्य सन् 78 में ही ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा अधूरा छोड़े जाने पर उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। अब इस कार्य को पुनः अन्य ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया है। जिसने यह काम 17-3-80 से प्रारम्भ कर दिया है इस कार्य को करीब 1 साल में पूरा करने की संभावना है।

किसी सड़क को पूरा करने की अवधि उस कार्य के लिये बजट आवंटन पर निर्भर करती है। सामान्यतया 11 कि. मी. सड़क बनाने के लिए करीब $2\frac{1}{2}$ साल लगते हैं।

रेक्टिफाइड स्प्रिट के ठेके

247. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य में नशाबंदी के बाद रेक्टिफाइड स्प्रिट के ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और किन-किन ठेकेदारों को दिये गये एवं अप्रेल, 1980 से आज तक कितना रेक्टिफाइड स्प्रिट लाइसेंसीज ने मंगाया तथा कितना बेचा ?

उत्तर

जी नहीं। एक अप्रेल, 80 से रेक्टिफाइड स्प्रिट के जारी किये गये अनुज्ञाधारियों एवं उनको आवंटित प्रारूप की तालिका संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

सांगानेर का छपाई उद्योग

248. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सांगानेर का छपाई उद्योग विश्व विख्यात है ? यदि हां, तो

(श्रीमती विद्या पाठक)
सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहन देने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहन देने के लिये निम्न कार्यवाही की जा रही है :–

(1) सांगानेर में शीघ्र ही एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत एक एशिया कारवो काम्पलेक्स का जिसके माध्यम से यहां की छपाई के वस्त्र विदेशों को निर्यात किये जाने की सुविधा सीधी ही उपलब्ध हो जायेगी।

(3) राज्य में एक हैण्डलूम प्रोसेस केन्द्र की स्थापना की जा रही है जिसमें छोटे ढंग की छपाई आदि की जानकारी इन उद्योगों को दी जा सकेगी।

(4) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सांगानेर की छपाई की इकाइयों में तैयार माल लिया जाकर क्रय किये जाने की व्यवस्था की जाती है।

(5) उक्त निगम द्वारा व्यापक स्तर पर अन्य हस्तशिल्प सामग्री के साथ सांगानेर की छपाई के संबंध में भी प्रमुख दैनिक पत्रों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से विज्ञापन दिये जाते हैं व फोल्डर आदि छपवाये जाते हैं जिससे देश के अन्य भागों में व्यापक प्रचार होता है।

ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ की जलदाय योजनाएं

249. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ हेतु बनी राजमहल जलदाय योजना में क्या प्रगति हुई है ?

(2) निम्बाज (जैतारण) से ब्यावर में सीमेन्ट कारखाने एवं ब्यावर नगर हेतु जो पेयजल योजना बनी उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा क्या उस योजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

(3) ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेयजल योजना के अन्तर्गत जवाजा पंचायत के अन्तर्गत बड़ा खेड़ा-बराखण्ड पंचायतों के लिये क्या कोई योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ नगरों को बनास नदी पर देवपुरा ग्राम के निकट बांध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1973-74 में एक वृहत् योजना तैयार की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत बांध बनाने के कार्य हेतु भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् विस्तृत डिजाइन व नक्शे इत्यादि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(2) ब्यावर नगर व ब्यावर सीमेंट कारखाने हेतु 1.95 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 30 लाख रुपये की धनराशि

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

आवंटित की गई है। इस योजना पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(3) ग्राम बड़ा खेड़ा पंचायत समिति जवाजा को विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित किया गया है। ग्राम बड़ा खण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय व सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत प्रस्तावित योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा।

गुलपाड़ा से जुरहेडा वाया अमरूका सड़क

250. श्री चाव खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गुलपाड़ा से जुरहेड़ा वाया अमरूका सड़क कब स्वीकृत हुई ? इस पर अब तक कितना धन व्यय हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इसको पूरा कर दिया जाएगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब उनको कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गुलपाड़ा से जुरहेड़ा वाया अमरूका सड़क का निर्माण प्रथम बार 1970 में स्वीकृत किया गया। यह स्वीकृति 2 साल की थी। सन् 71-72 में पुनः एम. आर. अमरूका से जुरहेड़ा के लिए 3 लाख रु. की स्वीकृति दी गई। लेकिन यह स्वीकृति 1972 में निरस्त करदी गई। तीसरी स्वीकृति उपरोक्त कार्य में सन् 1972 में 6 हजार रु. की फिर दी गई। इसके बाद कुछ अन्य स्वीकृतियां मरम्मत के मद में दी गई। जिनसे निर्माण कार्य कराया गया। अब तक इस सड़क पर 5.18 लाख रु. की राशि व्यय हो चुकी है।

(2) जी हां, शेष कार्य की स्वीकृति आने पर पूरा किया जायेगा इसकी कुल लम्बाई 30 कि. मी. है तथा अब तक 9 कि.मी. का निर्माण कार्य किया जा चुका है।

(3) इस सड़क की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के बारे में पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा रहा है जो अलग सूचित किया जा सके।

नमक उद्योग, डीडवाना

251. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या राजकीय उपक्रम विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना नमक उद्योग में करीब 3 लाख रुपये का नमक पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नमक उद्योग के मैनेजर को 8 जुलाई, 1980 को रिश्वत लेते हुए नागौर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) लवण स्रोत डीडवाना पर इससे भी अधिक नमक पड़ा हुआ है जिसे विक्रय करने हेतु आवश्यक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(2) दिनांक 9 जुलाई, 80 को मैनेजर, नमक उद्योग को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, नागौर से आरोपित रिश्वत लेने की घटना घटने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मेड़ता सिटी से पीपाड सिटी सड़क का निर्माण

252. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मेड़ता सिटी से पीपाड़ सिटी सड़क कि. मी. 19/0 से 27/0 के निर्माण कार्य के टेण्डर मुख्य अभियन्ता द्वारा माह अप्रेल, 1979 में स्वीकृत कर दिये गये थे किन्तु कार्य शुरू करने के आदेश देने के बजाय टेण्डर पुनः आमन्त्रित किए गए हैं ? यदि हां, तो बाजार भाव बढ़ जाने से इस कार्य पर सम्भावित व्यय भार बढ़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, यह सही है कि मेड़ता सिटी से पीपाड़ सिटी सड़क कि. मी. 19/0 से 27/0 के कार्य के टेण्डर मुख्य अभियन्ता द्वारा उनके आदेश संख्या एफ. 7(382) 11/79 दिनांक 7-5-79 द्वारा स्वीकृत किये गये थे न कि अप्रेल में यह सही नहीं है कि कार्य शुरू करने के आदेश देने के बजाय टेन्डर पुनः आमंत्रित किये गये। इस कार्य को आरम्भ करने हेतु श्री चिरंजीलाल न्यूनतम दर देने वाले संवेदक को इस कार्यालय की पत्र संख्या 449 दिनांक 21-5-79 को आदेश प्रदान किये गये थे। इस कार्य के लिये पुनः टेण्डर प्राप्त नहीं किये गये हैं टेण्डर पुनः प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संभावित अतिरिक्त व्यय भार का अनुमान लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुन्तवास से अमरपुरा सडक पर व्यय राशि

253. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में कुन्तवास से अमरपुरा सड़क मरम्मत पर कितना व्यय हुआ तथा मस्टर रोल के रेकार्ड के अनुसार कितने मजदूरों ने काम किया ?

(2) कार्य कब प्रारम्भ और कब बन्द हुआ ?

उत्तर

(1) कुन्तावास से अमरपुरा सड़क पर मरम्मत पर पिछले तीन वर्षों में कोई खर्चा नहीं हुआ और न ही मस्टर रोल पर कोई मजदूर लगाये गये।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

भू-जल विभाग के तकनीकी सहायक

254. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भू-जल विभाग में चले आ रहे तकनीकी सहायकों के पदों में से 15 पद कम कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)
उनमें क्या डेढ़ वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को नजर अन्दाज किया गया है?

(2) क्या सरकार आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रख प्राविधिक ज्ञान सम्पन्न इन कर्मचारियों को योग्यतानुसार कार्य देकर एब्जोर्ब करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979–80 में राज्य सरकार द्वारा गठित आर्थिक समिति की बैठक (नवम्बर, 1979) में लिये गए निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या एफ. 13 (29) कृषि/5/79 दिनांक 22-4-80 (प्रति संलग्न) के अनुसरण में भू-जल विभाग के अन्तर्गत परियोजना निदेशक तथा विभिन्न परियोजना अधिकारी के कार्यालयों को समाप्त करने के फलस्वरूप तकनीकी सहायक (भू-जल विज्ञान) के 10 पद तथा तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी) के 4 पद इस प्रकार कुल 14 पद कम किये गये हैं। उपरोक्त पदों को कम किए जाने तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 1980 में लिए गए साक्षात्कार में चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के कारण जनवरी, 1979 से अगस्त, 1979 तक की अवधि में तदर्थ रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (भू-जल विज्ञान) के पद पर कार्यरत 11 कर्मचारियों की सेवाएं मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर के आदेश संख्या 1689 दिनांक 17-7-80 प्रति संलग्न द्वारा समाप्त की गई हैं। तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी) के जो 4 पद समाप्त किये गये हैं, वे रिक्त थे। अतः इन पदों के विपरीत किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं।

(2) जी नहीं। उपरोक्त कर्मचारी तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे। संविलियन (Absorption) केवल नियमित कर्मचारियों का ही हो सकता है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

परिवहन निगम की बसों में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराना

255. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यात्रियों की सुविधा हेतु राजस्थान राज्य परिवहन निगम की हर बस में शिकायत पुस्तिका उपलब्ध होती है तथा कण्डक्टर का यह कर्तव्य है कि यात्रियों के मांगने पर पुस्तिका दे ?

(2) क्या यह सही है कि दि. 17 जून, 1980 को बस नं. आर. एस. बी. 4089 ब्यावर से अहमदाबाद जा रही थी, उसमें कुछ यात्री चण्डावल से चढ़े और जब पैसे लेने के बाद भी कण्डक्टर ने टिकिट नहीं दिये तो उन्होंने शिकायत पुस्तिका मांगी तो पुस्तिका देने के बजाय विभागीय कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ मारपीट की व अभद्र व्यवहार किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त यात्रियों ने इस घटना बाबत पुलिस केस कर दिया है ? यदि हां, तो उसमें किस-किस व्यक्ति के नामों का उल्लेख है।

Page No 30

(३०)

(श्री माधवसिंह दीवान)
कौन-कौन सी धारा के अधीन केस दर्ज हुआ तथा आज तक चालान हुआ अथवा नहीं ?

(4) तात्कालिक दण्ड स्वरूप क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, यथा निलम्बन आदि की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, शिकायत पुस्तिका के सम्बन्ध में जारी निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) चण्डावल से पाली व चण्डावल से सोजत के 5 व 2 टिकिट परिचालक द्वारा जारी किये गये हैं। परिचालक द्वारा टिकिट नहीं दिये जाने तथा शिकायत पुस्तिका मांगने पर न देने व विभागीय कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार बावत कोई शिकायत न तो निगम के सम्बन्धित आगार व न मुख्यालय को प्राप्त हुई है।

(3) जी हां। दिनांक 17-6-80 को सोजत सिटी पुलिस स्टेशन पर श्री बजरंग सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर मुकदमा नम्बर 113 दिनांक 17-6-80 अन्तर्गत धारा 147, 323, 352 आई. पी. सी. कायम कर अनुसन्धान किया जा रहा है। इस मामले में अभी चालान पेश नहीं किया जा सका है। जिन कर्मचारियों के नामों का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है वे निम्नलिखित हैं :—

1. श्री ओ. पी. माली, परिचालक ब्यावर आगार

2. श्री नाथूलाल, चालक, ब्यावर आगार

3. श्री नाथू अली, चालक, ब्यावर आगार

जी हां। मामले में जांच सम्भाग प्रबन्धक अजमेर द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक जांच के परिणाम प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(निर्देशों की सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कोटा जिले में भूमि नामान्तरकरण

256. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा जिले में कितने नामान्तरकरण ऐसे हैं जो पटवारियों द्वारा खोल दिये गये हैं किन्तु तस्दीक नहीं हुए ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे। तस्दीक में विलम्ब के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

वर्तमान में कोटा जिले में 1499 नामान्तरकरण पटवारियान द्वारा खोले गए हैं, परन्तु पंचायतों द्वारा तस्दीक नहीं हुए हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है। नामान्तरकरण तस्दीक करने में विलम्ब न हो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

इन्द्रायणी बांध के निर्माण से प्रभावित किसानों का पुनर्वास

257. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ में बन रहे इन्द्रायणी बांध के डूब में कुछ किसानों की कृषि भूमि, मकान, बाग-बगीचे तथा कुए आदि आ रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने किसान हैं जिनकी सम्पत्ति डूब में आ रही है ? उन किसानों का नाम, पता तथा सम्पत्ति का ब्यौरा तथा उस कुल सम्पत्ति की आंकी गई मुआवजे की कुल राशि सहित, विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकार डूब में आने वाले किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान कब तक कर देगी तथा इन किसानों को पुनर्वास के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) कुल 36 किसान हैं जिनका पता व डूब में आने वाली सम्पत्ति का पूर्ण विवरण संलग्न है। मुआवजे हेतु आवश्यक कागजात भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेजे जा चुके हैं। उनके द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन किये जाने पर ही वास्तविक राशि निर्धारित हो सकेगी।

(3) मुआवजे की राशि का भुगतान भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारण होते ही वर्तमान वर्ष में ही किये जाने की योजना है। किसानों को राजकीय भूमि में पुनर्वासित करने की कार्यवाही जिलाधीश, कोटा एवं बून्दी के माध्यम से सम्पादित की जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम वरना में चूने के पत्थर के लीज पर दिये गये प्लाट्स

258. श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम वरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में चूने के पत्थर के कितने प्लाट्स किस-किस को लीज पर दिये हुए हैं ?

(2) जिन प्लाट्स को लीज पर दिया गया है उनके खसरा नम्बर क्या है तथा कितनी बीघा जमीन है ?

(3) क्या यह सही है कि लीज पर दी गई भूमि गोचर है ? गोचर भूमि होते हुए भी यह भूमि किस कानून के अन्तर्गत लीज पर दी गई ?

उत्तर

(1) ग्राम-वरना तहसील-बिलाड़ा जिला-जोधपुर में चूने के पत्थर का एक खननपट्टा श्रीमोहनलाल मोदी पुत्र श्री जयदेव मोदी निवासी–सोजत रोड के पक्ष में दिनांक 3-1-68 से प्रभावशील है।

(2) उपरोक्त पट्टाधारी के पास वर्तमान में 15 वर्ग किलोमीटर (9260 बीघा के लगभग) क्षेत्र कब्जे में है। उक्त

(खनिज मंत्री)
क्षेत्र पट्टा धारी को क्षेत्र के भुजाओं की लम्बाई व उनकी बियरिंग आधार पर सर्वेक्षण कर स्वीकृत किया गया है और स्वीकृत किये गये क्षेत्रों में खसरा नम्बरों का उल्लेख नहीं है। उक्त क्षेत्र सर्वे आफ इण्डिया द्वारा प्रसारित जी. टी. विट्स नम्बर 45।एफ।एलई को आधार मानकर सीमांकन करके दिया गया है और जी. टी. बिट्स का खसरा नक्शे में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है।

(3) यह सही है कि स्वीकृत क्षेत्र में गोचर भूमि भी आती है। इतने बड़े क्षेत्रों में गोचर भूमि के साथ साथ खातेदारी जमीन, आबादी जमीन, रेलवे स्टेशन, सडकें इत्यादि का पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमों में इस बात का प्रावधान है कि पट्टाधारी विभिन्न शर्तों की पालना करते हुए व जिलाधीश से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही केवल ऐसे स्थानों में ही कार्य करने को सक्षम हैं जहां पर खनन कार्य करने में कोई कानूनी एतराज नहीं हो। इस प्रकार उक्त पट्टाधारी को गोचर भूमि में खनन देकर नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

चित्तौडगढ जिले के ग्रामों को पेयजल सुविधा

259. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के कितने नगरों एवं ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सुविधा किन किन वर्षों में कहां कहां दी गयी ?

(3) शेष गांवों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के सभी 6 नगरों एवं करीब 148 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है, तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट 'ख' के अनुसार संलग्न है।

(3) बाकी बचे हुए ग्रामों में से 83 ग्रामों में विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जिनका कार्य प्रगति पर है। सूची परिशिष्ट 'ग' के अनुसार संलग्न है। शेष गांवों को अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत 1981 से 1990 के मध्य पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जयपुर जिले में काम के बदले अनाज योजना के तहत सम्पन्न कार्य

260. श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) काम के बदले अनाज योजना में जयपुर जिले में कुल कितने कार्य हुए हैं ? तहसील अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) उक्त कार्यों में कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के प्रारम्भ होने से अब तक इस जिले में कुल 7,925 कार्य पूर्ण हुए हैं जिनकी पंचायत समिति ग्रामवार कार्यों की सूची संलग्न है।

(2) इन कार्यों पर काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 1,17,81,619 मानव दिवस के बराबर लोगों को रोजगार मिला है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

261. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रटलाई पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल को शिकायतों के आधार पर सरकार द्वारा दि. 21-11-79 को निलम्बित कर दि. 24-11-79 को तहसीलदार द्वारा उप सरपंच को चार्ज दिला दिया ?

(2) क्या यह भी सही है कि चार्ज दिलाने के बाद तहसीलदार झालरापाटन ने एक पत्र दि. 15-12-79 को जिलाधीश को लिखा जिसमें कुल चार्ज देकर उक्त सूचना उच्च विभाग को दे दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि दि. 19-4-80 को जिलाधीश झालावाड़ ने एक आदेश तहसीलदार झालरापाटन को दिया जिसमें लिखा कि अगर उप सरपंच को चार्ज नहीं दिया गया हो, तो सरपंच ही कार्य बदस्तूर करते रहेंगे ?

(4) यदि हां, तो दि. 24-11-79 को चार्ज दे दिये जाने के बाद भी उच्च विभाग द्वारा ऐसे आदेश किस आधार पर दिये गये ?

(5) क्या यह सही है कि दुबारा जो स्टे हाई कोर्ट द्वारा दि. 21-2-80 को दिया गया वह केवल प्लाट्स के लिये ही था न कि चार्ज दिलाने के लिए क्योंकि हाईकोर्ट से चार्ज होने बाबत प्रथम स्टे जो आया उसका मुकदमा नं. 1,155 था यही स्टे सही था ?

(6) क्या यह सही है कि श्री रामनारायण पालीवाल अब भी सरपंच का कार्य अवैध रूप से कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। यह मामला सन् 1972 का नहीं होकर सन् 1979 का है। श्री रामनारायण पालीवाल के विरुद्ध जिलाधीश झालावाड़ ने 2 शिकायतों की जांच रिपोर्ट 9-10-79 को भेजी थी जिनके आधार पर सरपंच से दि. 21-11-79 को आरोपों का स्पष्टीकरण मांगा गया था एवं आदेश क्रमांक एफ. 3 (बीकेयू) पवि/जांच/झालावाड़/79/4360 दि. 21-11-79 के द्वारा उनको निलम्बित किया गया तथा जिलाधीश झालावाड़ ने उप सरपंच को चार्ज दिलाने के निर्देश दिये थे। (आदेश की प्रति संलग्न है) इस आदेश की अनुपालना में जिलाधीश, झालावाड़ ने तहसीलदार झाल-

Page No 34

(34)

(पंचायत मंत्री)
रापाटन को दि. 24-11-79 को निर्देश दिये कि राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा (15)(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को चार्ज दिलाया जावे। यदि सरपंच कार्यभार नहीं सौंपे तो पुलिस की इमदाद से चार्ज दिलाया जावे (प्रति संलग्न है) इस आदेश की अनुपालना में श्री बालचन्द उप सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई ने आंशिक चार्ज दि. 24-11-79 को संभालने बाबत रिपोर्ट जिलाधीश झालावाड़ को प्रस्तुत की जिसकी प्रति इस विभाग को दी गई (प्रति संलग्न है)।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के निलम्बन आदेशों के अनुरूप ग्राम पंचायत रटलाई का चार्ज उप सरपंच को दिलाया जाना आवश्यक था। अतः तहसीलदार झालरापाटन ने अपने पत्र संख्या 1840/रीडर/दिनांक 30-11-79 को जिलाधीश झालावाड़ को यह रिपोर्ट भेजी कि दिनांक 24-11-79 को आंशिक चार्ज दिलवाया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट 15-12-72 की न होकर 15-12-79 के अनुसार दि. 24-11-79 को चार्ज दिलाये जाने को लिखा है।

(3) श्री रामनारायण पालीवाल सरपंच रटलाई ने दिनांक 25-3-80 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से दिनांक 4-12-79 को स्टे प्राप्त कर लिया है कार्य वे स्वंय कर रहे हैं चार्ज उन्होंने उप सरपंच को नहीं दिया फिर भी उप सरपंच कार्य कर रहा है चार्ज उन्हें दिलाया जावे। इस पर उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पंचायत का कार्य श्री रामनारायण पालीवाल द्वारा नियमानुसार सम्पादित कराने के लिये जिलाधीश झालावाड़ को लिखा गया एवं यदि अनाधिकृत रूप से उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए उप सरपंच कार्य कर रहा है तो उसे रोका जाने को लिखा गया। इस पर जिलाधीश झालावाड़ ने 19–4–80 को तहसीलदार को आदेश दिया कि उप सरपंच के पास जो चार्ज है वह भी रामनारायण पालीवाल को तत्काल दिलवादें।

(4) जी हां। दिनांक 24–11–72 के स्थान पर दिनांक 24–11–79 को सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई के पद का चार्ज उप सरपंच को आंशिक रूप से दिलवा दिया गया था। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-12-79 के अनुसार ही जिलाधीश महोदय ने अपने स्तर पर सरपंच को वापिस चार्ज दिलवाया था।

(5) जी हां। यह सही है कि दिनांक 21–2–80 का स्टे प्लाटों के विषय में था परन्तु उच्च न्यायालय के स्टे दिनांक 4–12–79 के अनुसार यह कार्यवाही अपेक्षित थी।

(6) जी नहीं, यह सही नहीं है कि श्री राम नारायण पालीवाल अब भी सरपंच का कार्य अवैध रूप से कर रहे हैं। श्री पालीवाल उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर दिनांक 4–12–79 के अनुसार सरपंच पद का कार्य कर रहे हैं।

(आदेशों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

Page No 35

35

जिला पाली की पंचायत चुनावों के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमे

262. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली जिले के किन-किन मुन्सिफ कार्यालयों में पंचायतों के गत चुनावों के विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं? कितने मामलों का फैसला हो चुका है?

उत्तर

पाली जिले के म्युनिसिपल कार्यालयों में पंचायत के गत चुनावों के मुकदमों की स्थिति इस प्रकार है :--

	पाली	बाली	सोजत	जैतारण	देसूरी
कुल मुकदमे	7	10	11	24	,,
निर्णीत	4	7	8	10	,,
शेष विचाराधीन	3	3	3	14	,,

चित्तौड़गढ़ जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

263. श्री घनश्याम (बेंगू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल चिकित्सालय एवं राजकीय चिकित्सालय हैं?

(2) किन-किन स्थानों पर चिकित्सकों के पद कब से रिक्त हैं? अभी तक इन पदों को क्यों नहीं भरे गये हैं और अब कब तक इन पदों को भरने की सम्भावना है?

(3) चित्तौड़गढ़ रेफरल अस्पताल में पैथोलाजी एवं एनेस्थेसिया में कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद कब से सृजित हैं एवं अभी तक नहीं भरने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें एक रेफरल अस्पताल शामिल है। 33 डिसपेन्सरी और एक मिनी हैल्थ सेन्टर है।

(2) सूची संलग्न है।

योग्य अभ्यर्थियों के चयन होने पर रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा।

(3) चित्तौड़गढ़ रेफरल अस्पताल में केवल कनिष्ठ विशेषज्ञ एनेस्थेसिया का पद मई, 1979 से सृजित है। पैथोलोजिस्ट का कोई पद सृजित नहीं है। कनिष्ठ विशेषज्ञ एनेस्थेसिया का पद एनेस्थेसिया में योग्य डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

टोंक कृषि उपज मंडी का निर्माण कार्य

264. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक शहर में कृषि उपज मण्डी निर्माणाधीन है? यदि हां, तो इसके टेन्डर कब हुए तथा उसकी क्या-क्या शर्तें हैं? कृपया टेन्डर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी में पांच कार्यों के टेण्डर निम्न प्रकार किये गये:—

(1)	कार्यालय भवन	दि. 15-11-78
(2)	दुकान मय गोदाम	दि. 15-11-78
(3)	चार दीवारी	दि. 15-11-78
(4)	आन्तरिक सड़कें	दि. 15-11-78
(5)	नीलामी चबूतरा	दि. 8-5-80

टेण्डर की शर्तें राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संविदा के अनुसार हैं। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त कार्य वित्तीय वर्ष 1980-81 में पूर्ण हो जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जवाई बांध से सिंचित क्षेत्र

265. श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जवाई बांध के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र (कमान्ड एरिया) कितना है? जवाई बान्ध नहर की कितनी उप शाखाएं (माइनर्स) हैं जिनसे कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई होती है? कृपया नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जवाई बांध मुख्य नहर तथा उससे सम्बन्धित माइनर्स (खालिये) के रख-रखाव पर सन् 1972 से 1979 तक वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गयी? सम्पूर्ण ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोलीवाड़ा, बलतणी, अणगोर तथा सुमेरपुर आदि गांवों के किसानों के खेत नहर के खालियों (माइनर्स) से ऊंचे होने के कारण जवाई बान्ध का पानी खेतों में नहीं पहुंचता और खालिये कच्चे होने के कारण पानी बेकार जाता है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का किस प्रकार निराकरण करना चाहती है?

उत्तर

(1) जवाई बांध का कुल कास्तयोग्य कमाण्ड क्षेत्र (कल्चरेबल कमाण्डेड एरिया) 102317 एकड़ है तथा सिंचाई योग्य कमाण्ड क्षेत्र (इरिगेबल कमाण्डेड एरिया) 43500 एकड़ है। जवाई बांध की कुल 16 उपशाखायें (माइनर्स) हैं, जिनके द्वारा जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई होती है। उप शाखाओं (माईनर्स) की सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में अंकित है।

(2) जवाई बांध मुख्य नहर डिस्ट्रीब्यूटरीज व उससे सम्बन्धित माइनर्स के रख रखाव पर सन् 1972 से 1979 तक वर्षवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा सूची संलग्न प्रपत्र "ब" में अंकित है।

(3) जी नहीं। खालिये कच्चे होने के कारण पानी की कुछ मात्रा रिसाव होती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

Page No 37

(37)

पंचायत समिति जैतारण का बकाया ऋण

112. श्री शिवदान सिंह (जैतारण): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैतारण पंचायत समिति, जिला पाली में 31 मार्च, 1980 तक रुपये 5,000/- से ऊपर तक किस-किस व्यक्ति की वसूली बाकी थी ? कृपया निम्न प्रकार सूची पेश करें:—

(1) नाम (2) पिता का नाम (3) पता (4) राशि लेने की तारीख (5) जमा कराई राशि व तारीख (6) बकाया रकम (7) सरकार द्वारा वसूली करने बाबत की गई कार्यवाही (8) कितने छोटे व सीमांत काश्तकार इस सूची में हैं ?

उत्तर

पंचायत समिति, जैतारण (जिला पाली) में 31 मार्च, 1980 तक 5,000/- रुपये से ऊपर राशि 79 काश्तकारों में कुल मिलाकर 6,33,055/- रुपये बकाया है । ऋणवाइज सूची मय पूर्ण विवरण के साथ संलग्न है । जहां तक इन ऋणियों से बकाया राशि की वसूली का प्रश्न है इस सम्बन्ध में लेख है कि इन काश्तकारों (ऋणियों) से वसूली हेतु मामले राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 256 व 257 के अन्तर्गत जिलाधीश, पाली को भेजे गये हैं । जिलाधीश पाली रिपोर्ट के अनुसार तहसील जैतारण द्वारा वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

पंचायत समिति बकानी (झालावाड़) में काम के बदले अनाज योजना में हुए कार्य

113. श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, बकानी जिला झालावाड़ की ग्राम पंचायत रटलाई तथा पंचायत देवनगर में सन् 1977, 78, 79 में अनाज के बदले कितने-कितने रुपयों का कार्य हुआ ? हर वर्ष की अलग-अलग सूची देने का कष्ट करें ।

(2) उपरोक्त ग्राम पंचायतों में कहां-कहां क्या-क्या कार्य अनाज के बदले हुए ?

(3) क्या इन ग्राम पंचायतों के कार्यों के पूर्ण होने पर प्रमाण-पत्र पेश किये जा चुके हैं ? यदि प्रमाण-पत्र दिये गये तो किस के द्वारा और किन-किन कार्यों के प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ की पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत रटलाई एवम् देवनगर में वर्ष 1977-78 में अनाज के बदले कोई कार्य नहीं हुए हैं । 1978-79 में अनाज के बदले हुए कार्यों की सूची मय मूल्य के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अनाज के बदले हुए कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) ग्राम पंचायत रटलाई के 5,000) रु. से कम लागत के 7 कार्य के प्रमाण-पत्र सरपंच द्वारा दिये गये, 5 कार्य अधूरे होने से प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये

Page No 38

(38)

(सहायता मंत्री)

गये । ग्राम पंचायत देवनगर के 5,000) रु. से कम राशि के 4 कार्यो के प्रमाण-पत्र सरपंच द्वारा दिये गये, 6 कार्यो के प्रमाण-पत्र शेष हैं, जिनमें 3 कार्य गत माह पूर्ण हुए जिनके प्रमाण पत्र कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा जारी करना शेष है तथा 3 कार्य अपूर्ण होने से प्रमाण पत्र नहीं दिये गये । विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगित तारांकित प्रश्न का उत्तर

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इनफार्मेशन । एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, आज मेरा 285 नम्बर का प्रश्न है । मुझे इत्तिला मिली है कि राज्य सरकार ने पोस्टपोनमेंट मांगा है उसके बारे में मैं गुजारिश करूंगी कि इसी सैशन में उत्तर दिलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें इस पर विचार कर लिया जायेगा । आप मुझ से मेरे चैम्बर में आकर मिलें ।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर के साथ दी गई अस्पष्ट सूची

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो मेरे प्रश्न की सूची दी गयी है वह ऐसी दी गयी है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं सकता । आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । अगर आपको कोई शिकायत है तो आप आकर मुझ से चैम्बर में मिलें । इसकी उचित व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राधेश्याम : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा रही है । कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या क्या है कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता है । आप देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । कृपया शान्त रहें ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम ऐसी प्रति तो दी जानी चाहिये जिसका अवलोकन तो किया जा सके । यह क्या बात है कि कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझसे आकर मिल लें । मैं आपको बाद में बाकायदा साफ टाइप सुदा कापी की उचित व्यवस्था करा

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा। आपको अच्छी कापी दिखा दूंगा। अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

अध्यक्ष के सदन-सम्बोधन के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण करने का कह रहे हैं और मन्त्री महोदय गैलेरी में घूम रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब आसन पैरों पर हो तो कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जावें और शांत रहें। कई बार आसन पैरों पर होता है और माननीय सदस्य घूमते रहते हैं, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज !

आप वहां आपस में क्या बात कर रहे हैं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, आॅन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा रही है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आॅन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन।

अध्यक्ष महोदय, जब आसन पैरों पर हो उसके पहले कोई माननीय सदस्य गैलेरी में खड़ा हो तो वह क्या करे जबकि वह प्रोसेस में हो तब क्या करे। बड़ा कनफ्यूजन हो जायेगा, साहब क्योंकि वह प्रोसेस में है if he is in a process what has he to do ?

श्री अध्यक्ष : वह सदस्य जाकर अपनी सीट पर बैठ जावें। आप आकर मुझसे मिलें मैं आपको समझा दूंगा। वह सदस्य ग्रहण कर सकता है।

अब कृपया शान्त रहें।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) सर्व श्री जीतमल जैन व ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य विधान-सभा की ओर से अलवर स्थित भारत एलक्स एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री द्वारा विषैली गैस छोड़ने के कारण फसलें नष्ट होने के विषय में।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के जंगलों में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा अमानवीय तरीकों से बन्दरों पर अनुसंधान किये जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

(3) सर्व श्री बंशीलाल पटवा व गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स के फोल्टिंग खाते के श्रमिकों द्वारा गत तीन माह से की जा रही हड़ताल के विषय में।

4. श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा शहर में व्याप्त गुण्डागर्दी से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

5. श्री समर्थलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 7 जून को पुलिस थाना माणक चौक के प्रभुसिंह नामक एक कान्सटेबल के अपहरण के विषय में।

6. सर्वश्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द आर्यवीर, सदस्य विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक झालावाड़ में किसानों से वसूल की गई तीन लाख रुपयों की राशि के गबन के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र की कुछ कृषि योग्य भूमि में सीपेज का पानी भर जाने के विषय में।

8. सर्व श्री रतनलाल ताम्बी व मोहनलाल मोदी, सदस्य विधान सभा की ओर से जहाजपुर नगर के कालू नामक एक युवक की पुलिस द्वारा थाने में की गई पिटाई के विषय में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में वर्षा हो जाने के कारण अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं करने के विषय में।

अकाल की स्थिति पर सदन में एक मांग शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली है। उस समय माननीय सदस्य इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर मैटल फैक्ट्री में हड़ताल के विषय में।

आज सरकार की ओर से इस विषय पर एक वक्तव्य दिया जावेगा, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1)	श्री बालचन्द्र आर्यवीर श्री हंसराज शर्मा श्री अनंग कुमार जैन	झालावाड़ एवं कोटा जिले में वसूलियां एवं कुर्की के विषय में।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वसूलियां केवल सिंचित क्षेत्रों में अथवा ऐसी भूमि, जो बारानी, तलाबी अथवा सैलाबी दर्ज नहीं हैं, में की जा रही हैं।

Page No 41

(५१)

(श्री अध्यक्ष) :

(2) श्री भगवानदास शास्त्री, श्री कैलाश मेघवाल — अजमेर नगर में नगर परिषद् द्वारा चबूतरे तोड़ने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर नगर परिषद् द्वारा कोई अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है और केवल एक अनधिकृत रूप से रखे हुए तख्ते को हटाया गया है।

(3) सैयद मोहम्मद अयाज महाराज — आमेर स्थित संग्रहालय में चीजें गायब करने व टिकटों में अनियमिततायें।

प्राप्त तथ्यों के अध्ययन से प्रकट होता है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है, अतः मैं इस प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री नाथूसिंह — हरिथाणा-उजीना ड्रेनेज में पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इस विषय पर सदन में सरकार द्वारा कल दिनांक 2-8-80 को एक वक्तव्य दिया जावेगा, अतः मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जैसा कि मैंने पूर्व में कह दिया था, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है अथवा जिनमें राज्य-सरकार की ओर से शासन ने आदेश दिये हैं कि वक्तव्य दिया जाये उनके अलावा जो स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत किये हैं उन पर माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखते हुए अन्दाजन तीन-तीन मिनट में अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

तारांकित प्रश्नों के उत्तर के साथ अस्पष्ट सूची

तारांकित प्रश्नों का विभागान्तरण

भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नों के गलत उत्तर।

श्रीमती विद्या पाठक : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न काल के बाद ही जब हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहते थे, कुछ आपके ध्यान में लाना चाहते थे, कुछ सदन के ध्यान में लाना चाहते थे उस वक्त आप अपनी व्यवस्था दे रहे थे इसलिए हम लोगों ने बीच में व्यवधान नहीं डाला। कुछ प्रश्न ऐसे मूलभूत हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनको हम सदन के ध्यान में लाना चाहेंगे और आपके भी ध्यान में लाना चाहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, जो सूची सदन की मेज पर रखी उसकी प्रति ऐसी मिली जो पढ़ी नहीं जा सकती। प्रश्न हम बड़ी मुश्किल से लोगों से लेते हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम उनकी शिकायतें प्रश्न-रूप

Page No 42

(-42)

(श्रीमती विद्या पाठक)

में भेजते हैं। उसके उत्तर में हमें इल्लेजिबल कापी मिले तो वह उचित नहीं है। कापी ऐसी मिलनी चाहिये जो अच्छी तरह से पढ़ी जा सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहती थी कि जनता पार्टी के समय में भी कई बार माननीय सदस्य इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते थे जो कि दूसरे मंत्रियों से सम्बन्धित होते थे। आखिर एक ही सरकार है, हम आपस में ट्रान्सफर करके उसका जवाब देने की कोशिश करते थे या स्थगित करवाते थे। लेकिन अब यह कहने की प्रेक्टिस हो गयी है कि यह हमसे सम्बन्धित प्रश्न नहीं है इसलिए फिर से पूछिये या दूसरे से पूछिये।

तीसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के केसेज दो चार जो हमारे पास आते हैं, जब भी हम मंत्री महोदय के ध्यान में लाते हैं तो उनकी आफिशियल्स इनफार्मेशन जो दी जाती है वह डिफेक्टिव व गलत होती है। हम तो केवल उनके नोटिस में लाना चाहते हैं चाहे तो पत्रावलि मंगवा कर देख लें। अगर सचमुच आपको लगता है कि इर्रेगुलेरिटी है तो हमको भी बुलवाकर बात कर लें। अगर इर्रेगुलेरिटी है तो उस पर एक्शन होना ही चाहिए वरना आफिसर क्लास है और ब्यूरोक्रेसी है इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हमारी मानहानि होती है। इससे हमारे यहां आने की क्या इम्पोर्टेन्स रहेगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीन बातें आपके ध्यान में और सदन के ध्यान में मैं लाना चाहती थी, वह मैंने रख दी हैं।

लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अनुसार राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लोक सभा के नियमों में नियम 377 है वैसा यहां कोई नियम नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, एक सज्जन आज रिटायर होने वाले हैं और उनकी सारी तरक्कियां रोकी गयी हैं। उसके कारण से उनको पैंशन में घाटा होगा। उनको भूख हड़ताल पर बाहर बैठना पड़ा है। अब इस सवाल को कैसे और हम किस समय सदन के सामने लायें, इसका कोई प्रावधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 377 की मुझे जानकारी नहीं है। देखूंगा तो पता लगेगा।

श्री राजबहादुर : लोक सभा का है यह नियम।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या ने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये। एक तो यह कि कापी जो मिलती है वह बहुत गन्दी होती है और पढ़ी नहीं जाती है। यह शिकायत काफी हद तक सही है। मैंने बार बार निवेदन किया कि कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को या जिस माननीय सदस्य को कापी दी जाये वह ऐसी हो कि पढ़ सके। मैं समझता हूं कि आइन्दा ऐसी शिकायत नहीं आये, ऐसी व्यवस्था करेंगे।

दूसरा प्रश्न मंत्रियों द्वारा यहां पर बाद में उत्तर आने से है। जिस वक्त प्रश्न आये उस वक्त यह कहना कि प्रश्न का हमारे विभाग से सम्बन्ध नहीं है, मैं समझता हूं उचित

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है। यदि किन्हीं मंत्री के विभाग से सम्बन्धित नहीं है तो उनको पूर्व में यह सूचना भेज देनी चाहिए ताकि उस प्रश्न को पुकारा ही नहीं जाये।

तीसरा इर्रेगुलेरिटी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया। वह आम जनरल बात है, और सभी के समझने की बात है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री राजबहादुर : 377 लोकसभा के रूल को देख लें।

श्री अध्यक्ष : मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। मैं उस पर व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं। यदि इस तरह के किसी नियम की अपने यहां आवश्यकता है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। उस पर राय लेकर माननीय सदस्य से बात कर लेंगे। मुझे बताया गया है कि कोई इस तरह का रूल है, तो दोनों रूल्स को देख लेंगे। माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। आवश्यकता हुई तो अपने नियमों में संशोधन करके उस तरह का प्रावधान रखा भी जा सकता है।

अब माननीय सदस्य....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सूचना मैंने आपके सचिवालय को दे दी है। जैसा आपने निर्देश दिया, अभी मैंने सूचना नहीं दी है बल्कि पूर्व में ही सूचना दे चुका हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह अलवर स्थित भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स फैक्ट्री द्वारा विषैली गैस छोड़ने के कारण फसलें नष्ट होने के सम्बन्ध में है। आपने राज्य सरकार से जानकारी चाही है। मैं समझता हूं कि जानकारी देने की इस प्रकार की परम्परा रही है कि दस दस दिन बाद सरकार की ओर से जानकारी आती है...

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है इसलिए मैं उस पर चर्चा अलाऊ नहीं करूंगा। यदि समय पर नहीं आती है तो आपको अवसर दूंगा।

श्री जीतमल जैन : मेरा निवेदन तो सुन लें। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सारी फसल बरबाद हो रही है...

श्री अध्यक्ष : महत्व को देखते हुए ही सरकार से जानकारी चाही है। समय पर नहीं आती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी यह विषय सदन में उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से 24 घंटे पहले निवेदन कर चुका हूं। 24 घंटे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप मुझे अवसर दें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाई माधोपुर के जंगलों में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

जिन माननीय सदस्यों के अस्वीकृत हुए हैं वही बोलेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज,

Page No 44

(४४)

(श्री अध्यक्ष)

जानकारी के लिए भेजा है।

श्री बंसीलाल पटवा व गुलाबचन्द कटारिया, भीलवाड़ा में स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के संबंध में।

श्री शीतमल जैन : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि फसल बरबाद हो रही है। आपने व्यवस्था दी आपने जानकारी के लिए भेजा है। मैं फसल साथ लाया हूं वह यहां रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिए भेजा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : और अमरीकी वैज्ञानिक राजस्थान की धरती पर आये तो किसी प्रकार का उत्पात हो सकता है। सवाई माधोपुर में...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अंकित नहीं हो कुछ भी।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री बंसीलाल पटवा।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में आपको अवसर दे दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सूखे से ग्रसित क्षेत्र में किसानों को बीज वितरण न करने के बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उस पर कार्यवाही हो रही है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : इतना तो आश्वासन दे दिया जाये कि उसमें सरकार क्या सोच रही है?

श्री अध्यक्ष : उस पर जानकारी चाही है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। यह उपयुक्त स्थान नहीं है।

आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव रखने का कोई महत्व नहीं अगर 10 दिन में जवाब नहीं आये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री बंसी लाल पटवा।

केवल 3, 3 मिनट ही अधिक से अधिक समय दूंगा।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में पिछले तीन महीने से फोल्डिंग खाते के श्रमिकों की हड़ताल चल रही है। उनकी अपनी अपनी कुछ मांगें हैं। फोल्डिंग खाते में लगभग 70, 72 श्रमिक काम कर रहे हैं। मिल ने एक ऐसी व्यवस्था की जिसके अन्तर्गत श्रमिकों की कटौती करके उन को दूसरा काम देने का प्रस्ताव रखा गया जहां तक श्रमिकों को दूसरा काम देने का प्रस्ताव है

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया

(श्री बंशीलाल पटवा)

इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता लेकिन जो श्रमिक फोल्डिंग खाते में काम करते हैं उन श्रमिकों को उनके कैडर के अनुसार काम न दिया जाकर झाडू लगाने या दूसरी सफाई करने, इस तरह का काम दिया जाये तो मैं सोचता हूं यह श्रमिकों के साथ न्याय नहीं है, एक प्रकार से अन्याय है। पिछले तीन महीनों से श्रमिकों ने इस विवाद को लेकर मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के फोल्डिंग खाते में हड़ताल कर रखी है। आप सोचिये किसी एल. डी. सी. को, यू. डी. सी. को महीने के अन्त में या एक तारीख को तनख्वाह नहीं मिले तो उसके घर का क्या हाल होगा ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री बंशीलाल पटवा : ऐसी स्थिति में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के फोल्डिंग खाते के श्रमिकों ने तीन माह से हड़ताल कर रखी है। उस संस्थान के मालिक श्रमिकों को काम पर नहीं लगा रहे हैं और इस तरह की स्थिति बन चुकी है जिसके कारण श्रमिक परेशान हैं। तीन महीने से उनको वेतन नहीं मिल रहा है....

एक माननीय सदस्य : पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय सदस्य आफिसर्स गैलेरी से जिस तरह बात कर रहे हैं क्या यह उचित है ?

श्री बंशीलाल पटवा : बन्द कराओ,

श्री अध्यक्ष : किस गैलेरी में बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य ?

एक माननीय सदस्य : यह बात आज भी चार बार हो चुकी है। मंत्री उठ कर जाते हैं। उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पटवा, शीघ्र समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : तीन माह से श्रमिकों को वेतन नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है। वे आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। उनके घरों में लोग भूखे हैं। मेरा यह निवेदन है कि किसी भी यूनियन की ओर से हड़ताल हो इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहता हुआ सरकार से अनुनय विनय करना चाहता हूं कि इसको ट्रिब्यूनल को रेफर करने के बजाय एम.टी.एम. के संस्थान के मालिकों और मजदूरों के बीच कोई कड़ी जोड़ कर उनके बीच आंशिक समझौता कराकर श्रमिकों को राहत दी जाये अन्यथा मैं सोचता हूं बीच में ऐसी भी स्थिति आई कि सारी मिल हड़ताल पर चली गयी। मिल का सारा चक्का जाम हो गया। यदि इस तरह की स्थिति बनी रही, 70-72 मजदूरों का सवाल नहीं है! सारे मजदूर हड़ताल पर चले गये तो सारे शहर की शांति भंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार से मेरा अनुनय विनय है कि आपस में समझौता का मार्ग खोलकर उन श्रमिकों को राहत दी जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रश्न को दृष्टि में न रखा जाये कि श्रमिकों का किस यूनियन से सम्बन्ध है,

(श्री बंशीलाल पटवा)
बल्कि उनको राहत देने की सरकार चेष्टा करे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, कोटा–बारां शटल रात को 9 बजे कोटा से शुरू होती है। पिछले दो महीने में गुण्डों का एक गैंग ऐसा सक्रिय हुआ है जिससे सारे यात्री परेशान हैं। दीगोद स्टेशन पर गुण्डों का अड्डा है। हर डिब्बे में दो तीन लोग चढ़ जाते हैं। संभव हुआ तो चुपचाप चोरी करते हैं और कोई देख लेता है तो उसके साथ हाथा पाई करते हैं। एक महीने से शटल में महिलाओं ने यात्रा करना बन्द कर दिया है। आज स्थिति यह है कि पुरुष भी यात्रा करने में अपने आपको सुरक्षित नहीं समझते। कई दुर्घटनायें हुई, चोरियां हुई। लोगों को मारा पीटा। यदि किसी ने पुलिस में शिकायत की ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि किसी ने पुलिस में जाकर शिकायत की तो उनको घरों में जाकर पीटा गया। उनको धमकियां दी गई। आज ऐसा लगता है कि उस शटल में अराजकता हो गई है। पुलिस निष्क्रिय हो गई है। रिपोर्ट कराने के बावजूद गुण्डों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्थिति बन गई है कि वह शटल बन्द न हो जाय। यात्रियों का यात्रा करना असंभव हो गया है। यह बात खुले रूप से पुलिस और प्रशासन की जानकारी में है। यह गुण्डे दीगोद में रहते है। दीगोद स्टेशन पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक डिब्बे में प्रति दिन चोरियां हो रही हैं। रिपोर्ट लिखाने के लिये लोग साहस नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुलिस उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसी एक ने हिम्मत की तो उसका नतीजा यह हुआ कि उस आदमी को पीटा गया। उसको धमकी दी गई, उसकी पत्नी को धमकाया गया। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। वह शटल सभी प्रकार से असुरक्षित हो गई है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कोटा बारां शटल, जो रात साढ़े नौ बजे कोटा से चलती है, में उन गुण्डों का पता लगाया जाये, जो दीगोद स्टेशन पर रहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। शटल के हर डिब्बे में कुछ दिनों के लिये पुलिस की भी व्यवस्था की जाये जिससे यात्रियों की इन गुण्डों से सुरक्षा हो सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्षमा देवी बेवा किशनसिंह निवासी ग्राम डिलेवा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के पुत्र श्री प्रभुसिंह, जो कि पुलिस थाना मानकचौक, जयपुर में कांस्टेबल था, का दिनांक 7–6–80 को पुलिस की ड्यूटी के समय अपहरण हो गया। उसका अपहरण हुए, अध्यक्ष महोदय, करीब दो महीने हो गये किन्तु अभी तक इस पुलिस कांस्टेबल का पता नहीं लग पाया है। यह अपहरण

(श्री समर्थलाल)

किस तरह से हुआ, कहां पर हुआ ? उसकी जो मां है, वह बेवा है । अध्यक्ष महोदय, उस बेवा का वही एक मात्र पुत्र था । उसी के भरोसे से वह अपना जीवन गुजार रही थी। जब यह बेवा हुई थी तब उसका बेटा केवल तीन वर्ष का था । बेटे के भरोसे से वह अपने जीवन को चलाती आ रही है । अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस का कान्स्टेबल राजस्थान की राजधानी, जयपुर में माणक चौक थाना में था । ऐसी जगह पुलिस के कर्मचारी का अपहरण होना बहुत बुरी घटना है ! जब पुलिस के कर्मचारी का अपहरण होने लगेगा तो यह सम्भावना और भी बढ़ सकती है कि किसी दिन पुलिस के आई.जी. का भी अपहरण हो जाये और किसी दिन राज्यपाल महोदय का भी अपहरण हो सकता है । इस प्रकार के अपहरण की कहानी पहली बार सदन में आई है । महिलाओं का अपहरण हो जाता है नारियों का अपहरण हो जाता है, आम पब्लिक के किसी भी आदमी का अपहरण हो जाता है लेकिन पुलिस के कर्मचारी के अपहरण की कथा या कहानी तो पहली कहानी है । अभी तक राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । प्रभुसिंह की बेवा मां है वह सारे अधिकारियों से मिल चुकी है। दो महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी बेवा मां को कोई जवाब नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, उस कर्मचारी का अभी तक पता नहीं लग पाया है कि कहां पर है । उस बेवा का मानना है, अगर उसका बेटा नहीं मिला तो वह विधान सभा के सामने या मुख्य मंत्री जी के निवास के सामने अपने आपको समाप्त कर देगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी तुरन्त जांच की जाय और जल्दी से जल्दी पता लगाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक स्थित है। यह बैंक पिछले कई वर्षों से ऋण वितरण कर रहा है । चार महीने पूर्व उस बैंक के दो कर्मचारियों ने तीन लाख रुपये के ऋण काश्तकारों से वसूल किये । वे दोनों कर्मचारी एल. डी. सी. स्तर के थे । उन्होंने तीन लाख में से सचिव को और जो दूसरे अधिकारी थे, उनको भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, तीन लाख की बहुत बड़ी राशि होती है। एक एल. डी. सी. के स्तर का आदमी अपने पास तीन लाख रुपये नहीं रख सकता है । बैंक की वसूली के जो नियम हैं वे यह हैं कि 10, 15, 25 हजार की वसूली करें उसको बैंक में जमा कराके वापिस वसूली के लिये जाय । इसकी ओर कई बार राज्य सरकार का ध्यान दिलाया गया । वहां के जिलाधीश महोदय ने भी लेटर लिखा है कि यहां के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । इस भ्रष्टाचार से सीधा नुकसान किसान को है । वहां के किसानों को इससे भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । उन किसानों को दूसरी और तीसरी किश्त इसलिये नहीं दी जा रही है कि उनकी दी हुई किश्तों का एडजस्टमेंट बैंक बुक में नहीं हुआ है । यह सरकार काश्तकारों की रहनुमा सरकार कहलाती है लेकिन यह सरकार उन

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर हुए अत्याचारों को सुनती तक नहीं है। सरकार से बार बार निवेदन किया जाता है कि किसान पर अत्याचार हो रहा है, जबरन वसूलियां की जा रही हैं, पब्लिक पर अत्याचार हो रहा है, काश्तकारों को नाजायज परेशान किया जा रहा है। पता नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 600 नम्बर के जर्दे के सरूर में डूब जाती है या गरीब की कोई सुनवाई नहीं करती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। उन बेचारे काश्तकारों को द्वितीय और तृतीय किश्त नहीं मिल पा रही है। बरसात का मौसम आ गया है, वर्षा से कुए भरने लग गये हैं लेकिन काश्तकार किश्त के अभाव में कुछ भी नहीं कर पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तीन लाख की राशि का गबन हुआ है, उसमें वहां के सक्षम अधिकारियों का हाथ है। उन्होंने ही गबन किया है। सरकार से साजिश करके तमाम कागजातों को रफा-दफा किया है और केवल उन दो एल. डी. सीज. के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तीन लाख के गबन के बावजूद आज तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिलाधीश महोदय ने सरकार को डी. ओ. लिखा है और निवेदन किया है कि यहां के अधिकारी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, यहां के प्रशासन को सुधारा जाय और प्रशासन को सुधार कर काश्तकारों को राहत दिलाई जाय लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा झालावाड़ सहकारी बैंक-इन दोनों के द्वारा झालावाड़ जिले में आज तक वसूली की जा रही है। स्वयं सरकार मंजूर कर चुकी है और सरकार चिन्ता प्रकट कर चुकी है। बजट पेश किया उसमें बार बार दोहराया है कि अकाल में हमने बड़ी मुसीबत में शासन सम्भाला है। अब हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं लेकिन···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : सरकार को यह मानना चाहिये कि इस अकाल की सबसे ज्यादा मार काश्तकार पर पड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गरीब काश्तकार हैं, वे पहले ही अकाल से पीड़ित हैं। आज उनके पास पैसा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है; पहनने को कपड़े नहीं हैं ऐसी स्थिति में दोनों बैंकों के कर्मचारी उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक जीप में 6–7 कर्मचारी भर कर आते हैं। गांव में जाकर काश्तकार को मुर्गा बनाया जाता है, उस पर चपरासी को बैठाया जाता है जब तक कि वह पैसा नहीं देता है। उसके बर्तन-ठीकरे बेच दिये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों की रहनुमा सरकार काश्तकारों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि गरीब काश्तकारों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। उनका सामान जबरन नीलाम किया जा रहा है, उनसे जबरन पैसे वसूल किये जा रहे हैं उसको तुरन्त समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बार-बार दोहरा रहे हैं। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वसूली की कार्यवाही को स्थगित किया जाय और काश्तकार को राहत दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान झालावाड़ जिले में जो काश्तकारों से वसूलियां हो रही हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस वसूली के सम्बन्ध में एक क्वेश्चन भी दिया था, उसका जो जवाब मिला है उसको मैं पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं। "क्या यह सही है कि अभाव की स्थिति में झालावाड़ जिले के काश्तकारों से वसूलियां कर रहे हैं और उनके मकान आदि की कुर्की कर रहे हैं।" इसका इस प्रकार का जवाब मिलता है, "राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्र में राजस्व की बकाया की वसूली के लिए पंचायतों को स्थगन आदेश दिनांक 30-9-80 तक के लिए कर दिया है।" यह तकावी दिनांक 30-9-80 तक स्थगित कर दी है जब कि हमारे झालावाड़ जिले में गरीब किसानों पर यह सरकार, जो गरीबों और किसानों का ढिंढोरा पीटती है और किसानों को मदद देना चाहती है, जिसके मुख्य मंत्री हरिजन हैं, बराबर अत्याचार कर रही है। उनके मकान ठीकरे आदि को बेचा जा रहा है। बैंक के कर्मचारी जीप में भरकर जाते हैं। उनका गैंग किसानों के साथ मार पिटाई करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बैंक कर्मचारियों ने किसानों की मार पिटाई की है। जिलाधीश महोदय से बात की तो उन्होंने कहा सरकार की वसूली है, सरकार करेगी। सरकार ने यह जवाब दिया है उसके उपरान्त भी झालावाड़ जिले में वसूलियां हो रही हैं। सरकार ने निर्देश दिये हैं कि वसूली करने वाले कर्मचारी ऐसे कृषकों से वसूली नहीं करें जिनकी कर चुकाने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ जो सक्षम किसान हैं, उनसे वसूलियां नहीं की जा रही हैं। जो गरीब किसान हैं उनकी मार पीट करके उनके बर्तन ठीकरे आदि कुर्क किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो गरीब किसान हैं जिनके आधार पर आप जीत कर आये हैं उन पर जो इस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकें। जैसा माननीय सदस्य ने बताया, बैंक के कर्मचारी और अधिकारी लाखों रुपयों का गबन कर चुके हैं लेकिन आज भी उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और किसानों पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों की जांच कराई जाय और झालावाड़ जिले में जो वसूलियां हो रही हैं, उनको तुरन्त रोका जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा !

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना

(श्री हंसराज शर्मा)

चाहूंगा कि कस्बा बालवी जिला सवाई माधोपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा आये दिन जंगल में जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की वारदात की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आपने इस पर दस्तखत किये थे, वसूली के बारे में, कुर्की के बारे में। उस समय पर आप बोलिए।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए समय मिलना चाहिए, यह अखबारों में भी आ गया है और इन कर्मचारियों का ज्ञापन भी आ गया है। सारे जंगलात विभाग के कर्मचारी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, सारे वन विभाग का नाश हो जायेगा, सारी क्षति हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील में सूकनी नामक एक स्थान है जहां पर करीब 2 बीघा चौड़ा तथा करीब 30 किलो मीटर लम्बा एक स्थान है जिस पर किसान वर्षों से खेती करते आ रहे थे लेकिन नहरों की वजह से और सीपेज ड्रेनेज के पानी डाल देने की वजह से उस पूरे स्थान पर पानी भरा हुआ है। पानी भर जाने की वजह से, जो किसानों के छोटे छोटे खेत वहां पर हैं वे खेती के योग्य नहीं रहे हैं। उन किसानों की खेती नहीं हो रही है और उनके भूखों मरने की स्थिति आ रही है। साथ ही उसके आसपास बहुत सारे गांव पड़ते हैं, उनका रास्ता पानी से अवरुद्ध हो गया है। बहुत बार मैंने भी वहां के अधिकारियों से और गांव वालों ने भी निवेदन किया कि वहां पर पानी भर गया है, ड्रेनेज से वहां का पानी निकाला जाना चाहिए ताकि वहां के किसानों के खेती करने के योग्य खेती हो सके। लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। बार बार कहने के बाद पिछले वर्ष वहां एक मशीन लगायी गयी थी। जब कि वह स्थान करीब 20 किलोमीटर लम्बा है, केवल 8 किलोमीटर की योजना बनायी गई। मई, 1979 में वहां पर एक मशीन लगाई गई। उस मशीन से मई, 1980 तक केवल 6 किलोमीटर एक ड्रेन खोद कर पानी निकाला है। पूरे एक वर्ष तक मशीन चली। कहने का अर्थ है कि एक मशीन से केवल एक महीने में आधा किलोमीटर ड्रेन खोदी गई जब कि 6 किलोमीटर केवल एक दो महीने में ही खोद सकती है। अधिकारियों को उन किसानों की चिन्ता नहीं है। उस इलाके में बहुत सी मशीनें हैं जो खेतों में काम कर रही हैं। अच्छे बढ़िया खेत हैं। वहां की फसल को नष्ट करके उनमें ड्रेन बनाई जा रही हैं। जहां पर पानी भरा है, किसान दुखी हैं, वहां पर ड्रेन बना कर पानी नहीं निकाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सूकनी साइफन से पूर्व की ओर जो यह 8 किलोमीटर का स्थान है, उसमें आधे स्थान पर ड्रेन बनाये हैं लेकिन सूकनी साइफन से पश्चिम की ओर, जो करीब 10 से 15 किलोमीटर तक स्थान है, पानी भरा हुआ है। किसानों के खेत एकदम खराब हो गये हैं, गांव आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। विशेष तौर से रका-वदा, भाड़ोल, डोली, करवाड़ तथा रनो-दिया के वहां अभी तक ड्रेन नहीं खोदी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस

(श्री हीरालाल आर्य)

स्थान का पानी शीघ्र ड्रेन बना कर निकाला जाय तथा एक साल में मशीन से इतना कम काम हुआ है इसके लिए यहां के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री हंसराज शर्मा : एक साल तक क्या करते रहे वहां पर। दूसरे यह जो सूकनी साइफन है पश्चिम की ओर जो पानी रमो-दिया गांव तक भरा है, जो पानी भरा है, उसको निकाला जाय ताकि किसानों के खेत वापस कृषि योग्य हो सकें, उस पर किसान खेती कर सकें और वे खेती के योग्य हो जायें। इतना ही आपके मार्फत में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी व श्री मोहन मोदी। कालू नामक एक युवक की पुलिस द्वारा पिटाई।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर कस्बे में 19 जुलाई को कालू नामक व्यक्ति के साथ जो घटना घटित हुई, उसने 'मेरे योग्य सेवा' और 'जनता की रक्षा' का दावा करने वाली पुलिस की पराकाष्ठा को उजागर किया है। उस घटना को लेकर जहाजपुर में काफी लोगों में रोष है, तनाव है और साम्प्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। 22 तारीख को जहाजपुर कस्बे के 400, 500 व्यक्ति पुलिस स्टेशन पर गये और उन्होंने मांग की कि 19 तारीख को उसके कुछ पड़ोसी लोग, जिनका आपस में वैमनस्य था, ने मौखिक इत्तला देकर कहा कि हमारे यहां चोरी हो गयी। उस आधार पर उस व्यक्ति को थाने पर बुलाया गया। थोड़ी देर, 4-5 घण्टे रख कर उसको वापस भेज दिया, और कहा कि जब जरूरत होगी बुला लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसको बुलाया। रात्रि को दस बजे उसको बुलाया, बेरहमी से उसके साथ मारपीट हुई, बिजली के करेण्ट लगाये, उस से उसके शरीर के दायें पैर और कमर तक के सारे अंग का बिलकुल रक्त प्रवाह रुक गया, उसकी हालत गम्भीर है। जहाजपुर की जनता की मांग पर स्वयं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट वहां गये और मरणासन्न स्थिति में उसके बयान लिये। इस तरह जनता में काफी उत्तेजना पैदा हो गयी। पुलिस के डिप्टी एस.पी. और एस.पी. वहां आये। जनता की मांग पर कार्यवाही करने और इस सम्बन्ध में जानकारी करने के बजाय उस स्वयं को पुलिस स्टेशन से उठा करके जीप में डाल कर जहाजपुर से भीलवाड़ा के अस्पताल में ले गये। जनता ने मांग की थी कि उसकी डाक्टरी जांच करवायें और डाक्टरी बोर्ड बैठाया जाय। उसके करेंट लगे हैं, बहुत बुरी तरह से उसके गुप्तांगों पर और पैरों पर जगह-जगह करेण्ट लगे हैं, उसकी हालत बहुत गम्भीर है। उसकी माता ने मुझे स्वयं को बताया और कहा कि 1 बजे तक वह नहीं आया तो उसके दो बच्चे, उसके भाई और उसकी मां वहां गयी। उसने अपनी आंखों से देखा कि 4 व्यक्तियों ने प्याज की बोरी उसके ऊपर, उसके सिर पर रखी हुई थी। उसको सुला-कर उसके पैरों को मरोड़ा गया। उसकी बहुत बुरी हालत है। आज वह भीलवाड़ा अस्पताल में है।

मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस तरह की गम्भीर बात के बारे में काम

Page No 52

(52)

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रोको प्रस्ताव को मैंने प्रस्तुत किया उस पर सरकार से आपने जानकारी मांगने का कष्ट तक नहीं किया। यह पुलिस के अत्याचार की पराकाष्ठा को बढ़ाने वाली घटना है, जो जहाजपुर कस्बे में हुई। बड़ी मुश्किल से उनको समझा कर आया था। मैंने कहा, अरे भाई, सारे मामले की ओर सरकार का विधान सभा की मार्फत ध्यान आकृष्ट करके कार्यवाही की मांग करूंगा। वहां आज हिन्दू मुस्लिम तनाव जैसी स्थिति बन गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना काफी गम्भीर है। बुरी तरह से उसके साथ मारपीट की गयी है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में अपनी बात कहिये, माननीय सदस्य।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह अस्पताल में पड़ा हुआ है। जहाजपुर की जनता तनावपूर्ण स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि पुलिस के अत्याचार को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि जिस पुलिस अधिकारी ने, जिन भी पुलिस के 3-4 कान्सटेबलों ने जिस बेरहमी से सामन्तवादी युग की इस घटना से याद दिला दी है उस घटना को लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वहां तनाव और साम्प्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा होने की सम्भावना बढ़ती जा रही है उस पर समय रहते कार्यवाही करें।

मेरी आपसे मांग है, मैं समझता हूं कि इसकी डाक्टरी जांच और इस घटना की जांच दोनों साथ साथ कराने के लिए आप निर्देश देंगे। इसी भावना के साथ, विश्वास के साथ मैंने जो वहां की स्थिति रखी है और पुलिस पराकाष्ठा का नमूना आपके सामने रखा है, जिससे काफी जन असन्तोष वहां व्याप्त है इसको दूर किया जाय। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। वर्षा हो जाने के कारण अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं करने के विषय में।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के आपके विवेक के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक वायरलेस मैसेज, जो राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधीशों को भेजा गया है, आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा आदेश है जिससे कि राजस्थान के कई स्थानों पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न आप चाहेंगे, न शासन के कोई माननीय सदस्य चाहेंगे और न विपक्ष के सदस्य चाहेंगे कि भुखमरी की स्थिति पैदा हो। वह वायरलेस प्रश्न इस तरह है:–
"F, 18 (127) Ms/Fw P/79-80/29/55/2910 dated 23-7-80, In view of widespread rains throughout the State you are directed not, repeat not, to sanction any type of relief works now. Ensure that no work starts that has so for not been started. Kindly acknowledge receipt and emsurh compliance.

(श्री कैलाश मेघवाल)

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान केवल दो मुद्दों की ओर आकर्षित करता हूं। कुछ काम ऐसे थे अकाल की वजह से जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी, कुछ काम ऐसे थे जिनकी स्वीकृति जिलाधीशों ने अपने स्तर पर दी परन्तु उनके कार्यों को रोक दिया गया है। कुछ कार्य ऐसे थे कि जो बड़े थे। राज्य सरकार ने स्वीकृत किये उन्हें चालू न करने के आदेश दिए हैं सभी जिलाधीशों के सामने यह स्थिति थी कि उनके यहां अकाल की स्थिति है। सारे राजस्थान के सामने यह स्थिति है। उनको स्वीकृति देने की मनाही कर दी गई है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आप से इतना ही निवेदन है कि बरसात हो जाने मात्र से अकाल की विभीषिका कम नहीं होती। मैं स्वयं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, भगवान की कृपा से एवं मानवीय प्रयत्नों से अकाल नाम की चीज राजस्थान से बाहर चली जाय। बरसात हुई है लेकिन जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, दक्षिणी राजस्थान है, वहां बरसात होने से ही अकाल से मुक्ति नहीं मिल जाती, हां जो बड़े कृषक हैं, वास्तविक मजदूरी करने वाले हैं, अकाल पीड़ित मानव को बड़े कृषकों के यहां तो काम मिल जाता है लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पर ऐसी स्थिति है, जहां पर असमान स्थिति है। सारे राजस्थान की अलग अलग स्थिति है। भगवान करे बरसात और हो जाय लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुनः अकाल की स्थिति भी आ सकती है। मेरा आपसे यही निवेदन करना है कि जिस तरह से एक ब्लैंक आदेश चला गया है और इस आदेश को राजस्थान सरकार बदलने की बात नहीं करे। सारे प्रदेश में जहां वास्तव में आवश्यकता है, मानवीय दृष्टि से जहां अकाल की विभीषिका है इस बरसात के हो जाने मात्र से कम नहीं हुई है उन क्षेत्रों में राज्य सरकार को इस आदेश को बिगड़ा करके जिलाधीशों को यह अधिकार दे देना चाहिये कि जहां आप अपने विवेक से उचित समझें; करें ताकि भुखमरी की स्थिति पैदा नहीं हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा था कि सामान्य मांगों पर इस पर चर्चा हो जाएगी। सामान्य मांगों पर चर्चा होने तक कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो कि भुखमरी फैल जाय। इस बार अकाल में हजारों काम स्वीकृत किए गए हैं जिसमें 10 लाख लोग लगे हुए हैं। छोटे-छोटे काम हैं। कहीं पर काम समाप्त होने को हैं और समाप्त होने पर दूसरे काम शुरू होने चाहिये। अगर उनको काम नहीं मिला तो शायद उनको अकाल की विभीषिका से लड़ना पड़ेगा और भूखों मरने की स्थिति आ जाएगी। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जहां आवश्यकता है और केवल बरसात हो जाने मात्र से जहां लोगों को राहत नहीं मिली है, ऐसे क्षेत्रों के लोगों को भूखों नहीं मरना पड़े इसलिये उनकी व्यवस्था की जावे। यही मेरे स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य था और यही मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री। अजमेर नगर में अजमेर नगर परिषद् द्वारा चबूतरे तोड़ने के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जो जवाब आया

(श्री कैलाश मेघवाल)

है यद्यपि वह तथ्यों से विपरीत है, लेकिन अगर वही स्थिति है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। केवल एक तख्ता हटाया गया है, रास्ता अवरुद्ध होने के कारण यह हटाया गया है, यह जवाब आया है। अब मेरी सूचना भी है, मेरी जानकारी भी है कि कुछ समय तक लगातार अजमेर नगर के कुछ जो मोहल्ले हैं, नला बाजार है, नया बाजार है, मदारगेट है, डिग्गी बाजार है, पड़ाव है, सब्जी मण्डी है, ये पुराने अजमेर नगर के हिस्से हैं। अजमेर नगर की बसावट यदि; माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में है तो ये ऐसे मोहल्ले हैं कि जहां पर कभी हैवी व्हिकल नहीं जा सकती है, न बसें वगैरह जा सकती हैं। पिछले दस पन्द्रह दिनों से एक गैंग 20-25 आदमियों की, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी हैं, जाकर जोर जबरदस्ती से इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे वहां पर वास्तव में शांति भंग करने का कारण एक बन चुकी है। . . .

श्री अध्यक्ष : अब तो कुछ फर्क पड़ा या नहीं आपके कहने से।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता हूं कि यह पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि इस तरह के निर्णय लेने हैं. .

श्री विष्णुप्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि वे अवैध निर्माण थे या और थे?

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें वैध या अवैध निर्माण की बात नहीं है। जवाब आया है वह आपके सामने है।

मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि ये जो बाजार हैं, हर बाजार के दुकानों की अपनी संस्थाएं और अपने संगठन बने हुए हैं, उनको विश्वास में लिया जाना चाहिये। दूसरे जो जन प्रतिनिधि हैं उनको विश्वास में लिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि नगर परिषद् के जो चुने हुए प्रतिनिधि हों, नगर परिषद् के जन प्रतिनिधि हों उनको यह कार्य प्रारम्भ करना चाहिये, अन्यथा यह जो रूल आफ जंगल पैदा कर दिया है कि जा रहे हैं बीस पच्चीस आदमी, मर्जी आई, उसका तख्ता उठा लिया, उसका कुछ उठा लिया। इस तरह से अगर करेंगे तो इसमें कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। कई तरह की चर्चायें चल रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति है कि एक तख्ता हटाया गया है तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे आपके माध्यम से यही निवेदन करना है कि इस विषय में इन बाजारों को आपके कुछ सुधार करना है, तख्ते या चबूतरे हटाने हैं तो वहां के दुकानदारों को विश्वास में लीजिए, जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लीजिए अन्यथा जब तक नए चुनाव नगर परिषद् के नहीं हो जाते हैं तब तक इस तरह का कदम नहीं उठायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मसले की ओर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीन दिन पहले सीकर नगर में बहुत भयंकर बारिश हुई है और दो घण्टे के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अन्दर 240 मिलीमीटर बरसात हुई है। 12 इंच बरसात दो घण्टे में हुई है। बरसात भी ऐसी कि एकदम से बादल फट कर सीकर नगर पर पड़ा हो। बिजली पड़ने से तीन आदमियों की मृत्यु हो गई। इसके बाद हैजे का प्रकोप हो गया। दो आदमी हेजे से मर गए। एक गिरधारीलाल जी का 15 साल का लड़का और एक और इसी प्रकार से कुत्तों में भी एक बीमारी फैल गई जिससे वे पागल हो गये। पागल कुत्तों के काटने से सीकर में दो आदमी मरे। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी भयंकर स्थिति हो रही है। सीकर में बरसात हुई उसके कारण से चार लाख रुपयों के करीब की चीनी, जो उपभोक्ता भण्डार की थी, पूरी की पूरी तो नहीं बही है लेकिन काफी चीनी बह गई है। मैं खुद मौके पर जाकर आया हूं। सीमेंट के सौ बोरे थे वे भी बह गए। जितने गोदाम और बाजार थे उन सब के सब में, जितना माल रखा हुआ था वह सारा का सारा माल पानी में भीग गया...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य!

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारा का सारा जो माल था वह उसमें बह गया है। एक हजार के करीब जो गटर बने हुए थे सड़कों पर, श्रीमन्, आठ आठ फीट के गटर डाले वे सड़कों पर बने हुए एक हजार के करीब गटर थे पानी के साथ बह गए हैं। उसके साथ पड़ने वाले जो मकान थे बाहर सड़कों पर जो मकान थे वे गिर गए हैं। पांच हजार फीट सड़कें पानी के साथ पूरी तरह से बह गई। शीतला का मोहल्ला से बड़े तालाब तक सड़क थी, उस सड़क का नामोनिशान तक नहीं रहा है। इसी प्रकार से बजाज रोड, जो मुख्य सड़क है, नीचे से होकर नाला जाता है, बारिश अधिक होने के कारण नाला फट गया है और वहां से आवागमन अवरुद्ध हो गया है। ठीक इसी तरह से जो नालियां बनी हुई हैं 5600 फीट के करीब नालियां, यह सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं पहुंची है, आंकड़े नहीं पहुंचे हैं लेकिन नगरपालिका ने यह अनुमान लगाया है कि 5600 फीट पानी की नालियां टूट कर बह गई हैं। दो जोंगा गाड़ियां, जिनके ये फोटो में सदन के पटल पर रख रहा हूं, आठ आठ फीट पानी होने के कारण ये दोनों जोंगा जीप गाड़ियां पानी में बह गईं। इसके बाद आगे जाकर एक पूरा मकान इन दो जोंगा गाड़ियों पर गिर गया जिससे ये जोंगा गाड़ियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं।

श्रीमन्, तीन सौ मकान जिनमें अधिकांश हरिजनों के मोहल्लों में थे, रेगरों और हरिजनों के थे, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और उनमें रहने का अब कोई स्थान नहीं है।

इसी प्रकार से दो हजार जो मकान हैं बरसात के बाद सायंकाल भूकम्प के झटके महसूस किये गये और भूकम्प के झटके के कारण दो हजार मकान फट गए और उसमें दरारें आ गईं। अध्यक्ष महोदय, जो पानी बरसा वह आठ आठ फीट पानी शहर में भर गया। कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं था, कारीगरों का मोहल्ला, सीतला का मोहल्ला, दरोगों का मोहल्ला, जमादारों का मोहल्ला,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और रोशनगंज, औरहुसैनगंज, इन मोहल्लों में आठ-आठ फीट पानी भर गया। सुबह 4 बजे से बरसात शुरू हुई थी और 6 बजे तक 12 इंच बरसात हुई। लोग बाग अपनी बकरियों को लेकर, मवेशियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर ऊपर चले गए। शरण की कहीं जगह नहीं थी। पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को किसी तरह से दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि यह मानवीय मसला है, मैं इसको राजनैतिक नहीं बनाना चाहता हूं, जिला प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। जिला प्रशासन ने पानी को निकालने की कोशिश की लेकिन दो घण्टे के अन्दर 12 इंच पानी आ जाय तो कोई भी प्रशासन उस पानी को नहीं निकाल सकता लेकिन नगरपालिका के प्रशासन पर अवश्य आरोप लगाना चहता हूं कि नगर-पालिका का प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है। नाला इकरामशाह के बारे में जिले की मीटिंग में जिलाधीश महोदय ने स्वयं कहा था कि नगर परिषद इसकी सफाई कराए। अकाल राहत की मीटिंग में मैं स्वयं मौजूद था उस मीटिंग में यह कहा गया था कि इसकी सफाई नहीं कराइ गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर वह नाला जाता है उस नाले की सफाई नहीं हुई जिसके कारण बजाज रोड पर पानी भर गया और जितने मकान दुकानें थीं उन मकान दुकानों में चार-चार फीट पानी भर गया। वह नाला इकरामशाह खाली नहीं कराया गया और सफाई नहीं कराई जिसके कारण यह हालत हुई है। महोदय, जितने भी स्कूल वहां पर हैं, हिन्दी विद्या भवन, बद्रीनाथ बजाज स्कूल और गर्ल्स स्कूल और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के दफ्तर में छः-छः फीट पानी भर गया जिससे जितनी भी फाइलें थीं नीचे के कमरे में इन्सपेक्टर आफ स्कूल के दफ्तर में....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

जितनी भी इन्सपेक्टर आफ स्कूल के दफ्तर में फाइलें थीं, सारी की सारी फाइलें भीग गईं। शहर में सब जगह पानी ही पानी हो गया। इसके बाद मेरे पास सूचना आई है कि कल रात को और आज सुबह भी जोरदार बारिश हुई है। इसके कारण सीकर शहर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महोदय, आज तक सरकार ने किसी प्रकार की राहत देने की घोषणा नहीं की है। मुझे तीन दिन हो गए हैं स्थगन प्रस्ताव दिए हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। चार दिनों से अखबारों में निरन्तर समाचार आ रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में मकान ध्वस्त होने के फोटो आए हैं। ये पागल कुत्तों के काटने के कारण से मरने सम्बन्धी समाचार और फोटो आए हैं। राष्ट्रदूत और नवज्योति में रिकार्ड तोड़ बरसात के समाचार आए हैं। यह राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर चार लाख रुपयों की चीनी बह गई सीकर में भारी बरसात के कारण, इसका समाचार आया है। राष्ट्रदूत है, सीकर में चार लाख की चीनी बह गई, बड़े बड़े अक्षरों में यह समाचार आया है। इन सब समाचारों, इन सारी फोटुओं के बावजूद और इन सब तथ्यों के बावजूद भी राज्य सरकार ने आज तक इस पर वक्तव्य नहीं दिया है। अध्यक्ष

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महोदय, वहां बड़ी विषम स्थिति है कम से कम एक करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है। सात आदमियों की जानें चली गयीं हैं और आवागमन की व्यवस्था अवरुद्ध हो गयी है। सारा शहर गन्दगी से सड़ रहा है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने न वहां कोई अध्ययन टोली भेजी न वहां पर कितना नुकसान हुआ है, इसका अनुमान लगाने की बात की है। भूकम्प आया, बरसात हुई सारा शहर सड़ रहा है। सारे शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सीमेंट के बोरे बह गये हैं। अब फिर वर्षा होगी तो सैकड़ों मकान फिर गिरेंगे। सीमेंट नहीं है चीनी वहां पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, राज्य सरकार से इस बात के लिये आग्रह करें कि आज या कल इस विषय पर वक्तव्य दें। वहां क्या राहत देना/करना चाहती है एक अध्ययन टोली भेजें; जो वहां नुकसान हुआ है, उसकी जांच करे, अध्यक्ष महोदय, सरकार राहत नहीं देना चाहती है, मैंने जिला अधिकारियों को इसके लिये दोषी नहीं बतलाया। लेकिन मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं, कल राज्य सरकार इसके बारे में वक्तव्य नहीं देगी और वहां पर अध्ययन टोली नहीं भेजेगी तो मैं सदन के अन्दर इस घटना का जो मानवीय प्रश्न है, उसके लिये आमरण अनशन पर बैठूंगा। यह आमरण अनशन का सवाल है। अगर सरकार ने इसकी जांच नहीं करायी और सरकार का वक्तव्य नहीं आया तो वह बहुत बड़ा अन्याय है। चार दिन से लगातार समाचार पत्रों में छप रहा है। फोटो आये हैं, विज्ञापन छप रहे हैं। सरकार को इस बात का पता नहीं। जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तीन दिन से लगातार स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है लेकिन सरकार सो रही है कोई जवाब नहीं दे रही। सात लोग मर गये सारा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। 12 घण्टे में 12 इंच बरसात हुई है, इसके बावजूद भी सरकार सो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वह मानवीय प्रश्न है। इसके लिये मैंने जिला प्रशासन पर कोई आरोप नहीं लगाया है, मैं राजनैतिक रूप से इस प्रश्न को नहीं लेना चाहता। कम से कम सरकार को इतना तो चाहिए था इस बड़े मसले का जवाब तो देती। कुत्ता काटने के वहां पर इन्जेक्शन नहीं हैं, जयपुर में उन लोगों को इन्जेक्शन लग रहे हैं जिनको कुत्ते ने काटा है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने कहा कि वहां मैं दवाइयां भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार वक्तव्य दे। यदि सरकार वक्तव्य नहीं देगी तो मैं सदन की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् आमरण अनशन पर बैठूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में चालू क्षेत्रीय जलदाय के लाभ से वंचित

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान ......

(व्यवधान)

आसन अपने पैरों पर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पूर्व में मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैटल्स के बारे में जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया हुआ है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! समय आने पर उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद फिर आयेगा क्या यह प्रस्ताव ?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में चालू क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना का लाभ गांवों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : जो बौंली में असामाजिक तत्वों का वाकिया हुआ, उसको दिये हुए चार रोज हो गये हैं, उस पर ....

श्री अध्यक्ष : आप मुझ से चेंबर में मिलियेगा, वहां पर बता सकता हूं। रोजाना 10–15 स्थगन प्रस्ताव आते हैं। इतने ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं। हर एक में क्या हुआ, कब लिया जायेगा, उसके बारे में मौखिक रूप से यहां पर मैं क्या निवेदन कर सकता हूं। आप चैम्बर में मिलियेगा, मैं बता दूंगा।

श्री चुन्नीलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उस पर जवाब आया है।

श्री अध्यक्ष : आया होगा, लेकिन मैं क्या बता सकता हूं।

श्री चुन्नीलाल : ऐसा प्रश्न है कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन वहां खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी ध्यान आकर्षित करेंगे मंत्री महोदय का।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान में जितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें बनी हुई हैं, उनमें बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर वर्षों से इन योजनाओं के लागू होने के बाद भी इनमें पीने का पानी नसीब नहीं है। पानी जीवन के लिए एक बहुत ही मुख्य वस्तु है। इन्सान के जीवन के लिये तीन चीजें अत्यावश्यक हैं, खाद्य, हवा और पानी। हवा का वितरण आप लोगों के हाथ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बी भूमिका न बांधें। आपको तकलीफ क्या है, वह सामने रखें। तीन चार जरूरी हैं, वह जरूरी है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह महसूस कैसे करेंगे कि कितनी अधिक आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था करने के लिये क्या करना चाहिये।

(1.02 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

हवा का वितरण आपके हाथों में होता तो मेरा सवाल है कि सारा जन जीवन समाप्त हो गया होता। हवा के बाद पानी आता है। आपने लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर के पानी की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया। उसके बाद भी पानी उपलब्ध नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन गांवों की तरफ, जहां पानी की योजना सात, आठ, दस साल पहले बनायी उसके

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बाद भी उनको पानी नसीब नहीं हुआ कभी हुआ भी दो महीने में एक दिन या दो दिन चला गया और कभी गया ही नहीं। ऐसे भी कई गांव हैं, सभापति महोदय, जिनके नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनमें महीनों पानी नहीं गया। मेरा एक प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर मुझे सदन में यह दिया है कि नागौर जिले में विशेषकर मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां पानी नहीं जाता है। यदा कदा बिजली उपलब्ध नहीं हुई हो और उसके कारण वहां पानी नहीं गया हो तो और बात है अन्यथा पानी हमेशा उपलब्ध होता रहा है।

मुझे खेद इस बात का है, जो अधिकारी या कर्मचारी आपके हैं, उनका यह कर्तव्य नहीं है कि वे इस तरह का उत्तर तैयार करके माननीय मंत्री महोदय को दें, जो तथ्यहीन हों और गलत हों। माननीय मंत्री महोदय उसको बिना देखे, सभा के सदन में बयान कर दें और फिर गलत हो तो उनको नीचा झांकना पड़े। जो मुझे उत्तर दिया गया था मोलास जल योजना है, मोलास जल योजना डेगाना तहसील, जिला नागौर के अन्तर्गत आती है। उनमें गांवों के मैंने नाम दिये थे, उनमें पानी सुचारु रूप से मिल रहा है। आज की स्थिति में तो मैं इसलिये नहीं कह सकता, क्योंकि यहां मौजूद हूं। लेकिन 5-7 दिन के पूर्व से लेकर तीन महीने पूर्व की बात आपको निवेदन कर सकता हूं। जब तक मुझे जवाब दिया गया था उस दिन तक तो उन गांवों को पानी उपलब्ध नहीं होता रहा था। आज राज्य सरकार के अधिकारियों ने वहां पर पानी उपलब्ध करा दिया हो, टेम्परेरी या परमानेन्ट तो बात और है, मैं यहां विरोध करने या आप लोगों को सुनाने के लिये खड़ा नहीं हुआ। मैं यह चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की समस्या है, उसको सुलझाया जाये। जो लाखों करोड़ रुपये खर्च कर के इस व्यवस्था को बनाये रखने की कोशिश की है ताकि उन गांवों में पानी सुचारु रूप से मिले। मैं आपको कुछ गांवों के नाम सुनाना चाहता हूं, जहां लगातार निरन्तर रूप से पानी नहीं मिल रहा है। ये नाम है, लूणवा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना उसमें 15-16 गांव आते हैं:– नगर नाचणा; बामती, घोसला, पुणी, गुढा साल्ट, वे 81 गांव हैं, जहां पर निरन्तर पिछले महीनों से पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, मेड़ता में मोड़ा तड़तवाल, धांधलास। यह एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, जिसमें 10-12 गांव आते हैं। यह क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना मोड़ा धांधलास में है लेकिन वहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कतई पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन गांवों में। इसके अलावा कला व धोलेराव को पानी नहीं मिल रहा है।

इसके बाद क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कातिलायसनी के 20 गांव हैं, इसमें चार गांवों को छोड़ कर बाकी 16 गांवों को पानी नहीं मिल रहा है।

इसके साथ ही मारवाड़ छापी एक जल प्रदाय योजना है, जिसमें 13-14 गांव आते हैं। खेंडूली, डावरयानी, दत्ताणी, जाखेड़ा, इन गांवों को महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। यदा कदा चला गया तो 15-20 मिनट के लिये तो मेरे ख्याल से मुश्किल से आंसू पोंछने वाली बात होती है। इससे अधिक पानी

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

नहीं पहुंच पाता है। इसके अलावा, जल प्रदाय योजना है यादूकलां इसमें छः सात गांव हैं सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस गांव में जल प्रदाय योजना बनाई है, जहां से पाइप लाइन डाली गई है, उस गांव की जन संख्या 6 हजार है, उसको पानी नहीं दिया गया है। जब कि राज्य सरकार के यह आदेश हैं कि जिस गांव में स्रोत हों, जिस गांव से पानी लिया जाय, उसमें पानी दिया जायेगा। निरंतर ध्यान आकर्षित करने के बाद, निरंतर लिख कर देने के बाद, संबंध स्थापित करने के बाद आज भी यह हालत है कि उस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। उस गांव से पाइप लाइन डाल कर 6-7 अन्य गांवों को पानी दिया गया है लेकिन उन छः सात गांवों में से एक गांव को छोड़ कर किसी गांव में पानी उपलब्ध नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कुछ गांवों के नाम दिये थे और राज्य सरकार के अधिकारियों ने सतर्कता बरत कर क्योंकि उनको आज जवाब प्रस्तुत करना था इसलिये मौके पर जाकर, चक्कर काट कर इस गांव में व्यवस्था ठीक कर दी हो। इसके लिये मैं नहीं कहता कि उन्होंने प्रयास नहीं किये लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सारे गांवों के नाम प्रस्तुत कर नहीं सकता इसलिये जिन गांवों के नाम अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि उन गांवों में आज भी यह स्थिति है कि वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अगर भगवान ने पानी दे दिया, वर्षा का पानी हो गया तो और बात है लेकिन राज्य सरकार के द्वारा पीने का पानी दिये जाने की व्यवस्था के संबंध में अपना निवेदन कर रहा हूं। गांव उमियाला, बड़ोच, नाकाडाई, छाट ये गांव हैं, जहां पानी नहीं पहुंचा। इसके साथ ही नागौर तहसील में बागाणी, प्रकाश पाचोली बहुत सी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें हैं इनमें से तीन मैं आपको बता रहा हूं। इन गांवों में 25-30 घर हैं, अन्य लोग सब ढाणियों में बंटे हुए हैं, राजस्व क्षेत्र बहुत ही लम्बा चौड़ा है इस गांव का, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और लोग अपनी काश्त और पशुओं के हिसाब से बिखरे हुए हैं। उन गांवों के लिये पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस गांव में छोटा सा होज बना दिया, जितना पानी आता है उतना 20 घरों के लिये तो उपलब्ध होता है बाकी ढाणियों के लोग पानी लेने के लिये आते हैं तब पानी समाप्त हो जाता है। जब कि उनके अपने कुए बने हुए हैं उन कुओं से वहां पानी खींचना बहुत महंगा पड़ता है। सौ-डेढ़ सौ रुपये तक, जब कि आपने जल प्रदाय योजना चालू कर दी है तो वह भी आशा करते हैं कि जल प्रदाय योजना हमारे राजस्व क्षेत्र में है तो उससे उनको पानी मिलना चाहिये। चाहते तो यह हैं कि ढाणियों के बीच में ऐसा स्थान, जहां सबको पानी उपलब्ध हो सके, होज बना कर, पाइप लाइन डाल कर पानी दें वित्तीय स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है ऐसा अगर आप सोचते हैं तो भी आपने जो व्यवस्था की है। जहां आपने पानी का होज बनाया है वहां पर आपका फर्ज था, आपको देखना चाहिये था कि वहां के पशुओं की संख्या क्या है, वहां की जनसंख्या क्या है, कितने लोग ढाणियों में रहते हैं उनके लिये कितनी कैपेसिटी का आपको होज, टैंक बनाना चाहिये उसमें कितना पानी सुबह होना चाहिये, शाम को पानी कितना होना चाहिये यही कारण है कि

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)
नागौर के विस्तृत क्षेत्र में, जहां पर अधिकतर डेजर्ट है, जहां बड़े बड़े गांव हैं, जहां राजस्व क्षेत्र लम्बा चौड़ा है, इसको पानी नहीं मिल रहा है और आज भी पानी को लोग तरस रहे है।

परबतसर में टांका पट्टी, मैं निवेदन कर रहा था कि लम्बी चौड़ी योजना बनी हुई है उससे पानी दिया जा रहा है ? उसमें एक मात्र गांव जो रेल्वे स्टेशन है वह बड़ा मुख्य गांव है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उसमें भी एक अर्से से पानी नहीं मिल रहा है।

अब मैं आपको अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मैं संक्षेप में ही ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक कीतलसर जल प्रदाय योजना है उसके सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया है जगडवास लगोड गांवों को अभी जोड़ा नहीं गया है, स्वीकृत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जगडवास गांव अकरेडी जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने उत्तर दिया है कि जुड़ा हुआ नहीं है, यह समझ में नहीं आया। इसका मतलब तो यह हुआ, आप सदन को भ्रमित कर रहे हैं, गलत उत्तर दे रहे हैं। जो आज जुड़ा हुआ है उसके लिये आप कह रहे हैं जुड़ा हुआ नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, मंत्री महोदय, बड़े खेद की बात है आपके अधिकारी कहें कि गांव जुड़ा हुआ नहीं है मैं यह कहता हूं कि जुड़ा हुआ है और पानी जा रहा है। दिक्कत यह है कि गांव कुछ हिस्सों में बंटा हुआ है। दूसरे गांवों जहां पर पानी जाता है ? तो नजदीक के इलाकों में, बस्तियों में पानी पहुंचा दिया है सिवाय दो बस्तियों के जिनमें एक अनुसूचित जाति की बस्ती है और एक माइनोरिटीज लोगों की, मुसलमानों की, इन दो को तो पानी नहीं दिया और बाकी सम्भ्रान्त समाज के घर घर में टोंटी लगा दी। अब आप यह कह रहे हैं कि उस गांव को जोड़ने के लिये विचार किया जा रहा है। बीवडसार को जोड़ा नहीं गया है। यह बड़े खेद की बात है, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह के उत्तर नहीं दें और जिनको पानी नहीं मिल रहा है उसको पानी देने की व्यवस्था करें।

गोरडी गंगा में भी जो शिड्यूल्ड कास्ट्स का मोहल्ला है उसमें पानी नहीं। उनको कम से कम 3 फर्लांग पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। जब सारे गांव के लोगों को पानी मिल रहा है नल लगा हुआ है तो उनको महरूम क्यों कर रहे हैं।

इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा डेगाना स्टेशन के लिये। मोगास योजना में 16 गांव हैं। सुखवासनी, जालसू खुर्द, चूडियास, आंतरोली खुर्द, जोधडास, इन गांवों में निरन्तर 6 महीने से पानी की बून्द भी नहीं मिली है। पूनास योजना में चोलियास की ढाणी के लिये पाइप लाइन डालना स्वीकृत हुआ पाइप लाइन डाली गई। एक फर्लांग पाइप लाइन बच गई। आपने हजारों रुपये खर्च कर दिये सिर्फ एक फर्लांग पाइप लाइन डाल कर उनको पानी देना था, आप आज तक पानी नहीं दे

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सके तीन साल में इतनी दूरी तक पाइप लाइन डाली इसके बाद एक फर्लांग के लिये अगर पाइप लाइन नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो जहां अन्तिम पाइप समाप्त हुआ था वहीं टोंटी लगा देते तो कम से कम उन लोगों को एक फर्लांग जाना पड़ता, कम से कम चार मील से तो नहीं लाना पड़ता। एक ही फर्लांग जाते। आपने पाइपों का कब्रिस्तान बना दिया। पांच माइल से पाइप लाइन लाये और एक फर्लांग के लिये अधूरी पड़ी है तीन साल से। अगर आपके पास पाइप नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति दयनीय है तो कृपा करके वहीं टोंटी लगा दीजिये। वे एक फर्लांग पैदल जा कर ले आयेंगे।

बनास योजना से बच्छवास गांव में तीन साल से पानी नहीं मिल रहा है। पिछले साल इसी प्रश्न को सदन में प्रस्तुत किया था तो उन्होंने वहां थोड़ा एंगल लगा कर, थोड़ा सा पानी लिफ्ट कर के जितने दिन सदन चला, पानी दे दिया। जब सदन एडजोर्न हो गया तो पानी बन्द। अब आज तक पानी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, जहां योजना लागू कर दी गई है, जहां पर इतना खर्चा कर के जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि पीने का पानी तो मिलेगा पानी अत्यावश्यक है जीवन के लिये वह अगर नहीं मिल रहा है, थोड़ीसी व्यवस्था के नहीं होने के कारण नहीं मिल रहा है तो यह बहुत ही खेदपूर्ण स्थिति है। आप इसकी जांच करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, जिन मंत्री महोदय के पास यह विभाग है उनके ही इलाके के लिये मैं आप से निवेदन कर रहा हूं मकराना की कांस्टीट्यूएंसी गुणावती वार्ड नं. 18, 19 नगरपालिका मकराना का हिस्सा है वहां तीन साल से इन दोनों वार्डों को पानी नहीं मिल रहा है। जहां 80 फीसदी अनुसूचित जाति के मजदूर लोग रहते हैं जो खदानों में जाकर काम करते हैं वे अगर पानी के लिये दूसरे मोहल्लों में घूमते रहें, जहां उनको पानी भरने नहीं देते। अनुसूचित जाति के लोग हैं, इसलिये उनको पानी भरने दें या नहीं यह उनकी मर्जी की बात है तो मुझे मंत्री महोदय पर बड़ी दया आती है, खेद है कि हमारी व्यवस्था करें या न करें, कम से कम अपने वार्डों की अपनी व्यवस्था तो करलें तो हमको यह तो संतोष होगा कि आपने अपने लिये किया है बाद में हमारा भी नम्बर आयेगा।

इतना ही नहीं, इस अव्यवस्था से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी नहीं बचे हैं। फलौदी के सीरड़ा बास टोडा एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है जिसमें 12 गांव हैं। दूसरी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है जाम्बा मोटाई जिसमें 8 गांव हैं...

श्री सभापति : आपने काफी नाम गिना दिये, माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जायेगा। आपने उनका ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : इन 20 गांवों में पानी कतई नहीं जाता है। यह बात आप अध्यक्ष महोदय से पूछ सकते हैं। तो, सभापति महोदय, आप बिराजे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में इस

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

बात को सुन रहे होंगे। उनकी भी लाचारी है तो हमारी लाचारी तो किस हद तक हो सकती है इसका आप अन्दाजा लगाइये। इसलिये मैं मंत्री महोदय से बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अव्यवस्था है, जहां पानी के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं वहां पीने का पानी मुहैया करावें।

पीने के पानी के लिये आपने गांवों में जो हौज बनाये हैं वे बहुत छोटे हैं। शायद वे पशुओं की संख्या और जनसंख्या के आधार पर बनाये नहीं गये हैं। इसलिए जो पानी आप देते हैं उससे पूरा नहीं पड़ता। पानी दिन में एक बार मिल जाता है मुश्किल से घंटे दो घंटे में खाली हो जाते हैं और दिन भर पानी की व्यवस्था नहीं रहती है। तो मवेशी को पानी पिलावें कहां। दूसरी बात यह है कि पानी देने की जो व्यवस्था है उसमें पहले गांव की पहले बारी आती है और आखरी गांव की आखिर में। तो पहले गांव में हौज भर गया और लाइनमेन ने बन्द नहीं किया तो वहां तो पानी फालतू फैलता रहेगा और दूसरे गांव को मिलेगा नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि अंतिम गांव को पहले पानी दिया जाय और अंतिम गांव के पानी का टैंक भर जाय तो वह लाइनमेन लाइन को चैक करता हुआ दूसरे गांव में जाकर उसका वाल्व बन्द करदे ताकि वहां फालतू पानी न गिरे, दूसरे गांव को पानी मिलने लग जाय और साथ ही साथ पानी की लाइन भी चैक हो जाय कि कहीं पानी रास्ते में बिखर तो नहीं रहा है। परन्तु बदकिस्मती यह भी है कि लाइनमेन भी काम नहीं करता। वह तो अपने घरों में सोये रहते हैं। लोकल आदमी लगे हुए हैं उनको चिन्ता किस बात की। जिन गांवों में उनका इन्ट्रेस्ट है वहां तो पानी सारे दिन चालू है और जहां इन्ट्रेस्ट नहीं है वहां 24 घंटे ही नहीं खोलते। कहीं गांव वाले जाकर निवेदन करते हैं तो कहते हैं हमारे कार्यालय में जाकर बात करो। ऐसे वाकये हुए हैं, माननीय सभापति महोदय, हमारे गांव वाले जब निवेदन करने गये लाइनमेन को कि भाई वाल्व खोलकर पानी दो। अमुक गांव में पानी फैल रहा है, उसका उपयोग नहीं है तो 2-4 गाली निकाली और कहा कि आप जाइये, मेरी मर्जी होगी तो खोलूंगा नहीं तो नहीं खोलूंगा। इसका मतलब यह है कि इन हालातों में मेरे ख्याल से आपके अधिकारीगण कार्यवाही करने से असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए ऐसा आपका रुख होना चाहिए कि जो लोकल आदमी एम्प्लायड हैं, उनको व्यवस्था के लिए, इस योजना पर नहीं रखना चाहिए और बाहर के आदमियों को ऐसी योजनाओं पर, ऐसी व्यवस्था पर रखा जाना चाहिए ताकि इन योजनाओं पर तत्परता से काम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। जहां पर आपकी क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं हैं बहुत से गांवों के लिये वहां पानी की बड़ी ऊंची टंकी बनाते हैं। बनाई जानी भी चाहिये। हमारे यहां पर भी टंकी बनी हुई है। सभापति महोदय, वह टंकी 1973-74 में बनी थी। इस टंकी का आज तक टैस्ट नहीं हुआ है। मेरा एक प्रश्न तीन साल पूर्व इसी सदन में आया था और उसके उत्तर में यह बताया गया था कि इस टंकी का टैस्ट नहीं हुआ है। इस टंकी का 95,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 20 हजार

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

रुपये का भुगतान करना बाकी है। इस टंकी का टैस्ट होने के बाद उपयोग किया जाएगा। आज भी इस टंकी का टैस्ट नहीं हुआ टंकी टैस्ट के लिए पड़ी हुई है। टंकी को नहीं भरते हैं तो न तो प्रेशर बनता है और न पानी दिया जाता है। एक ट्यूब वैल चलाया जाता है। तीन घंटे बिजली चलती है और जिस गांव में पानी चला जाता है, चला जाता है और बिजली बंद होते हीं बाकी के गांव बिना पानी के रह जाते हैं। टंकी को भर कर एक साथ अलग अलग लाइन में पानी खोला जाए तो उनको पानी उपलब्ध हो सकता है तो यह सबसे बड़ी अनियमितता है। इसका मतलब यह हुआ, सभापति महोदय, या तो ठेकेदार चकमा दे कर पैसे खाकर भाग गया या ठेकेदार से अधिकारी मिले हुए हैं, ऐसा लगता है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं। इस तरह की टंकी बनी हुई हैं जिनको 7/8 साल हो गये क्यों नहीं इनका उपयोग किया जा रहा है? क्या इनके भरे जाने पर गिर जाने का खतरा है इसलिए इनको नहीं भरा जा रहा है। गिर जाएगी तो इसका जवाब कौन देगा? सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी राजस्थान में कई टंकिया हैं जिनकी काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है। इनका सदुपयोग कर के जल वितरण की समस्या को सुलझाया जाए। गांव के लोग आपकी तरफ झांक रहे हैं कि हमें पानी मिलेगा। पानी हमारे गांव में आया हुआ है पाइप लाइन पड़ी हुई है। आशा है आप उनको पानी उपलब्ध कराएंगे।

श्री सभापति : जन स्वास्थ्य मंत्री।

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मंत्री, जल प्रदाय विभाग): माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य महानुभाव ने जो बातें कही हैं, मैं समझता हूं जीवन के लिए अनिवार्य हैं, गंभीर हैं और काफी ध्यान दिये जाने योग्य हैं। फिर भी जैसे उन्होंने बताया उतने विस्तार से तो नहीं किन्तु जितनी मेरे पास में सूचना है, उसके आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। पश्चिमी और उत्तर राजस्थान के कुछ जिलों में विशेषकर भूमिगत बैंक अत्यधिक खारा है तथा यह मनुष्य अथवा पशुओं के पीने योग्य नहीं है। अनेक क्षेत्रों में पानी फ्लोराइड युक्त है जो अत्यधिक हानिकारक है। राज्य के ऐसे गावों में पेय जल व्यवस्था क्षेत्रीय जल योजनाओं से की जाती है। इन योजनाओं में एक उपयुक्त स्थान से, जहां जल का अच्छा स्रोत उपलब्ध हो, समस्याग्रस्त गावों को पाइप लाइन से जोड़ कर पेयजल की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार की अनेक योजनाएं विभाग में पिछले दस वर्ष से भी अधिक समय से संधारण में हैं।

योजनाओं के चालू होने के पश्चात् योजना में सम्मिलित प्रत्येक ग्राम को पूर्ण मात्रा में पानी नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होती है। पूर्ण मात्रा में पानी नहीं मिलने के कई कारण हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

1. योजना में सम्मिलित विभिन्न ग्रामों को जोड़ने हेतु डाली गई पाइप लाइन

(श्री रामपाल उपाध्याय)

से बीच के ग्रामों में गर्मी में पेयजल की खपत बढ़ जाने से आखिरी छोर के ग्रामों में पानी नहीं मिलता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ग्रामीण पेयजल योजनाओं में 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल की मात्रा निर्धारित है। जो पशुओं की आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है तथा राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को इसे बढ़ाने का अनुरोध भी किया गया है। चूंकि गर्मी में पेयजल का उपयोग पशुओं के लिए भी और इन्सानों के लिये भी काफी मात्रा में बढ़ जाता है अतः अधिकतर पानी का उपयोग शुरू के ग्रामों में ही हो जाता है।

2. बीच के ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा बार-बार पाइप लाइन तोड़ दिये जाने के फलस्वरूप आगे के ग्रामों को पानी नहीं पहुंच पाता। पशुपालक भी इन लाइनों को बार-बार तोड़ देते हैं।

3. पूरे समय तक विद्युत उपलब्ध न होने के कारण भी कम जल की मात्रा का उत्पादन हो पाता है जिसके कारण छोर के टेल वाले गांवों को पानी नहीं मिलता है।

4. उपलब्ध स्रोतों से लगातार पानी लिए जाने के कारण गर्मी में स्रोतों की क्षमता में कुछ कमी हो जाती है जिससे जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है तथा छोर के ग्रामों को पानी नहीं मिलता है।

5. कभी-कभी पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण भी सप्लाई में व्यवधान हो जाता है।

पिछले कई महीनों में विद्युत समस्या एक राज्यव्यापी समस्या थी, जिसका असर पेयजल योजनाओं पर भी पड़ा। विशेषकर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं में जहां अन्तिम छोर के ग्रामों पर यह असर सब से अधिक रहा है। यद्यपि इन योजनाओं के संधारण पर पूरी सतर्कता बरती जाती है परन्तु जल न मिलने की सूचना देर से प्राप्त होने के कारण, लीकेज इत्यादि का स्थान मालूम कर उसे ठीक करने में समय लगने के कारण तथा बिजली की सप्लाई बार-बार फेल होने के कारण ग्रामों को पुनः जल उपलब्ध कराने में देरी हो जाती है। कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जहां ग्रामवासी पानी आगे नहीं पहुंचने देते हैं।

राज्य की जिन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के विभिन्न ग्रामों में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में योजनाओं पर, जहां के लिए माननीय सदस्य ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है, जल व्यवस्था में व्यवधान हुआ, विभाग ने इन योजनाओं पर तुरन्त कार्यवाही कर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। अब विद्युत की उपलब्धता में सुधार हुआ है। वर्षा होने से स्रोतों में पानी की आवक बढ़ी है तथा जल की मात्रा की खपत भी घटी है। अतः इन योजनाओं के जल वितरण में सुधार हुआ है। और अधिक सुधार किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

मोगास क्षेत्रीय योजनाओं में अप्रेल से जून तक विद्युत सप्लाई सिर्फ 8 घन्टे होने के कारण ग्राम आमरोली खुर्द, जालसू खुर्द खातोलाई एवं जोधडास ग्रामों में पानी नहीं पहुंचा। चूडियास व अलवास का एक ही हौज ग्राम चूड़ियास से लगभग 600 मीटर दूर होने के कारण ग्रामवासियों को असुविधा होती है। अब इस ग्राम में जल

(श्री रामपाल उपाध्याय)

उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ग्राम आन्तरोली खुर्द व जालसू खुर्द में अब सप्लाई नियमित रूप से हो रही है। पूनास योजना के अन्तर्गत ग्राम बछवास को असामाजिक तत्वों द्वारा पम्पों को खराब कर दिया जाने के कारण सप्लाई में बाधा हो रही है। इन पम्पों को दो बार ठीक कराया गया है। पम्प हाउस बनाने की कार्यवाही की जा रही है। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। बाऊ ग्राम में पाइप लाइन की टेस्टिंग चल रही है जिसके पूर्ण होते ही इस ग्राम को पानी मिलने लगेगा। देदासरी व बाकरी ग्रामों में भी वितरण में व्यवधान हुआ था परन्तु वहां पर जल व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। फलोदी से क्षेत्रीय योजना रिज मल्हार में ग्राम रिण में पानी कम पहुंचने की शिकायत है क्योंकि अधिकतर पानी का फलोदी में उपयोग हो जाता है। अब वहां और नलकूप बनाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रायः क्षेत्रीय जल योजनाओं में स्थानीय जनता का पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण कठिनाई होती है।

पेयजल की अधिक मांग के समय ग्रामवासी अपनी व पशुओं की मांग पूर्ण करते समय छोर पर पड़ने वाले ग्रामों की असुविधा का ध्यान नहीं रखते। इससे न सिर्फ सप्लाई व्यवस्था में बाधा पहुंचती है योजना के संधारण पर टूट-फूट की मरम्मत में व अधिक स्टाफ की आवश्यकता के कारण व्यय बढ़ता है। साधारणतया जिन योजनाओं पर जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है, व्यवस्था में कम व्यवधान उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

माननीय सदस्य ने जो कतिपय उदाहरण बताये हैं मेरा इनसे यही निवेदन है आपकी मार्फत यह निवेदन है कि अकाल के होने से जलस्रोत काफी नीचे चला गया है। बिजली को बार-बार संकट के कारण भी जो 20 घण्टे प्रति दिन के हिसाब से मिलनी चाहिये बिजली वह केवल 7–8 घण्टे और कभी कभी तो 6 घण्टे के औसत से मिलने के कारण व्यवस्थित रूप से पानी की व्यवस्था, पानी की निकासी पानी के स्रोतों से नहीं की जा सकी है। इससे यह सारी बाधायें उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

जहां तक अन्तिम गांव को पहले पानी दिये जाने वाला प्रश्न है विभाग उस पर विचार करेगा लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी अपने वक्तव्य में निवेदन किया है कि पसले पड़ने वाले गांव, जहां-जहां से पानी होकर गुजरता है, के लोग इस पानी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं।

जहां लोकल आदमी की दुर्व्यवस्था का प्रश्न है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस दुर्व्यवस्था को हटाने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की जो टंकियों का निर्माण हुआ है, इसके बारे में यह अनुरोध है कि किसी कम्पनी द्वारा वह टंकी बनायी गई, लेकिन कई टंकियां खराब हो गयी हैं। अभी उनका विवाद उलझा हुआ है, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी निपटा करके उसकी अविलम्ब व्यवस्था करने का प्रयास किया जायेगा।

मकराना गुनारसी इण्डस्ट्रियल एरिया है। यह गुनारसी एरिया अभी पानी से जोड़ा नहीं गया है। अभी इसका जोड़ना विचाराधीन

(श्री रामपाल उपाध्याय)

है जिसके लिए जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

जिन गांवों में लाइनें थोड़ी दूर पर रह गयी हैं यह खेद की बात है, मैं इस खेद की बात मानता हूं। उनमें लाइनें ऐसी डालने की कार्यवाही अविलम्ब की जायेगी। मैं आपकी मार्फत, माननीय सभापति महोदय, सदन को, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और विशेष तौर से पश्चिमी राजस्थान में तो इसकी विशेष आवश्यकता है लेकिन प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति का प्रकोप है, उन सबके कारण, हम को विद्युत सप्लाई नहीं मिलने के कारण यह बहुत सारी बाधायें उपस्थित होती हैं। हमने यह भी विचार किया कि यदि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाय तो इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि हमारे पास धन की कमी है। जहां बिजली है वहां डीजल इत्यादि की व्यवस्था समानान्तर रूप से की जाये तो मैं समझता हूं कि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं माननीय सदस्य महानुभावों से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि पेय जल की व्यवस्था को अधिकाधिक सुचारु रूप से चलाने के सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे।

श्री सभापति : मंत्री महोदय का वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय सदस्य पश्चिम राजस्थान की बात कह रहे हैं। राजस्थान तो इस से बहुत बड़ा है।

श्री सभापति : एक मिनट कृपया!

श्री परसराम मदेरणा : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राकृतिक प्रकोप और बिजली का प्रकोप, यह बात तो बिलकुल निराधार है। आपकी जो रीजनल पाइप लाइन्स हैं, बड़ी-बड़ी 40-40 मील की हैं, राजस्थान में जो पी. एच. डी डिपार्टमेंट है, इसने एक एक्सपेरीमेंट किया, इन लोगों को इस बात का अनुभव नहीं था कि इतनी बड़ी पाइप लाइन है यह किस डाइमेंशन की होना चाहिए, कितना पानी का स्रोत होना चाहिए, कहां पर ग्राउण्ड डाउन स्ट्रीट है और कहां पर लेवलिंग क्या है? यह सब बातें होने के बाद स्रोत का भी ध्यान नहीं रख कर जो योजना 20, 40 और 60 लाख की या एक-एक करोड़ की योजना है, बाड़मेर जोधपुर और नागौर जिलों के अन्दर यह रीजनल पाइप लाइन्स आपने एस्टेब्लिश कर दीं। आप अनएक्सपिरियन्स्ड थे, आपको कोई अनुभव नहीं था। यहां राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में शायद इतनी बड़ी रीजनल पाइप लाइन्स कहीं भी लगी हुई नहीं थी। इसलिए एक तो सब से बड़ा कारण जो रहा है, आप पाइप लाइन को ले तो गये 50-50 मील, डाईमीटर रखा आपने पहले 6 इन्च फिर 4 इंच का। एक इंच डाईमीटर की पाइप लाइन ले गये 32 मील तक। गांव वाले बीच में उसमें व्यवधान डालते होंगे। मैं नहीं कहता, कई जगह डाला है। यह सबसे बड़ा कारण है। आफिसर्स गैलरी में से जो सिर हिला रहा है, इस हाउस के कुछ रूल्स हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, यह तरीका भी नहीं है आफिसर गैलरी में सिर हिलाने का। यह कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस बन सकता है।

मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि आप लेवलिंग का ध्यान रखिए मैं आपको 4-5

(श्री परसराम मदेरणा)

पाइप लाइन देता हूँ। सिर हिलाते हैं तो सिर हिलाते रहेंगे। आपको मैं कहता हूं कि शेरसिंह नगर से जो ले जाने की योजना है इस योजना से अभी तक पानी क्यों नहीं पहुंचा है, उसमें क्या व्यवधान है।

दूसरी आपको वासनी से लेकर के कालवा कला की जोधपुर जिले में दूसरी योजना है। इसको 10 साल बने हुए हो गये हैं लेकिन पाइप मालूम नहीं कहां गये। पाइप नहीं दिख रहे हैं। वह रेगिस्तान के अन्दर इधर-उधर दब गये हैं। यहां पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है? यह दूसरी बात है।

और तीसरा मैं यह कह रहा हूं कि नौथड़ा से आपकी योजना देसगा और फेलनसर होते हुए जो सोहिया डूंगरी जाती है, उसमें अभी तक पानी आखरी छोर क्यों नहीं पहुंचा है। आखरी सिरे तक। मैं 3 योजनाओं का जिक्र कर रहा था, जोधपुर जिले की, इनको बने हुये एक दो साल नहीं, 8-10 साल से रीजनल पाइप लाइन योजना है पर वहां पानी नहीं पहुंचा है। इन गांवों में कड़वा पानी होते हुये भी, वहां पर अकाल की स्थिति होते हुए भी आप पानी ट्रान्सपोर्ट नहीं करते यह कह कर के कि यहां पाइप लाइन गई हुई है। तो उनमें पानी कभी देखा नहीं है आते हुए। पाइप लाइन में कभी गया ही नहीं है पानी टंकियों की हाइट को आप दिखवायें आपके एक्सपर्ट भेजकर कि टंकिया जो लगी हुई हैं वह किस हाइट पर लगी हुयी हैं। पानी जा सकता है या नहीं जा सकता है?

(1.37. म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

ठीक है उस वक्त आपने एक ट्यूब वैल खोद दिया। यह नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रीजनल पाइप लाइन के अन्दर थोड़ा बहुत पानी वानी नीचे चला गया होगा, लेकिन जल के स्रोत भी कम हैं। अगर है इसमें तो आपको दूसरा ट्यूब वेल खोदना चाहिये था। अगर एक ट्यूब वैल 4000 गैलन पर आवर का है तो आप दो खोदिये, तीन खो दिये उसके पास में अगर 12,000 या 15,000 हजार गैलन पर आवर हो जायेगा तो निश्चित रूप से पानी आखरी गांव तक पहुंच जायेगा।

यह है डा बैंक, बोटल नेक। बोटल नेक को हटाइये प्राकृतिक प्रकोप, तो हम जानते हैं, पानी थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है। यह टैक्निकल मिस्टेक है। लोग जानते नहीं थे इसलिये अपने तरीके से, ठीक तरह से अनुमान नहीं लगा सके, अन्दाजा नहीं लगा सके कि इस प्रकार वे बोटल नेक और व्यवधान टैक्निकली बाद में आ सकते हैं। उस बात को रफा दफा करने के लिये, छिपाने के लिये पी. एच. डी. डिपार्टमेंट इसके ऊपर विडो ड्रेसिंग कर रहा है, यह बहुत अहमियत का मसला है। मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय से इसका जवाब मिल जाता। मैं यह चाहता हूं कि आप इसको पढ़ो और 4-5 की रिपोर्ट मंगाकर के देखिये ताकि आपको सही स्थिति मालूम पड़े।

बाड़मेर के अन्दर जो रीजनल पाइप-लाइन है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किस मील तक आई है और किस मील तक नहीं आई हुई है, मैं लोकसभा और विधान सभा के चुनावों में गया था तो वहां के लोगों ने यह आम शिकायत की थी कि पाइप लाइन यहां पर आयी हुयी है, लेकिन पाइप

(श्री परसराम मदेरणा)

लाइन से पानी देखा नहीं है। लाखों रुपया खर्च करके भी बिजली है या नहीं। बिजली नहीं है तो डीजल से चला रहे हैं; डीजल की प्राज कोई कमी नहीं है। आप बिजली ले जाने की व्यवस्था कीजिये बिजली और डीजल की वजह से यह नहीं है यह तो टैक्निकल डिफेक्ट की वजह से है। इसको जब तक आप रिमूव नहीं करते हैं तब तक रीजनल पाइप लाइन से पानी जिन लोगों को यह सुविधा मुहैय्या करनी चाहिये जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है। उस से वंचित रख रहे हैं उनको अपनी गलती की वजह से। यही मेरा निवेदन है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, अभी मदेरणा साहब बता रहे थे कि एक जिले की बात कर के, सारे पश्चिमी राजस्थान का नाम लेकर के मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैंने कोई बुरी बात नहीं की, कोई बुरा काम नहीं किया। मदेरणा साहब जितना मुझे अनुभव भी नहीं हो सकता। वे बहुत समय सत्ता में मंत्री रहे उन्होंने फ्रीक्वेन्टली सारे राजस्थान के दौरे किये हैं उनके टिप्स पर हैं। उन्होंने कई योजनायें खुद ने बनायी। जिन के लिये आज वे कह रहे हैं योजनाओं में कमी रह गई है वह उन्होंने खुद ने बनायी। ठीक है जो कमी रह गयी तो रह गई उसको दुरुस्त करना है। टीका-टिप्पणी से काम नहीं चलने वाला है। मैं तो इतना सा आपसे निवेदन कर रहा था। अपने अनुभव के आधार पर यह चाहता था कि जैसे अव्यवस्था और जो पानी की कमी मेरे क्षेत्र में है। वह पश्चिमी राजस्थान के हर क्षेत्र में होगी। मेरा क्षेत्र भी रेगिस्तानी है और पश्चिमी राजस्थान के और भी रेगिस्तानी इलाके हैं। मेरे यहां जब पाइप टूटे हुए हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो और जगह भी नहीं मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष के फलौदी इलाके में भी नहीं मिल रहा है तो और इलाकों में भी यही हालत है। मैंने लोगों से सुना भी है। तो जितना मेरी व्यक्तिगत याददाश्त है और वजूदी है। आपने जो मुझे बताया है, मैं हाजिरी दूंगा आपके पास आकर।

मैं तो इतना निवेदन करना चाह रहा था आपकी स्वीकृति से, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था उसमें बताया था कि टेल एण्ड के गांवों में पानी जब जाता है तो वहां पहुंचता नहीं क्योंकि बीच में पाइप लाइन तो तोड़ दी जाती है या गांव वाले पानी को रोक लेते हैं तो इसका नम्बर एक। नम्बर दो उन्होंने बताई थी, विद्युत् की कमी। तीसरा यह बताया था कि जल स्रोत जो हैं उसमें पानी कम हो गया है। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, जहां तक जल स्रोत का सवाल है, मेरे यहां 30 फीट पानी ऊपर बढ़ा है। इसलिए किसी भी इलाके में पानी कम है ही नहीं। मेरे यहां सन् 75 से लेकर अब तक निरन्तर बारिश ज्यादा हुई है और नुकसान हुआ है। इसलिये पानी की कमी नहीं है, नम्बर एक। नम्बर दो, मेरे यहां पर कहीं यह शिकायत नहीं है कि रास्ते में पाइप तोड़ कर निकाल लिये हों। ऐसी शिकायत नहीं। कहीं लीक हो गया हो, वह और बात है। इसके लिये मैंने निवेदन किया था कि आखिरी गांव में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

पहले पानी जाय और फिर लाइन के सहारे-सहारे दूसरे गांव में जाकर आखिरी गांव में बन्द करके दूसरे गांव को दें। तो लाइन भी चैक हो जाएगी कि कहीं लीक हो रही है या नहीं हो रही है और यह व्यवस्था भी हो जाएगी। सब गांवों को पानी आखरी गांव को मिलते-मिलते पानी शुरू वाले गांव में शुरू होता है तो आखिर वाले गांव को पहुँचता ही नहीं है। यह तो आपकी व्यवस्था गलत है या हर गांव को अलग-अलग पाइप लाइन से जोड़िए। सिर्फ यह कहने मात्र से काम नहीं बनता कि आखिरी गांवों में चूंकि यह दिक्कत है इसलिए पानी नहीं पहुंचता। इन दिक्कतों के होने के कारण से तो आपको निवेदन किया गया आपका जवाब तो यह होना चाहिए था कि इन दिक्कतों को मीट आउट कैसे करेंगे। आप इन दिक्कतों को हटायेंगे कैसे। मैंने दिक्कतें बताईं और आपने दिक्कतें बता दीं और मैंने खेद प्रकट किया और आपने भी खेद प्रकट कर दिया तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो खेद इसलिए प्रकट कर दिया था कि यह सरकार की हस्तियां हैं। जो कुछ करके हमको सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। अगर खेद प्रकट करने से हमारा काम होता तो हम सभी खेद प्रकट कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन था, आखिरी गांव में आगे की योजना बनाएं। आप करके देखिये। पहले आखिरी गांव को पानी दीजिए। आप का लाइन मैन पर्टीक्यूलर्ली हर गांव के लिए एक होता है। उसका काम यह है कि पानी दें, वाल्व को खोलें, लाइन चैक करे। वह लाइन को चैक करता है जहां पहले वाला गांव है, वहां जायें और वाटर स्कीम जहां शुरू हुई वहां जायें, तब व्यवस्था सुधरेगी, एक। दूसरा यह है कि बजट भाषण में पढ़ा और माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमने प्रयत्न किया है कि विद्युत् की कमी न आये और न आने दी। कृषि के लिए आपने विद्युत् उपलब्ध की तो पानी के लिए भी वही विद्युत थी। कोई अलग-अलग विद्युत् करनी नहीं थी कि कृषि के लिये अलग आयेगी, पीने के पानी के लिए अलग विद्युत् आयेगी। जितनी कृषि के लिये मिली उतनी कृषि के लिये मिली इसलिये बिजली की कमी नहीं है। एक मात्र कमी यह थी कि आपकी टंकियां नहीं थीं, टंकी के लैवल आपने बनाये, ठीक है, नहीं बनाये। जैसा मदेरणा साहब कहें, कैसे चैक करवा लीजिये। लेकिन अगर टंकी में पानी होता तो उसका मतलब यह होता, आपके पास जो बिजली चल रही है, जिस वक्त, उस वक्त पानी आप डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, 'इन एडीशन टू देट, आपके पास टंकी में पानी है, जब आपके पास में बिजली नहीं है तो···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उस टंकी का पानी आप उन गांवों को सप्लाई कीजिये तो मेरा प्रश्न और विनम्र निवेदन यह है कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं कि अंतिम गांव को पहले पानी देकर के लाइनमेन चैक करता हुआ जाय उन गांवों में पानी खोलता हुआ और व्यवस्था करे, नम्बर एक।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

दूसरा प्रश्न यह है कि जहां आपने टंकियों को टेस्ट नहीं किया है, इमीजेंटली आप उनको टेस्ट करके देखो और लिखो ठेकेदार को और उन टंकियों को इस्तेमाल करके उनसे पानी सप्लाई करें ताकि बिजली न होते हुए भी गांवों को पानी मिल सके नम्बर दो।

नम्बर तीन, जिन गांवों में लोकल आदमियों को लगाया हुआ है और जो सोये रहते हैं अपने घरों में, घर का काम करते हैं, टाइम पर जाकर वाल्व खोलते नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है, बिजली रात को आये, आपका पाइप स्टेशन पर रहने वाला आदमी रात को जब उसने पानी खोल दिया, वह सोया होता है तो पानी जहां एक लाइन खुल गई वहां रात भर जा रहा है, क्या उन आदमियों को न लगाकर बाहर के आदमियों को लगायेंगे, जहां उनकी ड्यूटी है, वहां पाया जाये; और अधिकारी टाइम टू टाइम उनको चैक करेंगे रात को और दिन को कि जब बिजली आती है तो क्या लाइनमेन सुचारु रूप से काम कर रहा है या नहीं। बस मेरा यही निवेदन है, क्या आप यह करने के लिये आदेश करेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मदेरणा साहब ने जो सुझाव दिये, हैं वह मूल्यवान सुझाव हैं और उनका सरकार यथासमय, बल्कि मैं यह कहूं शीघ्रातिशीघ्र उनकी पालना करने की चेष्टा करेगी उनकी पूर्ति करने को चेष्टा करेगी। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, वह काफी मूल्यवान हैं, और मैं नहीं समझता, पेयजल की समस्या के निदान के लिए अगर किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उसको सरकार नहीं मिटा सकती, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं केवल एक ही विश्वास दिला सकता हूं, जो चाहे वह लेवलिंग का हो, चाहे वह तकनीकी सहायता का हो, चाहे स्टाफ वाला हो, चाहे लोकल स्टाफ का हो, चाहे टंकियों की क्षमता कम हो, सारे जो सुझाव हैं, उन सुझावों पर फिर से गौर करेगी और पानी पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न करेगी।

केवल दो बातें, मैं वह निवेदन करना चाहूंगा, जब योजनायें बनीं, उस समय जनसंख्या के आधार पर बनीं। दूसरी बात जन संख्या वृद्धि कर रही है, उस समय पशुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं नहीं बनायी गयीं। तो पशुओं के लिए पानी लेने लग गये बीच में। पशुओं के लिए योजना बनानी चाहिए। भारत सरकार से राज्य सरकार ने पुनः अनुरोध किया है कि आपके जो नाम्र्स हैं, उसमें इसे आप जोड़िये।

दूसरी बात मैं अर्ज करूं, जिस समय यह योजना बनती है उस समय कम से कम 20-22 घंटा प्रति दिन बिजली के हिसाब से बनायी थी, इसलिए इसकी कैपेसिटी अगर 1 लाख, मान लीजिए गैलन की है, होनी चाहिए थी उसके लिए तो वह 50 हजार गैलन की बनायी गई। ख्याल यह था कि निरन्तर बिजली मिलेगी पानी जो भरा हुआ है, वह ज्यादा चला जायेगा तो पेयजल के रूप में काम आ जायगा। जब तक और भर जायगी टंकी। लेकिन संयोग से बिजली कम मिली। निश्चित तौर पर कई तरह की बाधाएं उपस्थित हुई हैं। राज्य सरकार की निश्चित तौर पर मंशा है कि पेयजल की समस्या का निदान पूर्ण रूप से करने की पूरी कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को वक्तव्य के...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसके सम्बन्ध में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आज से दस-बारह रोज पहले दैनिक न्याय में एक समाचार छपा था कि राज्य सरकार ने पीने के पानी के संबंध में जो योजना केन्द्र सरकार को भेजी थी वह केन्द्र सरकार ने अस्वीकार करके वापस भेज दी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग प्रश्न माननीय सदस्य। इसको किसी अन्य तरीके से रखें।

श्री माधवसिंह दीवान : जो इनडिसिप्लिन इतना डवलप हो गया, आपके स्टाफ में, लाइनमेन वहां नहीं रहता है, काम करता ही नहीं है, उसके बाबत आप क्या करेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट विनम्र शब्दों में निवेदन किया, लाइनमेन अगर नहीं रहता इंजीनियर नहीं रहता, कोई स्टाफ नहीं रहता, जिसका जो दायित्व है वह उसको पूरा नहीं करता है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उसके लिये जो कार्यवाही है वह जरूर करेगी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अजमेर जिले के अन्दर हर वर्ष पानी का अकाल रहता है, उसके लिये 20 वर्ष मे पेयजल योजना...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज, इस तरह के आपत्तिजनक मामले या शब्दों का प्रयोग न करें।

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों के बारे में, श्री नाथूसिंह एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया का स्थगन प्रस्ताव। इस पर पहले मंत्री जी वक्तव्य देंगे, बाद में माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, वह स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ कह सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बीच में अवसर देंगे। मैं आपसे कृपा कर के टाइम चाहूंगी।

मैं इसके पूर्व मंत्री महोदय से जलदाय योजना के बारे में जानकारी चाह रही थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं।

सन् 73 में सरकार ने एक योजना बनायी थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि प्रारम्भिक रूप से जो भी गांव 5 हजार रुपया जमा कर देगा, वहां पेयजल योजना लागू कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय कोई जानकारी लेंगे उसके बारे में विभाग से। अध्यक्ष महोदय, 5-5 हजार रुपये अनेक गांवों ने जमा करा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है,

(श्री अध्यक्ष)
माननीय सदस्या।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों द्वारा गत 29 मई, 1980 से किया जा रहा आन्दोलन

मंत्री महोदय। जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों की हड़ताल के बारे में।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप मंत्री, श्रम) : जहां तक उद्योगों के अधिग्रहण करने का संबंध है, आई.डी.आर., 1951 के अधीन कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार ने पूर्व में इस उपर्युक्त अधिनियम के अधीन अधिग्रहीत करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया था, किन्तु केन्द्र सरकार अधिग्रहित करने की इच्छुक नहीं थी। राज्य सरकार इसका वैकल्पिक हल किये जाने का प्रयास कर रही है। मजदूर संघ व प्रबंधक का गठन श्रम आयुक्त की मध्यस्थता द्वारा समझौता···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्पष्ट बोलें साहब, समझ में नहीं आ रहा है। उपयुक्त है या उप आयुक्त है, क्या बोलने लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं निवेदन करता हूं, शांत रहें बाधा उपस्थित न करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्पष्ट तो बोलें साहब···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदया कमला जी का नाम था, उन से जवाब दिलों दीजिये, उनकी आवाज स्पष्ट है। उनकी भाषा भी समझ में आ जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : बोलिये, बोलिये, सब समझ में आ रहा है। इनको बीच में बाधा डालनी है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, थोड़ा जोर से पढ़ दें, शुरू से पढ़ दें, बाबा।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : प्रबन्धकों के मध्य श्रम आयुक्त की मध्यस्थता के द्वारा एक समझौता सम्पन्न हो गया है और श्रम मंत्री महोदया की अपील पर मजदूर संघ ने अपना आन्दोलन आज सुबह 6 बजे की पारी से समाप्त कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह। एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह स्पष्ट नहीं है। आपने एक बात कही कि मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और आन्दोलन आज सवेरे वापस ले लिया है। यह तो ठीक है। लेकिन मजदूरों की हड़ताल के समाप्त होने या संघर्ष को वापस लेने का महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि

(व्यवधान)

सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, इसमें राज-

(श्री नाथूसिंह)

स्थान की जनता के बहुत भारी पैसे का नुकसान हो रहा है उससे सम्बन्धित मामला है और मजदूरों के रोजगार का मामला है। अध्यक्ष महोदय, जून, 77 में इस मांग को लेकर आन्दोलन चला। मंत्री महोदय को शायद मालूम नहीं होगा, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय कमानी बन्धु, जो संचालक थे इस फैक्ट्री के सरकारी वित्तीय संस्थान से बहुत सारा पैसा लेकर उस पैसे का घोटाला करने के लिए, इसको दिवालिया घोषित करने के लिए तय कर लिया। जब वह दिवालिया घोषित करके इस फैक्ट्री को बन्द करने जा रहे थे, इस सरकार की बुद्धि में यह नहीं आया, जनता ने कोई इन्टरफियर नहीं किया, वहां के मजदूरों ने सोचा कि बेरोजगार हो जायेंगे जनता का नुकसान होगा इसलिए उन्होंने आन्दोलन किया और उन्होंने मांग रखी कि यह दिवालिया घोषित करने जा रहे है, फैक्ट्री को बन्द करने जा रहे हैं, सरकार इसको अपने हाथ में ले ले सरकार ने कहा कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। फिर वे केन्द्रीय सरकार के पास गये। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सब इसलिए बताना चाहता हूं कि उनको शायद ध्यान नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने डी एण्ड आर 1951 के तहत रामास्वामी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और कहा, यह कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर हम निर्णय लेंगे उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 78 तक नहीं दी। जब नहीं दी तो मजदूरों ने संघर्ष किया। वे दिल्ली हमारे पास गये। बातचीत चलती रही। दिल्ली और यहां जोर लगाया गया, 16 सितम्बर को फिर प्रोडक्शन प्रारम्भ हुआ। उसके पश्चात् राज्य सरकार ने इसको अस्थायी तौर पर नियंत्रण में ले लिया 1978 में वेज बोर्ड बना था। नियम यह था कि हर पांच साल में वेज बोर्ड बनाया जाय। दो मूल प्रश्न हैं एक मजदूरों के पैसे से सम्बन्धित और दूसरा इसको अधिग्रहण करने से सम्बन्धित। अधिग्रहण के सम्बन्ध में राजस्थान के सारे एम. पीज. सहमत थे। रामास्वामी ने जब रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा रिपोर्ट को केन्द्र ने वापस राज्य सरकार को टिप्पणी मांगने के लिए कि राज्य सरकार इस बारे में क्या सोचती है राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट भेजी। राज्य सरकार इसको अधिग्रहण कर ले। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यह जनता के हित में है। जब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की तो यहां के मजदूर गये। उस समय मैं एम. पी. था। सारे एम. पीज. ने सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट को एक पत्र लिखा। उस समय उद्योग मंत्री जार्ज फर्नाण्डिस थे इनसे मिले उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर गम्भीरता से बिचार कर रहे हैं और सरकार इसको अधिग्रहण कर लेगी जो आश्वासन दिया गया था सैन्ट्रल गवर्नमेंट से और जो रामास्वामी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने टिप्पणी भेजी थी। उसके बाबत मैं आपको बताता हूं। तत्कालीन उद्योग आयुक्त श्री डी. आर. मेहता ने उस समय मजदूर संघ को पत्र क्रमांक डी. एफ.एफ. 2(111) आई.एन.डी./1/77, 17 जुलाई, 1978 लिख कर अवगत कराया था कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण कर केन्द्र सरकार को भेज दी है। निर्णय केन्द्र सरकार को लेना है। तब 1-7-78 को मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में केन्द्रीय उद्योग मंत्री से भेंट की। उन्होंने बताया, जो रिपोर्ट रामा स्वामी की मिली,

(श्री नाथूसिंह)

उद्योग मंत्रालय ने उससे फिर अवगत कराया है। मजदूर संघ को पत्र संख्या उद्योग मंत्रालय ने पत्र क्रमांक 2/29/76-सी.यू.एल. 10 जुलाई, 1978 के द्वारा बताया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से तथा रामास्वामी कमेटी की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है तथा यथाशीघ्र अधिग्रहण की कार्यवाही की जायगी। "यह केन्द्रीय सरकार ने बतलाया। राज्य सरकार ने कहा, अधिग्रहण की कार्यवाही की जायगी। हमने पूर्ण कागज तैयार कर भेज दिया है। इन कागजों के पहुंचने के बाद केन्द्र ने आश्वासन दिया और फिर भी नहीं हुआ तो अगस्त, "1978 में लोक सभा में एक "प्रश्न" उठाया गया उसका जवाब देते हुए तत्कालीन उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती आभा मैती ने बताया था कि औद्योगिक डी. एण्ड आर. एक्ट, 1951 के अन्तर्गत गठित रामास्वामी कमेटी की रिपोर्ट केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय को प्राप्त हो गई है तथा राजस्थान सरकार के टिप्पणी हेतु भेज दी गई है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : जब लोक सभा में उन्होंने यह जवाब दिया तो हमने उनको पकड़ा। हमने कहा, स्टेट गवर्नमेन्ट ने आलरेडी आपके पास रिपोर्ट भेज दी है। जबकि कहा कि रामास्वामी की रिपोर्ट पर टिप्पणी देने के लिये राज्य सरकार को भेजी है। राज्य सरकार ने टिप्पणी पहले भेज दी थी। जब हमने उनको बताया कि आपके पास रिपोर्ट आ गई है। तब उन्होंने जवाब दिया कि हमने रामास्वामी की रिपोर्ट आई है वह और राज्य सरकार की जो टिप्पणी आई है वह सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए कि इसको किस प्रकार से अधिग्रहण किया जा सकता है उद्योग मंत्रालय की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको भेजा है। ज्योंही स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर तुरन्त इसको अधिग्रहण कर लेंगे। लेकिन तब से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद अप्रेल, 1979 में फिर मजदूर संघ के प्रतिनिधि केन्द्रीय सरकार से मिले। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को जयपुर मैटल्स के अधिग्रहण की कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : केन्द्रीय सरकार ने आदेश दे दिये कि राज्य सरकार इसको अधिग्रहण कर सकती है लेकिन उसके पश्चात् भी बार-बार मजदूर मांग करते रहे लेकिन राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली 29 मई से मजदूरों ने क्रमिक अनशन तथा 30 जून से आमरण अनशन प्रारम्भ किया। इन्होंने एक मांग और जोड़ी। जो वेज बोर्ड बना था उसके बारे में कहा कि वेज बोर्ड का गठन पांच साल में हो जाना चाहिये, पहले 71 में हुआ तो 75-76 में हो जाना चाहिए था लेकिन अब 80 आ गया अभी तक भी नहीं पता है। ये इनकी दो प्रमुख मांगे हैं। 29 मई से आन्दोलन चल रहा था यह तो खुशी की बात है कि उन्होंने आन्दोलन वापस ले लिया है लेकिन इस बीच में जो आन्दोलन हुआ, यह आन्दोलन हुआ क्यों इससे कितना नुकसान हुआ फैक्ट्री को इतने दिन आन्दोलन क्यों चला, उनसे पहले क्यों नहीं बातचीत की? अधिग्रहण करना चाहिए था। अगर आप इसका अधिग्रहण नहीं करोगे तो

(श्री नाथूसिंह)

नुकसान होगा। यह मजदूरों ने आपसे कहा, राज्य सरकार का नुकसान होगा, मजदूर बेकार होंगे, मेटल फैक्ट्री बन्द हो जायेगी, प्रोडक्शन बन्द हो जायेगा · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री नाथूसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका अधिग्रहण कब तक कर लेंगी, वेज बोर्ड का गठन कब तक हो जायेगा और क्या आप यह जांच करवायेंगे कि जो इसके प्रबन्ध निर्देशक असीम चटर्जी थे उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर वहां के जो पुराने मैनेजर्स थे कमानी बन्धुओं के चेले उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे? क्या आप जांच करवाने के पश्चात् जो लोग दोषी पाये जावें उनको दण्ड देंगे? इसको अधिग्रहण करने, वेज बोर्ड के गठन और इसकी जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के प्रश्न रखे हैं। इन सब पर कार्यवाही कब तक की जायेगी, मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द !

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, हड़ताल टूट चुकी है, समझौता हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बातों को लेकर हड़ताल सन् 75 से चल रही है, वह मुद्दा आज भी सामने है अधिग्रहण का उसमें जो सबसे प्रमुख मुद्दा था कि इस फैक्ट्री को कमानी बन्धुओं ने दिवालिया घोषित कर करोड़ों रुपयों की लोगों की शेयर पूंजी लगी हुई उसको भी खाने की बदनियती थी जिसको मजदूरों ने उजागर किया। एक तरफ उसकी स्वयं की रोजी रोटी का सवाल था, दूसरी तरफ करोड़ों रुपयों की लोगों ने शेयर पूंजी लगाई थी उसको हजम कर के ये यहां से भाग न जांय क्योंकि ये जो फैक्ट्री है वह कोई साधारण फैक्ट्री नहीं है। ऐसी अब तीन या चार फैक्ट्रियां हैं। इनके पास जो आर्डर्स पड़े हैं उनके अनुसार 5–5 साल तक बनाते रहें तो भी माल की सप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर घाटे में क्यों जाते हैं इसका मतलब है, प्रबन्ध में कहीं न कहीं दोष है। इसलिए प्रबन्ध के दोष को दूर करने के लिए सरकार को अपने पास में लेना चाहिये। केवल एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देने से इसकी सारी सफाई नहीं होगी, श्रीमान् दूसरा यह है कि अप्रेल, 79 के दिन जब केन्द्रीय सरकार ने कह दिया कि इसका अधिग्रहण कर लिया जाय राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से सहमति दे दी तो आज कौन सी अड़चन, किस जगह बाधा बनकर खड़ी है, इसको मंत्री महोदय समझने की कोशिश करें। ये आखिर दोनों की राय है। केन्द्र से भी जो इनका प्रतिनिधि मण्डल मिला उसको यह आश्वासन दिया कि हमने यहां से लिख दिया कि राज्य सरकार उसको अधिग्रहण करे। राज्य सरकार लिख रही है, हमारे जो डी.आर. मेहता हैं, जो उद्योग विभाग के कमिश्नर थे, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हमने अभी यहां से भेज दिया है कि इसको अधिग्रहण कर लिया जावे। फिर अड़चन कहां आ रही है? और फिर मुख्य बात यह है कि राज्य सरकार कमानी बन्धु की बदनियती को ध्यान में रखते हुए 18 सौ मजदूर जो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं उन सबकी, उनकी जिन्दगी की रक्षा करे। आन्दोलन के दिनों जिन लोगों को नौकरियों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
से निकाला गया उन लोगों को फिर से नौकरी में लिया जाये। यह बात जोड़ कर मंत्री महोदय अपना उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां विस्तार से चर्चा हुई। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी। यह मामला स्क्रीनिंग कमेटी से भी वापस आ गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसको अति शीघ्र निपटाने के लिए, इसके अधिग्रहण करने की कार्यवाही करने के लिये शीघ्राति-शीघ्र कार्यवाही चाहे केन्द्र से सम्पर्क करके करनी पड़े चाहे पत्राचार से करनी पड़े, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाने की कोशिश करें।

दूसरे, क्या समझौता हुआ है? यह तो कह दिया है कि समझौता हुआ है। वह समझौते से सदन को अवगत करायें, जिससे मालूम हो जाय कि समझौते के बिन्दू क्या हैं। कहीं ऐसा न हो कि जो इस ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव या वक्तव्य के हिसाब से कोई समझौता क्षणिक कर दिया गया हो, कल फिर आन्दोलन छिड़ने की नौबत आ जाये। समझौते को सदन की सम्पत्ति बनाया जाये।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जो चीजें वहां से निकाली गई हैं, गलत दामों से बेची गई हैं, उनके बारे में क्या····

श्री अध्यक्ष : फिर अलग प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ····इन्हीं मामलों को लेकर आन्दोलन हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां से कम मूल्यों पर बेचने के लिए कई चीजें निकाली गई हैं। श्रीमन्, पंड्या द्वारा घोटाले किये गये।

प्रबन्ध निदेशक श्री असीम चटर्जी को जयपुर मैटल्स से अनुपस्थिति का लाभ उठाकर सेठ कमानी के समय के मैनेजर ने पुनः गड़बड़ियां प्रारम्भ कर दी हैं। वर्तमान में कैश सैक्शन से 1000 रुपये का गबन मोटर को श्री एस. चरण द्वारा निर्धारित मूल्यों, जिन पर राज्य विद्युत् मण्डल को बेचा जाता है, से कम मूल्यों पर बेचना, एनामल वायर क्रय विक्री घोटाला श्री डी. बी. पण्ड्या द्वारा, इत्यादि घोटाले चर्चा का विषय बनकर जयपुर मैटल्स के श्रमिकों के अनिश्चय का वातावरण निर्मित किये हुए हैं। जवाब ठीक नहीं दिया, जांच नहीं की गई तो निश्चित रूप से मजदूर फिर असन्तुष्ट होगा। फिर कोई गलत कदम उठायेगा, जिससे फैक्ट्री का काम न होगा। हम नहीं चाहते कि उत्पादन नहीं हो, उत्पादन में क्षति हो। हम चाहते हैं कि उत्पादन भी हो, मजदूरों में असन्तोष भी न हो। इस तरह के कदम क्या सरकार उठाने जा रही है? कृपया उस सबसे अवगत कराइये। मैं कहना चाहती हूं···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : संक्षेप में कह रही हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाये। कर्मचारियों का वेतन व कार्य का उत्पादन निर्धारित किया जाये। तथा जोब पिटमेन्ट किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1–7–78 को इस फैक्ट्री के लिए जब यहां जनता गवर्नमेंट थी और सेन्टर में भी जनता गवर्नमेन्ट थी, दोनों ही जगह जनता गवर्नमेन्ट थी, उसके पश्चात् भी····

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1–7–78 को जनता गवर्नमेन्ट नहीं थी, यह बात कह करके मजदूरों के हित की बात को दबाया नहीं जा सकता। इस पर गम्भीरता से बात करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

एक माननीय सदस्य : जिस समय यह प्रश्न उठाया गया, उस समय इनकी गवर्नमेंट थी। लगातार इनके पास ढाई वर्ष तक शासन रहा उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारा शासन आये एक महीना भी नहीं हुआ ये सारी गन्दगी हमारे ऊपर उछाल-उछाल करके उजागर करना चाहते हैं, यह कहां तक उचित है।

श्री दाऊदयाल जोशी : और उछलेगी गंदगी··

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : जयपुर मेटल्स के विषय को लेकर के आज मजदूर आन्दोलित हैं। इस प्रश्न को बार-बार सदन में उठाने के पूर्व मैंने चाहा था कि माननीय मुख्य मंत्री के माध्यम से सारी समस्या को हल कराने का प्रयास करूं। मैंने इस सत्र के कार्यकाल में प्रथम बार माननीय मुख्य मंत्री के पास जाकर इस प्रश्न को रखा था। उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़े विश्वास के साथ इस प्रश्न को सुनते हुए निर्णय दिया कि दाऊदयाल जी, आप इस प्रश्न को लेकर के अब्दुल रहमानजी के पास चले जाइये। निश्चित रूप से यह वास्तव में गम्भीर है, उस समय वहां शिवचरण जी माथुर उपस्थित थे, उन्होंने पूछा भी सही कि जयपुर मेटल्स के लिए आप क्यों कह रहे हो। मैंने उनसे कहा––क्योंकि मैं भी मजदूरों के साथ काम करता रहा हूं, मेरा उनसे सम्पर्क होने के नाते मैं मजदूरों को लेकर के आया मैं उनके पास गया। वहां पर जो कमरा सुरक्षित है, डेलिगेशन से मिलने के लिए, उनमें वे पधारे। उन्होंने सहृदयतापूर्वक सारी बात सुनी। उन्होंने कहा, आप चिन्ता मत कीजिए, कल की तारीख निश्चित रूप से भूख हड़ताल हम तुड़वा देंगे। कोई समस्या ही नहीं है। इसमें तो राजस्थान सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। जहां पर हमारा खुद का पैसा है, खुद का इन्ट्रेस्ट, खुद का सारा मामला उलझा हुआ हो, हमारी खुद की पूंजी डूबने की स्थिति में हो, राजस्थान सरकार पर ओवर ड्राफ्ट हो, राजस्थान सरकार जहां 20 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही हो तो हमारी पूंजी और डूबे, उससे बुरी बात नहीं हो सकती। उन्होंने बड़े आश्वासन दिये थे। मुझे दुःख है कि मजदूरों की बात को नहीं माना गया। 19 तारीख को मजदूर लोग मशाल लेकर के मुख्य मंत्रीजी के द्वार पर गये वहां पर नहीं सुना गया। उसके बाद एक दम मैनेजमेंट ने आक्रोश भरा कदम उठा दिया। उसके बाद 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 19 लोगों में 7 लोग आमरण अनशन पर पिछले 7 दिन से बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न, जिसमें राज्य सरकार का खुद का इन्ट्रेस्ट है,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

राज्य सरकार का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, पर गम्भीरता से विचार करें। अधिग्रहण करने की बात करके अगर राज्य सरकार विचार नहीं करना चाहती तो जयपुर मैटल्स का सारा प्रबन्ध मजदूरों को दे दे। मजदूर ठीक प्रकार इसको चला सकते हैं। लेकिन अधिग्रहण नहीं करना चाहते अधिग्रहण के बारे में बात भी नहीं करना चाहते 1800 मजदूरों में से पांच सौ मजदूरों को पिछले सात दिन से नौकरी से निकाल दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मजदूरों को निकाला गया है उन्हें वापस नौकरी पर लें और सहृदयतापूर्ण वातावरण बनायें। मजदूर और मालिक का सम्बन्ध राजस्थान में दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, कोटा में तो सारी फैक्ट्रियां अस्तव्यस्त हो रही हैं, सारे धन्ना सेठ बदतमीजी पर उतरे हैं। मजदूरों को पीसना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर !

श्री दाऊदयाल जोशी : इस मामले को गम्भीरता से लेकर मन्त्रिमण्डल विचार करके शीघ्रातिशीघ्र जेल में जो लोग हैं उनको छुड़वायें। जेल में जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी भूख हड़ताल तुड़वा कर सही रूप से मिल को प्रारम्भ करवाकर राजस्थान की खुशहाली, बहबूदी, प्रगति में चार चांद लगाने का प्रयास करें। मुझे तो आशा नहीं इस शासन में चार चांद लगें, अगर चार चांद लगावें तो आपकी वाहवाही होगी, हम भी वाहवाही में शामिल होंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप मंत्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्यों ने इस फैक्ट्री के बारे में विचार रखा है। सदस्य ने यह भी फर्माया है कि शायद यह मालूम नहीं है किसी को कि यह बड़ी फैक्ट्री है, राजस्थान में चार में से एक है। मैं समझता हूं, इसमें दो राय नहीं लेकिन क्या ये सदस्य यह भी समझते हैं कि फैक्ट्री का काम बंद करवाने में जिन लोगों का हाथ होता है, इस कार्यवाही को क्या समझते हैं, क्या वह देश के हित में है या अहित में है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सब आपने किया है, गड़बड़ी मत करो।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : तुम्हारे ××× बैठे हुए हैं उन्होंने यह करवाया है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैंने कोई व्यक्तिगत नाम नहीं लिया है जो लोग हड़ताल कराने में शामिल होते है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिसका नाम जो भी महोदय सोचते हैं उनका जरा नाम तो बतायें...!

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : इस तरह का आरोप पूरे सदस्यों पर नहीं लगाना चाहिए। यह मत कहो कि हम लोगों ने फैक्ट्री बंद करवाई,

---

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)
आपने आरोप लगाया। 1975 में हम थे? 1977 में थे? 1978 में हम थे, जब हमारी गवर्नमेंट थी तब हम फैक्ट्री बंद करवाते? आपको यह बात कहते हुए शर्म आनी चाहिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मंत्रीजी ने नाम आपका कब लिया? या तो आपने गड़बड़ी की है फैक्ट्री बन्द करवाई है, इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा जिन्होंने फैक्ट्री बन्द करवाई है, आप थे क्या?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य आप मंत्री महोदय को फेल करने के लिये गलत शिक्षा दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं स्पष्ट करूं कि मैं आपकी सरकार और हमारी सरकार पर आरोप लगाता हूं, मुझे संदेह है, जो मुझे पता चला है, कमानी बंधू अपने को दीवालिया घोषित करके, राज्य सरकार से, वित्तीय संस्थाओं से जो पैसा लिया गया, उस पूंजी को वे खाना चाहते हैं। इसलिए इस समय वह सरकार व अधिकारियों के स्तर पर इधर उधर दबाव डलवा रहा है ताकि किसी तरह से फैक्ट्री का अधिग्रहण न हो, इस तरह की साजिश कर रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथू सिंह : सरकार स्पष्ट करे कि ऐसा नहीं है। सरकार नीति की घोषणा करे कि वह इसे अधिग्रहण करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज : जब मंत्री बोल रहे हैं तो आप बार बार अवरोध पैदा कर रहे हैं, इनको आप रोकिए। मंत्री महोदय ने किसी का नाम नहीं लिया। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

यह गिल्टी कांशस है इसलिये बार बार बिना नाम लिये खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, ये जो उत्तेजना प्रकट कर रहे हैं इससे कुछ और ही राज मालूम होता है। बहरहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो सहानुभूति एक इंडस्ट्री के बारे में बताई है···

श्रीमती विद्या पाठक : पहले अपने घर को तो देखो जो पहाड़िया गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे हैं, वे इसमें शामिल हो सकते हैं।

श्री दिनेश डांगी : आप जगदीश माथुर को रिहेबिलिटेट कर लो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहूंगा कि अभी सरकार का इस फैक्ट्री को टेक ओवर करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री बाऊ दयाल जोशी : पूंजीपतियों के ××× हैं आप।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह: जो मैं संदेह प्रकट कर रहा

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)
था, मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्पष्ट हो गया।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष पैरों पर हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसके प्रबन्धक गड़बड़ियां कर रहे हैं मेरा निवेदन है वह चोरियां कर रहे हैं। फिर भी अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, बतायें। क्या समझौता कराया है।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न आपने पूछे हैं यदि उनका उत्तर दें। नहीं चाहते तो मैं दूसरी कार्यवाही अपने आप लूं? नहीं तो मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं, कृपया शांतिपूर्वक सुन लीजिए।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : टेक ओवर के संबंध में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह मामला अभी तक नहीं लिया गया है, इस पर विचार चल रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें जो कार्य चल रहा है, अभी जो स्थिति है उसके प्रति हम जागरूक हैं। जैसा उचित होगा, आगे प्रयत्न करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कोई जवाब नहीं।

श्री दिनेश डांगी : तो फिर कैसा जवाब चाहिए।

श्री नाथू सिंह : अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं, यह बताइए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चंद कटारिया : समझौता क्या हुआ, यह तो बताइए। किन आधार पर हड़ताल तुड़वाई।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हमने तो प्रश्न उठाया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने...

श्री अध्यक्ष : विचार विमर्श चल रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या समझौता हुआ? कैसे हड़ताल टूटी। उन लोगों के केसेज हटायेंगे या नहीं? उनके केसेज का क्या हुआ?

श्री भगवानदास शास्त्री : आज 6 बजे जो समझौता हुआ है उसमें हड़ताल के समय की पूरी तनख्वाह उनको मिलेगी? जो जेल में हैं उनको जेल से रिहा किया जाएगा या और कुछ शर्ते हैं?

श्री अध्यक्ष : उस समझौते पर यहां पर विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बिना समझौते के आन्दोलन वापस लिया है?

श्री नाथू सिंह : हमारा मूल प्रश्न तो यही था।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को कुछ समय तो दीजिए। वह कुछ कहना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, मंत्री महोदय।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : वेज बोर्ड का गठन केन्द्रीय सरकार करती है। पिछली बार भी उसी ने किया था।

आपका एक सवाल यह है कि जो स्ट्राइक पर मजदूर रहे उनको तनख्वाह दी जायेगी या नहीं ? टूल डाउन का जो सिस्टम है उसमें तनख्वाह नहीं दी जाती है और टूल डाउन के बाद में जैसा आपको मालूम है, मजदूर बी.एम.एस., दूसरे मजदूरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। इसलिए उसको सस्पेंड किया गया था तो सस्पेन्शन के समय की तनख्वाह नहीं मिलती है। बहरहाल यह जो समझौता किया गया है इसके अन्दर कुछ मुकदमे वापस लेने की बात है, सारा केस लेबर कमिश्नर को रेफर कर दिया गया है। उन्हीं शर्तों, जो तय की हैं, पर स्ट्राइक आज वापस हो गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय ने जो अधिग्रहण का विषय था उस पर तीन बातें कहीं, एक तो उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, दुबारा उन्होंने कहा कि अधिग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं, तीसरी बार कहा कि हम विचार कर रहे हैं। रामास्वामी कमेटी का जो निर्णय हुआ है, वह क्या है ? आपकी सरकार की राय उन्होंने पूछी थी, आपने क्या राय दी ? इस पाइन्ट पर भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। एक विषय पर तीन प्रकार की बातें कह कर सदन को मंत्रीजी गुमराह करना चाहते हैं। हमें पता नहीं उस पर क्या निर्णय लिया है इसलिए स्पष्ट रूप से कहें कि तीनों बातों में से कौनसी बात सही है ?

दूसरी बात, जो आज प्रातः काल समझौता हुआ है जिस पर भूख हड़ताल तोड़ी है आन्दोलन वापस लिया है उसकी शर्तें बतावें कि हमने ट्रिब्यूनल में या लेबर में भेजने की बात कही है, वह बात हुई है या उसके साथ और बात हुई है ? इसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि यह जो समझौता हुआ है वह लिखित में हुआ या अलिखित में ? कृपया यह बताने का कष्ट करें। क्या क्या बिन्दु हैं उसके ?

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह बी.एम.एस. वालों ने पहले भी झगड़ा किया था दूसरे मजदूरों के साथ में कहता हूं, जो सी. पी. आई. वालों का यह धन्धा है जो घुसे हुए हैं यूनियन में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्यों ने क्वेरीज की हैं इनका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सवाल इसको टेक ओवर करने का है राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। अब रहा सवाल यह कि लेबर के साथ क्या समझौता हुआ। वह थोड़ा लम्बा है अगर आप चाहें तो मैं उसे सदन में पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : समझौते को यहां पर

(श्री अध्यक्ष)
पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझौते पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी। अब इस प्रश्न पर चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

आय व्ययक, 1980–81 पर सामान्य वाद-विवाद।

आय–व्ययक पर वादविवाद

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका इनकम्पलीट रह गया था इनको दो मिनट दे दिये जाय।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने बजट पर बोलते हुए इस बजट को प्रतिगामी, ग्रामीण विकास को अवरुद्ध करने वाला बताते हुए एक बात और कही थी वह यह कि यह एक ऐसा बजट है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से करों का भार रखा गया है। बजट को देखने मे ऐसा पता लगता है कि शायद इसमें कुछ भी करों का प्रावधान नहीं है।

(2.23 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बात न करें। व्यवधान नहीं डालें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, किन्तु इस वर्ष के अन्त में 85.05 करोड़ ओवर ड्राफ्ट बन जावेगा। जैसा कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि इतना बड़ा डेफिसिट फाइनेन्सिग हो जाने से इसका असर हमारे यहां बहुत बुरा पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इतना बड़ा करारोपण का अप्रत्यक्ष रूप से स्वरूप है, उसका सब से ज्यादा असर राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ेगा। सभापति महोदय, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका असर हमारे राजस्थान के गरीब वर्ग पर बहुत अधिक पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि आप कर नहीं लगायें पर कर उन पर लगायें जिनमें करों को वहन करने की क्षमता हो। लेकिन इस डेफिसिट फाइनेन्सिग से आपने जो बहुत बड़ा ओवर ड्राफ्ट रखा है उससे गरीब जनता पर बहुत खराब असर पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह बैठे बैठे बोलते रहते हैं और व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। व्यवधान नहीं डालें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसकी क्रय शक्ति कम हो जायगी। सभापति महोदय, 85 करोड़ का डैफिसिट फाइनेन्सिग कर रहे हैं जिससे रुपये का मूल्य कम हो रहा है। गरीब बाजार में रुपया लेकर जायगा तो उसको कितनी सी वस्तु मिलेगी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तो, सभापति महोदय, इस से कर भार बढ़ जायेगा। एक तो पहले ही गरीब वर्ग की आर्थिक हालत खराब है दूसरे जब और कर भार बढ़ जायेगा तो लोगों की जो क्रय शक्ति है वह और कम हो जायेगी। जो चीजों के मूल्य हैं वे बढ़ जायेंगे। एक रुपये की चीज चार रुपये में मिलने लग जायेगी। तो इस प्रकार, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट में कहा गया है कि बजट में कोई करों का प्रावधान नहीं किया गया है वह सरासर गलत है। आपने करों को बजट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से थोपा है। सभापति महोदय, आज स्थिति वैसे ही गम्भीर है ऐसी स्थिति में आवश्यकता तो यह थी कि लोगों को प्राथमिक आवश्यकताओं में राहत देने की दृष्टि से बजट में ऐसा प्रावधान किया जाता, पर बजट को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि जिस से मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। वैसे यह बात तो सही है कि कांग्रेस सरकार में मंहगाई बढ़ी है और बढ़ती रहेगी यह कांग्रेस में कम नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

पिछले 27 महीनों में, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो मूल्य सूचकांक में एक पाइन्ट पर मन्थ बढ़ा, लोकदल की सरकार जब आई तो पांच महीनों में 3 पाइन्ट पर मन्थ महंगाई बढ़ी और उसके बाद में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से पांच महीनों में 4 पाइन्ट पर मन्थ इनडैक्स बढ़ा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कांग्रेस के पहले का है अभी का नहीं राष्ट्रपति शासन में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राष्ट्रपति शासन था पर वह भी तो केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था। तो मेरा निवेदन है कि पिछले पांच महीनों से और उसके बाद से ही महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपने बजट में घोषणा की थी कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को महंगाई भत्ते की दो किश्तें देंगे। सभापति महोदय, पांच महीने में 4 पाइन्ट पर मन्थ इन्डेक्स बढ़ गया आपने किश्तें देने की घोषणा कर दी पर आपने उसमें यह भी कहा कि आधा महंगाई भत्ता आप प्रोविडेन्ट फंड में जमा कर लेंगे। तो आपने उनको दिया क्या ? एक तरफ आप कर भार बढ़ा रहे हैं दूसरी ओर आप उनको महंगाई की किस्त भी पूरी नहीं दे रहे हैं, यह आप कितना बड़ा भारी अत्याचार उन लोगों पर कर रहे हैं जिनकी फिक्स्ड इनकम है इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह अपील करूंगा कि मई की किस्त जो महंगाई भत्ते की है उसका आधा नहीं दिया जा कर पूरा महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये ताकि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की क्रय शक्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़े।

सभापति महोदय, आज स्थिति वैसे भी कांग्रेस राज्य में खराब है। आज इस बात की आवश्यकता है कि जरूरत की चीजें लोगों को उपलब्ध हों आज कहने को तो सरकार कह रही है कि हम प्रति व्यक्ति चार सौ ग्राम चीनी दे रहे हैं पर वह उपलब्ध कहां हो रही है। राशन की दुकानों पर आज दो महीने से लोगों को राशन की चीनी नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार के समय 27 महीनों तक हर राशन की दुकान से लोगों को चार सौ ग्राम चीनी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मिलती रही और बाजार में भी चीनी के भाव कम थे पर अब वह चीनी, जो उस समय 2 रुपये 70 पैसे किलो मिल रही थी, बढ़ते-बढ़ते 8 रुपये किलो हो गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज। व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, चीनी ही नहीं आज बाजार में साबुन, तेल खाने का, मोटा कपड़ा सभी महंगे हैं। यह आम आवश्यकता की वस्तुएं हैं जो कि आम गरीब आदमी के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिये। आपने राज्यपाल महोदय के भाषण में कुछ सस्ते मूल्य पर वस्तुएं दिलाने की घोषणा की थी पर वह कितनी दुकानें होंगी? क्या जो दुकानें आप खोलने जा रहे हैं वह पर्याप्त हैं? आपको उन दुकानों को बढ़ाना पड़ेगा। आपको आम जनता को चीनी, मोटा कपड़ा, साबुन, गेहूं, खाने का तेल यह सभी आवश्यक वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करानी पड़ेंगी। मेरा, सभापति महोदय, राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस ओर अधिक से अधिक ध्यान देकर सस्ते मूल्य की दुकानें न केवल शहरों में बढ़ाई जायं बल्कि गांवों में भी अधिक से अधिक और शीघ्रातिशीघ्र खोल कर जनता को राहत पहुंचायी जाये।

सभापति महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत 75 लाख रुपये का प्रावधान बजट में किया है लेकिन उससे क्या होगा? सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रूरल हाउसिंग स्कीम के लिये रखा है। अभी जब जीतमल जी ने एक तारांकित प्रश्न किया तो उसके जवाब में मन्त्री महोदय ने बताया कि केन्द्रीय सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रूरल हाउसिंग स्कीम्स के लिये रखा है। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार को उस पचास करोड़ रुपये में से एक पैसा भी नहीं मिला। वैसे तो हमारे मुख्य मंत्री जी दिल्ली के दरवाजे खटखटाते रहते हैं पर उन्होंने इस पचास करोड़ रुपये में से कुछ रुपया पाने के लिये दिल्ली के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाये। सभापति महोदय, वैसे तो दिल्ली की सल्तनत के बड़े सिपहसालार बने फिरते हैं पर वहां जाकर पैसा मांगने की हिम्मत नहीं करते। सभापति महोदय, आज रोटी रोजी, कपड़ा और मकान आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकता है। आपने 75 लाख रुपये रख दिये हैं हाउसिंग के लिये इससे मुश्किल से 8-10 हजार मकान बन पायेंगे। इसलिये मेरा, सभापति महोदय, निवेदन है कि राज्य सरकार को बजट में भी इस मद में ज्यादा प्रवधान करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अब एक बात और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा। वह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, और तो कुछ करिये न करिये पर इतना जरूर करिये कि हमारी ज्युडिशियरी है उसमें तो कम से कम राजनैतिक हस्तक्षेप मत करिये। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि इमर्जेन्सी के पहले हमारे यहां पर ज्युडिशियरी में कभी हस्तक्षेप नहीं होता था पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इमर्जेन्सी के बाद से जुडिशियरी में राजनैतिक हस्तक्षेप होना शुरू हो गया था। पहले वह केन्द्र में हुआ, अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ××××

सभापति महोदय, जुडिशियरी में इस प्रकार की हेरा-फेरी करना इनके लिये डूब मरने वाली बात है। सभापति महोदय, इमर्जेन्सी के वक्त जुडिशियरी में हस्तक्षेप किया गया था उसके दुष्परिणाम इनको भुगतने पड़े थे। मैं आपको आज भी चेतावनी देना चाहता हूं कि जुडिशियरी में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। मैं, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजनैतिक हस्तक्षेप न्यायालय में किसी प्रकार करना उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस तरह राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कभी कमिटेड जुडिशियरी, कमिटेड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, कमिटेड सब प्रकार के लोग उस दिन बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी होंगे, हां रीति-नीति के लिए होंगे। विद्वेष की भावना से कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। दो एम.एल ए. के दस्तखत करवाइये और तबादला कराइये। हजारों की संख्या में तबादले हो रहे हैं राजनैतिक दृष्टिकोण से।×××

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इन्होंने 70 पर्सेन्ट तबादले किये हैं केवल राजस्थान केनाल में।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट को प्रगतिशील बजट बनाने की कोशिश की जाये। इस प्रतिगामी बजट को बदला जाये और, श्रीमान, ग्रामीण विकास में अवरोध पैदा करने वाला बजट है, इसमें और प्रावधान ग्रामीण विकास की दृष्टि से किया जाय। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने की लिए चाहे हाउसिंग स्कीम हो, चाहे राशन की दुकानों की व्यवस्था हो उसको करके राजस्थान के नागरिक को राहत देने की कोशिश की जाये। यही कह कर, श्रीमान, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास।

माननीय सदस्य, आपके दल की तरफ से जो सूची प्राप्त हुई है उसमें इस बात को इंगित किया गया है कि आपकी पार्टी के प्रत्येक सदस्य को दस मिनट का समय दिया जायेगा। आप दस मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, यह जो बजट भाषण है इसका मैं

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

स्वागत करता हूं। इसके मेरिट्स पर आगे चर्चा करूंगा। उसके पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जुडिशियरी की चर्चा की है। यह दुखद विषय है कि यहां पर जुडिशियरी की चर्चा की है बिना सोचे समझे कि इस पर और चर्चा होगी। अपने गिरेबान में भी झांककर देखें कि आपने क्या किया ? जजेज को यहां डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, जजेज को कन्फर्म किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत सरकार की रजामन्दी..

श्री सभापति : This is no point of order, Please sit down. आप स्थान ग्रहण कीजिए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। Please sit down. Yes. Please continue.

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : और, सभापति महोदय, राजस्थान हाई कोर्ट में ही नहीं किसी भी हाई कोर्ट में चले जाइये वहां कायदा होता है, रिट्स का रोस्टर चलता है। रिटें लगती हैं, क्रिमिनल केसेज में रिटें लगती हैं, सिविल केसेज में रिटें लगती हैं और एक महीने के बाद रोस्टर बदल जाता है। रिटों का वर्क सबसे इम्पार्टेन्ट वर्क है गवर्नमेन्ट का। XXX जुडिशियरी का जितना सत्यानाश आपने कराया उतना किसी ने नहीं किया...

श्री अहमद बक्श सिन्धी : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, पंचायत मंत्री श्री कैलाश मेघवाल ने कितने सरपंचों को सस्पेण्ड किया। XXX इस जुडिशियरी की आप बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा....

श्री सभापति : आप जुडिशियरी को, माननीय सदस्य, बीच में नहीं लायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

श्री सभापति : नाथूसिंह जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। पहले पाइन्ट आफ आर्डर घनश्याम तिवाड़ी का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, न्यायपालिका के पक्ष या विपक्ष की चर्चा यहां नहीं कर सकते...

श्री सभापति : मैंने अभी ही आगाह किया है कि न्यायपालिका के जजेज का नाम नहीं लें और न्यायपालिका के बारे में जो कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट यह है कि किसी भी जज के फैसले की सदन में चर्चा नहीं कर सकते।

श्री सभापति : यहां किसी फैसले पर चर्चा नहीं हो रही है, माननीय सदस्य।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री नाथूसिंह : उन्होंने कहा है कि XXX यह इन्होंने कहा है। इसलिए इसको प्रासीडिंग्स में से निकाला जाये।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रासिडिंग्स में से निकालने से क्या होगा। इतना बड़ा अन्याय हुआ है···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इस प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं करें। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल सकती है क्या ? माननीय सदस्य, आप जारी रखें।

(व्यवधान)

मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। व्यवधान उपस्थित नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : मेरा नम्र निवेदन यह है कि उन्होंने उस फैसले के बारे में कहा···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं दिखवा लूंगा कि उन्होंने क्या कहा है ? आप जारी रखिये कृपया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो, सभापति महोदय, मैंने फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा है। फाइनली रिट अलाउ हुई है। अभी जो फसला हुआ है कि सरपंच 78 में इलेक्ट हो गए बावजूद इसके कि जनता पार्टी के राज्य में आफिसर्स की मार्फत पब्लिक को डराया, धमकाया और सब हथियार इस्तेमाल किये, कांग्रेस के सरपंच इलेक्ट हो गए। उन सरपंचों को 78 के पहले के केसेज की प्रिलिमिनरी जांच करवा कर सस्पेण्ड कर दिया। उस मामले में रिट हुई और फाइनल फैसला हो गया। फैसला यह हो गया कि पिछली चीजों के लिये सरपंचों को सस्पेण्ड नहीं किया जा सकता तो गुमानमल लोढ़ा की बात वहीं रह जाती है, आप काहे को बहस कर रहे हैं। उस फैसले के बाद 26 सरपंचों को बहाल किया है हाई कोर्ट के फैसले की अनुपालना में ही। आप इस जुडिशियरी के बारे में नहीं बोलें, यही अच्छा है।

सभापति महोदय, बजट भाषण के पेज 2 पर ही इन्दिरा गांधी और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की चर्चा की है। यह पूरी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कहा है। यह अलग बात है कि इमर्जेंसी के अन्दर श्री हरिदेव जोशी जी मुख्य मंत्री थे और भैरोंसिंह जी जेल में थे। उन्होंने सहृदयता बरती, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनके परिवार के लोगों से उनको मिलाया लेकिन यह भैरोंसिंह जी हैं जिन्होंने बेरी कमीशन बैठाया। इन्होंने पांच कमीशन बैठाये राजस्थान के अन्दर। बेरी कमीशन बैठाकर सब लोगों की कम्पलेन्ट पेश कर दी। कांग्रेसियों को हरेस किया। करेक्टर असेसिनेशन से बढ़ कर कोई चीज पालिटिकल पर्सन के लिए नहीं हो सकती। सभापति महोदय, यही नहीं आम रवैया इनका यह हो

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
गया था कि कौन कांग्रेसी है और कांग्रेसी ने यह किया। श्री भैरोंसिंह जी छबड़ा से इलेक्ट होकर आये तो हम अखबार में पढ़ते थे, इनकी नाक से निकलवा लूंगा। ये भ्रष्ट हैं। मुझे तार देकर बधाई दी लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। मुझे इस बात का गौरव है, कांग्रेस मेन जनता पार्टी में नहीं गये। कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता इनके मिनिस्टरों के यहां नहीं गया। 77 से पहले चक्कर काटते थे। कांग्रेस के मिनिस्टर के यहां, आज भी चक्कर काटते हैं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप व्यवधान उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के मिनिस्टरों के यहां कांग्रेसियों ने जूते नहीं चटकाये ····एक साधारण जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहां भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जूते चटकाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बड़े बहादुर थे आप।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आधे से ज्यादा जनता पार्टी के मिनिस्टरों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं, मैं किसी के घर गया हूं तो आप बता दीजिये...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! Please carry on.

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, कांग्रेस मैन की बात जाने दीजिये। जो मुख्य मंत्री यह कहता है कांग्रेसियों ने बधाई के तार भेजे हैं लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों को माफ नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार के पैसे को नाक से निकलवाऊंगा वह कांग्रेस के पहाड़ियां जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद उनसे खासा कोठी पर जाकर मिलता है। एक घंटे तक बैठ कर आता है, यह आपकी शराफत है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गूर्जर : घबराइये मत। अभी एक ही बोला है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, एक अन्त्योदय के विषय में चर्चा की है। अन्त्योदय के अन्दर उनकी क्या योजना थी? कैसे गरीबी दूर होती थी? इसका मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे यहां एक खड़िया गांव है उसके ठाकुर को अन्त्योदय में चुना गया। गांव का ठाकुर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अन्त्योदय में आ सकता है तो मैं आप से पर्सेन्टेज पूछता हूं ? शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लोगों को आपने लिया ? शिड्यूल्ड कास्ट्स के ज्यादा लोग नहीं हैं। इन्होंने अपने आदमियों को सपोर्ट करने के लिये एक स्कीम बनाई। पावर्टी दूर हो सकती है, एक क्लास की पावर्टी दूर हो सकती है, इंडिविजुअल की पावर्टी दूर नहीं हो सकती है। आप एक की गरीबी दूर करते हो तो हजारों गरीब पैदा होते हैं गांव में ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब प्रोग्राम हो, प्रोग्राम को जब डिवोशनली इम्प्लीमेंट किया जाय लोट के लोट को फायदा हो तब जाकर पावर्टी दूर होती है। अन्त्योदय के लिए 85 करोड़ का प्रावधान 1979-80 के बजट में रखा था।

(व्यवधान)

अन्त्योदय के विषय में इसमें कोई चर्चा नहीं है कि अन्त्योदय को जारी रखा जायेगा या नहीं रखा जायगा। मेरी व्यक्तिगत राय है अन्त्योदय को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, अन्त्योदय गलत प्रोग्राम है।

इन्होने दूसरा प्रोग्राम चलाया था फूड फार वर्क का। फूड फार वर्क का मतलब सिर्फ यह था सरपंच के माध्यम से काम करवाना। सरपंचों के सिर पर तलवार लटकी रहे जो गवर्नमेंट को पावर थी पंचायत राज में, सरपंच की स्थिति यही है। जिसकी गवर्नमेंट थी उसके सरपंच हो गये। अब यह सरपंच कैसे इलेक्ट हुए ? अन्त्योदय और फूड फार वर्क के कार्यक्रम में गड़बड़ी की, चुनाव के दौरान गड़बड़ी की, पैसे टके के साथ में गड़बड़ी की।

सभापति, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने प्रधानों के चुनाव नहीं कराये। प्रधान के चुनाव के लिए रोल बदला, उसे सिर्फ सरपंच वोट देंगे। सरपंच तो इनके कब्जे में आते हैं, 81 में इनकी मियाद खत्म होने वाली है। आज जो सरपंच मौजूद हैं वे विकास नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, वे जनता पार्टी के सरपंच है। वे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा, पंचायतों को सुपरसीड कर देना चाहिए। यह जनता पार्टी के राज में बेईमानी से, दबाव से, सरकारी प्रभाव से चुनाव कराये गये हैं। पंचायत एक्ट मे वापस अमेंडमेंट लाना चाहिए, फिर दुबारा चुनाव होना चाहिए अगर पंचायत राज को डवलप करना है।

सभापति महोदय, अब एक बात यह निवेदन करूंगा कि प्रशासन के अन्दर ओवर होलिंग होना बहुत जरूरी है। पिछले टाइम जब यहां राष्ट्रपति शासन रहा इन्होंने कई निगम बनाये, कई जगह अपने आदमी फिट कर दिये। उस वक्त सुन्दरलाल खुराना जब यहां आए राज्यपाल के सलाहकार, तो उन्होंने कुछ इनमें परिवर्तन कर दिए। तमाम को हटा दिया। निगमों को भंग कर दिया। मै व्यक्तिगत रूप से यह समझता था कि शायद यह बात ठीक नहीं हुई, आने वाली सरकार इसको ठीक करे लेकिन अब निश्चित रूप से मानता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। जनता पार्टी के लोगों

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

को हटाते नहीं तो 6 महीने और खींच जाते'। आज भी जरूरत है इस बात की, प्रशासन में ओवर होलिंग होना बहुत जरूरी है। उस दिन विरोधी दल के नेता महोदय ने भाषण दिया था कि मैंने सर्विसेज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। एल.एन. गुप्ता और एक और आफिसर का नाम बताया, अपने पास हमेशा रखा। सभापति महोदय, इस मामले में हमारी सरकार ने भी यही किया है। हमारी सरकार ने भी कोई आफिसर चेन्ज नहीं किया। आफिसर चेन्ज करने से कोई मतलब नहीं। कार्य प्रवृति चेंज करनी पड़ती है। आफिसर से काम लेने की एक शैली है। जनता पार्टी के राज में यह बात जरूर माननी पड़ेगी कि कोई भेद भाव नहीं किया गया। पांच मर्डर इस जयपुर शहर में हुए। एक स्टूडेंट का हुआ हरिश का, गवर्नमेंट सर्वेन्ट का हुआ जोशी का, एक बाली का हुआ इण्डस्ट्रलिस्ट का, एक व्यापारी का और एक नारायण चतुर्वेदी का, राजनेता का। कोई भेदभाव नहीं। यह कानून और व्यवस्था थी। दिन दहाड़े बैंक में चोरी हुई, डाका पड़ा झोटवाड़ा में। सभापति महोदय, जनता पार्टी के राज के अन्दर जो प्रशासन की दुर्गति हुई उसको ठीक करने के लिये इस बजट में प्रावधान रखना जरूरी था। इसकी जांच करनी चाहिए। इसको मैं कोई रिवेन्ज की बात नहीं मानता। जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है आने वाले टाइम के लिये सही बात नजीर कायम करने के लिये रखना चाहिये था।

अब मैं बजट के लिये दो तीन बातें कहना चाहूंगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात जरूरी है। आपने टैक्स नहीं लगाया, मैं समझता हूं यह कोई जरूरी नहीं है कि हम लोकप्रियता के लिये टैक्स नहीं लगायें। तो नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाइये रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो करना होगा। विकास रिसोर्जेज बिना नहीं होगा, यह स्पष्ट बात है। क्योंकि तनख्वाह बांटना गवर्नमेंट का काम नहीं हैं। डेमोक्रेसी में विकास के लिए टैक्स लगाये जा सकते हैं और लगाये जाने चाहिये। अर्बन पापूलेशन के ऊपर टैक्सेशन सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच गया है। यह भी मैं मानता हूं। अब दूसरे टैक्सेज कितने लगा सकते हैं यह एक सोचने की बात है। नान टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, यह भी सोचने की बात है। आज जिस हालत में स्टेट एन्टरप्राइजेज, पब्लिक अन्डर टेकिंग चल रहे हैं मैं समझता हूं ईमानदारी इसमें है वापस उनको डी-नेशनलाइज कर दिया जाय। अगर चलाना हो तो उसके अन्दर टेक्नोक्रेट को रखना पड़ेगा जो कमाई कर दे सके। हमारे पास हर मर्ज की दवा आई. ए. एस. है। यह परम्परा रही हैं शुरू से कि हम उसको बिठा देते हैं और उससे घाटे में चलता है चाहे रोड़वेज कारपोरेशन हो और चाहे गंगानगर शुगर मिल हो, पब्लिक अन्डर टेकिंग हो। एक बात मैं जरूर मानता हूं एक टेक्नोक्रेट को जनता पार्टी ने जरूर अपाइन्ट किया था, पृथ्वीसिंह को, वे ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, वे बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इस परम्परा को गलत मानता हूं कि टेक्नोक्रेट को हटा कर ब्यूरोक्रेट को बिठाये। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट में कनफ्लिक्ट न हो लेकिन टेक्नोक्रेट को ब्यूरोक्रेट के मातहत रखोगे तो वह ठीक बात नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं पृथ्वी सिंह जी को जनता सरकार ने दूसरे कन्सीड-

Page No 92

(92)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

रेशन से बनाया था। टैक्नोक्रेट के हिसाब से नहीं बनाया था। अगर टैक्नोक्रेट के हिसाब से बनाते तो दूसरी जगह भी फोलो करते। वह तो पता नहीं भैरोंसिंह जी के मन में खास कोई कन्सीडरेशन हो गया इसलिये बना दिया।

श्री श्री रामगोटेवाला : क्या कन्सीडरेशन था, वह माननीय सदस्य खुलासा कर दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खुलासा करने की जरूरत नहीं है, वह पूरे राजस्थान के अन्दर था। रोज आर. एस. एस. की बात करते हैं अपने यहां पर। आर. एस. एस. तो शहरों तक है। गांवों के अन्दर क्या तमाशा हुआ है, इस जाति विशेष के लोगों ने कितना नंगा नाच किया है, कितना परेशान किया है, यह आप सब जानते हैं। एक बात और निवेदन करूंगा, सभापति महोदय,....

(व्यवधान)

नहीं नारायण चतुर्वेदी के मर्डर के केस में हुआ है राजेन्द्रसिंह राठौड़ को इन्ट्रोगेशन के लिये पुलिस ले गई तो कल्याणसिंह कालवी को बेडरूम से लेकर गई, यह साफ बात है...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : इससे बढ़कर शर्मनाक और नहीं हो सकती है।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, आपस में बातचीत कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शर्मनाक है, कौन सी बात शर्मनाक नहीं है। एक प्रोहिबीशन के बारे में बात करूंगा। यह प्रोहिबिशन ऐसा आदर्श है जिसको एक्जीक्यूट तो नहीं कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से प्राहिबिशन करके इल्लिसिट डिस्टीलेशन को बढ़ावा देवें, जिससे लोगों की हैल्थ को खतरा हो जावे। इससे स्टेट एक्स-चेंकर को बहुत बड़ा लास है। इल्लिसिट डिस्टीलेशन करने वालों को लास नहीं है, उनको बहुत बड़ा फायदा है लेकिन आपको एक्ससाइज से और सेल्स टैक्स से करीब 47 करोड़ का नुकसान होता है इसका नुकसान हुआ। इससे इन्सीडेन्टल नुकसान कितना होता है। टूरिस्ट इन्सेन्टिव को कितना डेमेज होता है। जयपुर वगैरह में टूरिस्ट आते हैं। जयपुर बहुत बड़ा टूरिस्ट सेन्टर है और जब प्रोहीबीशन करते हैं तो टूरिस्ट का आकर्षण नहीं रहता है। मैं समझता हूं प्रोहिबिशन को स्क्रेप करना चाहिए। टूरिस्ट इन्डस्ट्री को डवलप करना चाहिए ताकि बाहर से लोग आवें और हमारी इन्डस्ट्री डवलप हो।

एक बात मैं एज्यूकेशन के विषय में भी निवेदन करना चाहूंगा। शिक्षा के बारे में मौलिक विचार कभी रखे नहीं। यह कोई कम्पटिशन नहीं है कि इतने स्कूल खोल दिये, इतने कालेज खोल दिये। मैं कहता हूं एम्प्लायमेंट ओरियेन्टेड एजूकेशन तब तक नहीं होगी तब तक ये सब बेकार हैं। यह बहुत कटु सत्य है कि पढ़े लिखे बेरोजगार पैदा कर देते हैं तो, सभापति महोदय, इससे कोई समस्या का हल नहीं होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सन् 1947 से एक एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी थी और इसका एफीलियेटेड करेक्टर होने से उसका एक्ट बना था, उसके बाद रेजिडेन्शियल कैम्पस बन गया राजस्थान यूनिवर्सिटी में मामूली एक्ट में रद्दोबदल करके सिंडीकेट का कम्पोजीशन करके काम चल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक मात्र रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अन्दर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कैम्पस है। इसमें कुछ तब्दीली की आवश्यकता है। मैं समझता हूं एफिलियेशन विदाउट रेजिडेंशियल कैम्पस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। वेअरली एफिलियेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत चाहता हूं, राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके डिसकस करके आदेश दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाय। आज एक सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है जो यहां नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय का इतना स्तर है आज भी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी से कम स्टेन्डर्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी का नहीं है। इसमें से टेलेन्टेड लोग, विद्वान लोग निकलते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

एक बात परिवार कल्याण की कहना चाहता हूं। जो ग्रोइंग पापूलेशन है, यह बहुत बड़ा खतरा है। इसको कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि 1977 से पहले जो कुछ नसबन्दी के मामले में ज्यादती आंकड़ों के चक्कर में की वह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। उस नसबन्दी से कांग्रेस से पब्लिक को नाराजगी हो जाय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भय घुस गया है, राज्य करने वालों के दिमाग में भयंकर मामला है इसलिए जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करने का औचित्य मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आप यह समझें कि बहुत ज्यादा फ्री छोड़ दें, यह भी नहीं होना चाहिए। कुछ तो कम्पलशन करना चाहिए, कुछ टेम्पटेशन होना चाहिए, कुछ समझाना चाहिए। यह जब तक नहीं करेंगे जब तक आप फेमिली वेलफेयर को एन्फोर्स नहीं कर सकते। फेमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम आप लागू नहीं करेंगे, पापूलेशन कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। सभापति जी, संजय जी ने यह प्रोग्राम दिया, बहुत लोगों ने इसको क्रिटीसाइज किया। पर, सभापति जी, इस सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोस्टेरिटी इस बात को याद करेगी, संजय जी ने जो प्रोग्राम दिया था, वह अगर पूरी तरह सफल होता तो यह मुल्क कहां का कहां होता। आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी इस बात को याद करेगी। यह इस देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि वे चले गये। एक वैसे ही नेता की हमको जरूरत थी। जैसा उन्होंने कार्यक्रम दिया, जिस बात को वह लागू करना चाहते थे उसकी जरूरत थी।

(2.58 म.प)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

अब, सभापति महोदया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह बेरी कमीशन जो बैठाया है, वकील बनाये, पैसा दिया है जांच दुवारा कराने के लिये तो सूर्य नारायण जी चौधरी और पुरुषोत्तम जी मन्त्री, इन दोनों के मिलने वालों को, वकीलों को पैसा दिलाया है। किस बात का दिलाया है, वह मेरे को भी पता है। मैं बेरी कमीशन में जाता था, इस केस में नहीं जाता था वकील की हैसियत से जाता था। उनको पेशी के पैसे मिल जाते थे, कमरे उनको मिले हुए थे

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
और दिन भर आराम करते थे इसलिये निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिये।

वकील समुदाय के लिये भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। वकील समुदाय के बारे में आपको सोचना चाहिये। इस समुदाय में मिडिल क्लास भी है...

एक माननीय सदस्य: अपर क्लास भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास: हां अपर क्लास भी हैं, मैं इससे कोई इन्कार नही करता। अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों हैं। इसमें शर्म की बात नहीं है। एडवोकेट्स की बहुत अच्छी प्रेक्टिस होती है, इन्कम होती है और बहुत पैसे कमाते हैं लेकिन, सभापति महोदय, ओवर होलिंग मेजोरिटी बिलकुल गरीब है तो इस अवस्था पर भी विचार करना चाहिये कि क्या उसमें सुधार ला सकते हैं। कांग्रेस के जमाने में एक नियम लागू हुआ था कि गरीबों की सहायता के लिये सरकार वकील एपाइन्ट करे। अब हमको वापस इम्पलीमेंट कैसे करें, इस पर विचार करना चाहिये।

एक बात मैं निवेदन करूंगा कि वेतन मिलता है जैसे आपको मिलता है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि वकीलों के वेलफेयर के लिए। आज जो वकील की एक्सीडेन्ट से प्रिमेच्योर डेथ हो जाय तो उसका कोई इन्तजाम नहीं है। अनफारचुनेटली, बदकिस्मती से वकीलों के समुदाय में बार एण्ड कौंसिल में कोई ऐसा रिजोल्यूशन आकर मैटेरिलाइज नहीं हुआ। सरकार अगर कम्पेल करके इस बारे में कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में इकानामी की बात है, वह इकानामी कैसे करेंगे आप? इकोनोमी जो आप चाहें वह कर सकते हैं। कार अलाउन्स फिक्स कर दीजिए आप अफसरों के और जीपों और कारों को विथड्रा कर लीजिये। कार अलाउन्स तो 500 रुपया, 600 रुपया का होगा और एक कार अगर किसी अफसर को देते हैं या मिनिस्टर को देते हैं तो आन एन एवरेज उसका 5 हजार रुपये महीने का खर्चा है, टैन टाइम खर्चा है। तो इकानामी इफेक्ट करेगी। जहां बीच में ट्रेन जाती है वहां भी सब गाडी से जाते हैं। दूसरी बात आफिसर क्रियेट हो रहे हैं कई, जैसे सुपर टाइम स्केल, आई.ए.एस. अफसर है। एक फाइल निकालता है, दो फाइल निकालता है। यह जनता पार्टी की देन है, इन्होंने कई अफसर क्रियेट कर दिये, उसके अन्दर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, जो बजट पेश किया गया है, वह ठीक है। कुछ समय कम था, कुछ जनता पार्टी के शासन के बाद किया और 6 महीने का समय निकल भी चुका है लेकिन आने वाले समय में इस राजस्थान की इकोनामी को वापस लाइन में लाने के लिए हमको काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ेंगे, उसमें हमें डरना नहीं है। विकास को हमको बढ़ाना है, विकास को गांवों तक ले जाना है तो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पडेगा, टैक्सेज भी लगाने पड़ेंगे। टैक्स नेशनलाइज करके लगायेंगे यह बात हो सकती है और कुछ क्लासेज जो बच गयी हैं, उनको हमको टच करना पड़ेगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं, सभापति महोदया, इतना ही कह कर बजट का स्वागत करता हूं।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदया, संजयजी की मृत्यु की छाया में तैयार किया हुआ यह बजट किसी रूप में भी प्रगतिशील बजट नहीं है और इस बात को माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी अपने बजट भाषण में स्वयं स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष के आधे निकल जाने के कारण जो हम अर्जित करना चाहते थे, वह अर्जित नहीं कर पायेंगे। साथ ही उन्होंने संजय जी की मृत्यु को भी इस राज्य की प्रगति में बाधक बताया है, संजय जी की मृत्यु माननीय पहाड़िया जी के राजनीतिक विकास में बाधक तो हो सकती है लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि किसी भी रूप में किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी राज्य के विकास में बाधक हो सकती है। इस बजट से एक ओर तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह खुद स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हम अर्जित करना चाहते हैं, वह अर्जित नहीं कर पायेंगे और दूसरी ओर वह कहते हैं कि हमने नीतियों को नया मोड़ दिया है तो एक दूसरे से आपस में कन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं।

अब मैं इस बजट में जो प्रावधान गये हैं, उन पर संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। इस बजट में 85 करोड़ का डैफिसिट फाइनेन्सिंग किया गया है। इसके अलावा 45 हजार करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट का घाटा, डीजल की मंहगाई, फर्टिलाइजर की मंहगाई, अन्य मंहगाई और केन्द्रीय बजट के कारण बढ़ेगी। संसद में पेश की गई इकानामिक सर्वे के मुताबिक 21 पर्सेन्ट जो मंहगाई बढ़ने वाली है, उसके विपरीत आपने बजट में सिर्फ 19½% के लगभग पैसे का प्रावधान किया है। उससे मैं नहीं समझता किस तरह आप 19 पर्सेन्ट पैसा बढ़ाकर 21 पर्सेन्ट मंहगाई, जो इकानामिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ चुकी है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उस पर आप किस प्रकार राज्य को प्रगति की ओर बढ़ाएंगे? मेरे ख्याल से प्रगतिशील बजट नहीं हो सकता, यह उल्टा बजट है। प्रगति को पीछे ले जाने वाली बात है। इसके अलावा पैरलल ब्लैक मनी इकानामी भी यहां चल रही है। पैरलल ब्लैक मनी इकोनोमी के अलावा करप्शन इतना है कि जो कुछ भी आप लगाना चाहेंगे, वह करप्शन के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों के करप्शन से, प्राइवेट फर्मों के करप्शन से और अन्य करप्शनों से जो कुछ आप अर्जित करना चाहते हैं, वह नहीं कर पायेंगे। एक बड़े खेद की बात है कि देश में करप्शन की बात की जाती है। हाउस में ट्रेजरी बैंचेज की तरफ से और अपोजिशन बैंचेज, दोनों तरफ से करप्शन की बात की जाती है। लेकिन बजट में, जो पेश किया गया है, में करप्शन को किस तरह रोका जायेगा, इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सिंचाई और बिजली के लिए जो 193 करोड़ रुपया है उसके लिए रखा गया है। बधाई देना जरूर पसन्द करूंगा। भारत के विकास के लिए कृषि, विद्युत् और सिंचाई, ये तीनों आवश्यक अंग हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की इकोनोमी का

(श्री यदुनाथ सिंह)

आधार कृषि है, वह इकोनामी का आधार है; तो इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा लेकिन जो कुछ उन्होंने टार्गेट रखें है उनको किस तरह प्राप्त करेंगे? लघु सिंचाई योजना छोड़कर जो सिंचाई योजनायें हैं, उनके लिए प्रावधान कम किया गया है। लम्बी-लम्बी योजनाएं बनाकर उनको पूरा करने में समय लगेगा और उनका रिजल्ट बहुत देर बाद आयेगा इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो वित्त मंत्री भी हैं, से यह कहना चाहूंगा कि जो शार्ट टर्म सिंचाई योजनाएं हैं उनके ऊपर जोर दिया जाय क्योंकि दिन पर दिन इकानामी गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम जल्दी से जल्दी कुछ अचीवमेंट्स कर सकें इसलिये उनकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय, जो लोग लांग टर्म प्लानिंग हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है किन्तु जो शार्ट टर्म प्लानिंग हैं उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लांग टर्म प्लानिंग के बाद महंगाई बढ़ जाती है। जो कुछ आप बजट में प्रावधान करते हैं उसमें कमी भी हो जाती है, समय के अन्दर आपकी योजना पूरी नहीं होती है जब कि शार्ट टर्म प्लानिंग के रिजल्ट्स तुरन्त प्राप्त होते हैं, इसलिये शार्ट टर्म जो प्लानिंग है, उस पर आप विशेष ध्यान दें।

ग्रामीण विकास की बात इसमें कही गई है, ग्रामीण विकास के लिये नयी-नयी योजनाएं चलाने की बात कही गयी है लेकिन वह योजनाएं क्या होंगी, इन योजनाओं की रूप रेखा क्या होगी? आधा साल निकल चुका है और योजनाएं अभी तैयार नहीं हुई हैं, क्या योजनाएं हैं अभी तक यह निश्चित नहीं है?

गांव और शहर में कितना अन्तर है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। गांव के अन्दर आप देखते हैं कि कई-कई गांवों में 10-10 किलोमीटर तक, 15-15 किलोमीटर तक, 50-50 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं होता, कोई स्कूल नहीं होता, ट्रान्सपोर्ट का साधन नहीं होता। दूसरी ओर शहरों को सुन्दर बनाने के लिए, चौराहों पर फव्वारे लगाने के लिए करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिये जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए निश्चित योजना बनाई जाय। गांव के लिए कुछ कर सकें, गांव में विशेष तौर पर, मैं भरतपुर से आता हूं, जहां पर फ्लड के समय पर मैंने बहुत सी माओं को प्रसूती के समय मरते देखा है, अपने इलाज के लिये नहीं जा सकती इसलिए मरते हुए देखा है। पानी से चारों तरफ से घिर जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास की ओर जो जनता पार्टी ने एक प्रयास किया, एक रास्ता बनाया, एक कदम बढ़ाने की कोशिश की थी, उसको आगे बढ़ायें।

इसके बाद मैं कृषि पर आना चाहूंगा। अभी प्रश्नोत्तर काल के दौरान और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होते समय हम बात कर रहे थे कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। किसी भी देश या किसी भी राज्य की इकोनोमी को बढ़ाने के लिए जब तक आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे और आप डैफिसिट

(श्री यदुनाथ सिंह)

फाइनेन्सिग करते जायेंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने से महंगाई कम करने में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, उससे महंगाई बढ़ती जायेगी। गांव में खेती करने वाले किसानों को समय-समय पर खाद, बिजली नहीं मिलती, डीजल नहीं मिलता, फिर आप टार्गेट रखते हैं, टार्गेट का कोई सिद्धान्त नहीं रखते। उनको बीज नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, बिजली नहीं होगी। आप टार्गेट सब चीजों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए रखें। इसलिये जो आपने टार्गेट रखें हैं, आप उनको कितनी समय पर खाद दे सकते हैं, बीज दे सकते हैं अन्य साधन दे सकते हैं?

माननीय कृषि मंत्री महोदया ने अभी भी स्वीकार किया है कि बहुत सी जगह पर बी ा नहीं दे सके इसलिए आपके बजट भाषण में इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी है। यह बड़ी निराशाजनक स्थिति है। गांवों मे खेती करने वाला एक आदमी पूंजी लगाकर खेती करता है जिस हिसाब से उसकी पूंजी लगी हुई है उस हिसाब से उसको मुनाफा नहीं मिलता है। मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक पानवाला है, वह अपनी दुकान में पांच सौ रुपयों की लागत लगाता है, मेरी इसमें कोई पानवालों की बुराई करने की नीयत नहीं है वह भी मजदूर है, लेकिन उसकी पांच सौ रुपयों की लागत दुकान में लगी हुई है और साल में दो साल में वह अपने घर का मकान बना लेता है। दिन में तीन तीन बार कपड़े बदल लेता है, सुबह शाम उसके घर के लोग कपड़े बदल लेते हैं, उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। इसके विपरीत गांव में खेती करने वाला है जिसकी 10 बीघा की वेल्यू है, तीस हजार रुपये को लागत लगी हुई है लेकिन उसकी अपनी फसल के बेचान के टाइम पर मण्डी में जाकर उसे व्यापारी द्वारा लूटा जाता है। सपोर्ट प्राइस भी फिक्स की जाती है फिर भी उसको अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती है और बुरी तरह से उसको लूटा जाता है। महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, 25 पर्सेंट से 30 पर्सेंट तक महंगाई बढ़ गई है लेकिन किसान की फसल का जो मूल्य है उसमें डेढ़ रुपया बढ़ा देते हैं, डेढ़ रुपया बढ़ा देने से काम नहीं चलने वाला है। डीजल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है और खाद भी महंगी मिलती है। खाद टाइम पर मिलती नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके बजट के अन्दर इन चीजों के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। यह बजट हमारे लिए बड़ा दुखदायी साबित होने वाला है। सचेत होकर कदम बढ़ायें।

महंगाई भत्ते को लेकर यहां बड़ी डींगें हांकी गई हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया गया है, ट्रेजरी बेंचेज की ओर से भी और हमारी तरफ से भी। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा कि क्या इसकी कोई लिमिट भी है। जो अन्य अनरजिस्टर्ड लेबर हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि वे अनरजिस्टर्ड लेबर संगठित नहीं हैं, वे संगठित रूप से अपनी मांगें नहीं

(श्री यदुनाथ सिंह)

रख सकते इसलिए उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी कोई लिमिट तो आप रखें। रोज-रोज महंगाई भत्ता बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी ओर आप यूं नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग करके आप डायरेक्ट टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। राज्य विकास के लिए टैक्स बढ़ाना यदि आवश्यक हो तो बढ़ाना चाहिये। इसकी सीमा बनाइये, कोई प्रावधान रखिये कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इससे जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिये नहीं मिल पाएगा।

एजूकेशन के लिए इस वर्ष-जो स्कूलों का प्रावधान किया गया है वह पिछले वर्ष के हिसाब से आधा है। तो आप जब दूसरे प्रदेशों में जायेंगे, सेंट्रल में भी बात की जायेगी तो स्कूलों के लिए आपको भी शर्म महसूस होगी। खैर, स्कूलों का प्रावधान तो जो है सो है लेकिन हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वह शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली प्रणाली है। आप दूसरे देशों में देखिये, आप जापान में देखिये, वहां पर कोई बेरोजगार नहीं हैं। यहां पर पढ़ाया क्या जाता है, किंग एडवर्ड थर्ड और ज्यूलियस सीजर, इस तरह की पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है। जो खेती के काम में रुचि रखते हैं उनको खेती की शिक्षा मिलनी चाहिए, बढ़ईगिरी की शिक्षा मिलनी चाहिए टैक्निकल एजूकेशन प्राइमरी से ही नहीं दी जाएगी तो यह बेरोजगारों की फौज बढ़ती चली जाएगी। सरकार के पास कोई नौकरी देने के लिए खजाना नहीं है। कहां तक नौकरी देंगे? कितने आदमियों को नौकरी देंगे? जनसंख्या भी दिन दुगनी आग की तरह फैल रही है। इसलिए शिक्षा नीति पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा टैक्निकल एजूकेशन अपने को अपनानी होगी ताकि जो शिक्षा को पूरी करने के बाद बाहर निकलें तो वे खाली बाबू बनने या खाली अफसर बनने की नीयत से नहीं निकलें बल्कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसकी ओर भी आपको कदम बढ़ाना चाहिए। लोकल बॉडीज के चुनावों के बारे में कोई निश्चित इसमें संकेत नहीं दिया गया है। जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद यह सही है कि पंचायतों के चुनाव 13 साल बाद कराये। परन्तु पंचायतों को इतने अधिकार दिए, डी-सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की। पंचायतों को जहां आप लोग कांग्रेस के टाइम में चार आने फी व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देते थे, जनता पार्टी ने ढाई रुपया फी व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिया। पंचायतों को स्वयं को साठ हजार रुपयों तक के काम कराने का अधिकार दिया था। पंचायतों के अन्दर गांव गांव में सड़कें भी बनी हैं। गांव गांव में स्कूल बने हैं, गांव गांव में अस्पताल बने हैं, गांव गांव में पंचायत घर भी बने हैं। काफी विकास हुआ है। इस बात को ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य भी जब सदन से बाहर होते हैं तो स्वीकार करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हिम्मत के साथ यहां पर भी उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम सभी का ध्येय राज्य का विकास है। टूरिज्म के बारे में मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि टूरिज्म राजस्थान में एक इंडस्ट्री के रूप में, बहुत अच्छी इंडस्ट्री के रूप में अपनाया जा सकता

(श्री यदुनाथ सिंह)

है और करोड़ों रुपयों की आमदनी हो सकती है। राजस्थान में ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल प्लेस एण्ड प्राउड मोनूमेंट्स मौजूद हैं और इतिहास भी बहुत गौरवपूर्ण राजस्थान का रहा है। यहां पर बहुत से नेचरल, वाइल्ड लाइफ और दूसरे रिसोर्सेज हैं। सो इसके लिए मेरा सुझाव है कि टूरिज्म, फारेस्ट और ट्रांसपोर्ट, इनको मिलाकर और आर्कोलोजी को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाया जाय। इनको एक साथ लेकर जब चलेंगे तो बहुत काम होगा। आप हरियाणा में देखिये, आर्टीफीशियल काम्प्लेक्स बना कर, आर्टिफीशियल रिसोर्ट और टूरिज्म प्लेसेज बना कर खड़े कर दिये हैं और करोड़ों की आय है। परन्तु हमारे यहां पर तो पहले से पूरे बने बनाए ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं। सब कुछ मौजूद है। उनको डवलप करके लोगों को बताने की जरूरत है।

अनुसूचित जातियों को छूट जो दी गई है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें एक बड़ी कमी मुझे नजर आती है। वह कमी यह नजर आती है कि जिसमें इनका भी फायदा है? बाबू जगजीवनराम जी, पहाड़ियाजी···

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में।

बंशीलालजी, भीखाभाई और सम्पतरामजी जैसे सम्पन्न लोग ही इसका फायदा उठायेंगे। मेरा सुझाव है कि इन्कम टैक्स देने वालों को यह फायदा नहीं मिले और जो लोग इन्कम टैक्स देने वाले नहीं है, अन्य जातियों में भी गरीब लोग हैं उनको भी यह फायदा दिया जा सकता है। इन्कम टैक्स देने वाले लोग हैं उनको इससे अलग किया जावे और जो इन्कम टैक्स नहीं देने वाले हों उनको यह फायदा मिले।

सबसे बड़ी कमी मुझे इस बजट में जो नजर आई है वह यह है कि इकानामिक्स का एक सिद्धान्त होता है, कार्य करने का तरीका होता है, केपिटल फार्मेशन और असेट्स फार्मेशन का। इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते चले जायेंगे, इसमें आप ब्याज दे रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की आप में हिम्मत नहीं है। कैपिटल फार्मेशन या असैट्स फार्मेशन का आपका क्या तरीका है, किस तरीके से पैसा वापस लेंगे, पैसा हमारा आ रहा है, इस ओर आपका कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मैं क्या अर्ज करूं। लॉ एण्ड आर्डर के बारे में आप हिन्दुस्तान के अखबारों को देख लीजिये, राजस्थान के अखबारों को आप देख लीजिए, किसी होटल में चर्चा सुन लीजिए, पान वाले के यहां चर्चा सुन लीजिए, सदन के अन्दर चर्चा सुन लीजिए, सदन के बाहर चर्चा सुन लीजिए, मां बहिनों की इज्जत खतरे में है। रेप हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं और पुलिस सुनती नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही। तो इसमें पूरा दोष हम लोग पुलिस को देकर अपने दामन को नहीं झड़का सकते। पुलिस का स्ट्रक्चर दुबारा से किस तरह से बदला जावे इस ओर ध्यान दें। आज पुलिस की नफरी थानों में वही की वही है जो आज के 20 वर्ष पहले थी। क्राइम करने वाले तरीके नए नए सीख रहे हैं। क्राइम करने वाला हवाई जहाज

(श्री यदुनाथ सिंह)

में उड़कर जाता है, कार में जाता है, जीप में जाता है, टेलीफोन का प्रयोग करता है लेकिन थानों में बड़े दुःख की बात है कि टेलीफोन और साइकिल तक नहीं है। इसलिए थानों की नफरी बढ़ाई जावे उनकी डिमाण्ड के हिसाब से और थानों में उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश की जावे ताकि उनको यह कहने का मौका नहीं मिले कि हमारे पास पूरी सुविधा नहीं थी।

पुलिस के द्वारा रेपों की खास तौर से चर्चा हो रही है। इसमें मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, पुलिस हेड क्वार्टर पर जहां पर पुलिस का सिपाही पोस्टेड है उसको वहीं पर क्वार्टर अलॉट किया जावे। यह कम्पलसरी किया जावे कि वह फेमिली के साथ रहे। इसलिए जो पुलिस के द्वारा रेप किए जा रहे हैं उसमें काफी हद तक कमी होने की सम्भावना नजर आती है।

बजट भाषण में कई योजनाओं का नाम संजय के नाम पर रखने के बारे में भी लाइन दी गई है। संजय के नाम पर यह टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोले जायें बेरोजगारी दूर करने के लिए। मेरा सुझाव है माननीय मुख्य मंत्री महोदय को क्यों नहीं राजस्थान का ही नाम संजय रख दिया जाय ताकि यह बार-बार सोचने की और यह करने की आवश्यकता नहीं रहे।

(व्यवधान)

क्या हुक्म है ?

एक माननीय सदस्य : आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिये।

श्री यदुनाथ सिंह : अब मैं भरतपुर के बारे में अर्ज करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : दो मिनट।

श्री सभापति : दो मिनट तो वाकई में दो मिनट ही होंगे इस बार।

श्री यदुनाथ सिंह : जो हुक्म। आप इस बार आधा मिनट में ही कहें तो वहीं बैठ जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी: संजय का भूत क्यों सवार हो रहा है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : जैसा संजय के साथ हुआ है वैसा किसी के साथ नहीं हुआ है।

श्री यदुनाथ सिंह : अब मैं भरतपुर के बारे में कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय। भरतपुर में सबसे पहले तो कोई एग्रीकल्चर कालेज होना चाहिए। उसको भरतपुर में खोलें, कुम्हेर में खोलें, डीग में खोलें, धौलपुर में खोलें या भुसावर में ही खोलें लेकिन भरतपुर में एक एग्रीकल्चर कालेज होना आवश्यक है।

भरतपुर में फ्लड की समस्या भी इतनी भयंकर है कि हर साल तबाही मचाती चली जाती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि फ्लड के लिए कोई अलग से मास्टर प्लान तैयार कराया जावे। ' चाहे संवाई माधोपुर

(श्री यदुनाथ सिंह)

में किसी जगह पर या खण्डार में किसी जगह पर सर्वे करा कर वहां पर एक डेम बनाया जावे जिससे बारह महीने पानी मिलता रहे और फ्लड की समस्या भी समाप्त हो जाए।

इसके अलावा भरतपुर में टूरिज्म के हिसाब से फोर्ट है, वह प्राउड मोनूमेंट है हिन्दुस्तान का और जो अभी तक अजय रहा है आज वह फोर्ट चारों तरफ से गिर रहा है। तो माननीय मुख्य मंत्री स्वयं उसका मुलाहिज़ा फरमावें और उसकी ओर खास ध्यान दें।

इसके अलावा मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ शब्द अर्ज करना चहता हूं। वहां से माननीय मुख्य मंत्री जी, अभी भी संसद सदस्य मौजूद हैं। एक रोड डीग से नदबई को लिंक करने वाली है, वह स्टेट के टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है उस ओर विशेष ध्यान देकर उसे बनवाने की कोशिश करेंगे।

ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक के हिसाब से भी वहां पर आज तक किसी बस स्टेण्ड का प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका प्रबन्ध करें। इन बातों को देखते हुए, जो बजट है, बजट में दिशाहीन उद्देश्य दिया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : समर्थन करता हूं।

श्री समापति : इस विवाद में अनेक माननीय सदस्य भाग लेना चाहेंगे। एक लम्बी सूची मेरे पास रखी है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग ले सकें, इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि 10 मिनट के समय की सीमा बांध दें। आपकी सुविधा के लिये मैं पांच मिनट पर घंटी बजा दूंगी उसके बाद आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री देवेन्द्रसिंह।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : आदरणीय सभापति महोदया, जनता पार्टी के 27 महीने के प्रशासन के बाद राजस्थान में जो फाइनेन्सियल क्राइसिस उत्पन्न करके यह सरकार छोड़ गये उसके बाद इतने अल्प समय में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उससे गरीब काश्तकार लोगों का हित होगा, राजस्थान का विकास होगा, इस बजट का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदया, एक भूतपूर्व मंत्री ने यहां पर बड़े जोरदार शब्दों में यह कहा कि हमने माइनिंग का विकास किया, हमने पंचायती राज को बढ़ावा दिया, हमने सहकारिता को बढ़ावा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने माईनिंग में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर जो घपले किये हैं, उस तरफ मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 95 प्रतिशत के करीब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, जिनको पट्टे दिये गये हैं, आज उस पर काबिज नहीं हैं। लखपति लोग, जिनके पास पैसा है और जिन्होंने मंत्री महोदय को चुनाव के लिये पैसा दिया, उन खानों पर काबिज हैं। मैं चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खनिज मंत्री जी इसकी जांच करवायें और इसकी वास्तविकता को देखें कि कितने गरीब लोग आज तक उन खानों पर वाजिब तौर पर काबिज हैं।

(श्री देवेन्द्र सिंह)

पंचायती राज के सम्बन्ध में बहुत जोरदार शब्दों में कहा गया है। इन्होंने 13 साल के बाद पंचायतों के चुनाव करवाये। निश्चित रूप से आपने पंचायतों के चुनाव कराये हैं लेकिन आगे क्या हुआ ? कहां गये पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव ? आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इन्होंने अपने पुलिस विभाग और सी.आई.डी. के जरिये सर्वे कराया कि हम पंचायतों और जिला परिषदों को कैसे हथिया सकते हैं। जब इनको मालूम हुआ, पंचायत समितियों में पंच और सरपंच के वोट होने से हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, इन्होने कानून बदला और कानून बदल कर सरपंचों के माध्यम से पंचायत समितियों पर कब्जा करना चाहा और विधान सभा सदस्यों के माध्यम से जिला परिषदों पर कब्जा करना चाहा। उनका सर्वे कराया किन्तु उसमें भी इनको निराशा हुई तो पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव स्थगित कर दिये और इन्होंने चुनाव नहीं कराये। पंचायत समितियों और जिला परिषदों में इनका राज्य खतम होने तक 200 एल.डी.सी. रह गये हैं, एक यू.डी.सी. और विकास अधिकारी रह गया है और सिवाय मास्टरों की तनख्वाह बांटने के और कोई काम नहीं है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, पंचायती राज का इन्होंने सत्यानाश किया है और मैं समझता हूं, आने वाली सरकार को उसको वापस ऊपर लाने में समय लगेगा। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को सुदृढ़ बनायें और अधिक अधिकार दें। मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूं, कलक्टर स्कीम और सी.ए.डी. का प्रोग्राम एग्रीकल्चर का जिलों के अन्दर चल रहा है, उसको पंचायत समिति के माध्यम से सम्पादित करना चाहिये ताकि पंचायतें अधिक सक्षम हो सकें।

सभापति महोदया, मैं दूसरी बात कहूं, उससे पहले मेरे क्षेत्र में राजस्थान की नहीं, हिन्दुस्तान की नहीं लेकिन विश्व की एक बहुत बड़ी जो योजना बनने जा रही है, उस तरफ मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं। उसका सम्बन्ध आगूचा से है। आगूचा एशिया की ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा विश्व की सबसे बड़ी ओपन माइन्स होने वाली है। उसके जरिये आपके राजस्थान का, हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इसलिये भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे यह आशंका है कि राजस्थान में स्किल्ड लेबर टेक्निशियन की कमी है और वह कमी तब तक पूरी नहीं की जा सकती है, जब तक अभी से विचार नहीं करेंगे। वह 200 करोड़ रुपये की योजना है। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गुलाबपुरा में एक टेक्निकल आई.टी.आई., खोलिये पोलीटेक्निक खोलिये। राजस्थान के लोग वहां ट्रेनिंग ले सकें और अधिक से अधिक लोग आगूचा के बनने वाले संयंत्र में काम कर सकें इसलिये आवश्यक है कि आप उस पर ध्यान देकर कृपा करके कार्यवाही करने की कोशिश करें। आगूचा में पानी नहीं होने से शायद वह प्लान्ट को यहां नहीं लगाना चाहते हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में खारी नदी बहती है। उसमें बहुत पानी है। वहां पर बहुत पानी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

है। भीलवाड़ा के खारी ग्राम हैं, वहां ट्यूब वेल्स खोदा है, उस ट्यूब वेल में इतना पानी निकला है कि वह केवल खारी ग्राम ही नहीं, एक दूसरा काम्पलेक्स और लगाना चाहते हैं सरेरी में उसको बन्द करके उन्होंने यह तय किया है कि इतना पानी मिल गया कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस खारी बांध पर अथवा ट्यूब वेल्स को ठीक करके जो आशंका जिक्र वालों के सामने उपस्थित है, उसको समाप्त करने की ओर आप अपना ध्यान दें।

आदरणीय सभापति महोदया, भीलवाड़ा जिले की दो मुख्य सिंचाई योजनायें हैं-सरेरी और खारी। मैं उस ओर आदरणीय मुख्य मंत्री का ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं, आज खारी और सरेरी से जितना पानी गरीबों के और पिछड़े वर्ग के खेतों में जाना चाहिये था, वह नहीं पहुंच पाया है। उसका मुख्य कारण है, माडर्नाइजेशन स्कीम खारी बांध को ऊंचा करना। ये जितनी स्कीमें हैं, जो स्कीमें राज्य सरकार के विचाराधीन रहीं इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सर्वे वालों से बात की है, और इंजीनियर्स से पता लगाया है, यदि ये स्कीमें हाथ में ले ली जायं तो इन दोनों स्कीमों से बहुत कम पैसे में दस हजार एकड़ जमीन उस क्षेत्र की ओर सिंचित हो सकती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

आदरणीय सभापति महोदय, आर. ई. सी. स्कीम राजस्थान में बहुत बनी है, दुर्भाग्य रहा बनेड़ा का, जिसके लिये जनता पार्टी बड़ी डींग हांकती थी, मिनिस्टर भी बनाये गये उस क्षेत्र के लेकिन आज तक उस क्षेत्र में 110 गांवों में से 19 गांवों में बिजली है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी आर.ई.सी. स्कीम बने। उन गांवों को बिजली दी जाये ताकि गरीब लोगों का उत्थान हो। मैं समझता हूं, राज्य सरकार का यही ध्येय है। मेरी प्रार्थना है कि बनेड़ा की आर. ई. सी. स्कीम तत्काल सम्पादित की जाये।

राजस्थान रोडवेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

राजस्थान रोडवेज की हालत यह है, बसों की हालत तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं। आज मुकाबला किया जाये उनका, अनुबन्धित बसें जो चलती हैं उन बसों में यदि आप बैठें और राजस्थान रोडवेज की बसों में बैठें तो आपको स्पष्ट फर्क नजर आयेगा। उसके साथ साथ मेरी प्रार्थना है कि छोटे-छोटे स्टेशन हैं, उन पर बसें रुकती नहीं हैं। लोगों को परेशानी होती है। उस ओर, सभापति महोदया, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अन्त में मैं एक बात निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस विधान सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य नये हैं। सभी लोग तमन्ना लेकर आये हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन विकास की दृष्टि से जो बजट पेश किया गया है, जो स्कूलों की संख्या दी गई है, जो डिस्पेन्सरी की संख्या दी गई है,

(श्री देवेन्द्र सिंह)

जो औषधालयों की संख्या दी गई है, वह हमारी भूख को नहीं बुझा पायेगी। मैं मुख्य मंत्रीजी की दिक्कतों को समझता हूं। उनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस है। लेकिन, मुख्य मंत्री जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के विकास के लिए प्रोहिबिशन को तत्काल समाप्त करके 55-60 करोड़ का जो घाटा है इस घाटे को पूरा किया जाकर अधिक स्कूल खोलें, अधिक विकास करें राजस्थान का। राजस्थान में प्रोहिबिशन के नाम पर सर्वोदय के लोग घपला कर रहे हैं। दो लाख रुपये इनको दिये जा रहे हैं शराब खोरी को रोकने के लिए मैं आप से पूछना चाहता हूं कि किस आदमी के पास जाकर कहा कि तुम शराब पीना बन्द करो। आज दिन तक नहीं कहा गया। लेकिन जैसा कहा जाता है, उनके परिवार के लोग शराब जरूर पीते हैं। पता नहीं, कहां शराब बन्दी करना चाहते हैं? मैं इसलिए विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी, आपको बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन यह राजस्थान के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इस आवश्यकता को देखते हुए और हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए प्रोहिबिशन खतम करने की जरूरत है। वरना हम क्या कहेंगे अपने क्षेत्र में जाकर? लोग पूछेंगे, क्या लाये हो- एक मिडिल स्कूल, एक औषधालय। करेंगे क्या स्कूल और औषधालय से? इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, आप कृपा कर गम्भीरता से विचार करें। मैं उम्मीद करता हूं जो बजट पेश किया गया है आपका जो जवाब होगा, उसमें निश्चित रूप से कोई दूसरी नीति निर्धारित करें ताकि अधिक स्कूल खुलें, अधिक औषधालय खुलें, अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों और राजस्थान का विकास हो, गरीबों का विकास हो, इस दृष्टि से आपका जवाब होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बजट के लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिंधी।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर) : मादाम सदरे मजलिस, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे लायक, फायक और काबिल वजीरे आला ने जो बजट पेश किया है, यह ऐसा बजट लाजवाब है कि आज तक 30 वर्षों में कभी भी पेश नहीं हुआ।

सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है कि यह गरीबों का बजट है। यह मालदार और पूंजीपतियों का बजट नहीं है। इससे पूंजीपतियों को मायूसी होगी इसमें कोई शक नहीं है लेकिन गरीब अवाम इससे बहुत खुश हैं।

मादाम, मैं आपके मार्फत इस सदन में अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें कोई टैक्स नया नहीं लगाया गया यह सबसे बड़ी खूबी है। आज जरूरत है इस बात की। इससे कीमतें नहीं बढ़ेंगी और आवाम को इससे राहत मिलेगी। कीमतें स्थिर करने की गर्ज से इस बजट में रखा गया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाय।

यह घाटे का भी बजट है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह घाटे का बजट है लेकिन हम मरकजी इमदाद से और दूसरे जराये से घाटे को पूरा करने में सक्षम हैं और घाटा पूरा कर सकेंगे।

(श्री अहमदबक्श सिंधी)

इस बजट में सबसे पहले जो अहमियत का दर्जा दिया गया है वह पीने के पानी का है। पीने के पानी के लिए राजस्थान के गांव गांव में पीने का पानी पहुंचाना इस बजट का मकसद है। इसको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से तन, मन, धन से लग जायेगी। हम यकीन करते हैं कि यह मकसद हम हासिल करके रहेंगे।

एक बात जरूर है कि जो रिलीफ मदाद इस बजट में रखे गये हैं गरीबों की राहत के लिए, मैं चाहता हूं कि वह गरीब तक पहुंचे। ऐसा न हो कि बीच में पूंजीपति और बिचौलिए खा जायें और गरीब तक उसका असर नहीं पहुंचे। इसलिए मैं लायक चीफ मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा इन्तजामात ऐसे करें कि गरीबों को राहत मिले बीच वाले न खा जायें।

दूसरे जो ऐतराज किये जाते हैं वे ऐतराज तामीरी होने चाहिये, कन्स्ट्रक्टिव होना चाहिए। क्रिटिसिज्म फार क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि यह तनज्जुली का बजट है, तरक्की का नहीं है। मैं कहता हूं इससे ज्यादा आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई बड़ा झूठ नहीं हो सकता। यह तरक्की पसन्द, यकीनन तरक्की पसन्द बजट है जिसके लिए हमको फक्र करना चाहिए और अपोजीशन के लोगों को भी फक्र करना चाहिए। ऐसा बजट आज तक पेश नहीं हुआ।

कुछ बातें बजट में ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक मैं अपने ख्यालों का इजहार करना जरूरी समझता हूं। पहला तो इसमें यह है कि इसमें उर्दू जबान के लिए कोई प्रावीजन नहीं रखा गया उर्दू जबान हिन्दुस्तान की मीठी जबान है। आज हिन्दी पढ़ने वाले और जानने वाले हैं वे भी इसकी तारीफ करते हैं। मुशायरों और अदबी मजलिसों में वे शामिल होते हैं। बड़ा अच्छा उनको लगता है। ऐसी जबान के लिए, जो हमारे राजस्थान में भी कई जगह पढ़ाई जाती है और कई जगह नहीं पढ़ाई जाती है मैं दरख्वास्त करूंगा वजीरे आला साहब से कि वे ऐसा इन्तजाम करें कि जहां भी उर्दू पढ़ने वाले लड़के मयस्सर हों वहां उर्दू पढ़ाने का इन्तजाम किया जावे, उर्दू टीचर मुकर्रर करें। खाली उर्दू अकादमी के लिए प्रोविजन रखा गया है 1,3 का प्रोविजन रखा गया है वह बिल्कुल नाकाफी है। खाली उर्दू अकादमी काफी नहीं है। उर्दू जबान की तरक्की के लिए कुछ इकदामात उठाने चाहिये।

दूसरे इसके मुताल्लिक चर्चा होती है, एतराज किया जाता है कि महंगाई दिन-पर दिन बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। अनाज और शक्कर की कीमतें बढ़ी हैं। पिछली सरकार के समय, मुझे बड़ा अफसोस है, जब हम किसी दुकान पर जाया करते थे, सामान रोजमर्रा का खरीदने के लिए तो कहा जाता था कि अब तो पूंजीपतियों की हुकुमत आ गई है, अब हम तिजोरियां भरेंगे। तो उन्होंने खूब जी खोलकर तिजोरियां भरीं। कोई भी मिलावट कितनी ही करे, उसको छूट थी। पहले एक इन्सपेक्टर फूड का रखा जाता था जो मिलावट की चीजों के नमूने लेकर जांच करके उनके खिलाफ कार्यवाही करता था। उसको जनता गवर्नमेंट ने बन्द कर दिया। इससे क्या हुआ? मिलावटी चीजें मिलने लगी और लोगों की सेहत पर

(श्री अहमदबक्श सिंधी)

बुरा असर पड़ने लगा। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके मुताल्लिक सख्त इकदामात उठाये जायं ताकि जिन लोगों ने अनाज और शक्कर और दूसरी जरूरी चीजों को छिपा रखा है उनके घरों में छापे मारे जायं। इन लोगों की जबान में से निकाला जाय, मुंह में से निकाला जाय ताकि वे अवाम के पास पहुंच सकें, अवाम को तकसीम हो सकें। तकसीम की जो प्रणाली है, जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। तकसीम को-आपरेटिव सोसाइटीज के मार्फत होना चाहिये। इन्डिविजुअल के जरिये से नहीं होना चाहिये। अगर को-आपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से होगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

औकाफ के सिलसिले में मुझे अर्ज करना है कि औकाफ के इन्तजाम सही नहीं हैं बहुत से औकाफ पर सरकारी कब्जे हैं। मुझे अफसोस है अब तक सरकारी कब्जे नहीं हटाये गये जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। एक औकाफ हमारे जोधपुर में तकिया चांदशाह है उस औकाफ के सिलसिले में पिछली कांग्रेस सरकार ने हमको इजाजत तामीर दी थी। कुछ दुकानें बनीं। फिर जनता सरकार आई। उन्होंने इजाजत तामीर दी लेकिन अफसोस इस बात का है कि जाते जाते वह इजाजत तामीर भी वापिस ले गई जिसकी वजह से हमारा जो दुकानें बनाने का प्रोग्राम था वह बन्द हो गया। मैं हाउस को बता देना चाहता हूं आपकी मार्फत, मादाम, मुसलमानों की तालीम का सिलसिला इसी पर दारोमदार है जो चांदशाह के तकिये पर तामीर होगी उसकी इमदाद से कालेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल्स स्कूल आदि खोलने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं वजीरे आला से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की हुकूमत के जमाने से जो इजाजत तामीर रोकी गई है वह वापस ली जाय ताकि हम लोग अपनी तामीर जारी रखें। पीने के पानी के सिलसिले में जोधपुर में कठिनाई पैदा हो रही है, दिक्कत आ रही है। जहां से पानी आता है पाली डिस्ट्रिक्ट से, पाली वाले चाहते हैं कि हमारे यहां ही पानी की खपत हो जाय और जोधपुर तक न पहुंचे। इसलिए मेरी अर्ज है कि जो राजस्थान नहर का पानी आ रहा है उसमें लिफ्ट सिस्टम लगा कर जोधपुर तक पानी पहुंचाने का इन्तजाम किया जाय। बीकानेर वालों का तकाजा है वह सही है। वहां भी पानी राजस्थान नहर से अब मिलने लगा है। इसी प्रकार जोधपुर में भी मिलने का इन्तजाम होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हमारे शहर में सिटी बस चलती हैं। इसको प्राइवेट लोग चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बने और उस सोसाइटी को सिटी बस चलाने की इजाजत होनी चाहिये इन्डीविजुअल को नहीं होनी चाहिये उसमें बड़ी गैर जिम्मेदाराना होती है।

जोधपुर में जगह जगह सड़कों पर खड्डे पड़े हुए हैं। आम तौर पर कई लोगों के पांव में मोच आ जाती है तांगा, रिक्शा उलट जाते हैं इसकी वजह से जोधपुर की सड़कों की मरम्मत कराने का इन्तजाम होना चाहिये।

अब मैं जनाब की तवज्जह काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। काटेज

(श्री अहमदबख्श सिंधी)

इन्डस्ट्रीज को तरक्की देना निहायत जरूरी है। यह हमारी पोलिसी के मुताबिक है। जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो चीज वे बनाते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। मसलन जोधपुर शहर में चूंदड़ी बनती है। हाथ से बंधाई की चूंदड़ी होती है। औरतों को घर बैठे मजदूरी मिलती है उससे और वे औरतें अपना गुजारा करती हैं। यह चूंदड़ी हाथ से बांध कर रंगी जाती हैं। उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह नहीं लगाया जाना चाहिए।

दूसरी प्लास्टिक की चूड़ियां बनती हैं उन पर टैक्स लगाया गया है। यह हटना चाहिये। यह औरतों के काम आती हैं। यह एक अजीब मजाक है। अगर आज मोनोवर से ट्यूब सिलेण्डर बनता है, अगर ट्यूब सिलेण्डर से चूड़ियां बनाते हैं, तो चूड़ियों पर ड्यूटी लगती है और अगर मोनोवर से शीट बनाते हैं और शीट से जो चूड़ियां बनाते हैं तो उस पर टैक्स नहीं है। गोया इसके माने यह होवें कि जो बिना जोड़ की चूड़ी है उस पर टैक्स है और जोड़ वाली चूड़ी पर टैक्स नहीं है। यह जो फर्क है यह मिट जाना चाहिए और चूड़ी इन्डस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए।

तीसरी एक और चीज है–चमड़े का मामला है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मादाम, दो मिनट।

चमड़ा लोग रंगते हैं। चमड़ा कमाते हैं हाथ से। ऐसे कामों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। वजीरे आला से दरख्वास्त भी की है कि हमारी जो काटेज इन्डस्ट्रीज हैं वे टैक्स के बोझ से चरमरा गई हैं और इनके बंद होने का अन्देशा है। इसलिए जो लेदर स्किन से हाथ से बनी चीज है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगे ताकि गरीबों को राहत मिले। 4 से 8 पर्सेन्ट टैक्स वसूल किया जाता है यह गैर इन्साफी है चमड़े उद्योग के साथ। हाथ से कमाया है, हाथ से रंगा हुआ है, तो उस चमड़े पर टैक्स नहीं होना चाहिए।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। जोधपुर में एक भी बड़ी इन्डस्ट्री नहीं है। यह वायदा किया गया था कि दो बड़ी इन्डस्ट्रीज जोधपुर में खोली जाएंगी। आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ है।

तेरे वादे पर जिये हम,
तो यह जान झूठ जाना।
कि खुशी से मर न जाते,
अगर ऐतबार होता।।

जनता गवर्नमेन्ट आई उसने भी वायदे किये थे मगर कुछ नहीं किया। कम से कम जो स्कूटर की बड़ी इन्डस्ट्री है जिसके लिए बरकत साहब के समय में वायदा किया था, वह वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए उसको ही वहां पर खुलवा दें। जोधपुर में बड़े उद्योग खुलवाने का इन्तजाम फरमावें।

आखिर में आपसे यह अर्ज करूंगा कि जहां जहां पर माइनोरिटीज के इन्स्टीट्यूशन्स हैं, यह तो ठीक है कि सब को एड देनी चाहिए। जहां जहां एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स हैं, स्कूल्स हैं, कालेजेज हैं, लेकिन माइनोरिटीज के साथ कुछ रियायत बरतनी चाहिए। उनको ज्यादा वजीफा, एड मिली

(श्री अहमदबक्श सिंधी)

चाहिए ताकि ये चला सकें। आम तौर पर मुसलमान, या शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स यह गरीब और मजदूर तबका है, यह तबका ऐसा है जो पक्का नेशनलिस्ट है यह दावे के साथ कह सकता हूं, जिसे हिन्दुस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा फिक्र है। पूंजीपतियों को कोई फिक्र नहीं है। वे एक दमड़ी के लिए मुल्क का लाखों का नुकसान करा सकते हैं। हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। मैं इस बजट के लिए वजीरे आला को मुबारकबाद देता हूं। इस बजट में राजस्थान की भलाई के लिए जो कदम उठाये हैं उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, सारे राजस्थान की जनता शुक्र गुजार है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट की ताईद करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या-पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय सभापति महोदया, बजट भाषण की प्रति हम सब को दी गई है, उसको हमने पढ़ा है। उसके पृष्ठ दो की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। उसमें एक लाइन है: "हमने नीतियों को नया मोड़ देने की कोशिश की है।" माननीय सभापति महोदया, इस पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद नीति तो कहीं दिखाई नहीं देती और नये पन का नाम नहीं पर मोड़ जरूर है। वह मोड़ शेष है आगे दिख रहा है कि क्या नीति होने वाली है। इस सरकार की क्या प्रवृत्ति होने वाली है। किस तरह की अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता का परिचय मिलता है। इस मोड़ से यह भी दिखता है कि इसके कन्ट्रास्ट में पिछले वर्ष जनता पार्टी के शासन काल का बजट किस तरह का था। अगर तुलना करें तो बहुत बड़ा कन्ट्रास्ट नजर आता है।

माननीय सभापति महोदया, आये दिन अखबारों में आप और हम लोग पढ़ते हैं, अखबार भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इससे पहले भी देते रहे हैं। मार्च में यह बजट पास होना चाहिए था किन्तु दो बार वोट आन अकाउन्ट हुआ। दो बार वोट आन अकाउन्ट हुआ उसमें 6 महीने निकल गये। बाकी 6 महीने का जो बजट पास होगा, उसमें हमको तो पूरी शंका है कि यह 6 महीने का जो बजट पास करवाया जा रहा है इसमें आंकड़े क्या हैं, संख्या क्या है, यह एक अलग बात है, पर इतना भी खर्च हो पायेगा या खर्च कर पायेंगे, क्या यह सरकार यह सारा खर्च कर पाएगी इसमें हमें आशंका है, शंका है। जिस तरह धीरे धीरे सरक कर यह सरकार चलती रही है पिछले 6 महीने में, इनका प्रासीजरल प्रोसेस भी इसी तरह का है इसलिये निश्चित रूप से इन दोनों के काम्बीनेशन में बजट लैप्स होगा उसकी जिम्मेदारी नेबरली सरकार की होगी परन्तु इसमें इफेक्टेड जो गरीब लोग हैं उनको इस चीज का जो समुचित लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। अभी तक अखबार भी कहते आये हैं कि यह तनख्वाह बांटने वाली सरकार रही है। यह सही भी है। हरएक काम के बहुत से बिलों के पेमेन्ट इसलिए रुके हुए थे कि बजट नहीं था। वोट आन अकाउन्ट 6 महीने का हुआ। एडहाक बेसिस पर यह काम हुआ। बाकी 6 महीने में नीति परिलक्षित क्या होगी वह न इन्डिकेटेड और न स्पष्ट है। यह कहा गया कि बजट में

(श्रीमती विद्या पाठक)

पिछली बार से ज्यादा धनराशि रखी गई है। 20 प्रतिशत ज्यादा धन रखा है। सभापति महोदय, महंगाई का प्रतिशत क्या है? 24 प्रतिशत। जो आंकड़े हैं कल हमारे माननीय सदस्य ललित किशोर चतुर्वेदी ने स्पष्ट कर बताये थे, उन आंकड़ों को इनीसियली देखने से लगता है कि बजट में जो अधिक प्रावधान किया गया है, उसका इम्पेक्ट डाला। मगर जितना पैसा बढ़ाया गया है उसके मुकाबले पैसे की वेल्यू महंगाई की वजह से तेजी से घट रही है। उसको देखते हुये क्या इम्पेक्ट पडेगा? मैं समझती हूं कि पिछले वर्ष जितना हम कर पाये बढ़े हुये आंकड़ों के बावजूद उतना भी आप कर पायेंगे यह डाउटफुल है। बाकी जितनी थोड़ी कसर कहीं बच गई, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है तो जो महंगाई बढ़ने वाली है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने इस तरफ इंडिकेट किया कि मंहगाई और बढ़ेगी, निश्चित रूप से मंहगाई इनसे रुकने वाली नहीं है तो बाकी बची कसर पूरी हो जाएगी बल्कि पैसा कम ही पड़ेगा। बजट के प्रावधानों में पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि इस बजट में बढ़ोत्तरी हुई है उसकी वजह से लोगों को उम्मीद हुयी थी कि डवलपमेंट वर्क्स ज्यादा होंगे, उनका इम्पेक्ट विकास के कार्यों पर पड़ेगा। ऐसा कुछ होगा, इसकी सम्भावना भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है यह बात रही है कि यह एक ऐसी चीज है कि ग्रोल ग्राफ ए सडन बन्द नहीं किया जा सकता है मगर निश्चित रूप से कोशिश तो की जा सकती है। हम लोग सदन में इस तरह के मामले बराबर सरकार व ट्रेजरी बेंचेज के ध्यान में लाते हैं उन पर किसी तरह का कमिटमेंट व रिएक्शन दिखाया ही नहीं जाता।

ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रेम्पेन्ट है और इन पिछले 6 महीनों में जितना बढ़ा है वह अनप्रिसिडेन्टेड है। माननीय सभापति महोदया, मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताना चाहती हूं। तहसील विभाग, जिससे लोग, ग्रामीण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कहीं कोई रास्ता है ही नहीं। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनसे एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता नहीं। वर्षों से चले आ रहे रास्तों पर रोक लगायी हुई है और आल्टरनेट रास्ते दिये नहीं है और जहां पर आल्टरनेट रास्ते दिये भी हैं मैं लखेसरा नाम के एक गांव के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि जो रास्ते दिये हैं उसमें 4-4 किलोमीटर का राउन्ड लेकर आये तब जाकर मेन रोड पर पहुंच पाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्राम लखेसरा के लिए मैंने मुख्य मंत्री को एक पत्र दिया था पर इस विषय पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

कई पंचायतें ऐसी हैं उदाहरण के लिए डेहमी कला पंचायत मेरे क्षेत्र में है वहां का पटवारी रिकार्ड लेकर के भाग गया। पिछले कई वर्षों का रिकार्ड लेकर के भाग गया और ग्रामीण लोग दुखी हैं लोग पहले पैसा जमा करा चुके हैं। बेचारे ग्रामीण लोग इतने सचेत नहीं होते हैं और इतना पुराना रिकार्ड नहीं रख सकते हैं कि रसीद बता दें, उनसे फिर से वह पैसे की वसूली के नोटिस दिये जा रहे हैं जो पांच पांच साल पहले जमा करा चुके हैं। उनकी गलती क्या है? तहसील का पटवारी

(श्रीमती विद्या पाठक)

अगर रिकार्ड लेकर भाग गया तो उसके लिये ग्राम वासी किस तरह से जिम्मेदार हैं ? इस तरह के उनके अधिकारी हैं, उनके नोटिस में लाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

इसी तरह कुछ गलत अलाटमेंट हो गये। कई वर्ष निकल गये। उस पर कार्यवाही धीरे धीरे सरक सरक कर बढ़ रही है, और लोगों को राहत मिलने का कोई नाम नहीं है। आज भी ऐसा एक प्रश्न और प्रश्नोत्तर काल में आया था, पंचायतों में भी इसी तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त कई सीनियर अधिकारियों पर कार्यवाही हो रही है जो स्टेन्डस्टिल है। डाक्यूमेंटरी एवीडेन्स हैं उन्हें हुश अप करने का प्रयास निरन्तर चल रहा है। उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

मैं बताऊं कि बजट के अभाव में क्वान्टिटेटिवली अगर डवलपमेंट रुकता है तो समझ में बात आती है परन्तु साथ ही क्वालिटेटिव को भी देखना होगा। किस तरह प्रशासन चलता है, वह भी सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग का जहां तक प्रश्न है एक स्कालरशिप दी जाती है अनुसूचित जाति के बच्चों को पब्लिक स्कूल के लिये। आप उनमें से आंकड़े उठाकर देख लीजिये कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत उच्च अधिकारियों के हैं वे उसमें पढ़ रहे हैं। उनकी लिस्ट में बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं। मगर यह धन मिलना चाहिये उन्हें जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, जो नोन इन्कम टैक्स पेयी होते हैं उन लोगों के बच्चों को मिलना चाहिये। इसके विपरीत लाभ मिलता है उनको जो सक्षम हैं, जो पैसे वाले हैं, जो प्रभावशाली हैं, जो वैसे भी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं।

इसी तरह सरपंचों के हरेसमेंट की बात हो रही है। सरपंचों पर पिछली सरकार के समय में भी कुछ कार्यवाही हुई मगर वह एविडेंस, डाक्यूमेंटरी एविडेंस के आधार पर हुई। मगर इसके विपरीत आज सिर्फ एप्रिहेन्शन्स के आधार पर सरपंचों को हरेस किया जा रहा है। किसी सरपंच के खिलाफ इस तरह से कार्यवाही शुरू हुई। बार बार जाकर जांच कर रहे हैं, नाप कर रहे हैं। अगर इस जांच पर कोई कार्यवाही होती तो बात समझ में आती, पर इस तरह केवल तंग किया जाता है उसको पूरी तरह जे. ई. एन. प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वह कम है। जो जे. ई. एन. हैं उनका डिस्क्रिशन इतना ज्यादा है कि वह जाये या न जाये। इससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है और हरेसमेंट सरपंच का हो रहा है। अगर कहीं गलत है तो हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। अगर सही है तो हरेसमेंट भी नहीं किया जाना चाहिये। जो भी कार्यवाही हो वह एक निश्चित अवधि में हो जानी चाहिये।

इसी तरह से कोई सेंट्रली स्पोंसर्ड योजना की इन्डिकेशन इस बजट भाषण में नहीं है। कहीं मालूम नहीं पड़ता है कि कितनी केन्द्र की ओर से योजनायें हमारे लिये राजस्थान के लिये पास हुयी हैं या कितनी होने वाली हैं बल्कि अखबार तो यह बताते हैं कि अभी तक बहुत सी योजनाओं के प्रस्ताव सरकार

(श्रीमती विद्या पाठक)

की ओर से केन्द्र को भेजे ही नहीं गये हैं। इस तरह कोई निर्णय टाइमली नहीं लिया जाता या उस पर फालोअप नहीं होता है तो उससे अपनी स्टेट को बहुत नुकसान होता है।

इसके अलावा वृक्षारोपण की चर्चा आजकल बहुत की जाती है। माननीय मंत्री महोदय आज ही संख्या तक नहीं बता पायीं। यह बात सही है कि जिन वृक्षों को लगाते हैं तो उनके टार्गेट निश्चित होते हैं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, ये गलत निवेदन कर रही हैं। मेरे से यह पूछा गया था कि कौन कौन से पेड़ लगाये गये हैं। संख्या मैंने बतायी थी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, संख्या की बात ही कही थी। संख्या का पता नहीं बजट तक आंकड़े दिये हैं, बजट में कहा कि इनमें वृक्ष लगाये जायेंगे। आज तक कोई ऐसा रिकार्ड या विवरण नहीं मिलता कि कितने वृक्ष लगाये गये हैं जो आज तक जिन्दा हैं। यह नेचरल इम्प्लीकेशन है, अगर इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है तो उसको पिन पाइन्ट करने की गुंजाइश नहीं होती है।

सभापति महोदया, जो पेड़ लगाये जाते हैं पता नहीं इसका स्पेसिफिकेशन कौनसे विशेषज्ञों ने दिया है। यूक्लिपटस के बड़े बड़े पेड़ लगाये गए हैं। जिस तरह के बड़े बड़े पेड़ लगाये जाते हैं मैं समझती हूं कि न तो इनकी लकड़ी की यूटिलिटी है और न कोई छाया, न उपयोगी चीज मिलती है। यह बेकार इसी प्रकार के होते हैं। कोई घने छायादार वृक्ष हों तो लाभ भी है। यह भी स्पेसिफाइड होना चाहिये कि वृक्ष फलों के लगेंगे, फूलों के लगेंगे, जिनको आगे वन लगाने में, लकड़ी प्राप्त करने में या ब्यूटिफिकेशन में कोई इम्पार्टेन्स होगी। कोई सिगनीफिकेन्स होगी, इसका कोई क्लासिफिकेशन मिलता नहीं है।

इसके अलावा यहां एक वकिंग वूमन होस्टल चल रहा था पिछले चार सालों से। मेरे समय में भी जब मैं समाज कल्याण में थी तब भी इस विषय में बहुत वृहद् रूप से चर्चा हुई थी। अब आवश्यकता इस बात की है कि या तो उसको पूरा करवाया जाये या फिर उसको पैसा वापस किया जाय। परन्तु मैं समझती हूं कि अभी आवश्यकता इस बात की है उसको पूरा करवाकर उसको काम में लाया जाये। किस प्रकार किया जाये यह अलग विभागीय बात है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र के बहुत से गांवों का सर्वे हो चुका है बिजली विभाग से और वह रेम्युनरेटिव भी पाये गये जिन्हें फिजिएबल माना है। सामान की कमी नहीं फिर भी वह अभी तक सेंक्शन नहीं हो पाये हैं। वह रेम्युनरेटिव हैं और गांव वालों की भी डिमाण्ड है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी की असुविधा नहीं है। जयपुर की छाया में सांगानेर क्षेत्र है, जिसमें बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की बड़ी भारी असुविधा है। चट्टानें हैं उन चट्टानों की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। मगर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और पी.एच.ई.डी. में कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। ये गांव हैं बाला वासा व विधान पंचायत।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती विद्या पाठक)
इन गांवों को पानी दिया जाय। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे कुछ समय और दें। मैं अपनी पार्टी के समय में से बोल रही हूं।

श्री सभापति : पार्टी के समय में से आप 15 मिनट बोल चुकी हैं। जरा जल्दी करें।

श्रीमती विद्यापाठक : इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, कई मेरे क्षेत्र में इस तरह के गांव हैं, राजस्थान में अन्य जगह ऐसे गांव होंगे जहां जंगली गायों की समस्या बहुत ज्यादा है। जंगली गायें फसल को नष्ट कर देती हैं। इसका सरकारी स्तर पर निराकरणहो सकता है। इसके विषय में कुछ कागजात चले थे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाय। इस पर विचार किया जाय

जहां तक स्टेरिलाइजेशन का मसला है नसबन्दी का, इसको कोई मना नहीं कर सकता कि परिवार नियोजन एक बहुत जरूरी मसला है। यह बहुत आवश्यक है कि पापुलेशन एक्सप्लोजिव रोका जाये जिससे विकास के कामों का फायदा मिल सके। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, स्टेरिलाइजेशन के लिये पैसे दिये जाते हैं। सभापति महोदया, माननीय सदस्य, सरकार के पक्ष के सभी लोगों ने इस बात को कहा है कि यह जरूरी है, पर इसमें जोर जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ ही यह भी जरूरी है, इसके लिए मास एजूकेशन होनी चाहिए। इनसेन्टिव के लिए मैं समझती हूं कि काफी समय हो गया। 80 रुपया पर पुरुष दिया जाता है। 50 रु. प्रति महिला दिया जाता है। 30 रुपया लेप्रोस्कोपी तरीके से जो भी स्टेरिलइजेशन करवायें महिलायें उनको दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 70 रु. और दिया जाता है केन्द्र से। मैं नहीं समझती कि इस पैसे के देने की जरूरत है। मैं समझती हूं, ग्रामीण लोग नसबन्दी करवाने जाते हैं, उनको आफ्टर केयर के लिये जरूरत हो सकती है। उन्हें कुछ जरूर खाने पीने के लिये जरूरत हो सकती है पर इस तरह बहुत महिलाओं के डिलीवरी होती है बहुत सी इस तरह की बीमारियां होती हैं पुरुषों को बच्चों को क्या उन सबको देते हैं? फेमिली प्लानिंग के लिए मास एजुकेशन और सोशल एजुकेशन के माध्यम से क्यों नहीं उनको शिक्षित किया जाता है? इसलिए जो पैसा यहां खर्च होता है, उनको अन्य अति उपयोगी जगह क्यों नहीं खर्च किया जाये इस पर भी विचार किया जाना बहुत जरूरी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर, जो जयपुर से 10 किलोमीटर दूर है, में एक मेटरनिटी सेण्टर है और एक डिस्पेंसरी है। उसकी स्थिति की अधिकारियों से आप जानकारी करवा लें। उसकी दर्दनाक और शर्मनाक स्थिति है। मैं स्वयं वहां 10–15 दिन पहले गई थी वहां भयंकर मक्खियों का साम्राज्य है। इसके अलावा वहां बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं है। वहां बहुत बड़ा लैण्ड पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहूंगी, आपको यह सलाह देना चाहूंगा इस विषय में भी सोचकर उसको समन्वित रूप देने की आवश्यकता है। इससे अधिक से अधिक यूटिलिटी हो सकती है।

मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बात कर रही थी। सभापति महोदया, मेरे पास एक

(श्रीमती विद्या पाठक)

रिकार्ड है। विशेष तौर से कई केसेज पिछले 6 महीने के हैं। किस तरह से अधिकारी लोग सीनियर लेविल पर फाइलों से कागज निकाल कर गायब करते हैं, जिसकी कापी आपके रिकार्ड में दूसरी है और जब जजमेंट देते हैं तो वह अलग होता है। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के तहसील से सम्बन्धित कई मामले हैं। जब मैं कटौती प्रस्तावों पर बोलूंगी तब बताऊंगी कि किस प्रकार से रिकार्ड से पेपर गायब कर किसी न किसी प्रलोभन में आकर निर्णय बदल दिये जाते हैं। किस तरह से रिकार्ड टेम्पर विद किया जाता है। आपके रिकार्ड में निर्णय दूसरे हैं उनको कन्वेड और डिलीवर्ड निर्णय दूसरे हैं।

सभापति महोदया, हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट है। समझ में आता है जनता का वेलफेयर देखना सरकार का काम है। इसमें हम सरकारी कर्मचारियों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मैं अगर सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ बोलूंगी तो हमारे सामने वाली बेंच पर बैठे सब एक साथ बोलेंगे। फिर भी मैं सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर के बारे में बोलूंगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 54 ट्रांसफर पिछले एक महीने में हो चुके हैं।

(व्यवधान)

आप सुनिये। मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती। आप कृपया मेरे को सुनने की कोशिश कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, इसका दूसरा पक्ष भी है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, सुनने का प्रयास करें। इसके बाद आपको भी समय मिलेगा। आप इसका जवाब दे सकते हैं।

तो मैं कह रही थी, ट्रांसफर्स कितने हो रहे हैं। आप ट्रांसफर करते हैं यह आपके डिस्क्रिशन की बात है। राज्यादेश से ट्रांसफर हो रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यह एक एक्सपीरियन्स की बात भी है। राज्यादेश में आप किसी को डिजायर करके भेजते हैं मगर जो रिजल्टेड ट्रांसफर हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है। आप किसी गुप्ता का ट्रांसफर कर देते हैं। आप मि. गुप्ता को रखना चाहते हैं। मि. माथुर को दूसरी जगह भेजना चाहते हैं। अभी डेढ़ साल से और 6 महीने पहले जो आदमी आया है तो उसकी क्या गलती है पर वह प्रभावित होता है। उसके लिए भी तो यह वेलफेयर स्टेट है। उसका वेलफेयर कौन देखेगा? ट्रांसफर पर इतना खर्चा होता है। इसको पे कौन करेगा? यह ठीक बात है कि यह सब राज्यादेश से होता है। पर पैसा जनता व स्टेट एक्सचेंकर का होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। यह ट्रांसफर भी आपके अधिकार की बात है पर वेलफेयर देखना कर्तव्य भी है। अगर ये बातें आपके ध्यान में लाई जाती है तो बहुत एरोगेन्सी से हमारे सामने बैठने वाले ट्रेजरी बेंचेज वाले मन्त्री कहते हैं कि यह सरकार का अधिकार है, ठीक है। लेकिन उसके वेलफेयर को देखना भी सरकार का दायित्व है। इस बात को भूल

(श्रीमती विद्या पाठक)

जाते हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि रिजल्टेड ट्रांसफर कितने होते हैं, उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी रखें। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी। हमारे यहां से एक डाक्टर का ट्रांसफर कितनी बहकी हुई बात पर हुआ। मैं उसकी पैरवी नहीं कर रही हूं। न मैं उसके कैंसीलेशन की बात कर रही हूं। मगर अभी कुछ दिन पहले यहां आदर्श विद्या मन्दिर में कोई प्रोग्राम था। उसका इनविटेशन कार्ड कोई नागरिक जाकर उस डाक्टर की टेबिल पर रख आया था। उस बेचारे डाक्टर ने उस इनविटेशन कार्ड को देखा भी नहीं। वह सटरडे था, सटरडे को वह आया नहीं। मगर उस कार्ड को लेजाकर किसी मन्त्री महोदय को दिखाने मात्र से उस डाक्टर का ट्रांसफर हो गया। अभी उसको आये डेढ़ साल भी नहीं हुआ है। सारे ग्रामीण उसको बहुत प्यार करते हैं और बहुत इच्छुक हैं कि उसका ट्रांसफर न हो। इतनी सी बात पर उसका ट्रांसफर हो गया। माननीय सभापति महोदया, ट्रांसफर का कष्ट हम लोग भी पाते हैं। कर्मचारी कहता है दो एम. एल. एज. से लिखा कर दे दो तो ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसे लोगों से हमारे घर भरे पड़े हैं। वह आते हैं और कहते हैं कि हम लोग कष्ट पाते हैं 6 महीने पहले ही इस स्थान पर आये हैं और हमारा ट्रांसफर कर दिया। हम अपने कष्ट की बात करते हैं। कर्मचारियों के कष्ट की बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मानवीय दृष्टिकोण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक पोलीटिकल कोड आफ कन्डक्ट हो यह दूसरी बात है।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्रीमती विद्या पाठक : इसके अतिरिक्त आप लोग जो तबादले करते हैं, इससे ज्यादा लाभ आपके नीचे वाले कर्मचारी उठाते हैं। माननीय सभापति महोदया, हर ट्रांसफर पर जब उनकी कोई पर्सनल रंजिश होती है, या उनको पैसा न देने की वजह से हो यह मेरा चार्ज है कोई भी उसका कारण हो तो वह कहते हैं यह तबादला राज्यादेश से हुआ है। अध्यापकों में त्राहि त्राहि मची हुई है। डाक्टर लोगों में त्राहि त्राहि मची हुई है। इस पर ध्यान रखना नितान्त आवश्यक होगा। सीनियर कर्मचारी दुखी हैं। वह कहते हैं कि बड़ा भयंकर कन्फ्यूजन हो रहा है। जो हमारे आर्डर नहीं निकल रहे हैं हमारे थ्रू नहीं निकल रहे हैं वह आर्डर कन्वे किये जा रहे हैं कि राज्यादेश से हैं। इसलिए, सभापति महोदया, यह सेंसिटिव विषय है। इस पर सरकार विचार करे। मैं सोचती हूं, यह नितान्त आवश्यक है। इसी तरह से डाक्टरों के बारे में भी जो सबसे बड़ी बात है, हमारे पास माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जो उन्होंने प्रेस को दिया है। 25 जुलाई के इण्डियन एक्सप्रेस की कटिंग मेरे पास है इसमें यह है कि वह डाक्टर्स के ट्रांसफर्स किस तरह से कर रहे हैं? आप लोगों ने सभी ने यह पढ़ा होगा। मैं नहीं समझती कि मुझे इसे कोट करने की जरूरत है। जहां तक वेलफेयर आफ स्टेट का प्रश्न है, मैं वेलफेयर के बारे में बताऊंगी। सांगानेर को मान लीजिए एक छोटी सी जगह है, पर इम्पार्टेंस उसकी भी है। माननीय सभापति महोदया, इतनी सारी गन्दगी भरी पड़ी है। इतनी जगह गन्दी हो रही है कि सड़क पर से गुजरना मुश्किल है। किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं, कोई

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती विद्या पाठक)

धनी धोरी नहीं, कोई रेस्पोन्सिबल नहीं। यहां जयपुर शहर है। माननीय सदस्य बापू बाजार जरूर गये होंगे। वहां, लिंक रोड है और कई पास के रास्ते हैं। जहां फल मंडी आजकल है, माननीय सभापति महोदया, जयपुर के बिल्कुल केन्द्र में इम्पोर्टेन्ट चार बाजारों से घिरा हुआ एक रास्ता है उस रास्ते में सरकार ने नियम बना रखा है कि वहां से दिन में ट्रक नहीं जायेंगे। मैं, सभापति महोदया, यह बात आपको बिल्कुल सच कह रही हूं। कोई भी इस बात को जाकर देख सकता अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उस रास्ते को कोई पैदल या कार में भी पार नहीं हो सकता है। अगर किसी को हार्ट अटेक हो जाय तो वहां पर एम्बुलेन्स नहीं जा सकती, ट्रक भरे पड़े हैं, स्कूटर नहीं जा सकते, साइकिल नहीं जा सकती। मैं सोचती हूँ कि वेलफेयर स्टेट, हैल्थ, हाईजीन और अरेन्जमेंट इन तीनों दृष्टि से बहुत जरूरी है कि जयपुर शहर के बीच में, मोतीडूंगरी रोड, इसके अतिरिक्त इस तरह के बहुत से रास्ते हैं मन्त्री महोदय इनको स्वयं जाकर देखें तो इसका निराकरण हो सकता है। मैं सोचती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे। वहां पर बहुत से नाले हैं, खड्डे हैं, कई जगह लाइट नहीं है। जहां ट्यूब लाइट है वह जलती नहीं हैं और इसी तरह की असुविधायें नागरिकों को हैं।

अब मैं महिला होने के नाते महिलाओं के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहती हूं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने मेंहदी, सिन्दूर और कुमकुम पर बिक्री कर नहीं लगाया। पिछले दिनों में हमने अखबारों में पढ़ा, गल्फ देशों ने रद्दी मेहन्दी वापस की है। मैं सोचती हूं मेंहदी का वह स्टाक काफी होगा, वैसे भी मेंहदी का कस्टम कम है। आज राजस्थान पत्रिका ने भी कहा कि इसकी यूटिलिटी कम है। महिलाओं पर इस रियायत का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यह खुशी की बात है कि आप महिलाओं के लिये पोलीटेक्निक खोल रहे हैं। विधवा पेंशन में भी आपने महिलाओं के लिए ऐज रिलेक्सेशन किया है, यह भी स्वागत योग्य बात है। लेकिन सरकारी नौकरियों की सीमा होती है। विधवा महिलाओं के लिए और भी कुछ किया जाय तो वे इज्जत के साथ अपना जीवन-यापन कर सकती थीं। इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, अगर आप महिलाओं के लिए कन्सीडरेशन रखते हैं तो यह और भी ज्यादा जरूरी है, अगर आप सुधार करना चाहते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं तो उन पर होने वाले अत्याचार और अपमान और बलात्कार के जो केसेज हुए हैं और हो रहे हैं, अभी कल ही एक महिला, सत्यवती नाम की जो. जयपुर की है, के साथ पुलिस का क्या एटीट्यूट रहा, इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जावे, उनकी बेरोजगारी समाप्त करने की कोशिश करें, उनके बच्चों की रोजगार व्यवस्था सुधारें उनके लिए कुछ सेल्फ एम्प्लायमेंट दें ताकि...

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

ताकि वे अपने परिवार और गृहस्थी का पालन कर सकें। मंहगाई को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी हम महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर उनके लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल खोला जाता, जैसे अभी आज जनाना हास्पिटल की बात हुई, उसको कन्सीडर किया जावे। यहां तक पर्यटन का

(श्रीमती विद्या पाठक)

संबंध है, माननीय सभापति महोदय, ये एक मल्टी प्लानिंग इन्स्टीट्यूट है, इसको कोई मना नहीं कर सकता।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, काफी समय हो गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : दो मिनट और।

श्री सभापति : आपने जब तक महिलाओं के लिए बोला मैंने कुछ नहीं कहा। और भी कई सदस्य अभी बोलेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं यह कह रही थी कि हमारा जो पर्यटन आकर्षण है इसको प्रदेश के बाहर प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है, इसके लिये कोई स्कीम बनायी जानी चाहिये। जैसे एक माननीय सदस्य ने, जो मेरे सामने बैठे हैं, यह कहा कि तीन वर्षों में कुछ नहीं किया, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वह जानकारी तो करें पिछले ढाई वर्ष में पर्यटन की कितनी रेवेन्यू बढ़ी है आप उसको पिछले तीस वर्षों से कम्पेयर कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये आवश्यक है कि पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाये। इस तरह की योजनायें बनाई जायें। दूसरे स्टेट्स में भी हम अपनी सेल बढ़ायें और उनके कोर्डिनेशन से राजस्थान की सेल बढ़ाई जा सकती है, उससे पैसा आयेगा और हम अधिक विकास कर सकेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : आदरणीय सभापति महोदया, पिछले विधान सभा के चुनावों से पूर्व और लोक सभा चुनावों के बाद जब केन्द्र में हमारे राज्य के लिये एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया गया था तब विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की थी कि यह इसलिये किया जा रहा है कि चुनाव के बाद राज्य में नये कर लगाये जायेंगे और यही उनके प्रचार का एक मुख्य साधन था। मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने यह बजट पेश करके इस आशंका को निर्मूल साबित किया। गत सरकार ने जो वित्तीय स्थिति हमारे प्रदेश की छोड़ी और जैसा हमने देखा कि जनता सरकार ने गैर-जिम्मेदाराना तौर से राजकोष का दुरुपयोग करके इस प्रदेश को दिवालिया की स्थिति में लाकर रख दिया था उस विषम परिस्थिति में यह बजट पेश करके मुख्य मन्त्रीजी ने एक सफल कदम उठाया है इसके लिये वे प्रशंसा के पात्र हैं। इस बजट को जितना मैं पढ़ सका हूं और समझ सका हूं उसके आधार पर मैं नहीं समझता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बातें कहां तक उचित हैं लेकिन मैंने यह पाया है कि सभी वर्गों और सभी पहलुओं पर विचार कर इस बजट में सन्तुलित व्यवस्था की गई है। यह इसलिये भी जरूरी था कि जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं के अन्दर कुछ किया जा सकता है। इसके अलावा जैसा पूर्व सरकार ने किया था वैसी आपा-धापी की जाती लेकिन हमको तो पांच साल राज करना है, इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी।

बजट में जो घाटा बताया गया है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की जो परम्परा चली

(श्री गोविन्दसिंह)

आ रही है मैं समझता हूं वह उचित नहीं है। वह एक ऐसी विषम स्थिति पैदा करती है कि उससे महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती है और कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि महंगाई भत्ता देने की बनिस्बत सब्सिडाइज्ड राशनिंग की जो व्यवस्था है, जो हमारे देश के अलावा दूसरे कई देशों में लागू है वह लागू की जाय। एक निश्चित मूल्य को आधार मानकर जितने भाव बढ़े, कर्मचारियों को उसी भाव के ऊपर वह सामान राशन के द्वारा मुहैय्या कराया जाय तो मैं समझता हूं कि महंगाई के दानव को हम कुछ हद तक वश में कर सकेंगे।

मैं जब भी इधर उधर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में करोड़ों रुपयों का सामान कबाड़ के रूप में पड़ा हुआ है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। हम यदि उस सामान का उपयोग नहीं कर सकें तो उसको बेच दिया जाय तो भी मैं समझता हूं कि उससे करोड़ों रुपया प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर से जो बड़ी संस्थायें हैं जैसे राज्य पथ परिवहन है, कारखानें हैं, दूसरे बड़े उद्योग हैं और सरकारी जो भण्डार हैं और सरकारी जो फैक्ट्रीज हैं, उनमें देखना है कि बहुत सा सामान इधर-उधर पड़ा हुआ है। कई वर्षों से वहां सड़ रहा है। उस सामान से हम काफी लाभान्वित हो सकते हैं और वह उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक कमेटी बनाकर इस सम्बन्ध में जो सामान बेकार पड़ा हुआ है, उसका लाभ उठाने के लिए कोई परामर्श उनसे प्राप्त करें, उसका लाभ उठायें।

इसी प्रकार बहुत सारा टैक्स जो सेल्स टैक्स के रूप में हो या दूसरे टैक्स के रूप में हो बहुत बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खाते में अभी तक प्राप्त नहीं करके पड़ा हुआ है। वह सरकारी कर्मचारी की मिली भगत से लाखों करोड़ों रुपयों का--बल्कि मेरा निजी अनुभव है कि सेल्स टैक्स उसमें कम से कम 50 प्रतिशत सेल्स टैक्स का भुगतान होता है बाकी का रुपया व्यापारी और सरकारी अधिकारी हड़प कर जाते हैं। यदि इतना टैक्स कड़ाई से वसूल किया जाये और उसको प्राप्त करने के लिए छापों की व्यवस्था की जाये तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा धन, जो घाटे का हमको प्राप्त करना है, वह इस मद से प्राप्त किया जा सकता है।

एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो काफी माननीय सदस्यों ने कहा है, काफी महत्वपूर्ण है शराब बन्दी के सम्बन्ध का। कुछ लोग स्वेच्छा से योगदान करना चाहते हैं तो वह योगदान 10–5 लाख रुपये का नहीं बल्कि 50 लाख के आस-पास बल्कि आगे जाकर एक करोड़ के करीब पहुंच सकता है। इस मद में लोग स्वेच्छा से देना चाहते हैं, कोई दान की बात नहीं है। शराब बन्दी इसलिए भी की गई और वर्तमान में भी जैसे तामिलनाडु में ढिलाई दी गई है और दूसरे प्रदेशों में तो खोल ही दी गई है, जैसे महाराष्ट्र आदि। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में, अगर उनका कोई व्यक्तिगत सिद्धान्त हो तो उनको छोड़कर इस प्रदेश के लाभ के लिए इसे बहादुरी के साथ समाप्त करने की कोशिश

(श्री गोविन्द सिंह)

करें और उससे जो धन प्राप्त हो, उसे विकास के कार्यों में लगाने के लिए योजना तैयार करें।

मैं न्यायालयों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं कि जैसी पद्धति है वह इस बात की दूषित पद्धति है कि लोगों को न्याय प्राप्त करने में काफी समय लगता है। मैं यह सुझाव पेश करना चाहूंगा कि दीवानी मामलों में न्यायालय जाने से पूर्व कम्पलसरी आर्बीट्रेशन की व्यवस्था लागू कर दी जाये। और मेरा ऐसा विचार है कि इस प्रकार कम से कम आधे मुकद्दमें स्थानीय स्तर पर दोनों पक्ष आपस में मिलकर सुलझा सकते हैं।

इसके साथ-साथ यदि हम उत्पादन के सम्बन्ध में कोई इंसेन्टिव दे सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यही एक मात्र उपाय है। जिससे प्रदेश का विकास कर सकते हैं। इन इन्सेन्टिव के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने बजट भाषण में जवाब में कुछ इन्सेन्टिव पेश करें ताकि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही हो सके। इसके साथ-ही-साथ मैं उम्मीद करता था कि बजट में कुछ क्रान्तिकारी सुझाव मंत्री महोदय पेश करेंगे। लेकिन शायद समयाभाव के कारण और 6 महीने काम करने के हैं, इस कारण ऐसा नहीं कर पाये हैं। मैं सुझाव के रूप में पेश करना चाहूंगा कि 5 हजार या 10 हजार के जो कर्ज हैं गरीबों के ऊपर, चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उन कर्जों को पूरी तरह से माफ कर दिया जाय।

इसी तरह 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों के कर्जों को माफ करने का एक सूत्र है। इसके साथ-साथ 20 सूत्री कार्यक्रम में इस सम्बन्ध में जो सूत्र हैं और पट्टों के जरिये जो कब्जा गरीब लोगों को दिया गया है, उस सूत्र के ऊपर कार्यवाही करना लाजिमी है और उनके लिए को-आपरेटिव सोसायटीज के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है या समाज कल्याण विभाग देता था वह व्यवस्था उन को-आपरेटिव सोसायटीज को दी जाये, ताकि जो पट्टे गरीबों को प्राप्त हुए हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....की योजना में होने वाले हैं, उन पट्टों का लाभ उठाकर मकान बना सकें। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो किरायेदार 5 साल या उससे ज्यादा समय से एक मकान में रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देने के लिए अगर कोई अधिनियम यहां पेश कर सकें तो मैं समझूंगा कि इस देश के जो करोड़ों लोग किराये में रह रहे हैं और जिन्दगी भर किरायेदार रह जाते हैं उनको एक लाभ मिलेगा। क्योंकि जितने समय से वह मकान मे रह रहे हैं, मकान की जो कीमत है वह चुका चुके होते हैं। इसको जिस रूप में भी लाया जा सके तो मैं समझता हूं कि यह कल्याणकारी कदम होगा।

इसके अलावा मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण की कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यू.पी. में, कर्नाटक और बिहार में या दूसरे प्रदेशों में जो पिछड़े वर्ग हैं

(श्री गोविन्द सिंह)
जो किसी वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति मे नहीं आ पाये और अब और पिछड़ते जा रहे हैं, उनके लिये आरक्षण की व्यवस्था करने की घोषणा इस सत्र में अवश्य करें और यह हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें यह भी एक आइटम है। अच्छा तो यह होता कि वित्त मंत्री जी कुछ बेरोजगारों के लिये बेरोजगारी कम करने के लिये कोई व्यवस्था करते और अगर कोई व्यवस्था नहीं हो सके तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान इस बजट में करते।

हमारे यहां 20 सूत्री कार्यक्रम में परिवहन को सुलभ करने के लिये एक सूत्र था कि राष्ट्रीय परमिट ट्रकों को दिये जाने चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 5 राज्य उत्तर के हैं उन्होंने मिलकर एक जोन बना लिया है और....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...वह 5 राज्य मिलकर नेशनल लेवल पर परमिट दे रहे है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर अग्रसर हों और यहां के राजस्थान के रहने वाले परिवहन में लगे हुए, ट्रक आपरेटरों को भी यह सुविधा दिलावें। ज्यादा से ज्यादा परमिट हमारे राज्य को मिलें इसके लिये कोशिश करें।

श्रमिकों के लिये, जो प्रबन्ध मण्डल है उद्योगों का उसमें हिस्सा देने को, उनको नोमिनेट करने की बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा वित्त मंत्री से कि श्रमिकों को इस प्रबन्ध में भागीदारी दिलाने के लिये काम करें और इस सम्बन्ध में जो भी उनको लाभ सरकार से मिलने वाला है, उनको दिया जाये, और जो उद्योग घाटे में चल रहे हैं उन उद्योगों को उनके कर्मचारियों को, जो उसमें काम कर रहे हैं उनको सौंप दिया जाय। उनको जिम्मेदारी दे दें ताकि लाभ में चलायें, अगर इस संस्था में रहना चाहें तो लाभ में चलाने के लिए अपने आप उस उद्योग को चलायें।

इसी तरह से कुछ अजमेर जिले के लिए मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अजमेर जिला औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पहले...

श्री सभापति : 15 मिनट हो चुके हैं।

श्री गोविन्दसिंह : 2–4 बातें कहूंगा। आपने विरोधी पक्ष को तो काफी समय दिया।

श्री सभापति : आप दूसरों का भी ख्याल रखें।

एक माननीय सदस्य : आप विरोधी पक्ष में बैठ जाओ, काफी समय मिलेगा।

श्री गोविन्दसिंह : आपको 5 साल तक इन्तजार करना पड़ेगा।

अजमेर जहां हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ख्वाजा साहब की दरगाह है और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पीर पुष्करराज है ऐसे स्थान को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए तो अच्छा होगा।

(श्री गोविन्द सिंह)

अजमेर का विकास अवरुद्ध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है, आज वहां पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। प्रश्नोत्तर-काल में भी मेरा सवाल था, जो राजमहल पेयजल योजना कई सालों से बंद पड़ी है उस योजना को लागू किया जाए और शीघ्र ही अजमेर को जल संकट से मुक्त किया जाए।

इसके साथ ही जनरल मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और रोडवेज सेन्ट्रल वर्कशाप, ये तीन बड़े उद्योग हैं लेकिन औद्योगिक विस्तार की दूसरी इकाइयां वहां लगनी चाहिए थीं वे नहीं लगी हैं। मैं मुख्य मंत्री से चाहूंगा कि विस्तार की योजनाओं के लिए धनराशि अपने बजट में दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

भूमि विकास बैंक में कुछ रुपया दिया जाना चाहिए ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझे सहयोग दें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकें।

श्री गोविन्दसिंह : इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके तहत शक्कर वितरित की जाती है उसके लिए तीन करोड़ रुपये यहां पर मार्केटिंग सोसाइटी है केन्द्रीय स्तर पर उसको मिले हैं। जिला स्तर की सोसाइटियां हैं उनको भी इस धन से कुछ पैसा दिया जाए ताकि शक्कर वगैरह जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके वितरण के लिए उनको प्राप्त करके वितरण कर सकें।

इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार किया जाए।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, जो मुख्य मंत्री ने बजट पेश किया है, उसमें कर नहीं लगाए हैं उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में जो बजट प्रस्तुत किया है और पिछली जनता सरकार को देखते हुए हर मद पर ज्यादा पैसा खर्च करने का प्रावधान रखा है, वास्तव में यह एक सराहनीय कार्य है लेकिन मेरा मुख्य मंत्री से निवेदन है कि इस घाटे को किस प्रकार से पूरा करेंगे ? आखिर आपने इस साल बजट प्रस्तुत कर दिया जिसमें कर नहीं लगाए लेकिन इस घाटे की पूर्ति कैसे की जाएगी ? तो मेरा निवेदन है कि जो फिजूल खर्ची है उसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक घाटे की पूर्ति नहीं होगी। बहुत से आफिसर्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एडजस्ट करने के लिहाज से नये-नये आफिसेज बनाये जाते हैं और उन अधिकारियों को उनमें बैठा दिया जाता है। अगर आप ऐसे आफिसेज को बंद करें या ऐसे खर्चों को रोकें तो आपको रेवेन्यू बढ़ाने में काफी फायदेमन्द रहेगा।

इसके अलावा जो रोडवेज है उसमें फिजूलखर्ची और घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में निवेदन है कि उसके लिए कुछ सोचें क्योंकि करीब दो डेढ़ लाख का रोजाना खर्चा रोडवेज में हो रहा है और लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। तो मेरा मुख्य मंत्री से निवेदन है कि कोई कारगर कदम उठाकर इस घाटे को रोकें। उससे और डवलपमेंट वर्क्स कर सकते हैं। लेकिन बेकार में ही ऐसे

(श्री बनवारी लाल)
घाटे को ले रहे हैं। मेहरबानी करके इसको रोका जाए।

इसके अलावा इस घाटे को बढ़ाने के लिए जनता पार्टी ने शराबबन्दी की। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक अच्छा प्रोग्राम हाथ में लिया लेकिन जिस उद्देश्य से यह शराबबन्दी की गई वह पर्पज सर्व नहीं हुआ। आज एक तरफ जहां राज्य सरकार को घाटा हुआ है वहां दूसरी तरफ शराबबन्दी होने से जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। आज काटेज इंडस्ट्रीज डवलप हो रही हैं, जगह-जगह शराब बिक रही है और बहुत ज्यादा बिक्री हो रही है, तो फिर आखिर इसका पर्पज क्या है?

इसके साथ मेरा निवेदन है कि आपको बोल्ड होकर घोषणा करनी चाहिये हालांकि इसमें बुराइयां आ सकती हैं लोग क्रिटीसाइज कर सकते हैं लेकिन इससे 46–47 करोड़ का डाइरेक्ट घाटा है इसके अलावा करीब 11 करोड़ इसकी मेन्टेनेन्स के लिए खर्च होगा। इस प्रकार करीब 57 करोड़ रुपये का घाटा है। नुकसान तो वैसे ही हो रहा है, उस घाटे को पूरा करने के लिये इससे अगर रेवेन्यू बढ़ाई जाए और अन्य डवलपमेंट वर्क्स में खर्च की जाए तो मेरे खयाल से ज्यादा उपयुक्त होगा। आपको केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए, माननीय सदस्यों की भी यह राय है। मेरा निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र आप जवाब दें, विचार करें और शराब बन्दी को समाप्त करें, हालांकि वह अच्छा कार्य था लेकिन घाटे की स्थिति को देखते हुए आपको सोचना चाहिए। जिस पर्पज से यह शराबबन्दी की गई थी वह पूरा नहीं हुआ है। इसलिए शराबबन्दी के बारे में आप निर्णय लेते समय सोचें।

मंहगाई, बेरोजगारी और जो चीजें हैं उस बारे में मेरा निवेदन है कि बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि एक दो महीने के शासन में हम और आप एक साथ कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो जरूरत की चीजें हैं जैसे डीजल है, सीमेंट है, अन्य कई चीजें हैं उनके मिलने में परेशानी आ रही है। इस बारे में कुछ न कुछ कारगर कदम उठायें। वास्तव में परेशानी कुछ चीजों की कमी के कारण है। कुछ तो वितरण प्रणाली और कुछ सरकारी कारोबार की ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोगों को दिक्कत आती हैं। जैसे चीनी है उस पर कन्ट्रोल किया हुआ है और वितरण प्रणाली डीलर्स सम्भालते हैं। वितरण का अधिकार को-आपरेटिव सोसायटीज को दिया हुआ है, एक्स-मिलिट्रीमेन को दिया है या बेरोजगार ग्रेजुएट्स को दिया है लेकिन उनके पास पैसा कहां है? बहुत सी समितियां बिलकुल बन्द पड़ी हैं उनके पास पैसा नहीं है। इस कारण करप्शन होता हैं। वास्तव में चीजों की कमी है वह तो है लेकिन वितरण प्रणाली गलत है उसको दूर करने के लिए आप कोई न कोई कदम उठायें।

इसके अलावा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मेरे ख्याल से आपने कोई खास कदम नहीं उठाये। मेरा आपसे अनुरोध है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को और मजबूत कीजिए। जो शिकायतें आती हैं अधिकारियों के खिलाफ उनकी वास्तव में जांच कराकर कार्यवाही की जाए और यदि कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया जाता है

(श्री बनवारी लाल)

और उसको केवल परेशान किया गया है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी कोई न कोई कार्यवाही की जाए ताकि झूठी शिकायतें न हों। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को ज्यादा मजबूत करके भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए कोई न कोई कदम उठाये जाने चाहिए।

इंडस्ट्रीज के बारे में वैसे आप जागरूक हैं, आपने केन्द्रीय सरकार से राजस्थान को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित कराने की कार्यवाही की है, सम्पर्क किया है लेकिन मेरा इतना जरूर निवेदन है कि किसी प्रदेश में जब तक इंडस्ट्रीज ज्यादा डवलप नहीं होंगी, तब तक उसकी हालत नहीं सुधर सकेगी। राजस्थान के अन्दर इंडस्ट्रीज का अच्छा डवलपमेंट होना जरूरी है।

खास तौर से धौलपुर सब डिवीजन के लिये निवेदन करूंगा, धौलपुर मध्य प्रदेश और यू पी. के बोर्डर से लगा हुआ है। वहां बेरोजगारी की समस्या है, आए दिन डकैतियां और लूटमार होती है। सिर्फ बेरोजगारी ही इसका कारण है। आपने कुछ जिले चूज भी कर लिये हैं जिनको बैकवर्ड घोषित किया है जो वास्तव में बैकवर्ड नहीं हैं, फार्वर्ड हैं लेकिन उनको आपने बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। हालांकि आपने पूरे राजस्थान को बैकवर्ड घोषित करने की केन्द्रीय सरकार से मांग की है लेकिन अगर वह संभव नहीं हो सके तो कम से कम भरतपुर जिले को और भरतपुर में भी खास तौर से धौलपुर सब डिवीजन को अवश्य बैकवर्ड घोषित कराने का प्रयास करें ताकि ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण हो सके और बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके।

सभापति महोदया, इसके अलावा मैं थोड़ा सिंचाई और पावर के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्य मन्त्री जी ने सिंचाई और विद्युत् के विकास के लिए बजट का आधा भाग खर्च के लिए रखा है। सभापति महोदया, इतना अधिक विकास करने के लिये हमें समय की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, और साधनों की भी बहुत आवश्यकता होगी। मैं इतना जरूर निवेदन आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से करना चाहूंगा कि आप बजट जो खर्चा करने जा रहे हैं उसके अन्दर आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि विद्युत् और सिंचाई की उन्हीं योजनाओं को लिया जाना चाहिये जो कि बहुत ही अनिवार्य हों जिनसे आगे जाकर हमारे प्रान्त को लाभ हो सके। ऐसा नहीं हो कि आप बजट का एलोकेशन उन योजनाओं के लिए कर दें जो कि कम महत्वपूर्ण हों। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी योजनायें हैं चाहे सिंचाई की हों, चाहे विद्युत् की हों उन्हें पोलिटिकल बेसिस पर आप शुरू मत कर देना। आप वहीं पर उन योजनाओं को शुरू करें जहां पर किसी चीज की परेशानी हो। ऐसा नहीं कि जहां विद्युत् की योजनायें हैं आप वहां और बिजली की योजनायें शुरू कर दें। या जहां पर पानी की कमी नहीं है आप वहां पर पानी के लिए योजनायें शुरू कर दें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पोलिटिकल बेस मान कर योजनायें शुरू मत करना। आप ऐसी योजनायें सिंचाई और विद्युत् की वहां शुरू करना जिससे कि आम जनता को लाभ हो।

इसके अलावा, सभापति महोदया, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। वह

(श्री बनवारी लाल)

यह है कि धौलपुर उप जिले को जिला बनाया जाय। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पिछले 15 सालों से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि धौलपुर को जिला बनाया जाय। अब तो आप खुद ही मुख्य मंत्री बन गये हैं, आपके ही हाथ में है, आप धौलपुर के महत्व को देखते हुए उसे जिला जरूर घोषित करने की कृपा करें। सभापति महोदया, अगर आप धौलपुर की स्थिति देखें। आपको पता होगा कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से पांच डिस्ट्रिक्ट्स तो आबादी में और रेवेन्यू में बड़े हैं। इसके अलावा, सभापति महोदया, राजस्थान के आठ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अन्दर जो तहसीलें हैं वह धौलपुर से कम हैं। मेरा निवेदन है कि सभी बातें दूसरे जिलों से ज्यादा होते हुए हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि धौलपुर आज तक जिला नहीं बन सका। सभापति महोदया, इसके अलावा चाहे राजनैतिक कारण कोई भी क्यों न रहा हो यह हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि जब भी कोई व्यक्ति मुख्य मंत्री नहीं होता है और सदन के बाहर होता है तो हमेशा यही कहता है कि धौलपुर को जिला बनाया जाना चाहिये। चाहे हरिदेव जोशी हों, चाहे बरकतुल्ला खां साहब हों, चाहे सुखाड़िया साहब हों, चाहे और कोई हों सभी मानते हैं कि धौलपुर को वास्तव में जिला बनाया जाना चाहिये। आप भी जब पार्लियामेंट में थे तब हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि धौलपुर को जिला बनाया जाय। अब आप खुद मुख्य मंत्री हैं मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप बजट पर वाद विवाद का जवाब दें तब आप इस बात की घोषणा जरूर करें कि धौलपुर को जिला बनाया जायगा। ऐसा नहीं हो कि आप राजनैतिक दबाव में आकर धौलपुर को जिला घोषित नहीं करें। सभापति महोदया, मैं यह नहीं कहता कि आप दूसरे उप जिलों को जिला नहीं बनावें लेकिन जब आप जिलों का पुनर्गठन करने बैठें तो आप धौलपुर को जरूर जिला घोषित करें। ऐसा नहीं हो कि आप दबाव में आ जायें। यह बहुत ही जिनाइन बात है; इसको आपको पूरा जरूर करना चाहिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): जनता सरकार के समय भी आश्वासन दिया गया।

श्री बनवारी लाल: जनता सरकार के समय में तो भैरोंसिंह जी ने एक भ्रामक प्रचार किया था कि धौलपुर को जिला बनाया जा रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप धौलपुर वालों की इस जिनाइन मांग, जो वास्तविक है, को जरूर पूरा करें।

सभापति महोदया, अब मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त में ही नहीं बल्कि हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत ही भारी समस्या है। बेरोजगारी को दूर करने के लिये आपने बजट में कुछ नहीं कहा। सभापति महोदया, मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन सुझाव के रूप में करना चाहूंगा कि जिस तरह वेस्ट बंगाल सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है उसी प्रकार हमारे यहां पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये। सभापति महोदया, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो बेरोजगारी की समस्या तो जनता से सम्बन्धित है इसलिये हमारे

(श्री बनवारी लाल)
यहां भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं आपको खनिज भण्डारों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में कृषि के साथ-साथ खनिज भण्डारों का भी बाहुल्य है। हमारे यहां खनिज सम्पदा बहुत भारी मात्रा में है, उसका आज तक विकास नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज उद्योग को भी हमारे यहां प्रोत्साहन दिया जाय जिससे हमारे प्रांत की आमदनी बढ़े और लोगों को लाभ हो।

बस इतना कह कर अन्त में मैं एक बार और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर को जिला घोषित किया जाय, कहीं ऐसा नहीं कि राजनैतिक दबाव में आकर क्योंकि भरतपुर मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी है धौलपुर को जिला घोषित करने में हिचकिचायें। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जब जवाब दें उस वक्त धौलपुर को जिला घोषित जरूर करें।

बस धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

अनुपस्थित।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : सभापति महोदया, राजस्थान में पहली बार धरती और झोंपड़े के बेटे द्वारा बजट प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदया, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए, तकनीकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। सभापति महोदया, बजट को प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने दो आधारभूत बातें रखीं एक सिचाई, दूसरी विद्युत्। यह पहली बार है कि राजस्थान के बजट में आधे से अधिक प्रावधान करीब 55 प्रतिशत भाग विद्युत् और सिंचाई के लिए किया गया है। राजस्थान को इन्डस्ट्रियली डवलप करने के लिये हमें विद्युत की सर्वाधिक जरूरत है। इसके साथ-साथ कृषि के डवलपमेन्ट के लिये सिंचाई योजनाओं का विकास होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार का बजट तकनीकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रखना अपने आप में एक बहुत गौरवशाली बात है। ऐसा बजट जो रखा गया है यह हमारे राजस्थान के गरीब तबके के लिये बहुत ही लाभदायक है। सभापति महोदया, इस बजट को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस बजट में किसी प्रकार के कोई करारोपण यानि कि टैक्स नहीं लगाये गये हैं। इस प्रकार का बजट लाकर मुख्य मन्त्रीजी ने टैक्स न लगाकर गरीब वर्ग को राहत दी है। इतना ही नहीं जो छोटे-छोटे उद्योग थे जिन पर टैक्स लगता था उन उद्योगों पर से भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने टैक्स हटा दिया। इस प्रकार का बजट पेश करने से मुख्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और बजट का अनुमोदन करता हूं।

सभापति महोदया मुख्य मन्त्री महोदय ने इसके साथ-साथ विद्युत की ओर बहुत ध्यान दिया है। सभापति महोदया, इसके अलावा एक और बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है वह है पलाना के अन्दर पलाना थर्मल पावर स्टेशन स्कीम सेंक्शन करने का। यह, सभापति महोदया,

(श्री छोगाराम बाकोलिया)

बहुत ही अच्छी स्कीम है। मुख्य मन्त्री जी ने अपना पद सम्भालने के बाद ही इस स्कीम को सेंक्शन कराया है। इसके लिये मैं और राजस्थान की जनता सभी उनको धन्यवाद देते हैं। जो काम, पलाना की स्कीम को सेंक्शन करने का विरोधी पक्ष की दूसरी सरकार नहीं कर सकी उसको हमारे मुख्य मन्त्री जी ने हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी से मिलकर क्रियान्वित कराया। इसके लिये मैं राजस्थान की जनता और मेरी तरफ से श्रीमती इन्दिरा गान्धी को धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

पहली बार बोल रहा हूं मुझे बोलने तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। इनको आप स्पीच देते समय बीच बीच में टोकें नहीं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदय, जनता सरकार में तकनीकी सुधबुध नहीं होने के कारण बांसवाड़ा में बन रहे माही डेम हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर पावर हाउस नम्बर 1 हेतु गड्डा खोदने में कोई तकनीकी दृष्टिकोण पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर पिट खड्डा 32.4 लाख क्यूबिक मीटर खोदा गया था उसमें गड़बड़ी होने के कारण सोफ्ट रोक करीब 80 हजार क्यूबिक मीटर नीचे खिसक गई अभी 26 जून को।

(व्यवधान)

उसके बाद में 16 जुलाई को 20 हजार क्यूबिक मीटर रोक दोवारा ढह गई जिसके कारण पिट दब गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदया, एक लाख क्यूबिक मीटर मुलायम चट्टान सेंड नीचे गयीं। इन्हें पता होना चाहिये कि इसकी वजह से 392 लाख रुपये का लोस हुआ है। यह सारा जनता सरकार की अदूरदर्शिता पूर्ण काम था। बिना तकनीकी ध्यान रखते हुए इन्होंने ऐसा काम किया जिससे कि हमें 392 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी इस ओर विशेष ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य की मैडन स्पीच है इसमें व्यवधान नहीं करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया : ठीक है, आप बोलें। मैं आपसे भी जोर से बोलूंगा।

अगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की ओर ध्यान देते तो 392 लाख रुपये का लोस हमें नहीं होता। अगर पिट को बनाने में ध्यान दिया होता तो लोस नहीं होता। मैं मुख्य-मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर जनता सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसके लिये एक समिति बैठाकर जांच कराई जानी चाहिये। अन्यथा हो सकता है कि और भी लोस बढ़ जाये। इसके साथ ही

(श्री छोगाराम बाकोलिया)
साथ निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्राजेक्ट है इसलिए मुख्य मंत्री महोदय इसमें थोड़ा प्रावधान रखें।

इसके अलावा बजट के अन्दर शिक्षा के प्रति बहुत ही अच्छा साफ्ट कार्नर रखा है। टेक्निकल एजूकेशन के लिए छात्राओं का एक पोलीटेक्निक कालेज खोलेंगे इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने हर जगह टेक्निकल एजूकेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। अब तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं उनमें इतना गौर नहीं किया गया था। इसके अलावा आज भारत का जो एवरेज है यह 25 लाख की पापूलेशन पर एक इन्जीनियरिंग कालेज और 12 लाख पर एक डिप्लोमा कालेज का है लेकिन राजस्थान में 1.7 करोड़ के ऊपर एक इन्जीनियरिंग कालेज और 67.7 लाख के ऊपर एक डिप्लोमा कालेज है। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ताकि टेक्निकल एजूकेशन और ज्यादा बढ़े और बाहर से इन्जीनियर्स नहीं बुलाने पड़े यहां के इन्जीनियर्स ही काम करें। यह बहुत ज्यादा महत्व की बात है।

इसके अलावा प्राइमरी स्कूल खोले हैं और मिडिल स्कूलों का भी प्रावधान रखा है यह अपने आप में बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम जब कान्सटीट्यूशन तैयार कर रहे थे उस समय बेसिक एज्युकेशन पहली से दसवीं तक फ्री रखने का प्रावधान रखा गया था। मैं बजट की लिमिटेशन्स को देखते हुए निवेदन करूंगा कि अगर दसवीं तक नहीं करें तो प्राइमरी एजूकेशन तक कम से कम छूट दें तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि गरीब तबके का आदमी आगे बढ़ सके। बेसिक एजूकेशन के लिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री महोदय कम से कम पांचवीं तक तो इस स्टेज पर कर दें। मैं बहुत कुछ मागूंगा लेकिन बजट कहां से आयेगा ? बजट तो घाटे का अभी भी है, जैसाकि सभी बता रहे हैं। जब बजट में, जेब में पैसा ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। घाटा पूरा करने के लिए मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जैसा कि सदन में हमारे पक्ष के लोगों ने इस पर प्रकाश भी डाला है कि मद्यनिषेध को हटा दिया जाये तो काफी कुछ रेवेन्यू, करीब करीब 50 करोड़ के बराबर मिल सकती है। मेरे ख्याल से 70 पर्सेन्ट घाटा इससे रिकूप हो जायेगा। मैं फिर निवेदन करूंगा कि वह इस स्टेज तक एजूकेशन फ्री करने के लिए और बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए कारगर स्टेप लेने के लिए अगर दिल से भी नहीं चाहें फिर भी इस मद्यनिषेध को जरूर हटा लें।

इसके साथ ही साथ मैं मेडिकल के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कई आदमी मरणावस्था में होते हैं। हर आदमी को अपने को जिन्दा रखना जरूरी है। जिन्दा रखने के लिए ब्लड बैंक का खोला जाना जरूरी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें एक एक ब्लड बैंक खोलने का प्रावधान करें जिससे गरीब आदमी हास्पिटल से अन्य स्थानों पर नहीं जायें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखा जाये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन का समय 7 बजे तक याने दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री नाथूसिंह राठौड़: सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन है कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग है इसलिए पहले से ही बता दिया जाता तो उचित था। हमारे अखिल भारतीय मंत्री आये हैं। और बढ़ाना ही है तो थोड़ा बहुत आधा घन्टा बढ़ा सकते हैं। 7 बजे तक हम लोग नहीं रुक सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जितना समय बिराजना चाहें बिराज जाना और फिर चले जाना। बोलने वाले बोलते रहेंगे।

श्री सभापति : मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से बोलने वाले 11 सदस्यों की लिस्ट है और इधर बैठने वालों में से किसी का नाम नहीं है। केवल लकोदल की ओर से एक नाम है हाजी चाव खां।

श्री नाथूसिंह : मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : जी नहीं। मैंने केवल विद्या पाठक से निवेदन किया कि वह आपकी तरफ से बोलें। क्योंकि कल उन्हें सभापति के पद पर बैठना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके अलावा, माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि हमेशा से हाउस की परम्परा रही है कि समय पार्टी की स्ट्रेन्थ के हिसाब से दिया जाता है। हमारी पार्टी की स्ट्रेन्थ है 134 और इनकी स्ट्रेन्थ है 32। परसों से डिबेट चल रही है उसमें इनको ज्यादा मौका मिल गया है और हमको कम मिला है। तो इनको तो पहले से ही ज्यादा मिल गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे यहां ज्यादा बोलने वाले हैं। आपके यहां कम बोलने वाले हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : हमारे बोलने वालों को समय नहीं मिला है और आपने ज्यादा फायदा ले लिया है।

श्रीमती उजला अरोडा : कल शनिवार की छुट्टी होनी चाहिए थी फिर भी कल सदन रखा गया है।

श्री नाथू सिंह : तीन आदमी उधर से बोलते हैं और फिर एक आदमी यहां से बोलता है।

श्री सभापति : नहीं, यह आपकी गलत बयानी है। आप अपने घंटा और मिनट गिन लें। आपके सदस्य तीस तीस मिनट लेते हैं और इनके 10–12 मिनट लेते हैं।

श्रीमती उजला अरोडा : कल शनिवार को भी सदन है और कल ज्यादा देर तक चल जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज हमारी पार्टी की मीटिंग है...

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

जो सदस्य बैठना चाहें बैठ जायें। जाना चाहें जाये आवश्यकता हुई तो और आगे बढ़ा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड : आपने एक घंटा बढ़ाया, यह सब जा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या करें ? विरोध के मारे जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड : विरोध के लिये नहीं, आपकी मीटिंग है इसलिए जा रहे हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्पष्ट रूप से कल, परसों कहा था, आज बढ़ा लो, कल हमारी पार्टी की मीटिंग है। कल हमने बिलकुल मना किया ही नहीं। आपके आदेश की पालना की। हमारी पार्टी का महामंत्री आया हुआ है।

आय व्ययक पर वाद-विवाद

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं धारा राम जी को बोलने के लिए कह रही हूं।

श्री छोगाराम बाकोलिया : केवल एक मिनट।

तो आगे मैं यह निवेदन करने जा रहा हूँ जनरेशन के लिए काफी प्राविजन रखा है। अब केवल 6 महीने रह गये हैं। 6 महीनों को देखते हुए जनरेशन का सारा काम पूरा नहीं होगा। बजट के अन्दर जोड़के लिए प्रावधान रखा है, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत बजट डाइवर्ट करके नम्बर आफ विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और प्रावधान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा।

इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री सभापति : श्री धाराराम।

श्री धारा राम (सिवाना) : माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह वास्तव में हर दृष्टि से राजस्थान के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे रूप से प्रस्तुत किया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राजस्थान का विकास निश्चित रूप से होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिये मैं ऐसे बजट का स्वागत करने के साथ हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, सन् 77 में जनता ने जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी भारी बहुमत से। लेकिन जनता ने तो उनको सत्ता सौंपी थी कुछ कांग्रेस से नाराजगी की वजह से लेकिन यह बात प्रकृति को भी मन्जूर नहीं थी। इसलिये ज्यों ही जनता पार्टी सत्ता में आई, मोरारजी देसाई आसन पर बिराजमान हुए तो प्रकृति ने भी प्रकोप करना शुरू किया। जिसका उदाहरण दूं। 5, 6 महीने बाद में कर्नाटक तमिलनाडू और आंध्र में बड़ा भारी भयंकर तूफान आया, हमारे तीस साल के शासन काल में जो विकास की गति थी, जो कुछ हमने विकास किया था, उस तूफान ने

(श्री धाराराम)

विकास की गति को धूमिल कर दिया। ऐसा भयंकर तूफान शायद 30 सालों में पहले कभी नहीं आया था। दूसरा आप जानते हैं दिल्ली में कभी तूफान नहीं आया था किन्तु इनके शासन में आया। आखिर में इनके जाते-जाते हमारे पश्चिमी राजस्थान, जो कांग्रेस का गढ़ था, में गत वर्ष लूनी नदी में बाढ़ आई थी। लोगों को तहस-नहस कर दिया। प्रकृति भी इन लोगों पर राजी नहीं थी। वास्तव में गरीबों की हाय बुरी होती है। लूनी नदी में बाढ़ आ रही थी, उस वक्त भैरोंसिंह शेखावत, तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी उन तबाह गरीब लोगों की परवाह किये बिना मोरारजी की कुर्सी को बचाने के लिये दिल्ली पधारे। मैं आपको सही बताता हूं लूणी में भयंकर बाढ़ आई उसके 1½ महीने बाद में मिनिस्टरों का इतना तांता लग गया जिसकी कोई हद नहीं। ललित किशोर जी पधारे, सूर्यनारायण जी पधारे और 1½ महीने बाद भैरोंसिंह जी भी पधारे। भैरोंसिंह जी से लोगों ने पूछा, बाढ़ को आये 1½ महीना हो गया, 1½ महीने के बाद आज आप आशा बंधाने के लिये पधारे हैं। खैर, कोई बात नहीं, देरी से आप आये हैं कोई बात नहीं, हमारे लिये क्या कर रहे हैं ? क्या करने के लिये आये हैं ? तो साहब उन्होंने वहां बड़ी बड़ी बातें की हैं हम आपको सीमेंट दिलवायेंगे"

(5.05 म. प.)

[श्री पूनम चन्द बिश्नोई, अध्यक्ष पदासीन]

सांत्वना दी कि क्षतिपूर्ति के लिये सहायता करेंगे। सरकार आपकी मदद करके, आपको सहयोग करके आपको पैरों पर खड़ा करेगी। वह कह रहे थे एक हफ्ते भर में सीमेंट दे देंगे लेकिन हफ्ता भर क्या अभी भी वहां सीमेंट नहीं पहुंचा है। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क था पर यह कोई नई बात तो है नहीं। बाद में भैरोंसिंह जी ने कहा अब चरण सिंह का राज है, केन्द्र हमें पैसा नहीं दे रहा है। 15 दिन बाद नाथूराम जी पधारे तो उन्होंने कहा क्या करें, हमने बहुत पैसा राज्य सरकार को दिया लेकिन राज्य सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। यह भी कोई बात है। मान्यवर, गरीब का नुकसान कर रहे हैं। जनता ने तंग आ कर जो चुनाव हुए हैं उसमें उसका नतीजा उनको दे दिया है, उसका परिणाम यह हुआ कि इनको आज उधर बैठने का चांस मिला है।

श्रीमन्, मैं आपकी मार्फत सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं आज विपक्ष के माननीय सदस्यगण यह चाहते हैं जैसा कल कैलाश मेघवाल ने कहा कि हमारे शासनकाल में गरीबों की खूब, जितना हो सका, हमने मदद की, खनन के पट्टे भी दिये और खूब मदद की। खनन के पट्टे के बारे में यह बिल्कुल सही बताते हैं। उनके शासनकाल में हमने पचपदरा के अन्दर गरीबों को पट्टे देने के लिये अर्ज की थी लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और न किसी गरीब आदमी को पट्टे दिये गये। कल परसों कह रहे थे, गरीबों को पट्टे दिये हैं। हमने मांग की लेकिन एक भी पट्टा दिया हो तो हम सिद्ध करने के लिये तैयार हैं क्योंकि इनको फुरसत ही नहीं थी गरीबों की बात सुनने की। इनके इर्द गिर्द तो नेता खड़े हुये थे। बिल्कुल ठीक है गरीबों की हाय लेने में तो इनको कोई हिचकिचाहट नहीं है।

Page No 130

(130)

(श्री धारा राम)

श्रीमान्, एक बात में यह जरूर कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के ढ़ाई साल के शासन में जो हमारी तीस साल की कमाई थी, जो हमने विकास किया था उस पर बिल्कुल ही पानी फेर दिया जिसकी अब एकदम तो अपन क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ हैं। ठीक है हम धीरे धीरे लगन और मेहनत से बड़ी कठिनाई के साथ में इसकी पूर्ति कर सकेंगे। हमारे भारत में या प्रदेश में वैसे देखा जाये खनिज की दृष्टि से, जलवायु की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से हम किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं हैं वैसे अर्थ शास्त्रियों ने कहा है--

India is a rich country inhabitated by poor people.

भारत एक धनी देश है किन्तु यहां की जनता गरीब है। क्योंकि यहां जो साधन हैं, जो उपयोग होना चाहिये वह बिना आधुनिक यंत्रों की कमी के कारण नहीं हो पा रहा है। आज हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, या जो सिंचाई के साधन हैं या जितने भी प्रकार के उद्योग धन्धे हैं उनमें आधुनिक यंत्रों को अपना कर, जल्दी से जल्दी उनका उपयोग करें ताकि अपने प्रदेश की प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्यगण यह भी कहते हैं कि पहाड़िया जी के राज में महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, महंगाई बढ़ना किसी राज के वश की कोई बात नहीं है। यह तो प्रकृति की देन है। यह मांग और पूर्ति का सवाल है। मांग और पूर्ति साथ साथ चलती है। अगर किसी माल का उत्पादन हो गया तो पूर्ति होगी और मांग कम हो गई तो यह निश्चित बात है कि भाव डाउन होंगे। माल का जब उत्पादन ही नहीं होता है तो मांग की पूर्ति नहीं होती है, डिमाण्ड बढ़ती जाती है। तो चाहे आप कितना कन्ट्रोल कर लें भाव जरूर बढ़ेंगे। आप रोक नहीं सकते। यह मांग और पूर्ति का सवाल है। अगर मांग उत्पादन से कम होती है तो भाव अपने आप डाउन होते हैं। जिस चीज की मांग उत्पादन से ज्यादा होती है तो भाव बढ़ जाते हैं इसलिये जैसा आज आप कह रहे हैं पहाड़िया जी के राज्य में महंगाई ज्यादा हो गई है उसका श्रेय तो आप लोगों को ही है। आज चीनी के भाव बढ़ रहे हैं वह तो आपकी वजह से ही बढ़ रहे हैं। आपके राज्य में आपने जो काश्तकार के गन्नों के मूल्यों में कटौती की है और किसानों को नुकसान पहुंचाया है उसकी वजह से आज भाव बढ़े हैं। उन्होंने अपने खेतों में गन्ना बोना छोड़ दिया इसलिये यह महंगाई की बात बार बार कहना आपके लिये उचित नहीं है।

वैसे हमारे इस बजट में विद्युत, कृषि और सहकारिता आदि सबके बारे में जितना प्रावधान रखा है उस पर सही मायने में विचार करें तो प्रगति की ओर अग्रसर होने का बड़ा अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इस प्रावधान से, आपके सहयोग से और प्रकृति की कृपा से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। इसलिये इस बजट को देखते हुए मैं जरूर आशा करता हूं कि जो प्रावधान इस बजट में रखा है वह सही रूप से खर्च हो जाता है और सही रूप से प्रयोग हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान का विकास नहीं हो सके और अपने को आगे बढ़ने में सफलता नहीं मिले।

(श्री धाराराम)

इतना ही कह कर मैं स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगन सिंह।

श्री देवीलाल (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, म्हारी यह प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री साहब जो पेश करयो, इसके वास्ते म्हारी या प्रार्थना है कि मैं हृदय से स्वागत करूं हूं। अब ई बजट में कोई भी कर नहीं लगायो या बहुत अच्छी बात हुई। काश्तकारां की सारी बातां ने झांक कर बनायो जिको बहुत बहुत धन्यवाद। और म्हारी प्रार्थना है कि जो भी आप प्रस्ताव पेश करयो ऊं के वास्ते धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात यह है कि जनता पार्टी हाला तन मन सूं तीन बातां तय करी पहली बात तो या तय करी ही अन्त्योदय योजना में कम सूं कम एक हजार जनां में पांच परिवार तय करो-कोई भी भूख मिटावां, 'मकान 'बनावां, रूजगार देवां, कपड़ा देवां सारी बात तय करी तो ढाई साल में एक हजार जना में 10 जना लोग-लुगाई भी जाना तो पांच परिवार ढाई बरस के मायने 10 जना की भूख न मेट सक्या रुजगार न दियो, मकान न बना सक्या तो कितना साल करता तब भूख मेटता। ईं म्हे भी पार्टी का जो कार्यकर्ता मुखिया हा वा ने वायदो पूरो न निभायो। तन मन सूं तय करयो हो कि पांच परिवारां को तो अन्त्योदय योजना सूं भूख मेटस्यां, कपड़ा देस्यां, मकान बनास्यां पर यो काम भी न करयो।

दूसरी तय करी ही कि शराब बन्दी लागू करस्यां और शराब बन्दी करवा की बात तो या हुई कि गली गली में घर घर मे दुकानां खोल दी। पहले तो कम से कम पांच गावां में एक दुकान ही थी अब वठे पांच दुकानां हैं। पहले जिला में 10 दुकानां ही। अब ईं वक्त कम सूं कम 80 दुकानां चाले है। ईं वास्ते ईं काम में भी ये ना-कामयाब रह्या। जो काम करयो सही न हो सक्यो। सही क्यों न हो सक्यो, ईं म्हे म्हारी अर्ज है जो काश्तकार 5–7 मिलकर खेती करे म्हे खेती न सम्भाल सके और आखिरी मौका पर काम न होवे तो फेर व ढोकरो हो जाय। बांकी साथ ढोकरो होवे जैसी बात हो रही है। अब ईं नै सुधार वा में टाइम लगावो।

बहुत महंगाई हो गई, बार बार कहवे है, कमर टूट गई आज स्थिति या हो रही है–शक्कर के वास्ते बार बार कहवे है। जो काश्तकार गन्ना बोया था नै 6) रु. क्विन्टल लिया और आज लकड़ी भी 20) रु. हो रही है। काश्तकार वां की कटाई वास्ते प्रबन्ध करयो और जला दिया तो अब काई शक्कर ऊपर से बरसै ली। म्हारी अर्ज है मुख्य मंत्री साहब मे म्हारा क्षेत्र शिड्यूल कास्ट का है जठै जठै आप शिड्यूल कास्ट तय करया है ऊं म्हे फायदो होनो चाहिये। पिछड़ी जाति मानी है और पिछड़ी तहसील मानी है और जठै जठै पिछड़ी तहसील कायम कर राखी है वठै तो ढेढो काम होनो चाहिजे। ईं वास्ते म्हे अध्यक्ष महोदय, ने निवेदन करू जो भी काम है ऊं मैं तन मन सूं सहयोग देबो। शिड्यूल कास्ट के वास्ते सारा देश में मुख्य मंत्री साब से कहूं हूं कि भगवान आपकी बात राख सी। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करू।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है...।

श्री अध्यक्ष : आपके दल के माननीय सदस्यों ने काफी समय ले लिया है । अब भी और बोल रहे हैं इसलिये कृपया समय का ध्यान रखें ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश किया जाने वाला था इस वर्ष का तो मुझे बड़ा गर्व और खुशी हुई थी कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अनुभवी हैं और केन्द्र में पहले स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं इसलिये जो बजट पेश करेंगे उसमें कुछ नयी दिशा रखेंगे और बजट राजस्थान का विकास करने वाला होगा। लेकिन जब यह बजट पेश किया गया और मैंने पढ़ा तो मुझे अत्यन्त निराशा हुई । बजट को पेश करने का जैसा रुटीन कार्य होता है और उसको पूरा किया जाता है उसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया । रुटीन बजट जो होता हैं उसी तरह का बजट पेश किया है । एक तरह से मैं कहूं तो सरकारी वे में खर्च करने के लिये केवल स्वीकृति मात्र के लिये इस बजट को लाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, बजट की परिभाषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा बजट हम उसे कहते हैं जिसमें विकास की नयी दिशा होती है, जिसमें धन संग्रह के साधन सुझाये जायें कि इस तरह से धन संग्रह करेंगे, इस तरह से विकास करेंगे, इस तरह से इस घाटे की पूर्ति करेंगे, जिसमें घाटा नहीं दिया जाय, वह एक अच्छा बजट माना जाता है । मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी खूबसूरती से इस बजट को पेश किया और अच्छा बजट दिखाने के लिए करों में राहत दे दी । कर नहीं लगाये । टैक्स नहीं लगाये । करों में जो राहत दी उससे राज्य का 16 करोड़ रुपयों का आपने घाटा बढ़ाया । जो आपने राहत दी है जरा उन पर विचार कीजिए । मुख्य मंत्री खुद अनुभवी हैं, स्वयं विचार करेंगे, किसमें दी है राहत, बिंदिया कुमकुम, सिंदूर और मेंहदी पर ।

कई माननीय सदस्य : आप तो शादी शुदा नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि आपको इससे कोई फायदा नहीं हुआ है ।

श्री नाथूसिंह : मैं इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहता । शायद मुख्य मंत्री पर उस दिन अपनी पत्नी का प्रभाव अधिक था होना भी चाहिये मैं स्वागत करता हूं इस बात का। ऐसा लगता है कि भरतपुर की तरफ इन चीजों का अधिक उपयोग होता है । मुझे खुशी है इस बात की। अच्छी बात है कि आपने कुमकुम, बिंदिया, सिन्दूर और मेंहदी पर कर नहीं लगाये, लेकिन एक आम परिवार अपने बजट का इन चीजों पर कितना प्रतिशत पैसा खर्च करता है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे । मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं राजस्थान के । राजस्थान में 1978 के आंकड़ों के अनुसार एक हजार पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं हैं । सारे राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनसंख्या में से महिलाओं को निकाल कर, अध्यक्ष महोदय, मैंने हिसाब लगाया तो लग-लग 4 प्रतिशत महिलाएं कुमकुम-बिंदी, सिन्दूर व मेंहदी का राजस्थान में अधिक इस्तेमाल करती हैं । और वे भी अपनी आय का कितना प्रतिशत इन पर खर्च करती हैं । राजस्थान में अच्छा होता आप ऐसी चीजों में

(श्री नाथूसिंह)

राहत देते जो हमारे आम उपयोग की हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गरीब व्यक्ति के पेट की आग बुझाने के लिए उसे रोटी की आवश्यकता है। आम चीजों में उसके खाने की चीजों में यदि आप राहत देते तो अच्छा होता, मुझे खुशी होती कि आप इस तरह की चीजों पर राहत देते जो व्यक्ति के जीवन को सुधारने के काम आती, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के काम आती।

प्रोडक्शन के अन्दर जो चीजें हैं, प्रोडक्शन में क्या वृद्धि होगी, इन करों की छूट से। अगर करों में राहत देते ऐसी चीजों पर जिनसे प्रोडक्शन बढ़ता तो मुझे खुशी होती इस बात की। प्रोडक्शन की चीजों पर अगर आप राहत देते तो सराहनीय होता। केन्द्र सरकार का बजट इस दृष्टि से सराहनीय है, वेंकटरमन साहब ने इस चीज की व्यवस्था की है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने सावधानी रखी है कि पूंजी बढ़े, प्रोडक्शन में वृद्धि हो सके, गति बढ़ सके, विकास हो सके, ऐसी चीजों पर उन्होंने कुछ प्रावधान किया। उन्होंने कहा, इसमें पैसा बच जायेगा। कई चीजों पर हम कर नहीं लगायेंगे इस प्रकार के उन्होंने प्रावधान किये। तो प्रोडक्शन की चीजों पर अगर आप राहत देते तो मुझे खुशी होती, आप यह कहते कि इस चीज का प्रोडक्शन किया जायेगा और उस पर जो चीजें खरीदी जायेंगी, उस पर कर नहीं लगायेंगे। इससे राजस्थान का विकास होता तो आपका प्रोडक्शन दिन दूना रात चौगुना होता और राजस्थान का विकास होता। तो कुमकुम, मेंहदी और सिन्दूर पर करों में राहत देकर आपने वाहवाही लूटी होगी किन्तु राजस्थान की जनता को आपने कुछ दिया हो, उसके कुछ पल्ले पड़ा हो, इसमें मुझे संदेह है।

अध्यक्ष महोदय, इन करों में राहत देकर 16 करोड़ रुपयों का भार आपने अपने ऊपर ले लिया और इस तरह से मुद्रास्फीति को बढ़ाने का रास्ता आपने खोल दिया कुल 85 करोड़ रुपये का आपने घाटा दिखाया। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक होशियारी की, केन्द्र के अन्दर घाटे का बजट तो राजस्थान का भी घाटे का बजट। चरण सिंह की जिस समय गवर्नमेंट थी उस समय 1363 करोड़ रुपये का घाटा उन्होंने दिखाया और सम्भावित घाटा 27 सौ करोड़ का। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आयी उसने 1470 करोड़ का घाटा दिखाया और संभावित घाटा 4 हजार करोड़ का बैठेगा। वास्तव में घाटे का बजट एक अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। आपने एक होशियारी दिखायी, आपने रेवेन्यू बजट में तो सरप्लस में तो आपने बचत दिखायी।

(व्यवधान)

अब आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बजट को समझते ही नहीं हैं। लेकिन जहां रेवेन्यू बजट में आपने 47 करोड़ रुपये की बचत दिखायी वहीं आपने कैपीटल बजट में 89.22 का घाटा दिखाया। अब इसके बाद में कुल मिलाकर घाटा अधिक हो गया।

बहुत बड़े अर्थशास्त्री है ब्रह्मानंद उन्होंने अपनी टिप्पणी की और उन्होंने लिखा है कि वास्तव में जो इस तरह के घाटे का बजट है, वह वास्तव में ठीक बजट नहीं कहा जा सकता। सप्लीमेंट्री बजट लाकर उसको पूरा किया जाता है और जहा सप्लीमेंट्री बजट

(श्री नाथू सिंह)
आता है, वह हमारे विकास के लिए अच्छा नहीं है, विकास इससे अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए, अध्यक्ष-महोदय, जो 58 करोड़ का इन्होंने घाटा दिखाया है, उससे महंगाई बढ़ेगी और महंगाई कितनी बढ़ेगी, मैं आंकड़ों के हिसाब से नहीं कहना चाहता। मैं इस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता। दिन दूनी रात चौगुनी आपके इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। इतना समय नहीं है कि कैसे-कैसे बढ़ेगी, किस किस पर बढ़ेगी, किस हिसाब से बढ़ेगी, इसके आंकड़े मेरे पास हैं लेकिन मैं उनको यहां दे करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

मैं नीति सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करूंगा, यहां 27 करोड़ रुपये का ओवर-ड्राफ्ट होगा। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इसको हम केन्द्र से ऋण के रूप में परिवर्तित करवा देंगे। मैं नहीं जानता उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? यह फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इस रिपोर्ट को आप पढ़ें, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो ओवरड्राफ्ट होगा, उसको केन्द्रीय ऋण में परिवर्तित नहीं किया जावेगा, किसी भी स्टेट को हम ऐसा मौका नहीं देंगे, यह स्पष्ट है। अगर आपने थोड़ी कोशिश की होती, थोड़ी मेहनत की होती, कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा होता इसमें स्पष्ट है और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इसमें जो 27 करोड़ का डेफिसिट किया गया है, जो ओवरड्राफ्ट है, मुझे संभावना लगती जरूर है, हो सके तो अच्छा है, अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात होती, मुख्य मंत्री जी अपने प्रभाव से श्रीमती इन्दिरा गांधी से ऐसा करवा लायें, लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण, विशेष बात नहीं होगी। यह ओवरड्राफ्ट बजट उसमें नहीं बदलेगा। यह मानकर चलिये, अगर बदला भी तो इससे होगा क्या? हमारे इस राज्य में पहले भी आपने जो ऋण ले रखा है, उसके ऊपर केन्द्र में कितने महीने से कितना ब्याज लग रहा है, जो कैपीटल बजट का पैसा होता है उसका अधिकांश पैसा उसमें चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, बजट में घाटा दिखाकर, करों में राहत दिखा कर वाहवाही लूट लें लेकिन ऐसी चीजों में छूट नहीं दें जिनसे प्रोडक्शन नहीं बढ़े, महंगाई बढ़े। उसमें घाटे की पूर्ति के लिए कोई साधन सुझाया नहीं है, क्या सुझाया है उसमें, अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि हम इस घाटे की पूर्ति कैसे करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझ रहा था कि प्रयास करेंगे इस बजट में, लेकिन इन्होंने इस बजट में जितनी चीजें दिखाई हैं, उससे अधिक छिपा ली। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि यह "मेरा प्रयत्न होगा कि घाटे की पूर्ति कर रहित राजस्व में वृद्धि करके, आयोजना व्यय में मितव्ययता करके तथा केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता योजना प्राप्त करके इस घाटे की पूर्ति की जायेगी।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी: अब आ गया आपकी समझ में।

श्री अध्यक्ष: बैठे बैठे बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

Page No 135

135

श्री नाथूसिंह : यह आपकी हाइट की बात नहीं। आपकी हाइट है साढ़ फीट और ये बातें हैं दस फुट की, इसलिये ये आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है। आपकी समझ में नहीं आ सकती। थोड़ा कोशिश कीजिये।

फिर जो अनकवर्ड घाटा रखा गया है वह 58 करोड़ का रखा गया है। उस घाटे को पूरा करने के लिए आपने तीन उपाय बताये हैं। मुझे ये तीनों उपाय भी ठीक नहीं मालूम होते हैं। पहला उपाय तो आपने यह सुझाया कि हम नान टैक्स रेवेन्यू से इस घाटे की पूर्ति करेंगे। लेकिन नान टैक्स रेवेन्यू से पूरा कैसे करेंगे, ये तो आलरेडी घाटे में चल रहे हैं। इसमें आपकी नान टैक्स रेवेन्यू में 78–79 के जो फिगर्स हैं और जो 80-81 के आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, बजट एट ए ग्लांस में जो आपने आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार 306.63 करोड़ है 78–79 में और यह नान टैक्स रेवेन्यू से आया है। जबकि 80–81 में 303,31 करोड़ है। यह अमाउण्ट आप नान टैक्स रेवेन्यू से बचाना चाहते हैं। यह तो पहले से ही घट गया है। नान टैक्स रेवेन्यू जितनी आपको 78-79 में मिली ...

श्री शिवचरण माथुर : पीरियड कौन सा था ?

श्री नाथूसिंह : पीरियड तो 78–79 का है।

श्री शिवचरण माथुर : वह तो जनता पार्टी का था।

श्री नाथूसिंह : यही तो मैं बता रहा हूँ। आपके टाइम में तो यह और कम हो गया है।

तो आपने जो नान-टैक्स रेवेन्यू का यह तरीका बताया है कि इससे हम घाटे की पूर्ति करेंगे वह आंकड़ा 303.31 करोड़ का बताया है। यह तो उतना भी नहीं है जितना कि पहले था। तो फिर आप कैसे घाटे की पूर्ति करेंगे और नान टैक्स रेवेन्यू से कैसे घाटे की पूर्ति होगी ? फिर नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश में कौन-कौन से साधन हैं। वन है, विद्युत है, सिंचाई की योजनायें हैं, सड़क परिवहन है, इस तरह के कई कार्यक्रम हैं जो अभी भी आलरेडी घाटे में चल रहे हैं। एक ओर आपको इनके घाटे की पूर्ति करनी है, वे बराबर हो जाये, यही अच्छा है। लेकिन वे भी घाटे में चल रहे हैं, तो आपका यह कहना है कि नान टैक्स रेवेन्यू से घाटे की पूर्ति करेंगे, यह गलत बात है। यह आपने कोई तरीका नहीं बताया कि किस तरह से घाटे की पूर्ति करेंगे। क्या आपकी योजना है, क्या आपके पास सोर्सेज हैं, क्या आपके पास साधन हैं. क्या इसके लिए प्रस्ताव है ? अच्छा होता कि आप कोई निश्चित प्रस्ताव रखते कि इस तरह से आप नान टैक्स रेवेन्यू से घाटे की पूर्ति करेंगे, इसमें आय बढ़ायेंगे।

(श्री नाथूसिंह)

दूसरी आपने बात बताई कि नान प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं है। आप नान प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी कैसे करेंगे? क्या आप नान प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी करेंगे और इस तरह से खर्च में कमी करेंगे? प्रशासनिक खर्चा कम करने के लिए और कोई तरीका निकाला है? लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक जो भी मेरा अनुभव रहा है, पिछले तीस सालों का प्रयास यही रहा है कि नान प्लान एक्सपेंडीचर में जो भी कमी करने की बात कही गई लेकिन न तो केन्द्रीय सरकार कमी कर सकी, न राजस्थान की सरकार किसी तरह से कमी कर सकी। केन्द्र में भी नान-प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ता जा रहा है। अगर नान प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी करना चाहते हैं तो आप कहिये कि कर्मचारियों की छंटनी करेंगे। आप प्रशासन में खर्चा कम करके कितनी कमी करेंगे यह बताइये? आज जो नान-प्लान एक्सपेन्डीचर में खर्चा है वही कल प्लान एक्सपेन्डीचर हो जाता है। इसलिए इसमें भी कमी नहीं हो सकती है। इसलिये आपने जो नान प्लान एक्सपेन्डीचर में कमी करने की बात कही है, उस पर मुझे हंसी आती है। मुझे दुःख है कि आपकी इतनी समझदारी के बावजूद भी यह बात कैसे करदी। आप जब नान-प्लान एक्सपेंडीचर के खर्च में कमी की बात नहीं कहते, आप पर यह आरोप आता कि आप खर्च में कमी नहीं कर रहे हैं घाटे की पूर्ति नहीं कर पायेंगे। आप बताइये कि प्लान एक्सपेंडीचर में जो खर्चा करने वाले हैं वह किस तरह से कर सकेंगे। आपने बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि गत वर्ष इतना पैसा प्लान में था, अब इस वर्ष इतना कर दिया है। एक तरफ तो बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि हमने पैसा बढ़ा दिया, प्लान एक्सपेन्डीचर बढा दिया लेकिन दूसरी तरफ घाटा रख दिया। यह उल्टा हिसाब कर दिया है। इससे आपने विकास रोक दिया है, विकास की सम्भावनायें रुक गई हैं। इसके साथ स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं आया है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह जो नान प्लान एक्सपेंडीचर कम करने की बात कह रहे हैं उसमें ये बातें छुपा गये हैं। आपने यही नहीं बताया कि किस तरह से आप-नान प्लान एक्सपेंडीचर को कम करेंगे। इसके लिए मुझे एक कहावत याद आती है They have concealed more than what they have said. जितना आपने बताया है उससे कहीं अधिक छुपाया है। यदि सभी तथ्य सामने लाते तो राजस्थान की जनता को पता चलता कि बजट किस तरह का है। केवल कुंकुम और सिन्दुर और मेहंदी पर टैक्स हटा दिया इससे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा होता कि बजट की सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां सामने लाते। यहां हमारे सामने कुछ ठोस प्रस्ताव सामने लाते कि इतना पैसा खर्च करेंगे, इतने पैसे से किस तरह आप इस घाटे की पूर्ति करेंगे, क्या आपके पास साधन हैं। अच्छा होता, यह इसमें होता कि यह यह नान-टैक्सरेवेन्यू से घाटे की पूर्ति करेंगे। घाटा बता दिया और दूसरी तरफ नोन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी कर दी। यह मेरी समझ में नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से नोन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी करने की बात यह निराधार है। इसलिए नोन प्लान एक्सपेंडीचर में कोई कमी होने वाली नहीं है। और कोई तरीका निकालें, लेकिन

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : हमारी तरफ से अभी कोई बोलने वाले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले हो बहुत समय हो गया है। अब पांच मिनट से ज्यादा नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : मैं महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में ही दे दीजिए जितने महत्वपूर्ण सुझाव देने हैं।

श्रीमती सूरज देवी मलहोत्रा : ये क्या सुझाव देंगे ? इनको तो कुंकुम की आलोचना करनी है तो कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : कुंकुम के ऊपर इन्होंने इस तरह से आक्षेप किये है लेकिन इनको यह पता नहीं है कि हमारी भारतीय नारी के सुहाग का और सौभाग्य का प्रतीक है यह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जिनका बजट पर प्रभाव था उन्होंने एक बात कही कि भारतीय नारी की आत्मा इसमें निहित करती है। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि आपके दल की तरफ से मंगल सूत्र देने की बात कही गई थी लेकिन आज भारतीय नारी का मंगल सूत्र लुट रहा है। मंगल सूत्र वालों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

इसके बाद आपने घाटे की पूर्ति में सेंट्रल एड की बात कही। केन्द्रीय सरकार से पैसा लाकर घाटे की पूर्ति करने की बात कही लेकिन वह भी अब आपको कितनी मिलने वाली है। 130.14 करोड़ का डेफीसिट दिया है। सातवें वित्त कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से रख दिया गया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : आपने अपने बजट भाषण में लिखा है :

"माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि नई सरकार के गठन के पश्चात् योजना आयोग ने योजना व्यय में 3.41 करोड़ रुपये की यह वृद्धि करने की सहमति और दी है। जहां पर 344 95 करोड रु. था वह अब 348.36 करोड रुपये हो जावेगा..."

योजना आयोग से जो कुछ आपको मिलना था वह तो आपको मिल गया। जो कुछ बढ़ाना था वह बढ़ा दिया, अब इसमें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। वह और कुछ दे नहीं सकते। आलरेडी आपको दे चुके हैं। फिर दूसरी स्टेट्स भी हैं, वे भी मांग करेंगी। इस तरह से देने लगे तो वे हर स्टेट को नहीं दे सकते। इसलिए यह जितनी भी राशि सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा निर्धारित थी वह राशि आप ले चुके हैं। वह उतनी ही मिलेगी जितनी कि उसमें रखी हुई है। इसलिए उसमें अब बढोतरी की गुंजाइश नहीं है। कोई सेंट्रल एड ज्यादा मिलने वाली

(श्री नाथूसिंह)

नहीं है। जो चीज आलरेडी तय कर दी है उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कुल मिला कर उनके पास साधन संग्रह किस तरह से होंगे इसका स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है। कुल मिलाकर बजट का घाटा बहुत अधिक है और घाटा होने से महंगाई बढ़ेगी और इस तरह से आपने स्वीट पॉइजनिंग करने की कोशिश की है। स्लो पॉइजनिंग करने की कोशिश की है। डायरेक्ट टैक्स के रूप में टैक्स नहीं लगा कर धीरे धीरे पॉइजनिंग दिया है जनता को। जनता को पता भी नहीं लगे और अपना कार्य भी हो जाये। इसलिए इस बजट के अन्दर कोई खास बात मुझे नजर नहीं आती।

एक तरफ आप बार-बार लेखानुदान कराते जा रहे हैं। पहले चार महीने का, फिर दो महीने का और इस तरह से आपने छः महीने तो यों ही बिता दिए और अब इसमें जो बजट के प्रावधान है तो पैसा कम खर्च करने का एक तरीका तो यह हो गया। घाटे की पूर्ति तो एक तरफ तो इस तरह से हो जायेगी कि पैसा खर्च ही नहीं होगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस घाटे की पूर्ति में जितना पैसा खर्च नहीं करेंगे तो पहले तो क्या इनकी योजनायें बनी हैं, विकास के कार्य की धारा है वह रुक नहीं जाएगी ? जितना विकास करना चाहते हैं वह हो नहीं सकेगा। फिर जो छः महीने बचेंगे उसमें आगे जाकर उस मद में खर्चा करेंगे, वे चीजें खरीदेंगे तो मजदूरी का पैसा बढ़ रहा है, चीजों के पैसे बढ़ रहे हैं, दाम आगे बढ़ते जायेंगे तो इससे और अधिक घाटा हो जाएगा। तो एक तरफ तो पहले छः महीनों में पैसा खर्च नहीं कर पायेंगे और फिर जब खर्चा करेंगे तो उससे दाम और आगे बढ़ जायेंगे और घाटा हो जायेगा तो इस तरह से राजस्थान का विकास किस तरह से होगा। एक तरफ विकास रुकेगा और दूसरी तरफ घाटा बढ़ेगा। दोनों तरफ से फंस गए। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बात मुख्य मंत्री महोदय ने कही है और उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री ने इसमें सोशल ग्रोथ की बात कही है, यह बहुत अच्छी बात कही है। सोशल ग्रोथ की बात कही है अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं, आपसे अपेक्षा भी थी कि सोशल ग्रोथ आप करेंगे जैसे गैस संयंत्र है, इसी तरह एस. सी., एस. टी. के बच्चों को कक्षा तीसरी तक मुफ्त पुस्तकें देने की बात कही है। शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर पैसा खर्च करने की बात कही है इनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन यह बजट की नीति को स्पष्ट नहीं करता है। जो सोशल ग्रोथ की बात कही गयी है, आपने तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिये किया, अच्छा होता सभी गरीबों के बच्चों के लिये कर देते, क्योंकि गरीब की जाति गरीब होती है. सभी के बच्चों के लिये करिये, तो आपने जो सोशल ग्रोथ के लिए कदम उठाये उसके लिये मैं बधाई देता हूं। लेकिन यह बजट की नीति को स्पष्ट नहीं करता है।

डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेन्टर खोले थे, आपकी सरकार ने इसमे परिवर्तन किया। आपने जिला उद्योग सेन्टर को समाप्त करने की बात कही है। न्यूक्लियस प्लान्स बनायेंगे ताकि एन्सिलियरी इन्डस्ट्री है उनको सहायता मिले

(श्री नाथूसिंह)

जहां तक मेरा अनुभव है, राजस्थान में जितने बड़े उद्योग लगे, उनके सहायक उद्योगों में से कोई भी नहीं पनपा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं खेतड़ी प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर, इन्स्ट्रूमेंशन लि. कोटा, इस तरह के कई उद्योग थे, इनके सहायक उद्योग थे, इनके सहायक उद्योग नहीं पनपे। केन्द्र के भिलाई; दुर्गापुर, राउरकेला और कई इस्पात के प्रोजेक्ट देख लीजिये कहीं भी सहायक उद्योग नहीं पनपे। इसलिये आपकी बड़े उद्योग स्थापित करने की जो नीति है, वह गलत है। इसको बदलना चाहिये और इसके स्थान पर जिला उद्योग, जो पहले वाली नीति थी, को लागू करना चाहिये। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज अच्छी है, आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिये। इससे इन्टरिम डवलपमेंट बन्द हो गया।

(व्यवधान)

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : तीन मिनट का समय।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बात न करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से डवलपमेंट हो रहा है जिला उद्योग केन्द्रों का। इनके होठों पर तो कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, छोटे उद्योग, ये तो होठों पर हैं और मन में बैठे हैं, बड़े उद्योग, पूंजीपतियों के उद्योग। महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी का सपना था कुटीर उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने का…

(व्यवधान)

मुझे दुःख है कि इसमें ग्रामीण उद्योगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये इस बजट को कहा जाये कि यह बजट एक खोखला बजट साबित हुआ है, यह एक कायरता पूर्ण बजट है, विकास की दिशा में कोई बात नहीं कही गई है तो गलत नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह अन्त्योदय के बारे में मुख्य मंत्रीजी दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में लागू करेंगे। सदन में पूछते हैं तो अन्त्योदय का नाम भी लेते हैं। मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट घोषणा करें, मैं मानता हूं, अन्त्योदय सर्वोदय का अंग है, लेकिन इस योजना को चालू रखिये। क्योंकि 40 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिला है देश में एक स्कीम चलाई, एम्प्लायमेंट स्कीम। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर साहब लकड़वाला ने कहा है–"The National Rural Employment programme of Rs. 340 crores and the special Central Assistance of Rs. 100 crores for a comprehensive Scheduled Classes Component plan. In 1979-81, almost the same amount was spent on Food-for-work."

यह आपकी योजना नहीं है। हमारा फूड फार वर्क प्रोग्राम था, उसका आपने नाम बदलने की चेष्टा की है।

(श्री नाथू सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं रेगिस्तान के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। कभी बाढ़ आ जाती है और रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। उसको रोकने के लिये लोकसभा में मैंने एक सवाल उठाया था और केन्द्रीय सरकार ने कहा था कि जर्मनी से एक्सपर्ट बुलाये हैं और रेगिस्तान को रोकने के लिये कदम उठायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी इस मौके पर बैठे हैं, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि वह कोशिश करें, केन्द्र से बातचीत करें। राजस्थान में बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकें, इस तरह की योजना लावें।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। कई जिले पिछड़े हुये जिले घोषित किये गये हैं। लेकिन जयपुर जिले को इन्होंने पिछड़ा हुआ घोषित नहीं किया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं एम. पी. था, उसमें बांदीकुई, जमवारामगढ, लालसोट, दौसा का एरिया है, वह सारा का सारा पिछड़ा हुआ है। पूरा का पूरा पिछड़ा हुआ है। लेकिन वह ग्रामीण जिला है जयपुर का, उसको पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया। और आपने कह दिया कि उसका विकास करने के लिये. .

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : आप भाषण दे रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं :

श्री नाथूसिंह : बजट पर बोल रहा हूं

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : हमें तो भाषण नजर आ रहा है।

श्री नाथूसिंह : जो जयपुर जिले का ग्रामीण एरिया है, उसको पिछड़ा घोषित करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में . . .

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तीन मिनट हो गये।

श्री नाथूसिंह : ···विकास के लिये कुछ ऐसी चीजें हैं, सड़कों का परिवहन, सड़कों का ज्यादा अच्छा विकास किया जावे। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप एक मिनट, एक मिनट ही बढ़ा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मुख्य मंत्री, भरतपुर जाते हैं तो दौसा होते हुए जाते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी आती है तो फाटक बन्द हो जाता है। तो आगरा जायें, जोधपुर जायें कहीं भी जायें, कई घंटे का समय खराब हो जाता है। वह आप ठीक करवा दीजिये। बांदीकुई और सिकन्दरा के बीच में जो नदी है, यदि आप उसके ऊपर पुल बनवादें तो अलवर, जयपुर व टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर सब मिल जायेंगे।

(व्यवधान)

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस बजट पर विचार किया, इसमें न कोई नया विश्वास है, न कोई नयी आशा है। जैसा कहा कि संजय गांधी के मरने से राजस्थान का विकास रुक गया। क्या संजय गांधी

(श्री नाथू सिंह)

विकास कर देते, वह नहीं हैं तो क्या अब विकास नहीं होगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह कायरतापूर्ण बात कही है कि संजयगांधी होते तो विकास होता वरना नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के बारे में मेरा विचार है, यह बजट दिखने में जितना खूबसूरत ऊपर से लगता है, उतना ही अन्दर से बदसूरत है। इसमें विकास की सम्भावनाएं नहीं है। यह बजट खोखला बजट है, यह बजट कायर बजट है।

(व्यवधान)

मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगनसिंह।

श्री जगनसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने जो प्रगतिशील बजट पेश किया है, वह निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत दिलाने वाला है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही मैं अपने कुछ व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो नगरपालिकाओं की आय चुंगी कर समाप्त करने के लिये प्रावधान रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा। जो छोटी-छोटी नगरपालिकाएं होती हैं, उनकी मूल आय चुंगी कर से ही होती है। यह चुंगी कर समाप्त हो गया तो उनकी मूल आय समाप्त हो जायेगी और वह नगरपालिकाएं अपने विकास में कामयाब नहीं हो पायेंगे।

मैं मेरे क्षेत्र बयाना नगरपालिका के सम्बन्ध में बताऊं। इस समय उसकी हालत इतनी खराब चल रही है, क्योंकि जो चुंगी कर है वह इस बरसात के मौसम में कम आता है। इसलिये उसकी आमदनी कम है, आमदनी कम होने की वजह से अपने विकास के कार्य नहीं कर पा रही है।

इसके साथ ही मैं न्याय पालिका के बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा। न्याय पालिका स्वतंत्र होती है। अगर स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र व्यक्ति होगे तो न्याय अच्छे ढंग से दे पायेंगे। मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके लिये आवास की व्यवस्था इस समय काफी खराब है। उसके लिये इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मैं अर्ज करूंगा कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स के लिये आवास व्यवस्था व अन्य और सुविधाओं के लिये इसमें थोड़ा प्रावधान हो जाय तो यह बहुत अच्छा रहेगा। हमें न्याय की आवश्यकता होती है। न्यायालयों में काफी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जब आदमी स्वतंत्र नहीं रहेगा, सही ढंग से नहीं रह पायेगा तो अपने केस के वर्क को निपटाने की सामर्थ्य कम महसूस करेगा।

एक माननीय सदस्य : और वकीलों के लिये।

श्री जगनसिंह : वकीलों के लिये तो आप हैं।

एक बयाना कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है। मैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी के ऊपर भी बोल रहा हूं। बयाना कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है। यहां खानवा का युद्ध हुआ। ऐसी जगह है। बयाना कस्बे में ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहां एक मीराना जगह है जहां कि

Page No 142

(१४२)

(श्री जगन सिंह)
श्मशान है श्मशान पर अवैध कब्जा है, विरोधी पक्ष, जो जनता पार्टी है, के मुश्किल से 2-4 ही बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप चश्मा लगाइये।

श्री जगनसिंह : चश्मे की आवश्यकता आपको होती है। हमें चश्मे की जरूरत नहीं है। युवक। हैं

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : जनता पार्टी के शासन की बात कहते हैं तो आपको बुरा लगता है।

(व्यवधान)

डा. उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने छेड़कर कहा इसलिये कह रही हूं कि हमारे यहां कहा जाता है कि एक आदमी को एक लाख का इंगित किया जाता है। सवा लाख का कहा जाता है, यहां एक-एक सवा लाख का बैठा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में इस तरह आवेश में न आयें।

श्री जगनसिंह : मान्यवर महोदय, मैं उस श्मशान पर निवेदन कर रहा था।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : यह सदन की गरिमा नहीं है। आपको तकलीफ हो रही है तो अध्यक्ष जी से बोलिये। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : हम तो डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे पक्ष के आदमी बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से बात करें, माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : मैं मीराना के बारे में अर्ज कर रहा था। जनता पार्टी के चार पदाधिकारी हैं उस समय श्री भैरों सिंह जी शेखावत, जो कि अब विरोधी पार्टी के नेता हैं, का उन पर वरद् हस्त था। उन्होंने उस पर साजिश करके कमेटी बनाकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। उस भूमि का ऐतिहासिक महत्व है। अगर उसको हम पर्यटन विभाग में ले लेते हैं, उसके ऊपर कुछ कर देते हैं तो निश्चय ही उस कस्बे की आय बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की जमीन पर नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है वह उठ जायेगा।

महोदय, भरतपुर जिला बाढ़ग्रस्त जिला रहा है। इसमें गंभीरी नदी और बाण-गंगा नदी हमेशा अपने साथ बाढ़ लेकर आती है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो कि लाखों की तादाद में जन-धन का नुकसान करता है। बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिये कुछ कम प्रावधान रखा गया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भरतपुर की जो दशा होती है बाढ़ में, उस दुर्दशा के निवारण की ओर सोचें। इससे पहले जनता पार्टी शासन में बाढ़ नियंत्रण के लिये जो काम किये गये थे बाणगंगा नदी पर साइड बांध वगैरह बनाने के, उसमें काफी घोटाला हुआ है। इस घोटाले में जनता पार्टी के एक लीडर का हाथ था। उस

(श्री जगन सिंह)

आदमी का प्रत्येक ठेके में हिस्सा था। जो पुल बनाये गये वह इस प्रकार बनाये गये कि पहला पानी आया उससे ही दीवार गिर गयी। जो सामान उसमें लगाना था उसको काला बाजार में बेच दिया। एक सदस्य की बात कह रहा हूं। मैं किसी के बारे में लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं सही–सही बात कह रहा हूं। जिसका नाम बी.बी.सी. से बीबी के नाम से भी प्रसारित हुआ था एम. पी. के इलेक्शन में उसका नाम बी. बी. के नाम से बोला था।

एक माननीय सदस्य : नाम भी बता दें।

श्री भैरूंसिंह गूर्जर :XXX

श्री जगनसिंह : इस बारे में, मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन घोटालों की जल्दी से जल्दी जांच करवायें ?

एक मैं भूमि विकास बैंक के बारे में निवेदन करूंगा। भरतपुर का भूमि विकास बैंक काफी बदनाम है। मैं अपने व्यक्तिगत विचारों से आपको सुझाव दे रहा हूं, भूमि विकास बैंक और को-आपरेटिव सोसाइटी को मिलाकर एक कर दीजिए, जिससे कि जो घोटाले होते हैं उनको बचाया जा सके। जो करोड़ों के घोटाले हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री जगनसिंह : इन घोटालों के विषय में अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। इन घोटालों के बारे में मैं आपके माध्यम से फिर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगनसिंह : बयाना क्षेत्र, जिससे मैं चुन कर आया हूं, डाकूग्रस्त एरिया रहा है। पहाड़ी इलाका है, ऊबड़ खावड़ इलाका है। डाकू समस्या हमेशा से सरकार के लिये सिर दर्द रही है। उसके लिए स्थाई हल...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय साढ़े छः बजे तक बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

आय व्ययक पर वाद-विवाद

श्री जगनसिंह : डाकू समस्या के लिये मैं अपनी तरफ से सुझाव पेश करूंगा कि ऊबड़ खावड़ जमीन है उसकी लेवलिंग के लिये कार्य किया जाय। पहाड़ी इलाके के एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये कई कोसों का चक्कर काटना पड़ता है। इन गांवों को जल्दी से जल्दी रोड्स से जोड़ कर पुलिस आदि तैनात की जाय।

रोड्स के बारे में मैं अर्ज करूंगा जितना हो सके, हर गांव को रोड्स से मिला दिया

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगन सिंह)

जाय जिससे कि डकैत एरिया है उसका स्थाई हल हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीरी नदी में जो बाढ़ आती है वह इतनी विकराल आती है कि उसके सामने पुल होते हैं वे भी नहीं टिक पाते। 19, 20, 22-22 फीट पानी हो जाता है। हर साल नदी अपना रास्ता बदलती रहती है जिससे लाखों की जन-धन की क्षति होती है जहां मैं रहता हूं वहां मेरी याददाश्त में मेरी उम्र में 3 जगह अपनी जगह बदल चुकी है। ऐसी जगह पर व्यक्ति स्वतंत्र माइण्ड से नहीं रह सकता, अपना धन्धा, अपना स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बाढ़ के स्थाई नियन्त्रण के लिये साइड बान्ध बनाये जायं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री जगनसिंह : दो मिनट और। दो मिनट के लिये। इस परबांध इस ढंग से बनाये जायें कि पानी इस ढंग से निकल जावे कि उससे तेज कटाव न हो और गांवों को जो नुकसान होता है वह नहीं हो पाये।

इसके साथ ही जनता पार्टी ने काम के बदले अनाज योजना, अन्त्योदय योजना चलायी है उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। बयाना कान्स्टीट्यूएन्सी में, बयाना तहसील में जनता पार्टी के नेताओं ने कितने ही घोटाले किए हैं। जो-जो भी जनता पार्टी का सरपंच जीत कर आया उसको इतनी छूट दे दी कि जितना गेहूं अनाज दिया उसका उन्होंने ब्लेक किया। एक पंचायत समिति है ब्रह्मबाद उसका जो सरपंच हैं उनका लड़का पंचायत समिति में अकाउन्टेन्ट है। इन दोनों बाप बेटों ने दोनों हाथ से माल लूटा। एक भी विकास कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम आंखों से देख सकें।

इसी प्रकार से अन्त्योदय परिवार की हालत है। प्रत्येक गांव से पांच-पांच परिवार चुने गये। उनमें से सिर्फ एक को वृद्धावस्था पेन्शन मिली है। बाकी के लिए सारी कागजी कार्यवाही रह गयी। किसी भी अन्त्योदयी परिवार को कोई सहायता नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जगनसिंह : एक मिनट और लेना चाहूंगा।

मुझ से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि जनता पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। मेरा मानना इसके विपरीत है। जनता पार्टी ने विकास कार्य किये हैं। जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं उनमें प्रमुख हैं डकैती, लूट पाट, गुण्डागर्दी इन सब में जनता पार्टी ने विकास किया है।

इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह प्रगतिशील बजट है। यह बजट गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

(अनुपस्थित)

श्री भैरूं सिंह गुर्जर।

Page No 145

एक माननीय सदस्य : अनपढ़ को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : हम सब एक ही घर के हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नाम कल के लिये दिया था। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपतराम।

श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट वास्तव में सराहनीय है। पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं।

बजट पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम टैक्सेशन के बारे में कहना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार ने गरीब तबके पर जो टैक्स लगाये उन करों को माफ कर दिया जाए। सबसे पहले जो गरीब जाति के लोग हैं जो जंगल से, गांव से खाल इकट्ठी करके लाते हैं और बाजार में बेचते हैं, उन पर टैक्स लगाया गया है, वह टैक्स माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे अनपढ़ लोग हैं और बहुत दूर दूर से जंगल से, गांव से खालें इकट्ठी करके लाते हैं उस पर टैक्स लगा देने के कारण विभाग वाले उनको अकारण परेशान करते हैं। 1960 के अन्दर यह टैक्स राज्यपाल महोदय ने अपनी एक अधिसूचना के जरिये माफ कर दिया था इसके बावजूद यह टैक्स वसूल किया जा रहा है। जो दूसरा टैक्स है चमड़ा, रंगाई पर जो सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट है उसके सैक्शन 14 के तहत यह साफ है कि जो डिक्लेयर्ड आर्टिकल्स है उन पर 4 पर्सेन्ट टैक्स वसूल किया जाये। इसके बावजूद 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने 4% से बढ़ा कर यह टैक्स 8 पर्सेन्ट कर दिया है। यह वापस 4 पर्सेंट रखा जाना चाहिए। चार पर्सेन्ट से ज्यादा भारत के किसी भी प्रदेश में चमड़े पर टैक्स नहीं है। इसके बावजूद राजस्थान में गरीबों पर भार है इसको माफ किया जाना चाहिए।

दूसरा मैं शिक्षा के बारे में यह बताना चाहूंगा कि जनता पार्टी की सरकार ने मेरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है। केवल एक स्कूल खोला अपने कार्यकाल में जब कि सूरसागर क्षेत्र के अन्दर एक माइनिंग एरिया है। उस माइनिंग एरिया के अन्दर कम से कम 20/25 हजार मजदूर अधिकांशतः अनुसूचित जाति और जनजाति के है, वहां एक मिडिल स्कूल है। इस स्कूल को जनता पार्टी ने अपग्रेड नहीं किया। इसी तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुकण्डा पंचायत समिति मंडोर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया परन्तु उसको भी जनता सरकार ने निरस्त कर दिया। इसलिए इस स्कूल को पुनः खोला जाय। सूरसागर क्षेत्र के अन्दर चण्डेरों की ढाणी अनुसूचित जाति की बहुत बड़ी बस्ती है परन्तु वहां पर कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं है। प्राथमिक पाठशाला में आने वाले बच्चों की संख्या 300 से ऊपर है। परन्तु प्राथमिक पाठशाला नहीं है। इसी प्रकार चांदपोल के बाहर कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं है। जो कुम्हारों की ढाणी है वहां पर छात्रों की संख्या 250 के करीब है परन्तु कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं है। इसलिए वहां पर प्राथमिक पाठशालाओं को जल्दी से जल्दी खोला जाना चाहिए।

(श्री नरपत राम बरवड़)

अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या के बारे में बजट प्रावधान है। हर साल यह प्रावधान रखा जाता है उसके बावजूद मेरे क्षेत्र में 40 गांव ऐसे हैं जहां पर पेयजल की भारी किल्लत है। हर बार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यह रिकमण्डेशन करती है कि इन गांवों के अन्दर पाइप लाइन लगाई जाय। तत्कालीन सरकार ने पाइप लाइन लगाने की योजना बना कर पेश कर दी थी परन्तु उस योजना को जनता पार्टी की सरकार ने जान-बूझ कर क्रियान्वित नहीं होने दिया जिससे मेरे क्षेत्र के अन्दर गांव के लोग परेशान हैं। इसलिए उस पेयजल की योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करें ताकि इस समस्या को हल किया जा सके और इन गांवों के अन्दर पानी पहुंचाया जा सके।

समाज कल्याण के लिए जो बजट रखा है वह वास्तव में सराहनीय है परन्तु जो नौकरशाही है वह इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रही है। मैं आपको छात्रावासों के उदाहरण दूं। छात्रावासों में 90 से 120 रुपये की राशि बढ़ायी है परन्तु हकीकत के अन्दर छात्रावासों के अन्दर 40 से 50 रुपये भी व्यय नहीं होते हैं। जो कपड़े खरीदे जाते हैं वे घटिया किस्म के होते हैं। जो खाना वहां पर दिया जाता है वह घटिया किस्म का दिया जाता है। मैं 25 तारीख को जोधपुर गया था। उस दिन चांदपोल छात्रावास के सब बच्चे मेरे पास आये थे। उन्होंने बताया कि छात्रावास की हालत बहुत खराब है। वहां पर जो सुपरिन्टेन्डेन्ट है उससे छात्रों ने नाश्ता देने के लिए कहा तो छात्रों को कहा गया कि छात्रावास से निकाल दूंगा। यहां पर कोई नाश्ता नहीं है। ऐसे होस्टल सुपरिन्टेण्डेन्ट को तुरन्त ही बरखास्त किया जाना चाहिए। यही हालत जोधपुर के समाज कल्याण अधिकारी की है, जो छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलोज करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको तुरन्त ही उस स्थान से स्थानान्तरित किया जाय। उनके द्वारा जो हरकतें की गई हैं उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि अनुसूचित जाति के लड़कों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो।

कच्ची बस्तियों की जिस प्रकार की समस्या जोधपुर में है उसी प्रकार की सभी शहरों में है। सूर सागर क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नगर विकास न्यास में आता है। वहां पर समस्या गत ढाई साल से अधिक बढ़ गई है। किसी भी कच्ची बस्ती का जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ कर विकास नहीं किया। क्योंकि यह बस्तियां मेरे क्षेत्र में आती थीं जो व्यक्ति बुरी तरह से मेरे से हारा था उस व्यक्ति को जनता पार्टी ने नगर विकास न्यास का सदस्य बनाया। उस व्यक्ति ने मनमाने ढंग से नगर सुधार न्यास के चेयरमेन से मिलकर घोटाला किया। एक आपको बता देता हूं सूर सागर क्षेत्र के अन्दर जो सुखाराम जी का टांका है, मेघवाल बस्ती है उसके बीच में करीब 500 बड़े प्लाट 70×90 के बिना किसी स्कीम की मन्जूरी के जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आवंटित कर दिये।

जब विधान सभा के अन्दर हाल में मैंने तारांकित प्रश्न पूछा था तो उसका बिल्कुल गोलमाल यह जवाब दिया कि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, और न इस प्रकार कोई

(श्री नरपत राम बरवड़)

आवंटन किया गया है। जब कि 400 व्यक्तियों से 1000-1000 रुपये अग्रिम धनराशि के रूप में लेकर जमा कर लिये गये है। यह बात जानबूझ कर दबाव डलवा कर छिपाया गयी है।

दूसरी रोडवेज की समस्या है इसमें बहुत घाटा हो रहा है। इसके बारे में भी एक सुझाव पेश करना चाहूंगा। अधिकांश घाटा होता है वह मैकेनिकल साइड का है। जो गाड़ियों के पुर्जे खरीदे जाते हैं उसमें कमीशन होता है। 10 पर्सेन्ट तो जो मिस्त्री खरीद कर लाता है उसका है और फिर अन्य उच्च अधिकारी हैं वह भी कमीशन लेते हैं। इस प्रकार चाहे गाड़ी का कैसा भी हिस्सा हो चाहे सैकण्ड हैंड हो उसका बिल आ जाता है और बिल आने पर भुगतान किया जाता है। 50 प्रतिशत इस प्रकार कमीशन के रूप में जाने के कारण रोडवेज के अन्दर घाटा होता है, जिसको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

जुडिशियरी के बारे में मैं कुछ बताऊं आपको। जुडिशियरी में जनता पार्टी के शासन में विशेष तौर पर प्रशासन के अन्दर जितने घपले हुये, अनुसूचित जाति के जो मजिस्ट्रेट है उनके साथ जितना दुर्व्यवहार हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। अनुसूचित जाति के जो मजिस्ट्रेट थे उनको अपने निवास स्थान से 200-200 और ढाई-ढाई सौ मील दूर भेज दिया गया। इसी प्रकार प्रमोशन में यह हाल हुआ कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हुनैया थे, उन्होंने जो प्रमोशन दिये उन प्रमोशन को जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिये और उनके विरुद्ध कई प्रकार की इन्क्वायरीज खोल दीं।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री नरपतराम बरवड़ : उद्योगों के संबंध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जोधपुर के अन्दर जितने भी औद्योगिक प्लाट हैं उनके अन्दर एक भी प्लाट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया है। उनका प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाना चाहिये।

परिवार कल्याण के बारे में एक बात कहूंगा विशेष तौर से मुसलमानों के अन्दर इसको लागू करने के लिये प्रेरक राशि को बढ़ाया जाय ताकि मुसलमानों में भी यह भावना आये। वे अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं नसबंदी करवाना।

इन्हीं शब्दों केसाथ मैं बजट की सराहना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इस वर्ष का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उस पर जिस तरह हमारे साथी विद्वानों ने एक-एक आंकड़े पढ़ कर के सदन का ध्यान आकर्षित किया, उस तरह तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता मगर इतनी हकीकत है कि मौके की जो मुझे जानकारी है, उसको देखते हुये मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार हैं, वह मैं बताना चाहता हूं और मैं बजट के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री चूंकि हमारे जैसे परिवार में, छोटे से साधारण कार्यकर्ताओं

(श्री अमीन खां)
में हैं इसलिये वे मेरे विचारों का पूर्ण स्वागत करेंगे।

जैसा कि मुझे दिखा है, मैंने यह जाना है कि 600 प्राइमरी स्कूल हमारे राजस्थान को दिये गये हैं, उसके बारे में मेरा विरोध नहीं है। सरकार के पास जितना भी बजट होता है सरकार को अपनी कार्यवाही उसी के अनुसार चलानी होती है, पैसा उसी के अनुसार दिया जायेगा, इसमें मेरा विरोध नहीं है। जैसे शिक्षा का सवाल है, देश में प्रान्त में ऐसे एरिया हैं जहां अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करना है। कई जगह तो लोग 95 फीसदी शिक्षित हो गये हैं। पर कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां 95 फीसदी से भी अधिक अभी अशिक्षित हैं। राज्य सरकार के बजट में, जो मैंने मंत्री महोदय से सुना है, प्रत्येक कान्स्टीट्यूएन्सी में 3 प्राइमरी स्कूल हैं। मेरा इस विषय में यह अर्ज करना है कि जिस कान्स्टीट्यूएन्सी में, जिस क्षेत्र में 95 प्रतिशत लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस क्षेत्र में 95 फीसदी वे पढ़े हैं उस क्षेत्र में 3 प्राइमरी स्कूल दिये जाते हैं और वहां 95 प्रतिशत पढ़े लिखे हैं वहां भी 3 प्राइमरी स्कूल दिये जाते हैं। यह बात गलत है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आंकड़े बताने वाले लोग हैं वे कोशिश करते हैं और ले जाते हैं हमको नहीं मिलते हैं।

मेरे क्षेत्र में बोर्डर एरिया है उस बोर्डर एरिया पर तो वैसे भी सारे देश का पैसा, प्रान्त का पैसा भी लगाया जाय तो कोई बात नहीं। वहां के लोगों को 6-6 महीने के लिये क्षेत्र खाली करना पड़ता है। 2 बार पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान के युद्ध के अन्दर लोगों को उस क्षेत्र को खाली करना पड़ा और फिर उसको आबाद करना पड़ा।

इसी प्रकार वहां के लोग पानी और सड़क के अभाव से 15-15 किलोमीटर पर ढाणियां हैं उनमें रहते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिये और सामान्य क्षेत्र के लिये आम तौर पर राजस्थान में एक ही औसत तय करते हैं तो यह नहीं करना चाहिये। बोर्डर के एरिया में पानी के मामले में, शिक्षा मामले में, बिजली के मामले हर तरह के मामले में विशेष ध्यान दें और बोर्डर एरिया को मजबूत करें। बोर्डर एरिया मजबूत होगा तो सारा देश मजबूत होगा। मुझे शंका है कि जो विद्वान हैं, खुशहाल हैं, वह पिछड़े हुये और दबे क्षेत्र से भी ज्यादा धन हासिल कर लेंगे। वे हासिल कर लेंगे यह शंका इसलिये है क्योंकि उनके दिमाग में ताकत है, उनकी कलम में ताकत है और उनमें रात दिन बोलने की ताकत है। हमारा क्षेत्र हमेशा से पिछड़ा हुआ है पर शान्त क्षेत्र है चाहे कुछ भी नहीं मिले तो भी हमारे क्षेत्र में आन्दोलन नहीं होते हैं। किसी भी सरकार के काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ उस क्षेत्र को इसके लिये इनाम मिलना चाहिये।

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस सदन के मार्फत इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में शिव तहसील और जिला जैसलमेर में जो अधिकांश जबता है उसकी खुबर लेती से कतई नहीं होती है। जो जमीन आप काश्त के लिये अलाट कर रहे हैं वह कर दी गयी तो आज से 10 वर्षों के बाद सब लोग रोजगार के लिये सरकार के ऊपर निर्भर हो जायेंगे। लाखों करोड़ों रुपया सरकार को इन को रोजगार के लिये देना पड़ेगा। लोग कंगले

(श्री अमीन खां)

हो जायेंगे और लोग बेकारी के आदी हो जायेंगे। इस क्षेत्र की खुशहाली के लिये, लोगों को जिन्दा रखने के लिये जमीन को पड़त रखिये। चाहे शरणार्थी को चाहे हमारे लोगों की जमीन देने की बात हो, पहले भी कांग्रेस सरकार ने डी.पी.ए.पी. की भूमि पड़त रखने का प्रावधान किया था। बाद में इस प्रावधान को खत्म कर दिया। कानून की बात तो बड़े लोग बतायें लेकिन रेवेन्यू एक्ट की धारा 17 के तहत आपने एस. डी. एम. को अधिकार दिया और उसने एक महीने में चार सौ आदमियों को जमीन अलाट कर दी हमारे आदमियों को नहीं की। हम तो वहां के लोगों को इस बात के लिये भी तैयार कर लेंगे। हमारे लोगों को एक को भी जमीन अलाट मत करो। मैंने हिसाब लगाकर के देखा है कि अधिकतर आदमी खेती पर निर्भर नहीं है। इस का ध्यान न रखकर किसी को आवंटन कर दिया गया और आवंटन आवंटन पर जोर दिया गया। तो कानून की किताबों को पढ़ने वाले लोग कभी भी हम लोगों को रोजगार नहीं दिला सकते हैं। इस कारण बेरोजगारी हो जायेगी और बोर्डर एरिया खाली हो जावेगा। इसलिये हमारी अर्ज मुख्य मंत्री जी से है कि जैसलमेर और शिव तहसील और दूसरे क्षेत्र में पड़त जमीन का ध्यान रखा जाये। आज तक मैंने लोगों को देखा है दूसरे जिलों के 2-2 फसलों के जमींदारों और काश्तकारों को देखा है उनसे हमारे लोग खूबसूरत भी हैं और डील में भी मजबूत हैं हालांकि वहां जमीन में अनाज कतई पैदा नहीं होता है। हमने यह हिसाब लगाया है कि एक बीघा में 40 किलोग्राम ज्वार मुश्किल से पैदा होती है। आज इस महंगाई के जमाने में आप हिसाब लगा कर देख लें खेती से आदमी का गुजारा कतई नहीं हो सकता है। इसलिये जमीन की हिफाजत रखी जाये भेड़ बकरी और गायों को जिन्दा रखने के लिये।

जहां तक शिक्षा का सवाल है ये 3-3 स्कूल कान्स्टीट्यूएंसी वाइज दिये जाते हैं। पहले पन्द्रह स्कूल उनको दे दिये जहां 50 प्रतिशत अनपढ़ हैं। जहां 50 प्रतिशत पढ़े लिखे हैं वहां भी तीन स्कूल दिये जाते हैं और जहां पचास प्रतिशत बे-पढ़े लिखे हैं वहां भी तीन स्कूल दिये जाते हैं उतना ही पैसा खर्च किया जाता है। दोनों को बराबर करते हैं इसको कोई भी समझदार आदमी न्याय नहीं मानेगा।

जहां तक सड़कों की बात है सड़कों का भी हिसाब कर लें जहां 50 सड़कें हैं वहां भी एक सड़क दे दी और जहां पर एक भी सड़क नहीं है वहां भी एक सड़क दे दी। यह तो जाहिल आदमी को बेवकूफ बनाने की सी बात है समझदार इन्सान की बात नहीं है।

वहां पशुपालकों को जिन्दा रखने के लिये और रोजी के लिये सरकार पर निर्भर न रहने के लिये आप जमीन की हिफाजत करें। उसका अलाटमैंट मत करें। वहां आप पानी का इन्तजाम करें। हमें आपसे और कोई सुविधा नहीं चाहिये, हमें कोई डेयरी नहीं चाहिये हमें तो एक सड़क चाहिये जिससे कि जो डकैत एरिया है उसमें पहुंचने में आसानी हो और पुलिस का साधन हो। बाड़मेर जैसलमेर का जो एरिया है, वह बोर्डर एरिया है इस कारण वहां डकैत बहुत हैं इसलिये वहां पर जो पुलिस का स्टाफ है वह डबल होना चाहिये। उसमें भी

(श्री अमीन खां)

आधा स्टाफ रिटायर्ड फौज के आदमी होने चाहिये। दूसरा, पुलिस स्टाफ में यह भी होना चाहिये कि जितनी भी जाति के लोग रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं उनका जो प्रतिशत है उसी अनुपात में उन जातियों के लोग पुलिस में होने चाहिये। आज मैंने देखा है कि जितनी भी चोरियां होती हैं वह एक ही वर्ग करता है और उसी वर्ग का स्टाफ है। उनको कन्ट्रोल करने वाला कोई नहीं है सिर्फ कागज में बचाव कर लेते हैं। अगर उनकी कोई शिकायत होगी, कोई गवर्नमेंट लेबल पर शिकायत जायेगी तो भी उसका बचाव हो जायेगा। एफ. आई. आर. दर्ज हुयी हुई है, कि डकैत पाकिस्तान की तरफ गया। इसलिये वहां पर इन दो बातों का ध्यान रखना होगा एक तो पुलिस का आधा स्टाफ फौज के आदमियों में से हो ताकि उनमें अनुशासन की भावना हो, आदत हो। दूसरी जिस जाति के लोग वहां रहते हैं उसके हिसाब से लोगों की संख्या पुलिस में होनी चाहिये। एक ही वर्ग का वहां पर स्टाफ है और दूसरी जाति का स्टाफ नहीं है इसके कारण वहां क्राइम बढ़ते हैं। जो ये दिनों दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं उनको इस सरकार को रोकना होगा। अब लोग टालमटोल से संतुष्ट नहीं होंगे, लोगों को हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि बोर्डर एरिया में यहां पशुओं पर हमारा गुजारा है। जमीन चरागाह के लिए रखी जाय जिससे लोग अकाल में मारे मारे नहीं फिरें। हमारा मुख्य मंत्री महोदय से विशेष निवेदन है कि आप जमीन को चरागाह के लिये रखें ताकि लोगों को रोजी रोटी मिल सके। वहां पर जो सरकारी नौकरी में एक ही जाति के लोग हैं उसके बजाय हर जाति के लोगों को रखें ताकि वे जातियां भाई बन्धी से रह सकें। जैसे कि हमेशा से रहते आये हैं उसको कायम रखने के लिये इसकी व्यवस्था की जाये।

यह बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है यह राजस्थान के विकास के लिये और पानी की व्यवस्था के लिये है इसलिये मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी/श्री रतनाराम।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है वह वास्तव में स्वागत के लायक है। विरोधी पक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि यह बजट दिशाहीन है, इसके अन्दर किसी प्रकार की विकास की योजनायें नहीं है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी उस समय उन्होंने जो बजट पेश किया था उसके पश्चात् इस देश के अन्दर और हमारे राजस्थान के अन्दर उन्होंने कितना विकास किया, यह देश की जनता जानती है और राजस्थान की जनता भी अच्छी तरह से जानती है। जानने का स्पष्ट कारण दिखायी देता है कि राजस्थान की जनता ने और देश की जनता ने जो चुनाव हुये उसके अन्दर स्पष्ट रूप से कांग्रेस (आई) को बहुमत दिया और बहुमत ही नहीं दिया 2/3 बहुमत देकर यह सिद्ध कर दिया कि जो जनता पार्टी का शासन था वह निकम्मा शासन था। इस शासन के अन्दर किसी प्रकार की प्रगति इस देश के अन्दर नहीं हुयी, यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है। यह बात हमारे राजस्थान

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

के अन्दर विधान सभा के चुनाव हुये उससे भी सिद्ध हो जाती है।

कल एक माननीय सदस्य ने आंकड़े पेश किये झूठे आंकड़े, अपने बनाये हुये आंकड़े इस सदन में पेश किये, हमारे शिक्षा मंत्रीजी को आंकड़े बताये "आपने कोटा डिवीजन में 10% पुस्तकें जो आवंटित करनी थी" जिसका जवाब हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने आंकड़े पेश करके दिया और इस बात को स्पष्ट बताया कि उनके आंकड़े बिल्कुल झूठे हैं। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि विरोधी दल के लोग झूंठे आंकड़े देने में माहिर हैं। उन्होंने जिन्दगी भर झूंठे आंकड़े पेश कर कर के देश को बरबाद किया है। इसका यह स्पष्ट प्रमाण है।

अध्यक्ष जी, एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये उत्पादन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, विद्युत् की बात करते हैं इस संबंध में मेरा निवेदन है जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पूर्व सुना और पढ़ा कि हमारे यहां जो राजस्थान कैनाल है उसके लिये सेंटर से काफी मदद मिलती है। 79–80 में भी मदद मिली थी, उसको भी यूटिलाइज नहीं कर सके और लाखों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का लैप्स हो गया। यह उनके निकम्मेपन का सबूत है। इसके साथ ही हमारे एक माननीय सदस्य, जो अभी उपस्थित नहीं हैं, कहा कि इन्होंने गंगनहर पर 60 लाख रुपया खर्च किया। माननीय सदस्य ने जैसा बतलाया उसी हिसाब से निवेदन कर दूं 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी हमारे एक दूसरे माननीय सदस्य ने बताया कि गंगनहर की आज हालत खराब है। रुपया किधर गया यह मैं पूछना चाहता हूं। आज भी नहर की मरम्मत नहीं हुई है जगह जगह से टूटी हुयी है। तो 60 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी नहर की हालत खराब है। एक तरफ तो कहते हैं कि 60 लाख खर्च किया दूसरी तरफ कहते हैं कि नहर की हालत खराब है, दोनों बातों में विरोधाभास है। इस सदन में झूंठी बातें कहकर राजस्थान की जनता को और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहां आ जाते हैं और झूंठी बातें कह कर समय बरबाद करने के अलावा, और कुछ नहीं करते हैं। विरोधी सदस्यों से निवेदन है कि अगर कोई बात कहनी ही है तो उचित बातें कहें देश के उत्थान की बातें करें, देश में उत्पादन बढ़ाने की बातें करें।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 77 के अन्दर हमारी कांग्रेस पार्टी का शासन था उस समय की स्थिति का अध्ययन करें, उस समय सीमेंट का उत्पादन बहुत था और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। लोहा आदि सबकी पोजीशन एक्सपोर्ट करने की थी। यह उस समय की स्थिति है जब हमने शासन दिया। जिस समय इन्होंने शासन दिया उस समय सारा उत्पादन गिर गया, हर चीज की कमी महसूस होती है फिर भी ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं। आरोप हमारे ऊपर लगा रहे है, हमें तो आये अभी महीना डेढ़ महीना हुआ हैं। उन्होंने जिन्दगी भर क्या किया है देश को बरबाद किया है। इनके एक नेता थे आदरणीय मोरारजी देसाई। उन्होंने एक नारा दिया कि निर्भय समाज चाहिये। उस नारे से सारे देश को निर्भय बना दिया। इस देश के गुंडे बदमाश आदि निर्भय हो गये

श्री अध्यक्ष : भाषण अधूरा रहा। सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2 अगस्त, 1980 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.30 बजे शनिवार दिनांक 2 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

कस्बा उच्चैन के निकटस्थ ग्रामों में डाकुओं द्वारा लूटपाट व हत्याएं

263. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या उच्चैन नामक कस्बे से दो मील दूर ग्राम कैसाभी में डाका पड़ा था व उस डाके में डाकू गिरोह ने श्री मदन गुर्जर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी ?

(2) क्या एक ही रात्रि को 3 ग्रामों में भयंकर लूटपाट, हत्या व व्यभिचार आदि का नग्न ताण्डव 8 घण्टों तक किया गया ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समीप के थाने पर वायरलैस से सूचना भिजवाने के बावजूद भी पुलिस 3 घण्टे विलम्ब से पहुंची ? यदि हां, तो उच्चाधिकारियों ने उस पुलिस थाने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन डकैतों ने सायंकाल 7.30 बजे से रात्रि 2 बजे तक लूटपाट व हत्या की। व्यभिचार की कोई घटना नहीं हुई। विस्तृत जानकारी संलग्न है।

(3) जी नहीं।

विस्तृत जानकारी

1. दिनांक 14-7-80 को सायंकाल 7.30 बजे इस गिरोह ने उच्चैन बयाना मार्ग पर मदन गूर्जर निवासी केमाली की गोली मार कर हत्या कर दी व साइकिल लूट ली।
2. उसी मार्ग पर लक्ष्मण जाट को लूटा।
3. कुछ देर बाद सरमन जाटव निवासी गांव केमाली के साथ जा रही उसकी औरत, पुत्री व पुत्र वधू के जेवरात लूटे और सरमन को मारपीट कर घायल किया।
4. रात 1 बजे गांव अन्धियारी में राम भरोसी एवं सूरजमल जाटव के मकान को लूटा व मारपीट कर जेवरात छीने। एक और मामूली छर्रे लगने से घायल हुआ।
5. उसी रात उच्चैन अस्पताल में भर्ती एक औरत की चांदी के कड़े खोले व विपति जाट के प्रतिरोध पर गोली चलाकर छर्रों से उसे घायल कर दिया।

टौंक को रेलवे से जोड़ने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजना

264. श्री महावीर प्रसाद (टौंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने टौंक को रेलवे से जोड़ने हेतु कभी केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया ? इस सम्बन्ध में सरकार आगे क्या करने जा रही है ?

उत्तर

जी हां, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को टोंक को रेल्वे लाइन से जोड़ने हेतु प्रस्ताव भेजा था जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सूचित किया है कि फिलहाल वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण टोंक को रेलवे लाइन से जोड़ना सम्भव नहीं है साथ ही उन्होंने यह भी सूचित किया है कि योजना आयोग ने राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करने हेतु एक समिति की नियुक्ति की है जो विकास के प्रयोजन हेतु अपेक्षित लाईनों और उनके लिये धन की व्यवस्था हेतु युक्तिसंगत नीति तैयार करेगी। जहां तक राज्य सरकार द्वारा आगे कार्यवाही करने का प्रश्न है इसके लिये भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाने पर ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

निजी क्षेत्र में विद्युत् उत्पादन

265. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)–क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में निजी विद्युत् उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की नीति एवं कार्यक्रम क्या है ?

उत्तर

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/कारपोरेशन के अलावा विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को निजी विद्युत् उत्पादन के लिए मण्डल से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है। मण्डल इस सम्बन्ध में आये प्रत्येक प्रार्थना पर प्रार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करता है। पिछली दिसम्बर से हुई विद्युत् कमी को देखते हुए मण्डल ने निजी विद्युत् उत्पादन के लिए डीजल जनरेटर सैट लगाने के लिए दी जाने वाली अनुमति में ढील देने का निर्णय लिया तथा उद्योगों को होने वाली कठिनाई का अनुभव करते हुये अब इस प्रकार की अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है।

शराब के परमिट होल्डर्स

266. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 18 फरवरी, 1980 से अब तक कितने लोगों ने शराब के परमिट मांगे व उनमें से कितने लोगों को शराब के परमिट दिये गये हैं ?

(2) शराब के परमिट लेने वालों में भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी हैं व राजस्थान प्रशासनिक सेवा व राजस्थान पुलिस सेवा के कितने ?

(3) क्या कुछ राजनेताओं ने भी शराब के परमिट मांगे हैं ?

उत्तर

(1) 97,459 लोगों ने शराब के परमिट मांगे व उनमें से 97,424 लोगों को परमिट दिये गये।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

बाढ़ से हुई क्षति की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

267. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत सरकार द्वारा सन् 1979 में आई बाढ़ से हुए नुकसान तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इस दौरान बरती गई लापरवाही के बारे में सिंचाई मंत्री द्वारा दो उच्च तकनीकी अधिकारियों की एक जांच कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि कार्यवाही नहीं हुई, तो क्यों ?

(2) जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपयों की क्षति हुई तथा हजारों पशु व सैंकड़ों जानें गईं, क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध गत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किन किन अधिकारी व कर्मचारियों पर ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । पिचियाक बांध के संदर्भ में हुए बाढ़ के नुकसान के लिये जांच समिति गठित की गई थी । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(ख) इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, सिंचाई अधिकारियों एवं पुलिस वायर लेस आदि विभागों को आदेश जारी कर दिये हैं ताकि भविष्य में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से जन धन की हानि को रोका जा सके ।

(ग) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता एवं उप अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

(2) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

नीमकाथाना में सीमेंट की फैक्ट्री लगाया जाना

268. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में नीमकाथाना में सीमेंट की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस फैक्ट्री की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

छतरसागर बाँध को अधिग्रहीत करना

269. श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमाज, तहसील जैतारन, जिला पाली में स्थित छतर सागर बांध को सरकार द्वारा अधिग्रहण करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) यह कार्यवाही कब तक पूरी होने की आशा है ? यदि नहीं, तो ग्रामीण जनता की इतने लम्बे समय से मांग होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कार्यवाही करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस योजना का तखमीना तैयार किया जा रहा है शीघ्र ही इस योजना को अन्तिम रूप देकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(156)

ग्रामों की सूची जो अभिवृद्ध ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हैं

जिले का नाम	
1. अजमेर	6
2. अलवर	38
3. बाड़मेर	68
4. बांसवाड़ा	19
5. भरतपुर	23
6. बूंदी	8
7. भीलवाड़ा	80
8. चित्तौड़गढ़	19
9. चूरू	69
10. डूंगरपुर	36
11. गंगानगर	22
12. जयपुर	14
13. जैसलमेर	42
14. जालौर	39
15. झालावाड़	36
16. झुन्झुनूं	21
17. जोधपुर	82
18. कोटा	103
19. नागौर	90
20. पाली	18
21. सवाई माधोपुर	44
22. सीकर	30
23. सिरोही	11
24. टोंक	8
25. उदयपुर	18
26. बीकानेर	36
योग :	980

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांवों का नाम	क्र. सं.	गांवों का नाम
1	2	1	2
जिला का नाम-अजमेर			
1.	पानोर	2.	यूजोली
3.	कोटरी	4.	नोसाल
5.	भीलावत	6.	झाग
जिला-अलवर			
1.	कोटकासिम (Kotkasim)	2.	जिगोरिया (Jegiya)
3.	दायका	4.	आलमपुर
5.	अनोखा	6.	यूजोली (Ujoli)
7.	बागोली	8.	मीलाहोदी
9.	सीलपाटा	10.	बीरमवास
11.	झाखपुर	12.	छाजनका
13.	मिलकपुर	14.	खाटनखेरा
15.	रामसिंहपुरा	16.	माचाल
17.	हमीदपुर	18.	नासरपुर
19.	बाहेला (Bahala)	20.	नगला बंजीरका
21.	नारपा	22.	बागरमो
23.	बागरराजपूत	24.	रामखास
25.	डाबरी	26.	डांगरी
27.	बाम्हेरी	28.	झारोदा
29.	बांस डूंगरी	30.	रतनरी (Ratnari)
31.	सालरपुर	32.	कोलीलासांगा
33.	कोलीला रवार	34.	कोलीला जागा
35.	मेजरीखाथ	36.	मोरडिया
37.	प्रतापसिंहपुरा	38.	माधोसिंहपुरा
जिला-बाड़मेर			
1.	खुदानी	2.	रामसर
3.	सोटानी	4.	साय
5.	धीलामकाबास	6.	काछमतालिया
7.	कागरेता	8.	रामगढ़

1	2	1	2
9.	मेपालिया	10.	पबामलारिया (Pabamaria)
11.	पाबासेनिया	12.	बामावा
13.	बीटरा (बिरामसर)	14.	बामलालकापुर
15.	सुगयाकापुर	16.	लाछवा
17.	बाछावार	18.	साहदा
19.	खारिया कलान	20.	बेतएमा
21.	चन्द्रवानकलाश	22.	चन्द्रवानवालमास
33.	चन्द्रवानमांदेप	24.	सामलियार
25.	चासी	26.	ढासकियान की ढाणी
27.	भजता की बासी	28.	खारिया राघोसाम
29.	रामदेवरिया वेल	30.	खादेमकला
31.	भागन की ढाणी	32.	कंरावेव टैम्पिल
33.	ठाकरन की ढाणी	34.	सामरी
35.	सूरा चारण	36.	सूरा जागीरदार
37.	सूरा मारपतानी	38.	सोमरू
39.	नानद	40.	मालवा
41.	दूदाबेन	42.	कानोदा
43.	कीरवा	44.	लसाबरान
45.	जायदू	46.	बीसाका
47.	बामेरी	48.	कोतड़ा (Kotra)
49.	टीलाम की ढाणी	50.	जेसाका गान
51.	रेवत का गाम	52.	चाक भामसका
53.	भागोरिया	54.	बोरिया भागरी
55.	सायली (Sivili)	56.	तिलवारा
57.	ठाऊ मालीनाथ भोर टीलवाड़ा	58.	बीरिया बारिछ
59.	भीमारलाई	60.	सीमालिया
61.	बाजावास	62.	चांदसेडा
63.	मेकारमा	64.	भोर
65.	तीरगाली (Tirgali)	66.	लालीया (Laleeya)
67.	कामाकावाडा	68.	माजाल

जिला–बांसवाड़ा

1	2	1	2
1.	दालवाडा साकीया (Dalwara Sakiya)	2.	कुवालियर
3.	भोर	4.	भादालया

1	2	1	2
5.	डाडोका	6.	कुमवाला
7.	कोटड़ा	8.	नीचला घांटाला
9.	सेलिया	10.	आटला (Itla)
11.	डाकर	12.	मांदरी
13.	फालवास	14.	पीन्दरमा
15.	बोडीगामा	16.	घोखला
17.	सुवाला	18.	बूदड़ा (Budara)
19.	बारीगामा		

जिला-भरतपुर

1.	सीताड़ा (Sitara)	2.	टामसरी
3.	साइन्त (Saint)	4.	गंमारसाली
5.	पाला	6.	करवाड़ा
7	डीडवारी	8.	वेलपाड़ा
9.	गुनसाल्य	10.	मोरी दो खुर्द
11.	मोरडीकलान	12.	साहूनावाली
13.	थोरमाल	14.	जाधीना
15.	प्रधान	16.	उचायन (Uchain)
17.	खरेड़ा	18.	फतेपुर
19.	भानत	20.	खांन
21.	धामड़ा (Dhamla)	22.	लाखान (Lakhan)
23.	इन्दू		

जिला-बूंदी

1.	आलोद	2.	गुरली (Gurli)
3.	जयथल	4.	खादीपुर (Khadipur)
5.	गुरली	6.	विजयनगर
7.	थिटावा	8.	हलीहीरा

जिला-भीलवाड़ा

1.	गीनदलिया	2.	रेनवास
3.	भामा	4.	सुधीपा
5.	जीतीया	6.	सिंगपुरा
7.	जीवाकखुरा	8.	गंगाखुरा (Ganga Khura)

1	2	1	2
9.	रेडवास	10.	विरथोल
11.	दांतरा	12.	सोखरा
13.	चोपदेल	14.	रसीद
15.	पारोली (गोटा)	16.	शायापुर
17.	देवानी	18.	खारोका खेरा
19.	वामवा	20.	वीसनिया
21.	कोटज	22.	सादपुरा (Sadpura)
23.	जालेरा	24.	बुखपुरा
25.	चोटीबिजोलिया	26.	भोपतपुरा
27.	गुधा (Gudha)	28.	लक्ष्मीसथा
29.	मन्जी का खेड़ा	30.	थादोदा
31.	गमोली (Gamoli)	32.	विक्रमपुरा
33.	लासेमीखेड़ा (Lasemi Kheda)	34.	पुरोहितन का खेड़ा
35.	बालदरखान	36.	फलेसिया
37.	कोटवाल का खेड़ा	38.	वीलासवाड़
39.	बनियान को तलाव	40.	नया नगर
41.	धाखर खेरी	42.	कलानपुरा
43.	सूरज विलास	44.	रासेमदा
45.	बिहारीपुरा	46.	गोपालपुरा
47.	शामपुरा	48.	मालका खोर
49.	गालिनदेरी	50.	धावारा
51.	महुवा	52.	मानपुरा
53.	धामीया	54.	शेरथल
55.	थई	56.	राजगढ़
57.	विरम को खेड़ा	58.	गेमोली
59.	भाट खारला	60.	उत्तम नगर
61.	सूथी	62.	सारुपुरा
63.	मीकारन	64.	गोंजेला
65.	देवसिंह जी का खेड़ा	66.	पीथा का खेड़ा
67.	मेदी गोपालिया	68.	वेध का खेड़ा
69.	हुरडा	70.	करनपुरा
71.	खाचोरोल	72.	मांदरगढ़
73.	भाधू	74.	थोरस

1	2	1	2
75.	लूहारिया	76.	छीतमपा
77.	फापोलिया	78.	धूनवाला
79.	रूपाहुरा	80.	पारासोली

जिला–चित्तौडगढ़

1.	बामसीन	2.	लाछीपुरा (Lachhipura)
3.	पाण्डोली	4.	खसमोड़
5.	चीनची	6.	नन्दवई
7.	कातुनदा	8.	माण्डोली
9.	पाला खेरी	10.	अमीराना
11.	कमलपुरा	12.	चैम देना
13.	सिंग खुर्द	14.	हाथीपुरा
15.	मेधूरा तलाव	16.	बारां बारदा
17.	खेराट	18.	जासमा
19.	टेना		

जिला–चूरू

1.	जसरेसर	2.	रामपुरावास
3.	खानया	4.	रामदिरा
5.	बीनासर	6.	पाटी
7.	रायपुरिया	8.	नाकरासर
9.	जामरासर	10.	पीथोसर
11.	कुमसीसर	12.	बालरासर
13.	धीरसर चरण	14.	धोरासर बीकान
15.	भीमसर शेखुतम	16.	धाधरिया चामंसिन
17.	धाधोलिया	18.	सतसा
19.	केरी	20.	जाखासर
21.	जाखासर भोमसिंह वारन	22.	रामपर नराकान
23.	रामसर हानसतान	24.	सोनियासर गेदरान
25.	सोनियासर शोदानसिंह	26.	सोनियासर मिथोया
27.	सोनियासर गेगलियान	28.	सोनियासर उचेनारा
29.	जाखासर भोमदिया	30.	कुनपासर
31.	बजरंगसर	32.	बादेला

1	2	1	2
33.	घेनेरू	34.	गेदी
35.	घमसि	36.	नसारिया
37.	इन्द्रपालसर बाडा	38.	इन्द्रपालसर सनखालान
39	इन्द्रपालसर रायकान	40.	इन्द्रपालसर हीरा
41.	इन्द्रपालसर मुसायसर	42.	सुरजानवाड़ी
43.	अमृतबाडी	44.	अभयसिंहपुरा
45.	मुंदरा	46.	मुंदरा बाडी
47.	तलाय	48.	भीम तलाब
49.	आसीना	50.	गादाप
51.	भागसरआयोना	52.	गुसाईसर
53.	मानकसर	54.	पुनसासर
55.	वीजासर	56.	टेनदेसर
57.	अंतलाद	58.	मोदीया
59.	कल्यानसर	60.	साधूबाडी
61.	साधू छोटी	62.	भामसाधू
63.	आसरासर	64.	मूंमसरिया
65.	घाटेल	66.	समोसी
67.	रिघोला	68.	आसल खेरा
69.	गाजसर		

जिला–डूंगरपुर

1.	सुरजगांन	2.	झलसावा (Jhalsava)
3.	कुवान	4.	लीखतिया
5.	गुंदलारा	6.	सालाखुरी
7.	विमासा	8.	बरगामा
9.	फावता	10.	प्रदा मेहुता
11.	पीपालागोनी	12.	सैलोता
13.	रातारिया	14.	कासारिया
15.	सानदोली	16.	कोनरी
17.	टेम्पोलिया	18.	डीवालखास
19.	सोतिया	20.	धुंधरान
21.	तालिया	22.	धारमाला
23.	पागरा	24.	मारा

1	2	1	2
25.	पोहरी खातुरल	26.	खारवाडा
27.	सैथल	28.	मेहाना
29.	रातडा	30.	खेनारा
31.	गेंजी (Genji)	32.	सेकान
33.	पालथिरिस	34.	कावजा
35.	वारंगा	36.	मायला (Mayala)

जिला–गंगानगर

1.	जोगीवाला	2.	अमरपुरा
3.	सूरतपुरा	4.	बीरानी
5.	डाबली	6.	मांगवा
7.	पचरवाली	8.	चामूर
9.	दूती (नोबी)	10.	मीमानवास
11.	मोतासर	12.	खतरादसर
13.	अजीतपुरा	14.	रामगढ़
15.	पारलीका (Parlika)	16.	मागवान
17.	भुखारखा	18.	देवरास
19.	टोपारिया	20.	डूंगराना
21.	कल्याना	22.	राजपुरा

जिला–जयपुर

1.	वाटिका	2.	साखुन
3.	बिचून	4.	भीरोली (Bheroli)
5.	नीमाली	6.	डांतली
7.	झोटवाड़ा (Jhotwara)	8.	लोहसारी (Lohsari)
9.	काली पहाड़ी	10.	सिंडोली
11.	बानीथी	12.	पानेरस
13.	धाजेरा	14.	देवता

जिला–जैसलमेर

1.	भीनभीनयाली	2.	नीमलाई
3.	खून्दा	4.	कोहरा
5.	रामदेवा	6.	लाखा (Lakha)
7.	भाईया	8.	भीनकाली
9.	वीरमानी	10.	भागू का गायन

1	2	1	2
11.	ताजमहता	12.	मोधा
13.	खाटा	14.	देवरा
15.	गोर्जासहगया	16.	गुधा
17.	भाडली	18.	सीदार
19.	तेजावास	20.	कोथा (Kotha)
21.	सेम (Sam)	22.	लूनर की बास
23.	लाखमन की बासी	24.	कानसी
25.	सुलखा	26.	दामादसा (Damadsa)
27.	बीदा	28.	नीम्बा
29.	भालारी	30.	खुरी
31.	बारान (Baran)	32.	गंगा
33.	हाडोता	34.	दोधा
35.	दानताल (Dantal)	36.	जालोरा भाटियान
37.	भाभा का गान	38.	बरोरा गाम
39.	अजयमर	40.	चांदसर
41.	बरदाना	42.	लोहारती

जिला – जालौर

1.	सेवाड़ा	2.	धामकरू
3.	मोहखतरा	4.	कोटरा
5.	करवारा	6.	बागोरा
7.	नादिया	8.	करा
9.	जैसावास	10.	कोरी
11.	बावरावास	12.	डाडल
13.	डीडवा	14.	डावल
15.	भाकल	16.	हरियाली
17.	डमवारीया (Dhum barbya)	18.	नरशाना
19.	राहु	20.	सुरावा
21.	डाड़रा	22.	टिटाप
23.	वाली	24.	लाछीवाडा (Lachhiware)
25.	बाड़की	26.	बड़गावा
27.	जैशला	28.	सूताहना (Sutahana)
29.	डातीया	30.	बानक
31.	भगवाना	32.	नलदरा

1	2	1	2
33.	बालोरा	34.	भतकी
35.	तीलोडा	36.	पनराऊ
37.	विशाला	38.	देवका कालन
39.	कारडा (Karda)		

जिला–झालावाड़

1	2	1	2
1.	पनवार	2.	उमेदपुरा
3.	करणवास	4.	भागवानपुरा
5.	कालामण्डी कुरद	6.	कालामण्डी कालन
7.	शमशी (Sumsai)	8.	रामपुरा
9.	गिहुरू खेड़ी (Gehru Kheri)	10.	शालीरीयाशाह
11.	होमानगढ़	12.	बोलीया बोगुरग
13.	गणेशपुरा	14.	लुहारिया
15.	कोटीया	16.	बैड़िया
17.	हीनचार	18.	वीहुरा
19.	शरखानडिया (Sharkhandia)	20.	ड़डी
21.	मिगारा	22.	बोरडा
23.	भूमरी	24.	अकवाद खुरद
25.	अमकाली	26.	यकोउया
27.	शमशायगी	28.	मोतीपुरा
29.	गाड़ीया	30.	सितापहल
31.	शालरीया	32.	वीरीया कहुरी कालन
33.	बनजारी	34.	भूना खेड़ा
35.	मगरा (Magra)	36.	नाहुरावद (Naharavad)

जिला–झुन्झुनूं

1	2	1	2
1.	बाखरा (Bapra)	2.	बीबासर
3.	फतेहुश	4.	भागीली
5.	मनाकाशरन	6.	जोधरपुरा
7.	बुगोला	8.	चारू
9.	बुडाना	10.	फतेहरीया
11.	बिशहनपुर	12.	बंगीश्री खुर्द
13.	बंगीश्री कलां	14.	चाहपरा
15.	ढोरडी	16.	खैरपुरा

1	2	1	2
17.	हमीरपुरा	18.	गारड़ी
19.	शिखवा (Shiwa)	20.	मागीना
21.	डालानिया		

जिला-जोधपुर

1	2	1	2
1.	शिहरडा	2.	टीकरा
3.	सादा खेटा	4.	टीपू
5.	बारू	6.	दुर्गानी
7.	खेतशर	8.	डोडासारी
9.	मोदकिया	10.	केकहरी
11.	ढोलीया	12.	भीतरी (Bithari)
13.	मोखरी	14.	होपुलारी
15.	लालसिह की ढाणी	16.	भुखरी
17.	रायसर	18.	गारा
19.	गारा भानावास	20.	आनन्दसिह की ढाणी
21.	खेरजन खाश	22.	टीना
23.	मेगवाला का कुआ	24.	जतयन का कुआ
25.	शापुरा (Saipura)	26.	खेरजन टीबना
27.	आशखावास	28.	टेमरी
29.	नीखहरा चरण	30.	नीखारा पाटावतान
31.	नीखारा भाटीवन	32.	जैसलम
33.	मोनीरा	34.	केलनसर
35.	चम्पुसर	36.	रिहंद
37.	भुरग	38.	अजयसर
39.	कुम्दाला	40.	खाटूवास
41.	जातीयासनी	42.	भनावास खुर्द
43.	भनावास कलां	44.	भनावास चारन
45.	धोलावास	46.	देवा (Dhaula)
47.	सेन्तो	48.	भूटा
49.	लूनावास खेर	50.	आदलीया
51.	कालीजाल	52.	रावरीयर
53.	खोजोरी केलन	54.	खीजोरी खुर्द
55.	राजपुरीया	56.	डोनशाना
57.	काकानी	58.	नीमला

1	2	1	2
59.	गुड्डा बोशनीया	60.	गुडा केलन
61.	मोजारा केलन	62.	मोजारा खुर्द
63.	खुर्रा बीरा पुरोहीतन	64.	खुर्रा बीरा पुरोहित का वास
65.	सीकरपुरा	66.	धानडीयावास
67.	बनीयावास	68.	संशासनी
69.	श्रंतान	70.	मोरी शुतारन
71.	वीथावास	72.	लोलकी
73.	डोलाना	74.	भाखरी
75.	खुशालवा	76.	बैर
77.	दायाकर	78.	कहूरा बीरा भूटोन
79.	भोजासर	80.	घाटीयाली
81.	चोमानी	82.	चाखडू

जिला–कोटा

1.	बम्बोरी चाटा	2.	अजनावास
3.	डोलन	4.	मोखमपुरा
5.	बीलिन्दी	6.	खेहरी
7.	बारड़ावाड़ा	8.	बाडय
9.	भमपुरा	10.	बनगत
11.	लाखीमपुरा केलन	12.	नारोडा (Naroda)
13.	सीनखर	14.	लासावर
15.	कालाठोल	16.	झाचमा केहरी
17.	हालाशोरा	18.	दिगोद जागीर
19.	झाझाजी	20.	खेतरी
21.	बल्कू (Balku)	22.	भाटोली
23.	बातोना	24.	रामपुरीया
25.	मनोहरपुरा	26.	कनवारपुरा
27.	गुडलन	28.	खेहरी
29.	खेतरी	30.	सन्दवा खेहरी
31.	देवली केलन	32.	बोरड़ी
33.	अरली	34.	खेहरा बंधा
35.	पिड्वा	36.	दियापुरा
37.	गणेशपुरा केलन	38.	लेलरा केलन

1	2	1	2
39.	नीमोड़ा	40.	हुनाम
41.	गुमानपुरा	42.	बाराड़ीया केमन
43.	राय केहरा	44.	चन्द्रापुरा
45.	रिंचारी	46.	बोरोग
47.	मदनपुरा	48.	रघुनाथपुरा
49.	सोहनपुरा	50.	घाक्या
51.	राजी केहरा	52.	बुधहरा
53.	कोन्डो	54.	सोहनपुरा
55.	फतेहपुरा	56.	मसकाली
57.	सोहरावाड़ा	58.	मानपुरा
59.	पीपा केहरी	60.	बीना केहरी
61.	डोंगोरी	62.	शालावद खुर्द
63.	जेहरी	64.	झालरा
65.	शालवाद केलन	66.	रीर मण्डी
67.	काडायाला	68.	टोमलीया
69.	सारंग केहरी	70.	ममईरा
71.	डल्काली	72.	विश्नया केहरी
73.	लक्ष्मीपुरा	74.	अरनीया खुर्द
75.	मण्डी नायन	76.	प्याली
77.	बानायाहरी	78.	सेमल हीरा
79.	सुरीया	80.	नालोडिया
81.	डोली खुर्द	82.	बोन्डा
83.	युदवा (Udava)	84.	नियातमल केहरी
85.	डोड केहरी	86.	तेल्या केहरी
87.	हेम्ल केहरी	88.	हीरापुरा
89.	ममृतवाशी	90.	काला
91.	लखेरीया	92.	उदयपुरा
93.	होनातीया	94.	गुड़िया
95.	मरणया केलन	96.	गोला
97.	मलीद	98.	नयागान
99.	दौलत गंज	100.	मोड़क
101.	बारावास	102.	कुनगा
103.	रत खुजार		

Page No 169

169

1	2	1	2
जिला–पाली			
1.	डीलारा जागीर	2.	डोलारा सासन
3.	सोनला खान	4.	डूंगरपुर
5.	केहूरी (kahari)	6.	असदली
7.	महुवाली	8.	सिवरी
9.	रोहत	10.	बीर कीलन
11.	लालोती (laloti)	12.	रामवास खुर्द
13.	रामवास कलां	14.	प्रियीपुरा
15.	जगाषा	16.	पटवा
17.	राजाडंड	18.	लशाशनी
जिला–नागौर			
1.	डीडा	2.	मातसुखा
3.	बोरी	4.	श्यामगढ़
5.	सम्मतगढ़	6.	देश का वास
7.	जीनवास	8.	सोलीयान
9.	कंतालिया	10.	काटालिया
11.	नीलशीया	12.	वारजाम
13.	बजना	14.	शोभापुरा
15.	करवानी	16.	बडेला
17.	बडेर	18.	गुम्पालिया
19.	सिनला	20.	दातांन
21.	सनवाड	22.	मंदाशारी
23.	प्रीथरा	24.	ननबा
25.	बनवाशा	26.	वडंवा
27.	वेमोत	28.	खाशिया
29.	मावा	30.	दयालपुर
31.	पुरोहितान का बास	32.	गणेशपुर
33.	पंडाराई	34.	बारनी
35.	बड़वाशी	36.	मोकरी
37.	जगालाम्रो	38.	वासवा
39.	सिगढ	40.	केराप
41.	बारोड़	42.	अंगुता

Page No 170

(170)

1	2	1	2
43.	अगनोत	44.	नीगला की ढाणी
45.	भण्डारी	46.	डिडेल
47.	चोमू	48.	सिरोवा
49.	मगीरडा	50.	गवादिया की ढाणी
51.	शिया की ढाणी	52.	साधु की खेरी
53.	रानीसर	54.	शातु कलान
55.	डालीगोन	56.	जोरावरपुरा
57.	दुबोली	58.	बालड़
59.	थाकेरीवास	60.	चाक
61.	खारडिया	62.	नौरानपुरा
63.	बुडेला	64.	गीको बंशी
65.	कापरोड	66.	गिरडीगा बंशी
67.	दादा बंसी	68.	बंदोली की ढाणी
69.	कारवा की ढाणी	70.	रायसिंहपुरा
71.	देवगोन	72.	प्याना
73.	डाडों	74.	शागी खुर्द
75.	शेयहरान	76.	अंतवालिया
77.	गथलीशर	78.	मंडासर
79.	गधींशर	80.	रोहिना
81.	थाकीरीया	82.	भाला
83.	डगरी	84.	कालवी
85.	मूंडी	86.	गंलोली
87.	शेरलीयान की ढाणी	88.	निम्बो खुर्द
89.	राववास	90.	शाहवास

जिला—सवाई माधोपुर

1.	थूमला	2.	शलेमपुर
3.	नाहरसिंह पुरा	4.	शिवाली
5.	रघुपुरा	6.	बाश रघुपुरा
7.	काकरला	8.	अवहीपुरा
9.	रामगढ़	10.	टैकारा
11.	दमछुरी	12.	वेराशमा
13.	शमशपुर	14.	माधशरपुर पाटी
15.	कोहरी	16.	अमर पुरा

1	2	1	2
17.	शमलेथी	18.	कोहूरा नंद सिंह
19.	पाडलीं	20.	मेखपुर
21.	गवारकी	22.	मिरजापुरा गंगावाना
23.	पीपल खेरा	24.	हुरला
25.	कन्ध पुरी	26.	माहु ब्रह्मोमपुर
27.	माहु खाश	28.	माहु दयालपुर
29.	श्यानपुर मंदरी	30.	रिवाई
31.	खेरडा कलानान	32.	करोई
33.	गुरपाल	34.	चंदेला
35.	सीतापुर	36.	घाशला
37.	खैरली गुजर	38.	अंथोली
39.	नमगला शेरपुर	40.	खिलचीपुर
41	पेम्वला	42.	चत्राशेरपुर
43.	बरडी	44.	भण्डारी बेरोशनी

जिला–सीकर

1.	कोटिया	2.	ढाणी हुटडन
3.	नगरदेश	4.	सवाई सरमानपुर
5.	बाभला	6.	पालास
7.	जुगलपुरा	8.	जुलीयासर
9.	टेराकी चौक	10.	टेरो की बारी
11.	खाछरीयावास	12.	कूली
13.	भवनपुरा	14.	खेरियावास
15.	दंदा	16.	चयनपुरा
17.	मंडा	18.	सुरेरा
19.	अलोव	20.	खादू
21.	पलशाना	22.	भवनी
23.	गोरधनपुरा	24.	पीपारली
25.	श्यामपुरा	26.	बसवा
27.	कांगरसर	28.	बीछरी
29.	मलमश	30.	भगेसरा

जिला–सिरोही

1.	शांतपुरा	2.	शिवाना

Page No 172

1	2	1	2
3.	चन्द्रावाटी	4.	धमाकाकर
5.	अम्बा	6.	मवेश
7.	बाशड़ा	8.	खारा
9.	वंरिवारा	10.	उदंरा
11.	भाड़ोली		

जिला--टोंक

1.	शावा	2.	सोड़ा
3.	धमापुरा	4.	टोरड़ी
5.	डूंगरी कलान	6.	केरवालिया
7.	महाराजपुरा	8.	जनकीपुरा

जिला--उदयपुर

1.	थोरी (Toorii)	2.	लाशेबिया
3.	किशरीयावत	4.	भालाईरा (Bhalaerya)
5.	बेकरीया	6.	लोहारोहा
7.	नंदवारा	8.	झर
9.	गोरना	10.	मडी
11.	टोकार	12.	शालारा
13.	राथरा	14.	कागद पट्टा वलीया
15.	दवेर	16.	मंथरामा
17.	चप्पाली	18.	पीपारडा

जिला--बीकानेर

1.	महाजन	2.	मनोहरीया
3.	हंशेरा	4.	दरेवार
5.	डलमेरा	6.	ददूसर
7.	मालाशर	8.	दूलचाशर
9.	सूई	10.	तेलीवाला
11.	गुडा	12.	पम्पूसर
13.	लीमसर	14.	सुरजाडा
15.	रामदेहोशर	16.	अगनऊ
17.	मोटावाटा	18.	वाह
19	कोहरी न्रमान	20.	संखेला कारटी

1	2	1	2
21.	लाखूसर	22.	मोडायत
23.	लूणकरनसर	24.	शेनोवाला
25.	मेहरानसर	26.	शालाशर
27.	अर्जुनशर	28.	मोथरडिया
29.	रानीसर	30.	जेठपुरा
31.	विगोंडसर	32.	कालाशर
33.	अकाहसर	34.	भोलाशर
35.	भोजूसर	36.	नगराशर

पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी केन्द्रीय योजना में सम्मिलित ग्राम

270. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

केन्द्र सरकार की गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत राज्य के कितने गांव सम्मिलित किये गये हैं ? जिलेवार गांव की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत 980 सम्मिलित गांवों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मंडाना रेन्ज के जंगल में लकड़ियों की अंधाधुंध कटाई

271. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले की मंडाना रेन्ज के रेन्जर, श्री सक्सेना द्वारा जंगल की लकड़ियों को अंधाधुंध कटवाने को प्रोत्साहन देने की जानकारी सरकार को है ? क्या इस कारण वन सम्पदा नष्ट होकर जंगल साफ हो गया है ? यदि हां, तो सरकारी स्तर पर इस संदर्भ में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

श्री सक्सेना के खिलाफ जंगल से लकड़ियां कटवाने इत्यादि के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच जारी है।

यह मालूम किया जा रहा है कि वन की सघनता में कितना फर्क पड़ा है ?

इस संबंध में जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट तत्परता से भेजने हेतु तकाजा किया गया है। रिपोर्ट उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम

272. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे :--

(1) सूखा सम्भाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने के क्या मापदण्ड हैं ? अभी यह कार्यक्रम किन-किन जिलों, तथा किन किन क्षेत्रों में चल रहा है ? इस वर्ष जिलेवार चालू कार्यक्रमों में कितनी धन राशि समाविष्ट है ?

(2) क्या निश्चित नॉर्म्स में भीलवाड़ा जिला और उसके कुछ क्षेत्र आते हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत समितियों के, और कार्यक्रम कब तक शुरू करने का विचार है ?

उत्तर

(1) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम में क्षेत्रों का चयन एक निश्चित मापदण्ड के आधार पर भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसमें उन जिलों या खण्डों को लिया जाता है जो निरन्तर-भयंकर सूखा या अकाल के चपेट में रहते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने जो मापदण्ड तय कर रखा है उसमें 11 वर्षीय चक्र के अनुसार औसत वर्षा से वास्तविक वर्षा का विचलन, पिछले वर्षों में अकाल की चपेट में आये गांवों की संख्या तथा पिछले वर्षों में खेती पर लगान की छूट आदि आंकडे है। यह योजना राज्य के 10 पूर्ण जिलों जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर व बांसवाड़ा तथा 3 जिलों के 6 तहसीलों भीम, देवगढ, खोरवाड़ा (जिला-उदयपुर) ब्यावर (अजमेर जिला) व झुन्झुनूं तथा चिड़ावा (जिला-झुन्झुनूं) में चल रही है। इस वर्ष जिलेवार चालू कार्यक्रमों में समाविष्ट धनराशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

Page No 175

(173)

परिशिष्ट "अ"

सूखा सम्भावित क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में जिलेवार प्रस्तावित प्रावधान

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित प्रावधान 1980-81
1.	जोधपुर	139.32
2.	नागौर	124.31
3.	पाली	70.75
4.	जालौर	99.49
5.	बाड़मेर	128.34
6.	जैसलमेर	102.59
7.	बीकानेर	99.95
8.	चूरू	71.73
9.	बांसवाड़ा	137.22
10.	डूंगरपुर	142.42
11.	उदयपुर	43.45
12.	अजमेर	14.08
13.	झुंझुनूं	5.00
14.	परियोजना रचना प्रकोष्ठ	6.35
	कुल	1185.00

मंडी क्षेत्र के निर्माण कार्य मंडी समितियों द्वारा ही करवाया जाना

273. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जब से मंडी क्षेत्र के निर्माण कार्य कृषि विपणन बोर्ड से स्थानान्तरित किये गये हैं, तब से मंडी निर्माण कार्यों की प्रगति काफी कम रही है? क्या सरकार निर्माण कार्यों को पुनः मंडी समितियों के अधिकार क्षेत्र में लाने का कोई विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो मंडी समितियों के माध्यम से कार्य करवाने में क्या बाधायें हैं?

उत्तर

जी नहीं। निर्माण कार्य मण्डी समितियों से विपणन बोर्ड में स्थानान्तरित होने के बाद प्रगति कम नहीं रही है। निर्माण कार्यों को पुनः मण्डी समितियों के अधिकार क्षेत्र में लाने का अभी कोई विचार नहीं है क्योंकि बोर्ड के पास अब पूर्ण संगठित तकनिकी शाखा उपलब्ध है तथा निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्य एक ही ऐजेन्सी का दायित्व रहता है।

गढ़ा जसराजपुर में विस्थापित कॉलोनी एवं स्कूल आदि के निर्माण कार्य हेतु मेटिरियल

274. श्रीमती कमला (सागवाड़ा): क्या आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गलियाकोट के बोहरा विस्थापितों को लोहे एवं सीमेन्ट आपूर्ति के अभाव में गढ़ा जसराजपुर में विस्थापित कॉलोनी एवं स्कूल इत्यादि का निर्माण नहीं हो पा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि दाऊदी बोहरा समाज के लोग, रमजान के दिनों में सीमेंट एवं लोहे के लिये काफी दौड़धूप के बावजूद भी, निर्माण सामग्री प्राप्त नहीं कर सके हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त निर्माण सामग्री उन्हें उपलब्ध करवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) अभी तक 880 में. टन सीमेंट इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आवंटित किया जा चुका है। लोहे के आवंटन हेतु लघु उद्योग निगम को अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(2) भारत सरकार से प्राप्त सीमित आवंटन में से इनको आवश्यकता की पूर्ति की जाने की चेष्टा की जा रही है।

रतनगढ़ व चूरू में अकाल राहत शिविरों पर लूट-पाट

275. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 21 जून, 1980 को ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित रतनगढ़, चूरू के अकाल राहत शिविरों पर कुछ लोगों ने हमला किया व साढ़े सात हजार रुपया लूट कर ले गये व मारपीट की, जिसकी नामजद रिपोर्ट की गई?

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(2) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी.हां, इस प्रकार की रिपोर्ट की गई थी।

(2) अभियोग पंजीबद्ध होकर तफतीश पर लूटमार व बलवा करने का अपराध सिद्ध नहीं पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 323 ता. हि. दिनांक 24-7-80 को इस्तगासा प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

सामोद के महल

276. श्री तेजपाल (चौमूं)-क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामोद के ऐतिहासिक एवं विख्यात महलों का निर्माण कब किसने कराया ?

(2) क्या इन महलों को भूतपूर्व शासक द्वारा चलचित्रों की शूटिंग के लिये किराये पर दिया जाकर आय का साधन बनाया हुआ है जिसके कारण भवन के कुरूप और स्थापत्य कला के नष्ट होने की स्थिति पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में तथा राष्ट्रीय सम्पदा की सुरक्षा की दृष्टि में इन्हें अधिग्रहण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सामोद के भवन 16 वीं शताब्दी के अन्त या 17 वीं शताब्दी के पुर्वार्द्ध में राजा बिहारीदास नाथावत ने बनवाये और इनमें कालान्तर में भी निर्माण कार्य होते रहे।

(2) भूतपूर्व जागीरदार द्वारा महलों को शूटिंग पर किराये पर दिये जाने का मामला पुरातत्व एव संग्रहालय विभाग के ध्यान में नहीं आया है। सामोद के महलों में बायीं ओर अवस्थित दो मंजिला शीश महल को संरक्षित घोषित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। उक्त महलों को अधिग्रहण करने का राज्य सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

कस्बा सरमथुरा (बाड़ी) का विद्युतीकरण

277. श्री शिवसिंह (बाड़ी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत सरकार ने कस्वा सरमथुरा (बाड़ी) में बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो किस कारण अभी तक वहां विद्युतीकरण नहीं किया गया और अब कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, ग्राम सरमथुरा तहसील बसेड़ी का विद्युतीकरण माह जनवरी, 1980 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की पेयजल श्रेणी की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजना का कार्यकाल दो वर्ष का है। पहले वर्ष में 33 के. वी. लाइन खेंचना प्रस्तावित है। सब-स्टेशन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ही सरमथुरा का विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अजमेर नगर की सड़कें

278. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की प्रमुख सड़कों की आम हालत चिन्ताजनक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सड़क तथा नेशनल हाईवे सड़कों का खर्चा केन्द्र सरकार से भी लिया जा सकता है? यदि हां, तो उस मद से क्यों नहीं लिया गया ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभागीय सड़कों की आम हालत चिन्ताजनक नहीं है।

(2) जी नहीं, केवल नेशनल हाईवे सड़क का खर्चा केन्द्र से लिया जाता है ग्राम सड़कों पर राज्य सरकार के मद से धन आवंटन होता है ।

बाड़मेर शिव तहसील की रातडीभाक पेयजल योजना

279. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बाड़मेर जिले की शिव तहसील में रातड़ी-भाक पीने के पानी की योजना बनी थी ? यदि हां, तो वह क्रियान्वित क्यों नहीं हुई ?

(2) क्या यह सही है कि एक विशेष व्यक्ति के खेती के काम में लाने के लिए यह रातड़ी नलकूप योजना रद्द की गई है ? यदि हां, तो अब सरकार उस नल कूप से पीने के पानी की योजना को कब तक क्रियान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रातड़ी मोखाब अंक क्षेत्रीय जल योजना वर्ष 1977-78 में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी। इस योजना का स्रोत पूर्व में 250 नलकूप योजना के अन्तर्गत निर्मित रातड़ी नलकूप लिया गया था। पाइप लाइन का कार्य पूर्ण न होने के कारण योजना वर्ष 1979-80 में चालू नहीं की जा सकी।

(2) योजना रद्द नहीं की गई है। रातड़ी में स्थित दूसरे ट्यूब वैल से योजना को चलाने हेतु पाइप लाइन की टेस्टिंग की जा रही है। तथा शीघ्र ही पूरी योजना में पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा।

भवानी मंडी में एस. डी. एम. कोर्ट की स्थापना

280. श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या झालावाड़ जिले के भवानी मंडी शहर में एस. डी. एम. कोर्ट है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां एस. डी. एम. कोर्ट खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं, भवानी मंडी शहर में एस. डी. एम. कोर्ट नहीं है। भवानी मंडी शहर में एस. डी. एम. कोर्ट खोलने का कोई प्रस्ताव, राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

किसानो को फ्लेट रेट पर बिजली देना

281. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार किसानों को फ्लेट रेट पर उपलब्ध विद्युत् योजना को बंद करने का विचार कर रही है।

(2) इस समय राज्य में फ्लेट रेट हेतु कितने आवेदन विचाराधीन हैं और इन्हें कब तक फ्लेट रेट पर विद्युत् उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपलब्ध सूचनानुसार लगभग 433 ऐसे आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। नियमानुसार अगले वर्ष के फ्लेट रेट लेने वाले जो भी सही आवेदन प्राप्त होंगे उनको 1-1-1981 से फ्लेट रेट दिया जा सकेगा।

जोधपुर नगर में विद्युत् व्यवस्था में सुधार

282. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में आये दिन घंटों तक बिजली गायब रहती है तथा वोल्टेज भी बराबर नहीं मिलते ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? शहर में अब बिजली की अव्यवस्था का समाधान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

इस वर्ष बिजली की उपलब्धि में अप्रत्याशित कमी के कारण समूचे राज्य को बिजली के संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में बिजली के उपभोग में कटौती के कारण जोधपुर व राज्य के अन्य शहरों को भी कभी कभी कुछ घंटों के लिए बिजली से वंचित रहना पड़ा तथा वोल्टेज में भी उतार चढ़ाव रहा। मुख्यतया जब राजस्थान अणु बिजली घर से उत्पादन बंद हो जाता है तब तक बिजली के वितरणों में कटौती करनी पड़ती है। इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है। अणु-बिजली घर से जब बिजली नियमित रूप से मिलती है तो जोधपुर में भी बिजली की स्थिति सामान्य ही रहती है।

नगर परिषद्, अजमेर में पदस्थापित आई. ए. एस. अधिकारी

282. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :
श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):—
क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, अजमेर में मई, 1972 से मई, 1980 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किन किन अधिकारियों को किस तिथि से कब तक किस पद पर पदस्थापित किया गया ?

(2) नगर परिषद्, अजमेर के किस अधिकारी को वरिष्ठ वेतन शृंखला में पदोन्नत करके उप सचिव राजस्व (सीलिंग) के पद पर पदस्थापित किया गया ? इनकी पदस्थापन तिथि क्या थी ?

(178)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(श्री हरीश शर्मा)

(3) उक्त उप सचिव की सेवा निवृत्ति की तिथि क्या थी ? क्या इस अधिकारी को सेवा निवृत्ति के बाद भी राज्य सेवा में रखा गया ? यदि हां, तो कितने दिन का सेवा काल बढ़ाया गया ? यह सेवा काल वृद्धि किस नियम के अन्तर्गत थी और क्यों आवश्यक समझी गई ?

(4) इस अधिकारी के द्वारा सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितने मामले निर्णीत किये गये ? निर्णीत मामलों में खारिज किये जाने वाले मामलों की कितनी संख्या है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् अजमेर में मई 77 से मई 80 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया। राज. प्रशासनिक सेवा के निम्न अधिकारी प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर के पद पर पदस्थापित रहे—

1. श्री नरेन्द्र कुमार भार्गव
   19–12–76 से 19–6–78
2. श्री श्रीनारायण शर्मा
   30–6–76 से 30–11–79
3. श्री संतोष कुमार शर्मा
   13–12–79 से निरन्तर

(2) नगर परिषद, अजमेर के किसी अधिकारी को वरिष्ठ वेतन शृंखला में पदोन्नत करके उप सचिव राजस्व (सीलिंग) के पद पर पदस्थापित नहीं किया गया बल्कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के श्रीनारायण शर्मा जो 30–6–78 से 30–11–79 तक प्रशासक, नगर परिषद, अजमेर के पद पर रहे को राज. प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन शृंखला में पदोन्नति दी गई तथा उसी पद पर (अपग्रेडेड पद पर) पदस्थापित किया गया। तत्पश्चात् उन्हें आदेश दिनांक 23-11-79 द्वारा उप सचिव, राजस्व (सीलिंग) के पद पर पदस्थापित किया गया। इनके उप शासन सचिव पद पर पदस्थापन आदेश की तिथि 23–11–79 थी और उन्होंने पद का कार्यभार दिनांक 30-11-79 (उपरान्त) में ग्रहण किया।

(3) श्री श्रीनारायण शर्मा की सेवानिवृत्ति तिथि 31-12-79 थी इन्हें सेवा निवृत्ति के बाद राज्य सेवा में नहीं रखा गया अत: सेवाकाल किन्हीं भी नियमों के तहत बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) श्री श्रीनारायण शर्मा के सेवानिवृत्ति पर प्रस्थापन करने से पूर्व मास दिसम्बर, 79 में कुल 4 मामले निर्णीत (रीओपन) किये। जिन्हें निर्णय के बाद जिलाधीश को जांच हेतु भिजवा दिया गया। अत: निर्णीत मामलों में कोई मामला खारिज नहीं किया गया।

झुन्झुनूं से उदयपुरवाटी सड़क का निर्माण

284. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि झुन्झुनूं से उदयपुरवाटी तक सड़क निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं,

झुन्झुनूं से उदयपुर वाटी सड़क पूर्ण रूप से डामर सड़क है इसलिए यह योजना क्रियान्वित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(79)

परिशिष्ट–2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 238 की सूची)

सूची (अ)

1. बुध योजना सड़क :—

(1) निर्माण कार्य-भेड़ मेड़ता (कुचेरा-खडवाह)
(2) निर्माण कार्य रोड़ु से मेड़ता सिटी
(3) निर्माण कार्य बड़ीयारी मार्ग
(4) निर्माण कार्य गगराना फालमी मार्ग
(5) निर्माण कार्य भेड़ मार्ग

2. ग्रामीण सम्पर्क सड़कें :—

(1) नागौर चण्डी सड़क मेट वाया थावडिया तक सम्पर्क सड़क

3. कृषि उपज मण्डी सड़कें :—

(1) मण्डावा गांव गोशाला पंजाबी बाग की प्याऊ मण्डावा
(2) बस स्टेण्ड किरेरा वर्धी बाजार से लड़कियों की स्कूल

4. खान सड़कें :—

(1) रावत डूंगरी से मातावर खान तक सड़क निर्माण
(2) बोरावड़ से बोरावड़ खान क्षेत्र-मकराना सड़क निर्माण
(3) पिकरेज एवं चकडूंगरी के बीच बोरावड़ तक मुख्य सड़क का निर्माण
(4) मकराना–विडियाद सड़क पर मरम्मत कार्य
(5) मकराना से गुनावाटी सड़क पर सुधार कार्य
(6) मकराना बिड़ियाद सड़क का सुधार
(7) मकराना से रावत डूंगरी सड़क की मरम्मत
(8) मकराना से गुनावाटी सड़क की मरम्मत

5. 537 स्टेट प्लान :—

(1) गांव सांभर रोड़ कि. मी. 33 में डाल्सी नदी पर पुल निर्माण
(2) रघु गेट से विश्व भारती, लाडनूं तक डामर सड़क का निर्माण

6. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :—

(1) मकराना से बडसू सड़क का निर्माण
(2) लाडनूं में निम्बी जोधा सड़क का निर्माण
(3) मेड़ता सिटी से पीपाड़ सिटी सड़क का निर्माण
(4) रीजोद तक वाया गियावला सड़क निर्माण
(5) डामर सड़क का कार्य दाऊ से भरपुरा
(6) डेगाना से रड़का तक सड़क का निर्माण
(7) बिनतोका से खोरची तक डामर सड़क का निर्माण

सूची (व)

अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सूची

1. धोलपुर से फलोदी वाया सांभर नावां नरायनपुर, मंगलाना, मकराना, बोरावर खाटू तरनाऊ, नागोर, मंगालाऊ चडी (राज मार्ग–2) (सांभर से चडी भाग)
2. वान्तीवाड़ा से परबतसर राजमार्ग 21 (परबतसर हरसोर भेंवदा मेड़ता सिटी पीपाड सिटी)
3. जैतारण से मेडता सिटी वाया डेगाना तरनुआ डीडवाना, लोसल (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ 24)
4. मेड़ता, रुन बजवाना, मुन्डा (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड़ 5) (रुन से खानूवाना)
5. आसोप लखवास मुन्डवा सड़क
6. नागोर, देह, सुरपालिया देह तक (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड़ 3)
7. निम्बी जोधा से सुरपालिया
8. खजवाना, कुचेरा, सन्जूखाटू (अदर डिस्ट्रिक्ट रोड़)
9. किरसा, अकला, बरेवल, माधपुर डेकू, सन्तवास नोखा सड़क (जिला सीमा तक)

ग्रामीण सड़कें

1. कौलिया से खुनखुना सकड़ (एप्रोच मण्डी सड़क)
2. डेगाना से हरसोरा (तहसील एवं पंचायत समिति सड़क)

रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क सड़कों की सूची

3. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन खजवाना
4. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन अलाई
5. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन धिल्लों से छिल्लों बाबाजी

6. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन शामदास से जोगीमगरा रेलवे स्टेशन
7. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन परबा से पंखा रेलवे स्टेशन
8. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन जलसू से जलसू रेलवे स्टेशन
9. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन खेड़ली से खेड़ली स्टेशन
10. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन मीठड़ी रेलवे स्टेशन तक
11. एप्रोच रोड़ रेलवे स्टेशन सन्तराड़ रेलवे स्टेशन से गांव तक

सामाजिक एवं धार्मिक मण्डल की सड़कें

1. एप्रोच रोड़ नागौर जोधपुर सड़क से श्री बालाजी तक
2. एप्रोच रोड़ मेड़ता जेतारण सड़क से भामत माताजी तक
3. चाऊ छोरया सड़क

पिछड़ी जातियों हेतु सड़क

1. नागौर से बरली सड़क

औद्योगिक क्षेत्रीय सड़क

1. एप्रोच रोड़ बिड़माड परबतसर सड़क

नगर पालिका एवं शहरी सड़कें (सुधार)

1. नागौर बीकानेर सड़क बाईपास
2. नगरपालिका नागौर में सड़क सुधार
3. नगरपालिका मेड़ता में सड़क सुधार
4. नगरपालिका कुचामन सिटी में सड़क सुधार

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची)

राजकीय लक्ष्मीनाथ संस्कृत विद्यालय, चौथमाही में स्टाफ, छात्र संख्या एवं प्रवेशिका में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या

1. कार्यरत स्टॉफ

(1) प्रधानाध्यापक	1
(2) द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक	5
(3) तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक	7
(4) कनिष्ठ लिपिक	1
(5) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
(6) पार्ट टाइम	1

2. कुल छात्र संख्या :—

वर्ष 80–81 474

3. प्रवेशिका में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या	प्रवेशिका		
	कक्षा 9	कक्षा 10	कुल 19
(1) गत वर्ष 79–80	19	16	35
(2) इस वर्ष 80–81	26	25	51

183

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 245 की सूची)

परिशिष्ट "क"

ग्राम पंचायत बामनवास पट्टीकलां को निर्माण कार्यों के लिये दिये गये खाद्यान्न एवं नकद राशि का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	खाद्यान्न की मात्रा (क्वि. में)	दिनांक	नकद राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	19-10-78	8.9.000	23-1-80	1000.00	
2.	15-12-78	102.14.000	28-2-80	1000.00	
3.	8-12-78	101.58.200	13-3-80	9650.00	
4.	23-12-78	204.74.000	2-4-80	1116.20	
5.	30-12-78	200.72.700	7-4-80	11261.00	
6.	2-1-79	48.52.000	7-4-80	2458.00	
7.	19-2-80	299.72.500		26,485.20	
8.	27-3-79	201.42.000		93,460.00	—जिला कार्यालय से
9.	1-8-79	88.83.700		--------	कृषि उपज मंडी
10.	12-10-79	101.73.900		1,19,945.20	समिति मद से दिया
11.	18-10-79	100.84.000			गया।
12.	17-12-79	50.96.100			
13.	1-2-80	101.64.500			
14.	20-3-80	101.19.500			
15.	21-3-80	202.67.000			
16.	21-5-80	100.45.100			
17.	12-6-80	101.59.200			
18.	23-7-80	79.44.500			
		2256.32.200			

Page No 186

परिशिष्ट-क

ग्राम पंचायत बामनवास पट्टी कलां द्वारा निर्माण कराये गये कार्यों का विवरण मय खर्चे के

क. सं.	नाम कार्य	व्यय खाद्यान्न (क्वि. में)	नकद राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	तालाब बदडा	49-08-000	-	
2.	तलाई रूघ मलैठकी	34-57-500	-	
3.	रास्ता पटाव केदार प्रसाद गुप्ता से सावल्या तक	13-66-050	500.00	
4.	रास्ता पटाव आनन्दी लाल महाजन से बाबूलाल शर्मा तक	38-80-000	4000.00	
5.	पटाव आनन्दी लाल महाजन से रामबिलास पसारी तक	42-81-000	4000.00	
6.	पटाव बाबूलाल स्वर्णकार से रामधन कण्डेरा तक	20-92-500	1575.00	
7.	रास्ता पटाव हटीला मीना से राधा किशन तक	82-60-000	1200.00	
8.	रास्ता पटाव ख्याली पटेल से हथाई तक	20-92-500	1400.00	
9.	रास्ता पटाव बाबूलाल शर्मा से अमाम चौक तक	59-10-800	5050.00	
10.	रास्ता पटाव कोलियो से हरकेश मीना तक	36-25-500	3500.00	
11.	रास्ता पटाव कुंजीलाल विधायक पाडा	16-72-000	2500.00	
12.	रास्ता पटाव लोहड्या	35-15-000	3500.00	
13.	रास्ता पटाव मालियान	46-24-000	3900.00	
14.	रास्ता पटाव प्यारेलाल की गली से	58-52-000	4200.00	
15.	रास्ता पटाव मूलचन्द मीना से हटीला मीना तक	34-37-000	3000.00	
16.	रास्ता पटाव बागरिया दरवाजे से	51-77-500	4000.00	

1	2	3	4	5
17.	रास्ता पटाव भजनलाल से प्यारेलाल की गली तक	43-80-000	3500.00	
18.	प्रा. शाला पट्टी कलां	16-66-900	1500.00	
19.	तालाब रानीला सार्वजनिक	32-00-000	–	
20.	तालाब भादरावाला मापया	41-65-000	–	
21.	तालाब खाती वाली	33-55-000	–	
22.	तालाव भादरा माडेया से आमली कुआ तक	18-50-000	–	
23.	तालाब भादरा माला के भेरा से माडेया तक	15-00-000	–	
24.	तालाब दूदा वाला सार्वजनिक	31-67-600	–	
25.	रास्ता पटाव इमाम चौक से गोपीचन्द जैन मूलचन्द मीना	99-48-800	126-53.00	
26.	रास्ता पटाव मूलचन्द शर्मा से छाजूलाल नाई तक	36-08-000	3570.00	
27.	तालाव सार्वजनिक महापाडा	28-80-000	–	
28.	सार्वजनिक तालाव ढण्ड	24-00-000	–	
29.	सार्वजनिक ताल व कुशल सागर	33-80-080	–	
30.	तलाई वेरवान चरागाह देह	18-00-000	–	
31.	लिन्क रोड पट्टीकला डूंगरी वाला	117-00-000	–	
32.	सार्वजनिक तालाव डडेलोबा	28-80-000	–	
33.	तलाई मलेठकी चरागाह देह	58-80-000	–	
34.	तालाब सलेदीवाला	21-60-000	–	
35.	प्राथमिक शाला पट्टीकलां बामनवास	56-99-000	8217.75	
36.	पंचायत भवन	196-79-350	31756.56	
37.	निर्माण कूप चरागाह देह	59-23-000	6354.44	
38.	निर्माण कार्य पुलिया डूंगरी रोड	6-20-000	4475.20	
	योग ;	1587-13-980	114961-95	

(186)

ग्राम पंचायत जाहुरा द्वारा निर्माण कराये गये कार्यों का विवरण मय खर्च के

क्र.सं.	नाम कार्य	व्यय		विशेष विवरण
		खाद्यान्न (क्वि. में)	नकद राशि	
1	कूप मरम्मत भरना जाहुरा	13-61-250	3471.75	
2.	कूप मरम्मत टुडीला	10-06-350	435.00	
3.	कूप मरम्मत हाव वाला	31-57-200	2168.10	
4.	नवीन पंचायत भवन	69-12-150	15368.43	
5.	कच्ची सड़क मुख्य सड़क से गांव तक	77-76-300	--	
6.	पंचायत हताई	9-98-800	1764.00	
7.	रास्ता कीरतपुरा कूप	8-98-000	4100.00	
8.	रास्ता दुरुस्ती जाहुरा	22-72-000	2490.00	
9.	नवीन मवेशी खाना	19-90-000	3010.00	
10.	खरन्जा तालाब से सोनी की गली तक	42-20-750	--	
11.	टोडा टुडिला का रास्ता	49-11-000	--	
12.	प्रा. वि. टोडा	45-18-300	7202.25	
13.	प्रा. वि. टुडिला	58-67-175	7179.07	
14.	प्रा. वि. कीरतपुरा	--	600.00	
15.	लिन्क रोड जाहुरा 700 मीटर	58-22-550	12903.00	
16.	कीरतपुरा कूप के रास्ते पर खरंजा	23-06-625	1575.00	
17.	रास्ता पुजारी से कुम्हा से छापरा	49-32-000	--	
		589-65-950	62266.60	

परिशिष्ट-ख-5

ग्राम पंचायत जाहरा को निर्माण कार्यों के लिए दिये गये खाद्यान एवं नकद राशि का विवरण ।

क्र. मं.	दिनांक	खाद्यान्न	दिनांक	नकद राशि पंचायत समिति द्वारा दी गई	विशेष विवरण
1.	17-10-78	7-08-000	11-2-80	500.00	
2.	13-2-80	25-50-000	26-2-80	1000.00	
3.	29-12-78	45-95-500	2-4-80	487.00	
4.	13-2-79	148-50-000	योग :	1987.90	
5.	29-3-79	92-46-000		27137.00	जिला कार्यालय से कृषि उपज मण्डी समिति मद से दिया गया है ।
6.	17-10-79	50-35-400		29124.00	
7.	1-1-80	30 25-400			
8.	27-2-80	61-08-200			
9.	21-3-80	101-41-100			
10.	31-3-80	50-72-300			
11.	21-5-80	49-67-000			
		662-98-000			

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

दिनांक 1-4-80 से रेक्टीफाइड स्प्रिट के अब तक जारी किये गये अनुज्ञाधारियों एवं उनको आवंटित प्रामव की तालिका ।

क्र. सं.	राजकीय संस्थान का नाम	स्थान	रेक्टीफाइड स्प्रिट की आवंटित मात्रा	वि. वि.
1.	भू-सर्वेक्षण अधिकारी	जोधपुर	50 लीटर	
2.	रोग अनुसंधान अधिकारी (भेड़ बकरी)	जोधपुर	25 लीटर	
3.	मेडिकल आफीसर हैल्थ सेन्टर यूनिवर्सिटी	जोधपुर	25 लीटर	
4.	अधीक्षक रेलवे उत्तरी	जोधपुर	100 लीटर	
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	झुंझुनू	400 लीटर	
6.	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी बी. डी. एम. चिकित्सालय कोटपुतली	कोटपुतली	200 लीटर	
7.	उपनिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (लिडी)	जयपुर	300 लीटर	
8.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. स.)	जालौर	96 लीटर	
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	ब्यावर	1000 लीटर	
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	उदयपुर	20 लीटर	
	प्राईवेट संस्थान			
11.	कनवल बाई क्लिनीक	जयपुर	10 लीटर	
12.	डा. शंकरलाल मेमोरियल होस्पीटल	बीकानेर	1 लीटर	
	प्राईवेट अनुज्ञाधारियों का विवरण			
13.	बाबूलाल अम्बालाल टांक	जयपुर	1000 लीटर	
14.	सोहनलाल भवरलाल टांक	अजमेर	1000 लीटर	
15.	छगन गोबीराम गंगवानी	जोधपुर	1000 लीटर	
		योग:-	5227	

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 254 का आदेश)

मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, जोधपुर के आदेश क्रमांक एफ. 1 (13) (17) स्थापना/80/1689, दिनांक 17-7-80 के द्वारा तदर्थ रूप में नियुक्त तकनीकी सहायक (भू-जल विज्ञान) जिनकी सेवाएं समाप्त की गई उनकी सूची।

क्र. सं.	नाम	कार्यालय का नाम	तदर्थ नियुक्ति तथा कार्यभार संभालने की दिनां
1	2	3	4
1.	श्री नरेश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, अलवर।	5-1-79
2.	श्री विष्णु शंकर पालीवाल	परियोजना अधिकारी, डी.पी.ए.पी. भू-जल विभाग, पाली।	8-1-79
3.	श्री नथमल शर्मा	अधीक्षक भू-जल वैज्ञानिक, (सी. एस. एस.) भू-जल विभाग, जोधपुर।	5-1-79
4.	श्री हरी नारायण जांगिड़	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, सीकर।	8-1-79
5.	श्री राम प्रसाद शर्मा	अधीक्षक भू-जल वैज्ञानिक, (सी.एस.एस.), भू-जल विभाग, जोधपुर।	19-1-79
6.	श्री सीताराम शर्मा	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान; भू-जल विभाग, जैसलमेर।	8-5-79
7.	श्री गिरीश जेठी	"	1-6-79
8.	श्री राम देवसिंह ज्यानि	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, अलवर।	4-6-79
9.	श्री अशोक प्रकाश माथुर	निदेशक (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान) (लूनी बेसिन) भू-जल विभाग, जोधपुर।	6-8-79

1	2	3	4
10.	श्री पी. के. शहनगाल	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, अजमेर।	24-8-79
11.	श्री लक्ष्मीनारायण माथुर	वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, भू-जल विभाग, बाड़मेर	13-8-79

(10)

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–5) विभाग
(विशिष्ठ–योजनाएँ)

क्रमांक : प. 13 (29) कृषि/5/79 . जयपुर, दिनांक 22 अप्रेल, 1980

आदेश

भू-जल विभाग के प्रशासन में मितव्ययता लाने एवं परिहार्य व्यय को समाप्त करने के दृष्टिकोण से गठित समिति के निर्णय दिनांक 14-11-79 एवं वित्त (आय-व्यय) विभाग के प्र.शा.टीप संख्या 9 (5) वित्त–1/प्र.व्यय/79 दिनांक 22-4-80 के परिपालन में निम्न आदेश प्रसारित किए जाते हैं, जो तुरन्त प्रभावशील होंगे :—

1. परियोजना निदेशक, भू-जल जोधपुर के सम्पूर्ण आर्गेनाइजेशन को (अराजपत्रित एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों सहित) समाप्त किया जाता है।

2. जिलों में कार्यरत 6 परियोजना अधिकारियों के पदों को समाप्त किया जाता है तथा इनके स्थान पर तीन अधिशासी अभियन्ताओं के पदों का सृजन तुरन्त प्रभाव से नियमित वेतन श्रृंखला में किया जाता है।

3. भविष्य में ऋणों के प्रार्थना-पत्रों के संबंधित व ऋण स्वीकृति का कार्य जिला विकास अभिकरण करेंगे।

आज्ञा से,
(रमाकान्त)
विशिष्ठ शासन सचिव।

(192)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के निर्देशों की प्रति)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक एफ./यात्ता/मु./शिका./1/77/451 दिनांक 21-5-80

परिपत्र

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है तथा बार बार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि परिचालक अड्डा परिचालक और बुकिंग कार्यालयों पर यात्रियों को शिकायत पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है। शिकायत पुस्तक यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए बार बार निर्देश दिये जा चुके है। परन्तु उन आदेशों की पालना नहीं हो रही है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि शिकायत पुस्तक यात्रियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे और परिपत्र 482 दिनांक 4-6-77 के अनुसार शिकायतों का विवरण मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा जिस कर्मचारी के विरुद्ध भी शिकायत पुस्तक उपलब्ध न कराने की प्राप्त हो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

ह.

उप प्रधान प्रबन्धक (यात्ता.)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक एफ।याता।मु।19।शिका।77-482 दिनांक 4 जून, 1977

परिपत्र

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परिचालकों / आगार कार्यालयों पर जो शिकायत पुस्तिकाएं उपलब्ध करायी गई हैं, उन पर पूर्णरूप से कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में आगार प्रबन्धक। सहायक आगार प्रबन्धक आगार प्रभारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि शिकायत पुस्तिकाओं में प्राप्त शिकायतों की जांच कर उन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए शिकायत कर्ता को एक सप्ताह के भीतर सूचित कर देना चाहिये तथा संभाग प्रबन्धकों का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक माह शिकायतों का निरीक्षण करें तथा पालना रिपोर्ट निम्न प्रफोर्मा में इस कार्यालय को भिजवावें :-

क्र.सं.	शिकायत कर्ता का नाम मय पता	किस के विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत का विवरण मय दिनांक	शिकायत पर कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5

शिकायत कर्ता को दिए गये जवाब का क्रमांक व दिनांक मय संक्षिप्त विवरण।	संभाग प्रबन्धक द्वारा निरीक्षण करने का दिनांक
6	7

ह.
उप प्रधान प्रबन्धक (याता.)

क्रमांक एफ/मु./याता/19/शिका./77/482 दिनांक 4 जून, 1977

प्रतिलिपि।- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा.रा.प.प. निगम, जयपुर।
2. संभाग प्रबन्धक/सहायक संभाग प्रबन्धक/रा.रा.प.प. निगम, जयपुर (पूर्व) (पश्चिम) कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/झालावाड/भरतपुर/नगर वाहन सेवा जयपुर।
3. आगार प्रबन्धक/सहायक आगार प्रबन्धक/(प्रभारी) आगार प्रभारी, रा.रा.प.प. निगम..........।
4. सचिव/अध्यक्ष, निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, महा प्रबन्धक/प्रति. महा प्रबन्धक।
5. नोटिस बोर्ड/आदेश पत्रावली।

ह.
उप प्रधान प्रबन्धक (याता.)।

(194)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची)

सूची तहसीलवार बकाया नामान्तरकरण जो पटवारियान द्वारा खोल दिये गये हैं किन्तु तस्दीक नहीं हुये हैं जिला कोटा

क्र.सं.	नाम तहसील	नामान्तरण जो तस्दीक से बाकी है।
1	2	3
1.	लाडपुरा	325
2.	दीगोद	155
3.	पीपल्दा	323
4.	इन्द्रगढ़	20
5.	बारां	35
6.	मांगरोल	46
7.	शाहबाद	85
8.	किशनगंज	79
9.	अन्ता	16
10.	छबड़ा	75
11.	अटरू	64
12.	छीपा बड़ोद	12
13.	सांगोद	170
14.	रामगंज मण्डी	94
		1499

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 257 का विवरण)

INDRANI IRRIGATION PROJECT

Sub Tehsil : Indergarh District: Kota.

S.No.	Name of Owner	Khasra No.	Area in Bigha	Quality of land	Remarks
1	2	3	4	5	6
	Village : Chatterpura Sub Tehsil : Indergarh, Kota.				
1.	Abdul Gafoor, Abdul Sakoor, Abdul Gaffar, Abdul Samad S/o Nadirshah of Indergarh Mohemedan.	419	15.00	Utar (3)	
2.	Ram Narain Peria S/o Shanker Mali of Chatterpura.	421	0.09	Chahi IV	
		423/1	2.13	Chahi III	
		423/2	2.04	Chahi 4	
		424	0.06	Cell(uncultureable)	
		425/1	1.06	Chahi 4 Bagicha	
		5 Nos.	6.18	Amrood 150, Mango 4	
3.	Jagan Nath Tej Mal S/o Seeta Ram & Motia widow of Sita Ram, Caste Mali	422/2	0.06	Utar 3	
4.	Ramcharn Das S/o Chater Das Bairagi of Indergarh	423/3	1.10	Chahi 4	
			0.17	Utar 3	
		1 No.	2.07		
5.	Modulal S/o Laxmi Ram Mali of Chatterpura.	426	4.18	Utar 3	
			0.02	well (uncultureable)	
		1No.	5.		
6.	Sakia widow of Ghasi & Mariam w/o Nasir Khan Mohamdan of Indergarh	427	6.11	Chahi (4)	
		4250	8.02	Utar (3)	
		427/501	0.03	Well (uncultureable)	
		427/502	3.18	Utar (3)	
		427/503	1.13	Chahi (3)	
		5 Nos.	20.03	Chahi 8.04 Utar 12.00 well 8.03	
		Total	120.07		

1	2	3	4	5	6
BAGICHA					
Nimbu - 15, Amrood -5, Bor - 2.22					
7. Bhanwarlal S/o Ram Narain Mali of Chatterpura,		428 428/504	2.03 1.17 0.03	Utar (3) Chahi 5.16(4) U.C.	Gahgicha Chahi2.03 Utar
Trees		429 430 431	2.14 0.14 1.05	Chahi(4) Chahi(4)	Uncultureable 0.06
Mango	16				
Amrood	200				
Amla	2	5Nos.	8.05		8.05
Jamun	15				
Bor	16				
Papita	500				
Sitafal	200			1 Well pucka 2 Houses pucka 2 Temple pucca Pucca Boundry wall	
Rani	1				
8. Gopal S/o Bhura Mali of village		432 -432/509	7.02 4.05	Uttar (3) „	
		2 Nos.	11.07		
Baghicha Papita Nimbu Amrood					
9. Bhura S/o Nathu Mali of village		432 508 432/509	0.03 15.00	Well uncultureable Uttar(3)	 Utar 15.0 Well U.C. 0.3
Baghicha					
			15.03		15.03
		Total land	92.13 Bigha.		

INDRANI IRRIGATION PROJECT SUB TEHSIL INDRAGARH DISTT. KOTA

S.No.	Name of Owner	Khasra No.	Area in Bigha	Quality of land	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Village Kotdi Nenva Distt. Bundi				
1.	Kastura, Gyrasis S/o Laxman Mali of Chatter Pura	10	4-08	Banjad	
		10	1-12	Barani (4)	
		159			
		11	14-01	,,	
		12	3-01	Banjad	Banjad-10-02
1.	New Pukka well	13	2-01	,,	—
		14	0-11	,,	Barani-16-04
		6 Nos.	26.06		
				Baranj	Total . 26.06
2.	Kalyan S/o Bhura Giyar of village Kotdi.	12			
		136	15-17	Barani	
		55	2-13	Chahi	
		57	1-11	Barani	
		60	0-02	Well (U. C.)	
		61	2-10	Chahi	
		61	2-14	,,	Barani 22.13
		150			Chahi 11.07
	Pukka Well	61	1-02	,,	U.C. well 0.02
		151			Total 34.02
		61	1-08	,,	
		152			
		111	5-05	Barani	
		9 Nos.	34.02		
3.	Chatra S/o Chanda Gujer of Village Kotdi.	17	10.10	Barani	
		17	1-05	Barani	
		135			
		19	0-04	Well U.C.	
		21	5-15	Chahi (3)	
		21	4-19	,,	Barani 11.15
		137			Chahi 13.12
		21	2-18	,,	well 0.04
		138			Total 25.11
		6 Nos.	25.11		
4.	Birdhilal S/o Nathulal Mali of Chatterpura	22	3.08	Chahi (well	3.08
		23	11.09	Barani	Baranr 11.09
	1 Puckka well	2 Nos.	14.17		
					Total 14.17

1	2	3	4	5	6
5.	Shola S/o Shri Ram Mali of Chatter Pura	24	2-10	Barani	
		25	1-16	Chahi	
		25/139	0-19	,,	
		25	0-02	well (U.C.)	
		140			Chahi 5-02
		25	0-11		Barani 8-14
		141			Barani well U.C. 0-02
		26	1-13		
		27	4-00		
		27/142	2-06	Chahi	
		29	5-11	Banjad	
		9 Nos.	19.08		Total 19-08
6.	Choth Mal S/o Gordhan Mali	30	0.17	Banjad	
7.	Kana S/o Dalu Mali of Chatter Pura	32	1-08	Barani 1	
		36	1-14	,,	
		36/143	1-09	,,	
		36/144	1-08	Chahi	
		37	2-10	Barani	
		37/145	2-10	Chahi	
1.	Well	37/146	1-07	Chahi	
		37/147	1-14	Barani	
		38	1-05	Barani	Barani 8.11
		38/148	1-02		Chahi 5-02
				Well (U.C.)	Well 0-02
		38/149	0-07	Chahi	13-15
		11Nos.	13-15		
8.	Bheru S/o Moti Gujar of Village Kotdi.	9/4	7-00	Banjad	Well Pukka
		40	3-18	Barani	
		120	10-00	Banjad	Total 20-18
		4	20-18		
		3 Nos.			
9.	Nanga S/o Nathu Mali of Chatter Pura	43	1-08	Banjad	Banjad 1-08
		52	0-06	Well	Barani 2-19
		53	1-18	Chahi	Chahi 5-10
		54	1-13	,,	Well U.C. 0-06
		58	2-19	Barani	Total 10-03
		59	1-19	Chahi	
		7 Nos.	10-03		

199

1	2	3	4	5	6
10.	Parbhu, Gobra, Hazari S/o Hira Mali of village Kotdi	62	2-03	Barani	
		73	4.00	,,	Barani 6.03
		74	0.05	Well	Well 0.05
		3 Nos.	6.08		Total 6.08
11.	Bhwana S/o Shri Ram Khori of village Kotdi	70	1.12	Barani	Barani 5.10
		71	3.18	,,	
		72	0.04	(U.C. pit)	U.C. 0.04
					Total 5.14
12.	Kalu S/o Girdhari Gujar of Kotdi	113	3.06	Barani	
13.	Bhanwar Lal S/o Kalu Gujar of Kotdi	116			
		116/153			
		116/154	2.08	Chahi	
		116/155	0.02	Well	Chahi 10.06
		116/156	1.08	Chahi	Barani 3.15
					Well 0.02
					Total 14.03
		116/157	1.15	,,	
		116/158	2.55	,,	
		7 Nos.	14.03		
14.	Nenga S/o Moti Gujar of Kotdi	56	1.15	Banjad	
		65	1.17	,,	
		66	2.01	Barani	
		67	0.02	Well	
		68	2.01	Barani	
		69	6.12	Barani	
		6 Nos.		Total	14.08
15.	Gulaba S/o Kalu Gujar of Kotdi	120/1	8.00	Banjad	
16.	Lalu S/o Mangilal Rawai of Kota	120/2	5.00	,,	
17.	Ratna S/o Peeru Gujar of Kotdi	120/2	5.00	,,	
18.	Nathu S/o Shri Heera Gujar of Kotdi	121/1	5.00	,,	

Page No 202

(२०२)

1	2	3	4	5	6
19.	Latur S/o Chatra Gujar	121/2	8.00	Banjad	
20.	Prabhu S/o Heera Gujar of Kotdi	121/3	5.00	"	
21.	Ram Nath S/o Kalu Gujar of Kotdi	121/5	7.00	"	
22.	Devilal S/o Kalyan Gujar of Kotdi	9/1	15.00	"	
23.	Bansilal S/o Shola Mali of Kotdi	9/2	7.00	"	
24.	Mulchand S/o Shola Gujar of Kotdi	9/3	6.00	"	
25.	Choth Mal S/o Choru Gujar of Kotdi	9/5	10.00	"	
26.	Suresh Chand Kalar of Lakheri	9/6	15.00	"	
		8	50.00	Banjad 306.06	

(201)

ABSTRACT SHOWING DETAIL OF LAND COMING IN SUBMERGENCE OF KOTDI

Tehsil : Nenva, District : Bundi.

Private Land — 306.06

1. Mathuralal & Laxmi Narain S/o Ganesh Mali of Kemla	11	0.11	Barani

Total Land of Kemla

	Barani	*Tatal*
Private	0.11	0.11

ABSTRACT OF LAND COMING IN SUBMERGENCE PLAN OF INDRANI PROJECT

	Private	*Total*
1. Chatterpura Sub Teh. Indergarh	92.13	92.13
2. Kotdi of Nenva Distt. Bundi	306.06	306.06
3. Village *Kemla* of Nenva, Distt. Bundi	0.11	0.11
		399.10 Bighas

(202)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची)

सूची "क"

चित्तौडगढ़ जिले के नगरों की सूची जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध है:-

क्र. सं.	नगर का नाम	विशेष विवरण
1.	चित्तौड़गढ़	पाइप्ड जल योजना
2.	कपासन	,,
3.	निम्बाहेडा	,,
4.	छोटी सादड़ी	,,
5.	बड़ी सादड़ी	,,
6.	प्रतापगढ़	,,

जिला चित्तौडगढ़ के तहसीलवार गांवों की संख्या जहां पेयजल उपलब्ध है

क्र. सं.	तहसील का नाम	पेयजल से लाभान्वित गांव
1.	राशमी	25
2.	गंगरार	13
3.	बेगूं	12
4.	चित्तौड़गढ़	12
5.	कपासन	18
6.	भदेसर	8
7.	निम्बाहेड़ा	13
8.	छोटी सादड़ी	9
9.	बड़ी सादड़ी	8
10.	डूंगला	5
11.	प्रतापगढ़	25
		148

सूची "ख"

तहसीलवार ग्रामों की सूची जहां पेयजल सुविधा उपलब्ध है

क्र.सं. 1	गांव का नाम 2	संधारण का वर्ष 3	विशेष विवरण 4
तहसील प्रतापगढ़			
1.	चेनियाखेड़ी	76-77	पी.एण्ड टी. योजना
2.	गादोला	79-80	टी.एस.एस. योजना
3.	समथली बड़ी	79-80	"
4.	निनोर	79-80	पी.एण्ड टी. योजना
5.	सालमगढ़	74-75	"
6.	वसाड	76-77	"
7.	बरमण्डल	79-80	टी.एस.एस. योजना
8.	अरनोद	72-73	पी.एण्ड टी. योजना
9.	दलोट	74-75	"
10.	अमीरामा	79-80	"
11.	सेवना	74-75	"
12.	अमलावत	76-77	"
13.	खेड़िया खेड़ी	76-77	"
14.	धमोत्तर	79-80	"
15.	कुलमीपुरा	79-80	"
16.	कोटड़ी	79-80	टी.एस.एस. योजना
17.	वोरी	79-80	"
18.	सिद्धपुर	79-80	"
19.	वाराबरदा	79-80	"
20.	संगथलीखुर्द	79-80	"
21.	डोराना	79-70	"
22.	चन्देरा	79-80	"
23.	खेरोट	79-80	"
24.	कुलधाणा	79-80	"
25.	रठाजणा	79-80	"
तहसील चित्तौड़गढ़			
1.	सावा	70-71	पाइण्ड योजना
2.	विजयपुर	71-72	"

Page No 206

(२०४)

1	2	3	4
3.	पटियावली	74-75	पी.एण्ड टी. योजना
4.	पान्डोली	79-80	टी.एस.एस. योजना
5.	बडोदिया	79-80	"
6.	घनेलकलां	79-80	"
7.	कश्मीर	79-80	हैण्ड पम्प योजना
8.	रोलाहेडा	79-80	टी.एस.एस. योजना
9.	नारेला	79-80	"
10.	अरनोपा	79-80	"
11.	घोसुन्डा	70-71	पी.एण्ड टी. स्कीम
12.	नेतावल महाराज	80-81	टी.एस.एस. स्कीम
	तहसील कपासन		
1.	भोपालसागर	74-75	पी. एण्ड टी. स्कीम
2.	कांकरवा	78-79	"
3.	मुंगाना	79-80	"
4.	सादड़ी	79-80	"
5.	निलोद	79-80	टी. एस.एस. योजना
6.	निम्बाहेडा	79-80	"
7.	ताना	77-78	पी. एण्ड टी. योजना
8.	अवराना	79-80	टी.एस.एस. योजना
9.	आकोला	73-74	पी.एण्ड टी. योजना
10.	सिंगपुर	73-74	"
11.	जाशमा	78-79	पाइप्ड योजना
12.	धमाणा	73-74	"
13.	पाण्डोली	79-80	टी. एस. एस. योजना
14.	पटोलिया	79-80	"
15.	पारी	79-80	"
16.	चोरयारी	79-80	"
17.	लांगच	79-80	"
18.	घनाकिया कलां	79-80	"
	तहसील गंगरार		
1.	आजोलिया का खेड़ा	79-80	टी.एस.एस. योजना
2.	सोनियाणा	79-80	पी. एण्ड टी. योजना
3.	जीवानायका खेड़ा	79-80	हैण्ड पम्प योजना

1	2	3	4
4.	लछमीपुरा	79-80	हैण्ड पम्प योजना
5.	भवानीपुरा	79-80	,,
6.	बस्सी	70-71	पी. एण्ड टी. योजना
7.	पुठोली	79-80	,,
8.	गंगरार	72-73	पाइप्ड स्कीम
9.	आम्बों का जवासिया	79-80	टी.एस.एस. योजना
10.	बोरदा	79-80	,,
11.	बुद	79-80	,,
12.	कुवालिया	79-80	,,
13.	सांवता	79-80	,,
तहसील डूंगला			
1.	विलोदा	79-80	टी.एस.एस. योजना
2.	पालखेड़ी	78-79	,,
3.	चिकारडा	78-79	पी. एण्ड टी. योजना
4.	डूंगला	74-75	पाइप्ड योजना
5.	मंगलवाड़	79-80	पी. एण्ड टी. योजना
तहसील बेगूं			
1.	राजगढ	79-80	पारम्परिक जल योजना
2.	जरजनी	79-80	,,
3.	ठकुराई	79-80	,,
4.	बड़ोदिया	79-80	,,
5.	चेंची	78-79	हैण्ड पम्प योजना
6.	भैंसरोडगढ	77-78	पी. एण्ड टी. योजना
7.	पारसोली	79-80	,,
8.	भीचोर	79-80	,,
9.	बेगूं	70-71	पाइप्ड जल योजना
10.	नन्दबाई	78-79	पारम्परिक जल योजना
11.	काटुन्दा	79-80	,,
12.	डोराई	79-80	हैण्ड पम्प योजना
तहसील भदेसर			
1.	भादसोडा	70-71	पाइप्ड जल योजना
2.	खोडीप	79-80	पारम्परिक जल योजना

1	2	3	4
3.	भदेसर	72–73	पी. एण्ड टी. योजना
4.	नाहरगढ़	74–75	"
5.	कन्नोज	74–75	"
6.	बानसेन	77–78	"
7.	लक्ष्मीपुर	77–78	"
8.	असावरा	79–80	पारम्परिक जल योजना
	तहसील छोटी सादड़ी		
1.	बम्बोरी	74–75	पी. एण्ड टी. स्कीम
2.	सोबी	79–80	टी. एस. एस. योजना
3.	कुलमिया	74–75	पी. एण्ड टी. योजना
4.	रघुनाथपुरा	74–75	"
5.	बसेरा	79–80	टी. एस. एस. योजना
6.	जलोदाजागीर	79–80	"
7.	करजू	79–80	"
8.	नाराणी	79–80	"
9.	जलोधिया केलुखेड़ा	79–80	"
	तहसील बड़ी सादड़ी		
1.	पारसोली	76–77	पी. एण्ड टी. स्कीम
2.	जयसिंहपुरा	76–77	"
3.	बान्सी	73–74	"
4.	निकुम्ब	71–72	"
5.	बोहेड़ा	74–75	"
6.	भानीजा	79–80	टी. एस. एस. योजना
7.	केवलपुरा	79–80	हैण्ड पम्प योजना
8.	नान्दोली	79–80	"
	तहसील राशमी		
1.	लालपुरा	76–77	पी. एण्ड टी. स्कीम
2.	हिण्डोली	74–75	"
3.	रूद	79–80	"
4.	देवीपुरा	76–77	"
5.	खोडा	76–77	"
6.	बलवन्तपुरा	76–77	"

1	2	3	4
7.	मान्यास	76-77	पी. एण्ड टी. स्कीम
8.	लसाड़िया कलां	79-80	डी. एस.एस. योजना
9.	सिहाना	79-80	,,
10.	मुरोली	79-80	,,
11.	मरमी	79-80	,,
12.	गणेशपुरा	79-80	हैण्ड पम्प योजना
13.	मिरचा खेड़ी	79-80	,,
14.	जगपुरा	79-80	,,
15.	कामरवालों का खेड़ा	79-80	,,
16.	रघुनाथपुरा	79-80	,,
17.	चित्तोड़िया	79-80	,,
18.	कारोयुरा	79-80	,,
19.	पहुंना	73-74	,,
20.	भीमगढ़	78-79	पी. एण्ड टी. स्कीम
21.	राणमी	74-75	पाईप्ड योजना
22.	बादनास	79-80	टी. एस. एस. योजना
23.	उपरेड़ा	79-80	,,
24.	बाह	79-80	,,
25.	जाड़ाना	79-80	,,

तहसील निम्बाहेड़ा

1	2	3	4
1.	विनोता	74-75	पी. एण्ड टी. स्कीम
2.	बारी	79-80	टी.एस.एस. योजना
3.	बनेरा	70-71	पाईप्ड योजना
4.	अरदोदा	73-74	,,
5.	रानीखेड़ा	74-75	पी. एण्ड टी. योजना
6.	मढ़दा	74-75	,,
7.	सतखड़ा	79-80	टी. एस. एस. योजना
8.	मांगरोल	79-80	,,
9.	लसरावन	79-80	,,
10.	गादोमा	79-80	,,
11.	खेनी	79-80	,,
12.	मैंलाना	79-80	टी. एस. एस. योजना
13.	ऊखालिया	79-80	,,

२०४

1	2	3	4
1.	चित्तौड़गढ़	63–64	टी. एस. एस.योजना
2.	कपासन	64–65	,,
3.	निम्बाहेड़ा	64–65	,,
4.	छोटी सादड़ी	64–65	,,
5.	बड़ी सादड़ी	70–71	,,
6.	प्रतापगढ़	62–63	,,

२०९

सूची--ग

जिला चित्तौड़गढ में पेयजल हेतु स्वीकृत गांवों की सूची जहां कार्य प्रगति पर है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	योजना का प्रकार
1	2	3	4
1.	नगरी	गंगरार	टी.एस.एस.
2.	नेवरिया	राशमी	,,
3.	हथयाना	कपासन	,,
4.	मण्डपिया	भदेसर	,,
5.	मण्डला चरन	निम्बाहेड़ा	,,
6.	केसुन्दा	छोटी सादड़ी	,,
7.	धोलापानी	,,	,,
8.	गोमाना	,,	,,
9.	पिण्ड	बड़ी सादड़ी	,,
10.	खरदेवला	,,	,,
11.	अरनेद	डूंगला	,,
12.	पानमोड़ी	प्रतापगढ़	हैण्ड पम्प
13.	गन्धेर	,,	,,
14.	हाथीपुरा	भदेसर	,,
15.	पीपल खेड़ी	निम्बाहेड़ा	,,
16.	फारुण्डा	छोटी सादड़ी	,,
17.	गुलाना	बेगूं	,,
18.	जावराखुर्द	,,	,,
19.	जोधपुरिया	,,	,,
20.	कल्याणपुरा	,,	,,
21.	लोहरिया	,,	,,
22.	लोथियाला	,,	,,
23.	माधोपुर	,,	,,
24.	मराबदा	,,	,,
25.	मोतीपुरा	,,	,,
26.	सूलीमगरा	,,	,,
27.	तूरखेड़ी	,,	,,
28.	बरेखण	छोटी सादड़ी	,,
29.	बरवाड़ा गुजर	,,	,,
30.	कानपुरा	राशमी	,,

(210)

1	2	3	4
31.	भूतखेड़ा	डूंगला	हैण्ड पम्प
32.	चकतिया	"	"
33.	जारसादड़ी	"	"
34.	कुमार खेड़ा	"	"
35.	लखमीपुरा	"	"
36.	निमोदड़ा	"	"
37.	तितरड़ा	"	"
38.	अमरपुरा	चित्तौड़गढ़	"
39.	भाटियों का खेड़ा	"	"
40.	चौथपुरा	"	"
41.	गाड़रीखेड़ा	"	"
42.	तितवाल	"	"
43.	पालेर	"	"
44.	ढोली	गंगरार	"
45.	गागसिया	"	"
46.	गोवालिया	"	"
47.	खूंटिया	"	"
48.	पिपलिया कलां	"	"
49.	रूपपुरा	"	"
50.	सोंगार	"	"
51.	सुरजनियास	"	"
52.	सुरावरिया	"	"
53.	भाढखेड़ा	"	"
54.	अनखेड़ा	कपासन	"
55.	बारी	"	"
56.	चाकुड़ी	"	"
57.	देवरों का खेड़ा	"	"
58.	जाजरों का खेड़ा	"	"
59.	धन्ना की भागर	"	"
60.	जोवासपुर	"	"
61.	काचोलियां	"	"
62.	कानाखेड़ा	"	"
63.	खेड़ी	"	"

1	2	3	4
64.	आक्या	भदेसर	हैण्ड पम्प
65.	वागुण्ड	,,	,,
66.	बाजौट	,,	,,
67.	भीमखोट	,,	,,
68.	वरलियां	,,	,,
69.	दौलतपुरा	,,	,,
70.	वीरजी का खेड़ा	,,	,,
71.	सुरावास	,,	,,
72.	तेजपुरा	,,	,,
73.	गेटेरा	निम्बाहेड़ा	,,
74.	किशनपुरा	,,	,,
75.	देवदां	बड़ी सादड़ी	,,
76.	देवरी	,,	,,
77.	महुड़ीखेड़ा	प्रतापगढ़	रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम
78.	दुदलीटांडा	,,	,,
79.	कालूरूडिया	,,	,,
80.	आमलीखेड़ा	,,	,,
81.	नारायणखेड़ा	,,	,,
82.	हवनियां सड़ी	,,	,,
83.	बिलिया रण्डी	,,	,,

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 260 की सूची)

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पूर्ण कार्यों का विवरण

पं.सं. का नाम	शाला भवन	डिस्पे-न्सरी	पंचायत घर	कुए	तालाब	सड़क	अन्य	योग
1. आमेर	37	3	14	9	86	1	182	332
2 सांगानेर	14	3	6	19	128	1	35	206
3. झोटवाड़ा	22	2	3	18	25	-	42	112
4. गोविन्दगढ़ (तहसील गोविन्दगढ़)	98	12	14	67	2	209	146	548
5. जमवारामगढ़	36	8	2	42	234	6	483	811
6. चाकसू	18	2	11	18	190	59	32	330
7. बस्सी	30	5	5	48	78	104	18	271
8. सांभर	77	9	18	76	66	5	206	457
9. दूदू	37	2	12	57	254	122	65	549
10. फागी	46	4	9	46	119	26	206	453
11. दौसा	62	11	14	42	189	99	425	841
12. लालसोट	33	4	10	59	145	203	127	581
13. सिकराय	103	11	12	107	58	117	295	713
14. बांदीकुई	24	1	13	25	74	110	29	276
15. शाहपुरा (तहसील शाहपुरा)	43	10	2	20	2	1	373	451
16. विराटनगर (तह. विराटनगर)	43	2	10	59	123	627	104	968
17. कोटपूतली	2	–	–	4	2	–	18	26
	708	89	155	726	1775	1689	2783	7925

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के आदेश)

राजस्थान सरकार

सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग

आदेश

क्रमांक एफ. 3(वीकेयू)(6)जांच/झाला/79/4360 जयपुर, दिनांक 21-11-79

श्री रामनारायण पालीवाल सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ के खिलाफ काइन हाउस में प्रवेश मवेशियों की नीलामी में अनियमितताएं करने एवं कम रकम वसूल करने तथा फर्जी मस्ट्रौल तैयार कर पंचायत कोष को आर्थिक नुकसान पहुंचा पद का दुरुपयोग कर कर्तव्य पालन में उपेक्षा के आरोपों के संबंध में राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, और क्योंकि सरपंच के विरुद्ध आरोप गंभीर है। अतः राज्य सरकार यह उचित तथा इष्टकर समझती है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध विभागीय जांच या निर्णय होने तक उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर न कोई कार्य करे और न किसी कार्यवाही में भाग लें।

अतः राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17(4-ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त श्री रामनारायण सरपंच को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है तथा आदेश देती है कि निलम्बन काल में ये पंचायत के किसी कार्य व कार्यवाही में भाग न लें।

राज्य सरकार की आज्ञा से,
ह./-
अवर सचिव (जांच)।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिलाधीश, झालावाड़ को भेजकर लेख है कि वे उक्त सरपंच के कार्यभार उप सरपंच को तुरन्त दिलवाने की व्यवस्था करें तथा इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।
2. सचिव, जिला परिषद झालावाड़।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बकानी।
4. श्री रामनारायण पालीवाल सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ वे तुरन्त पंचायत का चार्ज उप सरपंच को देकर इस विभाग को 3 दिन में सूचित करें।
5. उप सरपंच ग्राम पंचायत रटलाई पंचायत समिति बकानी जिला झालावाड़ कृपया पंचायत का कार्य संभाल कर तीन दिन में सूचना भेजें।
6. गार्ड फाईल।

ह./-
अवर सचिव (जांच)
राजस्थान, जयपुर।

सेवामें,

श्रीमान जिलाधीश महोदय,
झालावाड़ ।

विषय:–विकास पंचायत रटलाई के सरपंच श्री रामनारायण पालीवाल का कार्यभार संभालने बाबत ।

प्रसंग :–आपका पत्र संख्या 4521–27 पंचायत/दिनांक 24–11–79.

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने आपके आदेश के अनुसार सरपंच रटलाई का दिनांक 24-11-79 को मध्यान्ह के बाद कार्यभार संभाल लिया है जिसमें निम्न रेकार्ड प्राप्त किया है:–

1. चालू कैश बुक सत्र 1979–80 (एक)
2. नकद रोशन 54.50 पैसे ।

वास्ते सूचनार्थ श्रीमान की सेवा में पेश है ।

भवदीय,
ह./-
(बालचन्द जैन)
उप सरपंच,
विकास पंचायत, रटलाई ।

क्रमांक स्पेशल 2/ दिनांक 27–11–79

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान अपर सचिव (जांच) सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग ।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बकानी ।
3. तहसीलदार, सा. झालरापाटन ।

ह./–
बालचन्द जैन,
उप सरपंच,
विकास पंचायत रटलाई ।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिलाधीश, झालावाड़

क्रमांक 4828-/पंचायत/79/ दिनांक 24-11-79

तहसीलदार, झालरापाटन।

विषय :—ग्राम पंचायत रटलाई के सरपंच से उप सरपंच को चार्ज दिलाने बाबत।

उपरोक्त विषय में आपको लेख है कि राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 15(3) तथा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 की धारा 8 व 9 के तहत श्री रामनारायण पालीवाल, सरपंच, ग्राम पंचायत रटलाई से समस्त पंचायत का चार्ज श्री बालचन्द जैन, उप सरपंच, ग्राम पंचायत रटलाई को नियमानुसार तत्काल संभलाया जाकर फर्द चार्ज रिपोर्ट की एक प्रति प्रमाणित शुदा स्पेशल मेसेन्जर से भिजवादें। तथा आपको यह भी हिदायत दी जाती है कि अगर सरपंच कार्यभार नहीं सौंपे तो पुलिस की इमदाद लेकर चार्ज पंचायत के रेकार्ड का उप-सरपंच को संभलाया जावे।

ह.
जिलाधीश, झालावाड़।

क्रमांक :-4829-32/पंचायत/79/ दिनांक 24-11-79

प्रतिलिपि :-

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी।
2. श्री रामनारायण पालीवाल, सरपंच रटलाई पंचायत समिति बकानी को प्रेषित कर लेख है कि पंचायत का एवं नकद राशि एवं गेहूं का एवं पंचायत के समस्त रेकार्ड का चार्ज उप सरपंच को तुरन्त संभला कर पालना रिपोर्ट भिजवादे।
3. उप सरपंच, ग्राम रटलाई को प्रेषित कर लेख है कि पंचायत का चार्ज संभलाकर रिपोर्ट भेजें।
4. अवर सचिव (जांच) महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र संख्या एफ. 3 (बी. के. यू./जांच/झाला/79/4360 दिनांक 21-11-79 को प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित है।

ह./-
जिलाधीश, झालावाड़।

(216)

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची)

सी. ए.एस. डाक्टरों के रिक्त स्थानों का विवरण

क्र. सं.	स्थान	चिकित्सक के रिक्त पदों की संख्या	पद कब से रिक्त है
1	2	3	4
1.	सामान्य अस्पताल, प्रतापगढ़	1	3–80 (मार्च 1980)
2.	पोस्ट मार्टम स्कीम प्रतापगढ़	2	3 मार्च, 79
3.	राजकीय चिकित्सालय, नदवई (बेगूं)	1	79
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कनेरा	1	79
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र, दलोढ़	2	79
6.	राजकीय चिकित्सालय, मंगलवाड़ा व चौराहा	1	79
7.	राजकीय चिकित्सालय, कुलथाना	1	जुलाई, 79
8.	राजकीय चिकित्सालय धुमाना	1	जुलाई, 79
9.	राजकीय चिकित्सालय, आसमा	1	अगस्त, 79
10.	रेफरल अस्पताल, मांडकिया	4	अप्रेल, 80
11.	राजकीय चिकित्सालय, काकरवा	1	अप्रेल, 80
12.	राजकीय चिकित्सालय, रामपुरिया	1	नवम्बर, 79
13.	राजकीय चिकित्सालय, बड़ी सादड़ी	1	79
14.	राजकीय चिकित्सालय, बम्बोरी	1	79
15.	राजकीय चिकित्सालय, बांसी	1	79
		20	

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

प्रपत्र "अ"

जवाई बांध की मुख्य नहर से निकलने वाली उप शाखायें/डिस्ट्रीब्यूटरी व शाखायें (माईनर्स) की सूची

क्र.सं.	नाम उप शाखायें (माईनर्स)
	अ–सुमेरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी
1.	गलथनी माईनर
2.	जाखोड़ा माईनर
3.	कोलीवाड़ा माईनर
4.	रोजड़ा माईनर
	आ–खाण्डेराव डिस्ट्रीब्यूटरी
1.	खाण्डेराय माईनर
2.	सिमाढ़ा माईनर
3.	पावा माईनर
	इ–गोगरा डिस्ट्रीब्यूटरी
1.	गोगरा माईनर नं. 1
2.	गोगरा माईनर नं. 2
	ई–बिठीया डिस्ट्रीब्यूटरी
1.	बलाना माईनर
2.	दूजाना माईनर
3.	बीठीया माईनर
4.	पावटा माईनर
5.	उम्मेदपुर माईनर
6.	जोड़ा माईनर
	उ–तखतगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी
1.	तखतगढ़ माईनर

प्रपत्र "व"

जयाई बांध मुख्य नहर तथा उससे सम्बन्धित माईनरों के रख रखाव पर सन् 1972 से 1979 तक वर्षवार व्यय राशि का विवरण––

क्र.स.	नाम वर्ष	व्यय राशि	टिप्पणी
1.	1971–72	5,08,062/–	
2.	1972–73	3,78,899/–	
3.	1973–74	3,49,362/–	
4.	1974–75	3,70,736/–	
5.	1975–76	4,15,620/–	
6.	1976–77	5,02,981/–	
7.	1977–78	6,60,089/–	
8.	1978–79	7,99,294/–	
9.	1979–80	8,92,035/–	
	योग :––	48,77,078/–	

219

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 का विवरण)

(पंचायत समिति जैतारण के 5000) रुपये से अधिक की वसूली वाले बाकीदारों की सूची

क. सं	नाम	पिता का नाम	गांव	राशि लेने की तारीख	जमा कराई राशि व दिनांक	बकोया रकम	सरकार द्वारा वसूली करने बाबत की गई कार्यवाही	कितने छोटे व सीमान्त काश्तकार इस सूची में है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री बिन्जाराम	मंगलाराम माली	जैतारण	31-3-61	—	5500)	इस कार्यालय के पत्र	नहीं है
2.	,, चुन्नीलाल	भीकमचन्द माली	,,	16-6-60	—	6000)	क्रमांक/6100 दिनांक	,,
3.	,, हकीमखां	मनीरखां	,,	28-10-65	—	6550)	31-3-76 के जरिये	,,
4.	,, किस्तूरचन्द	देवीलाल ब्राह्मण	,,	20-9-60, 26-3-68	—	9400)	256,257 के केस बनी	,,
5.	,, मस्तुरखां	मुख्तयार खां सिपाही	,,	7-10-67	—	5000)	कर वसूली हेतु जिलाधीश	
6.	,, मुशीरखां	,,	,,	1-12-67	—	5000)	महोदय को भिजवा दिये	,,
7.	,, मिश्रमरमक	बलदेवसिंह सुथार	जागेवा	12-5-67	—	5700)	गये हैं	,,
8.	,, मेकसिंह	जवानसिंह राजपूत	,,	2-2-64	—	5573)	,,	,,
9.	,, राजूराम	मानाजी	चांवडियां	14-8-67	—	9000)	,,	,,
10.	,, सुजा	बचना गूजर	,,	11-5-66	—	7600)	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	श्री मिश्रीलाल	धूलचन्द	निमाज	27-3-64	—	5300)	इस कार्यालय के पत्र	नहीं है
12.	,, बदरमल	गम्भीरमल	,,	7-3-63,	31-3-60—	7000)	क्रमांक 6100 दिनांक	,,
13.	,, शिवदान	बाकीदान	,,	3-7-64	—	5500)	31-3-76 के जरिये	,,
14.	,, गोविन्द प्रसाद	सरदारमल माथुर	,,	31-3-68	—	6750)	256,257 के केस	,,
15.	,, माधवलाल	हुक्मीचन्द सुथार	,,	31-3-68	—	6000)	वनाकर वसूली हेतु	,,
16.	,, सुगनचन्द	रूपचन्द	फुलमाल	31-3-68	—	6000)	जिलाधीश महोदय को	,,
17.	,, अभयकरण	शक्तिदान	खिनावडी	11-7-67	—	7000)	भिजवा दिये गये हैं।	,,
18.	,, फतेहकरण	,,	,,	30-3-64	—	11500अ)	,,	,,
19.	,, अजय कुमार आरजू	फतेहकरण चारण	,,	30-3-67	—	11000)	,,	,,
20.	,, भवानीसिंह	,,	,,	7-7-67	—	5000)	,,	,,
21.	,, लादूराम	रूपाराम	सागावास	28-2-66	—	6000)	,,	,,
22.	,, माणकचन्द	जुमरलाल मोची	निम्बोल	12-3-62	—	5000)	,,	,,
23.	,, अचरज कंवर	विशनसिंह	,,	4-4-63	—	8000)	,,	,,
24.	,, चान्दसिंह	विशनसिंह	,,	19-7-63	—	6000)	,,	,,
25.	,, मदनलाल	हरिराम	,,	31-3-67	—	9700)	,,	,,
26.	,, भूराराम	तारा आदि सतनामी साद	लितरिया	21-1-65	—	10000)	,,	,,
27.	,, बद्रीलाल	बन्सीलाल	लितरिया	3-7-67	—	10000)	,,	,,
28.	,, हरिराम	मगाराम सुथार	काणेाच	24-2-67	—	7000)	,,	,,
29.	सरपंच ग्राम पंचायत		लौटोती	31-3-61	—	6800)	,,	,,
30.	श्री रूपसिंह	भूरासिंह	रामावास	,,	—	6000)	,,	,,

31.	,,	फतेहसिंह	हमीरसिंह	,,	,,	–	6000)	इस कार्यालय के	नहीं है
32.	,,	चन्द्रकंवर	गोविन्दसिंह	,,	,,	–	10000)	पत्र क्रमांक ।	,,
33.	,,	देवराज	लादुराम	रामावास कलां	30–8–63	–	6000)	6100 दिनांक	,,
34.	,,	नारायणसिंह	डूंगरसिंह	डिगरणा	19–4–63	–	12600)	31-3-76 के	,,
35.	,,	नारायणसिंह	मादूसिंह	,,	29–3–63	–	8000)	जरिये 256,357	,,
36.	,,	माधोसिंह	प्रमानसिंह	आकोदिया	7–6–67	–	16200)	के केस बनाकर	,,
37.	,,	माधोसिंह	,,	,,	31–3–68	–	8000)	वसूली हेतु जिला-	,,
38.	,,	लक्षमणदान	अमरदान	खराड़ी	28–3–66	–	17200)	धीश महोदय	,,
39.	,,	शेषदान	बद्रीदान	,,	5–6–67	–	12000)	को भिजवा दिये	,,
40.	,,	अमरदान मुकनदान वगैरा		,,	31–3–61	–	5810)	गये हैं ।	,,
41.	,,	पनेसिंह	शिवदानसिंह	गिणाला	19–4–63	–	15800)	,,	,,
42.	,,	गंगासिंह	पन्नेसिंह	,,	31–3–61	–	6000)	,,	,,
43.	,,	अमर सिंह	विजयसिंह	सेवरिया	17-4-65	–	13400)	,,	,,
44.	,,	दलपतसिंह	विजयसिंह	,,	31-3-64	–	7200)	,,	,,
45.	,,	छगनकंवर	पृथ्वीसिंह	,,	31-3-61	–	5000)	,,	,,
46.	,,	महेन्द्रसिंह	जोरावरसिंह	कुड़की	30-7-64	–	7300)	,,	,,
47.	,,	मोडाराम	हरिराम	लाम्बिया	25-3-64	–	6550)	,,	,,
48.	,,	लुणाराम	पन्नाराम धोबी	घनेरिया	31-3-67	–	6300)	,,	,,
49.	,,	गणेशदान	राजूदान चारण	मुमलिया	17-5-66	–	11050)	,,	,,
50.	,,	चम्पालाल पूनमचन्द वगैर		आसरलाई	31-3-67	–	5700)	,,	,,
51.	,,	गणपतसिंह	गम्भीरसिंह	,,	31-3-68	–	6000)	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	श्री बिशनसिंह	रणजीतसिंह	निम्बेहड़ाखुर्द	20-6-63	–	8000)	इस कार्यालय के नहीं है	
53.	,, धन्ना, बचना	बालू	,,	17-5-66	–	5550)	पत्र क्रमांक 6100	,,
54.	,, भोपालसिंह	बिशनसिंह	बलाड़ा	1963,64	–	14000)	दिनांक 31-3-76	,,
55.	,, भोपालसिंह	भेरूसिंह	,,	31-3-63	–	6000)	के जरिये 256,257	,,
56.	,, बालूसिंह	भोपालसिंह	,,	18-4-63	–	5000)	के केस बनाकर	,,
57.	,, सज्जनसिंह	बिशनसिंह	रावड़ियावास	31-3-68	–	5300)	वसूली हेतु जिला-	,,
58.	,, भीमकंवर	मूलसिंह	,,	31-3-68	–	6000)	धीश महोदय को	,,
59.	,, शिवराम	मोतीराम	अमरपुरा	25-5-67	–	5000)	भिजवा दिये गये	,,
60.	,, जोरदान	मुरारदान	कावलिया	13-6-63	–	5430)	हैं।	,,
61.	,, नरेन्द्रसिंह	भवानीसिंह	बलुन्दा	1963,64	–	9300)	,,	,,
62.	,, धोकलराम	छोगाराम	,,	3-8-63	–	8000)	,,	,,
63.	,, शिवराम	माङ्ग कुमार	,,	2-3-66	–	5800)	,,	,,
64.	,, पाबूराम	कालूजी बावरी	,,	8-7-66	–	8000)	,,	,,
65.	,, शान्तिदेवी	राधेश्याम	,,	27-4-67	–	5400)	,,	,,
66.	,, रामेश्वर प्रसाद	रुगयानदास	,,	3-6-67	–	10000)	,,	,,
67.	,, हरिसिंह	जेठुसिंह चदावत	बम्बाकुंडी	24-2-66	–	8600)	,,	,,
68.	,, लाबूराम	प्रभुतराम जाट	,,	31-3-68	–	6000)	,,	,,
69.	,, जसिया	गणेश	,,	21-2-64	–	6320)	,,	,,
70.	,, बालुसिंह	रावतसिंह	बलाड़ा	9-3-64	–	7000)	,,	,,

71	,,	चूनेनाराम	लिछमण	कानावास	20-2-64	—	8000)	इस कार्यालय के पत्र नहीं है
72.	,,	जयकिशन	रावत जी	,,	15-2-67	—	6700)	कमांक/6100 दि. ,,
73.	,,	बवचना	सांवल माली	,,	29-7-66	—	6000)	31-3-76 के ज़रिये ,,
74.	,,	हणवन्त सिह	भोपाल सिह	विरोल	30-8-60	—	8000)	256,257 के केस ,,
75.	,,	मोहनलाल	जोधराज	ठाकरवास	31-3-61	—	5100)	बनवाकर वसूली हेतु ,,
76.	,,	जतनकंवर	शिम्भुसिह	पृथवीपुरा	29-3-63	—	6000)	जिलाधीश महोदय ,,
77.	,,	खीवसिह	बिशनसिह	,,	21-12-67	—	10000)	को भिजवा दिये ,,
78.	,,	बचनसिह	मदनसिह	कैड़कस्था	1963,64	—	13000)	हैं। ,,
79.	,,	दलेलसिह	किशनसिह	,,	29-8-64	—	8000)	,, ,,
80.	,,	नन्दकिशोर	हजारीराम ब्रा.	,,	28-10-66	—	10000)	,, ,,
81.	,,	हमीरराम	छतनाराम	देवरिया	2-3-66	—	11100)	,, ,,
82.	,,	जुगराज	चम्पालाल	खिनावड़ी	31-3-68	—	7139)	,, ,,
83.	,,	बहादुरसिह	नाथूसिह	रास	31-3-68	—	5240)	,, ,,
84.	,,	माधोसिह	अमानसिह	आकोदिया	1-4-70	—	9797)	,, ,,
85.	,,	नारायण सिह	माधोसिह	आकोदिया	1-4-70	—	11276)	,, ,,
						योग	6,03,055/–	

सज्जन सिह,
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, जैतारण।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची)

1978-79 में ग्राम पंचायत रटलाई तथा ग्राम पंचायत देवनगर अनाज के बदले हुए कार्य पर हुए खर्च के विवरण की सूची । वर्ष 1978-79 में जिले की पंचायत समिति बकानी के ग्राम, ग्राम पंचायत रटलाई में रुपये 96045-65 का कार्य एवम् देवनगर में 81190.12 रुपयों का कार्य काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य हुये जिनकी कार्यवार लागत व अन्य विवरण निम्न प्रकार है:—

क. सं.	कार्य का नाम मय ग्राम		लागत
ग्राम पंचायत रटलाई			
1.	खुरंजा निर्माण तलाई I	रटलाई	2316-61
2.	खुरंजा निर्माण तलाई II	रटलाई	2191-15
3.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा I	रटलाई	2143-70
4.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा II	रटलाई	2577-78
5.	कन्या पाठशाला भवन रटलाई		17511-89
6.	कुआ हरिजन बस्ती, रटलाई		1525-60
7.	लिन्क रोड 1-2/2 कि. मी., रटलाई से दवनारायण		46367-09
8.	प्रा. शाला भवन (बालक) रटलाई		12582-08
9.	माध्यमिक शाला कमरा रटलाई निर्माण		2195-60
10.	तालाब निर्माण साबलपुरा		5448-00
11.	उजाड़ नदी पर पानी रोकने का कार्य, रटलाई		1018-15
12.	रास्ता दुरुस्ती रटलाई		167-40
		कुल हुये कार्यों का व्यय	96045-65
ग्राम पंचायत देवनगर			
1.	खुरंजा निर्माण देवनगर		24809-75
2.	खुरंजा निर्माण खामखेद		15413-50
3.	खुरंजा निर्माण मोतीपुरा		7498-10
4.	बाउण्ड्रीवाल प्रा. शाला		4924-50
5.	पंचायत भवन देवनगर		5905-50
6.	पंचायत भवन कमरा देवनगर		6152-30
7.	प्रा. शाला तिवारी ,,		7743-77
8.	सार्व. कुइया मरम्मत बुगाड़ा		2045-00

225

1	2	3
9.	कुइया नपानिया दल्ला	4532-00
10.	कुइया चमारान मरम्मत बुमाड़ा	2165-70
	कुल हुये कार्यों पर व्यय	81190-12
	महायोग पंचायत रटलाई व देवनगरे	177235-77

अनाज के बदले हुए कार्यों की सूची

क. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम
	ग्राम पंचायत रटलाई	
1.	खुरंजा निर्माण तलाई I	रटलाई
2.	खुरंजा निर्माण तलाई II	रटलाई
3.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा I	रटलाई
4.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा II	रटलाई
5.	कन्या पाठशाला भवन	रटलाई
6.	कुआ हरिजन बस्ती	रटलाई
7.	लिन्क रोड 1-1/2 किलोमीटर	रटलाई से देवनारायण
8.	प्राथमिक शाला भवन (बालक)	रटलाई
9.	माध्यमिक शाला कमरा निर्माण	रटलाई
10.	तालाब निर्माण	सावलपुरा
11.	उजाड़ नदी पर पानी रोकने का कार्य	रटलाई
12.	रास्ता दुरुस्ती	रटलाई
	ग्राम पंचायत देवनगर	
1.	खुरंजा निर्माण	देवनगर
2.	खुरंजा निर्माण	खाचरोद
3.	खुरंजा निर्माण	मोतीपुरा
4.	बाउण्ड्रीवाल प्राथमिक शाला	मोतीपुरा
5.	पंचायत भवन	देवनगर
6.	पंचायत भवन कमरा	देवनगर
7.	प्राथमिक शाला तिवारी	देवनगर
8.	सार्वजनिक कुइया मरम्मत	बुमाड़ा
9.	कुइया चमारान मरम्मत	बुमाड़ा
10.	कुइया नपानियां	दल्ला

प्रमाण-पत्रों के बारे में सूची

क्र.सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम	पूर्ण/अपूर्ण	प्रमाण-पत्र
1	2	3	4	5
ग्राम पंचायत रटलाई				
1.	खुरंजा निर्माण तलाई I	रटलाई	पूर्ण	प्रमाण-पत्र जारी किया
2.	खुरंजा निर्माण तलाई II	रटलाई	,,	,, ,,
3.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा I	,,	,,	,, ,,
4.	खुरंजा निर्माण बालचन्द शर्मा II	,,	,,	,, ,,
5.	कन्या पाठशाला भवन	,,	अपूर्ण	प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया
6.	कुआ हरिजन बस्ती	,,	,,	,, ,,
7.	लिन्क रोड 1-1/2 कि.मी.	रटलाई से देवनारायण	,,	,, ,,
8.	प्रा. शाला भवन (बालक)	रटलाई	,,	,, ,,
9.	माध्यमिक शाला कमरा निर्माण	,,	पूर्ण	जारी किया गया
10.	तालाब निर्माण	साबलपुरा	अपूर्ण	जारी नहीं किया गया
11.	उजाड़ नदी पर पानी रोकने का कार्य	रटलाई	पूर्ण	जारी किया
12.	रास्ता दुरुस्ती	,,	,,	,, ,,
ग्राम पंचायत देवनगर				
1.	खुरंजा निर्माण	देवनगर	पूर्ण	प्रमाण-पत्र जारी करना शेष है
2.	खुरंजा निर्माण	खाचरोद	,,	,, ,,
3.	खुरंजा निर्माण	मोतीपुरा	,,	,, ,,
4.	बाउन्ड्रीवाल प्रा. शाला	,,	,,	प्रमाण-पत्र जारी किया
5.	पंचायत भवन	देवनगर	अपूर्ण	प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया
6.	पंचायत भवन	,,	,,	,, ,,
7.	प्रा. शाला तिवारी	,,	,,	,, ,,
8.	सार्व. कुआ मरम्मत	बुमाड़ा	पूर्ण	प्रमाण-पत्र जारी किया
9.	कुइआ चमारान मरम्मत	,,	,,	,, ,,
10.	कुइआ नपानिया	दल्ला	,,	,, ,,